दशम माला, खंड 16, अंक 9

शुक्रवार, 4 दिसम्बर 1992
13 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64
Date 12-1-94

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

145.	प्रश्न सं० 1960	"थाइल जान अंजलोज" से पहले "श्री" जोड़िये ।
183.	प्रश्न सं० 1984	"संडीपान" के स्थान पर "संदीपान" पढ़िये ।
200.	प्रश्न सं० 2004	"लाला" के स्थान पर "लाल" पढ़िये ।
268.	नीचे से 4	"कुसारिया" के स्थान पर "कुसमरिया" पढ़िये ।
273.	प्रश्न सं० 2087	"रावत" के स्थान पर "रावल" पढ़िये ।
288.	8	"श्री कालिका दास" के स्थान पर "श्री कालका दास" पढ़िये ।
294.	नीचे से 2	"अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।
341.	नीचे से 1	"मरबिआग" के स्थान पर "मरघनिआग" पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1992/13 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 161 से 165	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—285
तारांकित प्रश्न संख्या : 166 से 180	21—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1856 से 1897, 1899 से 2007 और 2009 से 2088	39—285
मंडल आयोग पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में	285—298
सभा का कार्य	**299—301**
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक (नये भाग 9 का अंत:स्थापन) **संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित** **और** **संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक** (नये भाग 9-क का अंत:स्थापन) **संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक, पर वाद-विवाद पुन: आरम्भ किए जाने के बारे में प्रस्ताव**	302
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	302—317

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक	
(नये भाग 9 का अंत:स्थापन)	
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
और	317—326
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक	
(नये भाग 9-क का अंत:स्थापन)	
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	317
श्री लाईता उम्ब्रे	322
श्री शिवराज सिंह चौहान	324
अपनियोजन नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प	326—351
श्री सोमनाथ चटर्जी	326
प्रो० प्रेम धूमल	333
श्री मोहन सिंह ...	335
श्री तेज नारायण सिंह	340
श्री पीयूष तीरकी	341
श्री पी० के० थुंगन	343
श्री रूपचन्द पाल	348

लोक सभा

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1992/13 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले का उत्पादन

[अनुवाद]

*161 **श्री एस०बी० थोरात :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से कोयले के उत्पादन, मांग और बिक्री सम्बन्धी वार्षिक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष प्रति वर्ष कोयले के आयात में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया तथा उस पर कितना व्यय हुआ;

(घ) चालू वर्ष में कितने कोयले के आयात किए जाने की सम्भावना है और उस पर कितना व्यय होगा; और

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने और कोयले का आयात घटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(क) योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित की गई कच्चे कोयले की कुल मांग और पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा कोयले का किया गया कुल उत्पादन, कच्चे कोयले का वास्तविक उठान तथा प्रेषित किए गए कोयले की कीमत को नीचे दिया

गया है :—

वर्ष	मांग (मि० टन)	उत्पादन (मि० टन)	वास्तविक उठान (मि० टन	प्रेषित किए गए कोयले की निवल कीमत (करोड़ रु० में)	
				को०इं०लि०	सिं०को०कं०लि०
1989-90	222.00	200.89	199.79	4819.03	528.11
1990-91	229.80	211.73	210.70	5095.02	505.31
1991-92	237.00	229.28	228.93	6009.42	653.60

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए विभिन्न ग्रेड के कोयले के संबंध में उपलब्ध सूचना को नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े अनंतिम)

आयात किया गया ग्रेड का कोयला	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा (हजार टन में)	कीमत (करोड़ रु० में)	मात्रा (हजार टन में)	कीमत (करोड़ रु० में)	मात्रा (हजार टन में)	कीमत (करोड़ रु० में
1. एनथरासाइट कोयला	6	1.72	3	2.77	2	2.14
2. कोककर कोयला	4576	519.59	5854	733.59	5272	898.40
3. स्टीम कोयला	94	7.92	114	11.18	—	—
4. अन्य कोयला	139	19.27	76	8.89	3	0.11
5. कोक और लिग्नाइट का अथवा पांस (पीट) का अर्द्ध-कोक	17	3.38	13	3.11	—	—
6. कोयले का अन्य कोक	114	15.05	140	29.83	651	135.76
जोड़	4946	566.92	6200	789.37	5928	1036.41

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान 6.00 मि० टन कोककर कोयले का आयात किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और कर्नाटक विद्युत निगम की क्रमशः 2 मि० टन तथा 1 मि० टन अकोककर कोयले का आयात कर सकते हैं। आयातों की कीमतों का वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सकता है, चूंकि संविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) देश में अकोककर कोयले का उत्पादन विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग का समग्र रूप में पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त है। योजना अवधि के दौरान बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त मात्रा में निवेश किए जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

कोल इंडिया लि० भी इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है और इससे आयात में कमी आएगी।

(1) लगभग 2.5 मि० टन असंयोजित वाशरी को, कोयला जोकि गुणवत्ता में कुछ बेहतर होगा, विद्यमान वाशरियों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(2) तकनीकी दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करके विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों में सुधार करना।

(3) सीधे फीडर्स के जरिए तथा ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके वाशरियों को विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि करना।

(4) नई कोककर कोयला खानों का खोला जाना और योजनाओं में वृद्धि करके/पुनर्गठन करके विद्यमान खानों से कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना।

(5) मधुबंद और केडला पर दो नई कोककर वाशरियों को चालू किया जाना जिससे कच्चे कोयले की धुलाई क्षमता में 5 मि० टन तक की वृद्धि हो जाएगी।

(6) असम और मेघालय में कोककर कोयला के खनन कार्य में तीव्रता लाया जाना ताकि कम राख वाले कोककर कोयला को बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा सके।

(7) निजी क्षेत्र की भागीदारी में कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने की अनुमति देना जिससे कुल धुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने में सहायता मिलेगी।

श्री एस०बी० थोरात : मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियेरीज कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी निधियां विद्युत क्षेत्र में विशेषरूप से महाराष्ट्र में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थित कोयला खानों के विकास का ध्यान रखने के लिए बहुत ही अपर्याप्त हैं। यदि हां, तो नयी कोयला नीति के अन्तर्गत आवश्यक पर्याप्त संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार की क्या राय है, साथ ही महाराष्ट्र राज्य में परियोजनाओं की लागत और वे कहां-कहां स्थित है इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : यह सच है कि कोयला मंत्रालय को जो धन उपलब्ध कराया गया है वह पर्याप्त नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ हुआ है। हम योजना आयोग को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि योजना आयोग को संसाधनों को निधियों की उपलब्धता के अनुसार ही आबंटित करना पड़ता है। अतः मैं किसी को भी यहां दोषी नहीं ठहराऊंगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला क्षेत्र को कुछ 11769 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी। यह आवश्यकता सम्बन्धी ब्योरा हमने योजना आयोग को भेज दिया था। लेकिन योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिए अन्ततः 8520 करोड़ रुपए ही रखे। अतः पैसा आबंटित होने से लेकर अब तक 3249 रुपए का अन्तर था। अब इस 8520 करोड़ रुपए में से जोकि अन्ततः इसके

लिए रखे गए। कोयला क्षेत्र के लिए उपलब्ध बजटकारी सहायता केवल 1155 करोड़ रुपए ही थी इसका मतलब यह हुआ कि 7365 करोड़ रुपए कम्पनी को अपने आप ही उत्पन्न करने होंगे। बजटकारी सहायता के 1155 करोड़ रुपयों में से, इस पैसे पर ब्याज और पिछले ऋण पर भारत सरकार को जो हमारी देनदारी है वह कुल मिलाकर 3600 करोड़ रुपए आती है। अतः वास्तव में कोल इंडिया में गम्भीर समस्या चल रही है और इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जो निधियां आबंटित की गई थीं वे पर्याप्त नहीं हैं।

श्री एस०बी० थोरात : महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री पी०ए० संगमा : यह बात सारे भारत पर लागू होती है। मेरे पास राज्यवार आंकड़े भी हैं। मैं राज्यवार आंकड़े हासिल करके ही सदस्यों को दे सकूंगा।

श्री एस०बी० थोरात : महोदय, महाराष्ट्र राज्य में कई महत्वपूर्ण विद्युत और अन्य औद्योगिक परियोजनायें किसी न किसी बहाने स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं और साथ ही कोयला लिंकेज का अभाव भी इसकी एक वजह है। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उजैनी तापीय विद्युत केन्द्र.........

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्र से राज्य पर आ गए हैं और अब राज्य से अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आ गए हैं।

श्री एस०बी० थोरात : शोलापुर जिले की उजेनी तापीय विद्युत परियोजना कोयले के लिंकेज के अभाव में बन्द होने वाली है। कई वर्षों से मैं सिंगरेनी या कोल इंडिया या कहीं से भी इस कोयले के लिंकेज को उपलब्ध कराने के लिए जोर दे रहा हूं। बाहर से कोयला आयात करने की बजाय मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत सरकार इस कोयले के लिंकेज के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार उजेनी के इस तापीय विद्युत केन्द्र को सिंगरेनी या कोल इंडिया से क्यों नहीं जोड़ रही है। क्या मंत्री इस परियोजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, जहां तक उन विद्यमान विद्युत केन्द्रों की बात है जो इस समय पहले से ही संचालित है मैं नहीं समझता कि देश में कोई भी ऐसा विद्युत केन्द्र है जहां कोयला लिंकेज नहीं हो। कोयला लिंकेज का प्रश्न ही तब उठता है जब कोई नयी परियोजना हो। मेरे पास इस परियोजना विशेष के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित रूप से देखूंगा और माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि सामान्य तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की कमी की वजह से कोल इंडिया के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह सभी नये विद्युत केन्द्रों को कोयला लिंकेज की सुविधा दे। यही कारण है कि इस महान सभा के समक्ष यह विधेयक लाया गया है जिसके जरिये हम कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संशोधित करना चाहते हैं और हम इन भविष्य में स्थापित होने वाले विद्युत केन्द्रों को रक्षित कोयला खानें देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे यहां देश में लगभग 184 बिलियन टन कोयला भंडार है और हमारा कोकिंग कोयला भंडार भी पर्याप्त है। समस्या केवल यह है कि हमें अपने कोकिंग कोयले में से जो राख की मात्रा है उसे कम करना है ताकि इसे इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सके। इस्पात मंत्रालय ने कोयले के आयात के लिए एक दीर्घकालिक समझौते को अन्तिम रूप दे

दिया है जिसके तहत आंकड़े पिछले वर्ष के 4.05 मिलियन टन से इस वर्ष बढ़कर 6 मिलियन टन हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय इस कोकिंग कोयले को इस्पात संयंत्रों के लिए आयात कर रहा है क्योंकि हमारे देश में लगभग 16 कोयला वाशरियां (परिशोधन शालायें) हैं तथा इनमें जो कोयला उत्पादित होता है वह अच्छी किस्म का नहीं है तथा इसमें राख की मात्रा 9 प्रतिशत से 20 प्रतिशत है।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में एक कोयला परिशोधनशाला है। हमारे यहां 'इसको' की एक रक्षित (केप्टिव) कोयला वाशरी है जिसमें उत्पादित कोयले में राख की मात्रा 17 प्रतिशत होती है। हम अपने कोकिंग कोयले की राख की मात्रा को कम कर सकते हैं ताकि हमें कोयले को आयात करने की जरूरत न पड़े और हम अपनी विदेशी मुद्रा को बचा सकें। हमारे पास असम में भी कोकिंग कोयले के पर्याप्त भंडार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या कोयला मंत्रालय का इस्पात मंत्रालय के साथ समन्वय करके कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कोकिंग कोल को असम से बंगलादेश लाया जाये, क्योंकि इससे परिवहन लागत कम आती है और फिर इसे अपनी ही वाशरी में धोया जाये जिससे कि इसकी राख की मात्रा को घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि हम कोकिंग कोयले का आयात कुछ हद तक कम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में शब्दाडम्बर कोयले में राख की मात्रा की ही तरह है।

श्री पी०ए० संगमा : यह सच है कि हमारे देश में कोकिंग कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस भंडार का दो कारणों की वजह से दोहन नहीं किया जा सका है। पहली बात तो यह कि सबसे अधिक कोकिंग कोयला भंडार बिहार में हैं विशेषरूप से झरिया क्षेत्र में और वह पिछले कम से कम एक सौ वर्षों से भूमिगत आग लगी हुई है। इससे निपटना होगा। इस पर सदन में एक आधे घंटे की चर्चा हुई थी। हमने इस मामले पर चर्चा की थी और मैंने सदन को बताया था कि क्या कदम उठाये गये हैं। यह एक समस्या है जिससे हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके हमारे पूर्वोत्तर भाग अर्थात् असम, अरुणास्थल प्रदेश और मेघालय में कोकिंग कोयले के अपार भंडार हैं। वहां कोकिंग कोयले का दोहन परिवहन समस्या की वजह से नहीं किया गया है। वहां इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो एकमात्र रेल लाईन वोगिय गांव से डिबरूगढ़ तक है वह पिछले एक सौ वर्षों से मीटर गेज लाईन ही है। इस वर्ष भारत सरकार ने इसे बड़ी लाईन में बदलने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी है हम उनके आभारी हैं। जैसे ही संचार, परिवहन नेटवर्क में सुधार आयेगा हम तुरन्त ही पूर्वोत्तर राज्यों से कोकिंग कोयला के दोहन को शुरू कर देंगे।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोकिंग कोयला भंडार को शेष भारत में बंगलादेश से लाए जाने के सुझाव पर भी ध्यान दिया जा सकता है। वस्तुतः पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ राज्य सरकारों ने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। मेरी योजना आयोग के उप-चेयरमैन श्री प्रणव मुखर्जी से भी व्यक्तिगत चर्चा हुई थी। हमारे इस्पात मंत्री श्री संतोष मोहन देव

भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं यह विचार अभी तक बरकरार है लेकिन हम इसे अन्तिम रूप नहीं दे पाये हैं।

श्री पीटर जी० मारबनिआंग : प्रश्न के भाग (ङ) के पूरक प्रश्न के रूप में मैं मंत्री जी से आपके जरिये जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा असम और मेघालय में कोकिंग कोयला के खनन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक उपाय क्या हैं और हमें इन उपायों में कितनी सफलता हासिल हुई है।

श्री पी०ए० संगमा : जहां तक असम की बात है हम एक नई खान शुरू करने जा रहे हैं, वैसे यह पहले से वहां मौजूद थी लेकिन सही ढंग से विकसित नहीं की गयी थी। हम बोरोबोलाई कोकिंग कोयला परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं राख की मात्रा के बारे में पिछले एक प्रश्न का स्पष्टीकरण देना भूल गया हूं। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों में कोकिंग कोयला की बात है इसमें बहुत कम राख की मात्रा है। अत: उस कोयले में राख की मात्रा की समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों के कोकिंग कोयले में सल्फर की बहुत अधिक मात्रा है। अत: इसे धोने की बजाय हमें इसका डीसल्फराईजेशन करना और इसीलिए हम असम में एक डीसल्फराईजेशन परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामचेक नाम की एक परियोजना मौजूद है। हम यह एक नई परियोजना शुरू करने जा रहे हैं जहां तक मेघालय की बात है जहां के माननीय सदस्य हैं और मैं स्वयं हूं कोयला खाने गैर-सरकारी हाथों में हैं। यह राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं।

श्री पीटर जी० मारबनिआंग : गारो हिल्स् निजी हाथों में नहीं है।

श्री पी०ए० संगमा : स्थानीय लोगों को वहां खनन की इजाजत थी अत: यह निजी हाथों में है। मेघालय में मुख्यत: तीन जिले हैं—अब पांच-छह-जायंतिया हिल्स् कोकिंग कोल और खासी हिल्स् हैं। जहां तक गारो हिल्स् का संबंध है इसमें गैर-कोकिंग कोयला मिलता है। हमने वहां निजी खनकों भारतीय इस्पात प्राधिकरण से सलाह करके कोई पेशकश की—चूंकि वे मेघालय में व्यापारियों को कोकिंग कोयला बहुत ही सस्ते दामों पर बेच रहे थे—कि हम अपने इस्पात संयत्रों के लिए मेघालय की कोकिंग कोयला परियोजनाओं को हाथ में लेने के इच्छुक हैं। हमें अभी तक स्थानीय व्यापारियों से जवाब की अपेक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि एक प्रश्न पर पन्द्रह मिनट लग गये हैं। इस गति से हम केवल चार ही प्रश्न ले पायेंगे। यदि पांच सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये तो इसका मतलब है पच्चीस सदस्य पूछेंगे। हमारे यहां इस सभा में 545 सदस्य हैं। कृपया इस बात को समझें और अपने पूरक प्रश्नों के लिए ज़ोर न डालें।

प्रमुख पत्तनों पर माल का चढ़ाया-उतारा जाना

+
***162. डा० के०वी०आर० चौधरी** :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर माल को चढ़ाने-उतारने की क्षमता वहां के व्यापार-यातायात की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रमुख पत्तनों पर माल चढ़ाने-उतारने की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) एक विवरण के संलग्न है ।

विवरण

सभी महापत्तनों की वर्तमान क्षमता 169·23 मिलियन टन है। वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 157·86 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल किया गया। ट्रैफिक में वृद्धि की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए 8वीं योजना के दौरान पत्तन विकास के लिए 2978·00 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 8वीं योजना के अन्त तक सभी महापत्तनों की क्षमता को बढ़ाकर 237·09 मिलियन टन करने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

1. पारादीप और इन्नोर में जो एक नया अनुषंगी (सेटेलाइट) पत्तन होगा, यंत्रीकृत कोल हैंडलिंग सुविधाएं ।
2. बंबई, काडला, पारादीप, हल्दिया, तथा न्यू मंगलोर पत्तनों पर पी०ओ०एल० हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार ।
3. कलकत्ता और कांडला पत्तनों में कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं ।
4. विशाखापत्तनम और जवाहर लाल नेहरू पत्तनों में एल०पी०जी० हैंडलिंग सुविधाएं ।
5. कलकत्ता/हल्दिया, पारादीप, टूटीकोरिन, मुरगांव, न्यू मंगलोर और कांडला पत्तनों में अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थें ।

डा० के०वी०आर० चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री का वक्तव्य संतोषजनक नहीं है। मेरा मुख्य प्रश्न था : "क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर माल को चढ़ाने-उतारने की क्षमता वहां के व्यापार-यातायात की तुलना में कम है।"

जब विशाखापत्तनम और काकीनाडा पत्तनों की माल चढ़ाने-उतारने की क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो आपने आठवीं योजना के दौरान उनमें सुधार करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, कहना सही नहीं है कि हमने आठवीं योजना में कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमने कदम उठाए हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम पत्तन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। हम 20 करोड़ रुपये परिव्यय वाली एक बहुप्रयोजनीय सामान्य कार्गो बर्थ, ओ०एस०ओ० सुधार योजना का आधुनिकीकरण, एल०पी०जी० की हैंडलिंग हेतु,

अपतटीय टेंकर टर्मिनल का निर्माण, इस्पात के निर्यात हेतु 'वरहा' मूलभूत ढांचा सुविधाओं को बदलने का कार्य किया जाएगा।

डा० के०वी०आर० चौधरी : काकीनाडा पत्तन के बारे में क्या कहना है ?

श्री जगदीश टाइटलर : काकीनाडा पत्तन राज्य सरकार के अन्तर्गत है।

डा० के०वी०आर० चौधरी : ऐसा लगता है कि आप 174 करोड़ रुपये प्रदान करके काकीनाडा पत्तन में सुधार कर रहे हैं। क्या यह सच है ?

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने कुल प्रस्तावित धनराशि का विवरण अभी-अभी दिया है इसे हमने विशाखापत्तनम पर व्यय किया है।

मुझे अफसोस है कि मेरे पास काकीनाडा ने लिए कोई प्रावधान नहीं है।

डा० के०वी०आर० चौधरी : आप आन्ध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और इसलिए ज्यादातर माल पारादीप या मद्रास भेजा जा रहा है। क्या यह सच है ?

श्री जगदीश टाइटलर : नहीं, यह सच नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पश्चिमी भारत के लिये कांडला पत्तन का महत्व सर्वविदित है। इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कांडला पत्तन पर भी बम्बई के न्हावाशिवा (न्यू बॉम्बे) की भांति ही माल की ढुलाई, चढ़ाई-उतराई एवं कंटेनर्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान कांडला पत्तन के लिये निर्धारित किया गया है और कौन-कौन सी योजनाओं को हाथ में लिया गया है ?

श्री जगदीश टाइटलर : पहले सवाल का उत्तर है हां और दूसरे सवाल का उत्तर है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 341·63 करोड़ रुपये लिए गये हैं।

[अनुवाद]

हम कांडला में सात कार्गो बर्थ स्थापित कर रहे हैं, हम कंटेनर हैंडलिंग सुविधायें जो विकसित कर रहे हैं, हम तेल हैंडलिंग के लि ए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और वडीना में बहुउद्देशीय बर्थ स्थापित कर रहे हैं, हम कांडला में अतिरिक्त कार्गो बर्थ और चौथी तेल जैटी स्थापित कर रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार कार्गो क्षमता बढ़ाने और कंटेनर सेवाओं सहित और अधिक हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य प्रस्तावित हैं।

कोचीन एक मुख्य पत्तन है लेकिन दुर्भाग्य से इसे पूर्णतया उपेक्षत कर दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हैंडलिंग सुविधा में सुधार तथा कार्गो क्षमता और कंटेनर सेवा में वृद्धि के लिए कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे अफसोस है कि सम्भवत: मेरे प्रारंभिक उत्तर में कोचीन के लिए किया गया कुल परिव्यय नहीं दिया गया है। लेकिन हम कोचीन में एक पूर्ण कंटेनर टर्मिनल स्थापित कर रहे हैं। हम सी०ओ०टी० चैनल के गहरा करने के लिए ड्रेजर भी ले रहे हैं, कयनकुलम में ताप-

विद्युत केन्द्र के लिए कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का विकास कर रहे हैं और बल्लारपदम में कंटेनर टर्मिनल का विकास और पुल को बदलने का काम भी कर रहे हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री महोदय ने पपने उत्तर में पारादीप में मंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का उल्लेख किया है, आप जानते हैं यह एक नया अनुषंगी पत्तन होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम पारादीप पत्तन पर नहीं बाद के हम एक अन्य प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अनंतराव देशमुख : पत्तन क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक उद्देश्य है विकास सुविधाएं जुटाना। यह कंटेनर रूप में सामान्य कार्गो 50 प्रतिशत तक उतारने चढ़ाने के लिए था। तदनुसार सातवीं योजना में भी एक प्रावधान किया गया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या हमने यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

दूसरे, इस समय भारतीय पत्तनों की माल उतारने-चढ़ाने की क्षमता प्रति घंटा 6 से 12 कंटेनर है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों में यह क्षमता प्रति घंटा 25 से 30 कंटेनर है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस उत्तर में दिए गए उपायों को लागू करने के बाद भारतीय पत्तनों की प्रति घंटा क्षमता क्या होगी ?

श्री जगदीश टाइटलर : यह बहुत ही कठिन प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां भी यह महसूस कर रही हैं कि हम एक कंटेनर पर माल चढ़ाने और उतारने में बहुत अधिक श्रमिकों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभिन्न श्रमिक संघों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों के लिए यह लाभप्रद नहीं है कि आप एक कंटेनर पर 52 या अधिक व्यक्ति लगा रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि हाल हो में हमने मुख्य मंत्री और यूनियन को मदद से कोचीन में एक हल निकाला है और हम हमने डी-स्टफिंग करने का कार्य तेज किया है जिसके कारण एक कंटेनर पर वस्तुतः 33 प्रतिशत क्षमता बढ़ गई है और लाभ में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि अन्य पत्तन भी ऐसा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख : मुझे अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : जब मैं प्रश्न कर रहा था तब आपने कहा कि मैं भिन्न प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न संख्या 163 पर प्रश्न करने की अनुमति दे रहा हूं, 162 पर नहीं। कृपया बैठ जाइए। आप अनावश्यक ही सभा का समय ले रहे हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख : मुझे एक मुद्दा उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। नहीं।

पारादीप पत्तन

+

*163. **श्री सुबास चन्द्र नायक** :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 24 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन में एक बहुद्देशीय कार्गो बर्थ तथा मशीनीकृत कोयला बर्थों के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ली जाने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने पारादीप पत्तन में 26.36 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक बहुप्रयोजनीय कार्गो बर्थ के निर्माण की मंजूरी 13-8-92 को दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख, इसकी मंजूरी की तारीख से 36 महीने बाद की है।

पारादीप पत्तन में यांत्रिक कोयला बर्थ के निर्माण को अभी सरकार द्वारा मंजूर किया जाना शेष है।

(ग) पारादीप में बहुप्रयोजनीय कार्गो बर्थ के लिए किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

पारादीप में यंत्रीकरण कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से लगभग 404 55 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त की जाएगी।

श्री सुबास चन्द्र नायक : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार, एशियाई विकास बैंक पारादीप पत्तन पर मशीनीकृत कोयला बर्थ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगा। फिर, मशीनीकृत कोयला बर्थ के निर्माण की मंजूरी क्यों नहीं दी गई और क्या इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूरी दे दी जाएगी।

श्री जगदीश टाइटलर : नही, चालू वित्तीय वर्ष में नहीं। यह अगली पंचवर्षीय योजना में होगा। मैंने एशियाई विकास बैंक द्वारा मंजूर कुल राशि बताई है उसने 285 मिलियन रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। इस पारादीप पत्तन और इन्नोर कोयला संचारण परियोजना के कारण पारादीप पत्तन पर मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं पैदा होंगी और इन्नोर में एक नया बिजली केन्द्र स्थापित होंगे। यह तापीय कोयला है जो दक्षिण में ताप विद्युत संयंत्रों में जाएगा और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका ब्यौरा दूं। लेकिन इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दी है।

श्री सुबास चन्द्र नायक : माननीय मन्त्री बताएं कि क्या इस प्रस्ताव से पत्तन पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी जिसमें 65,000 डी०डब्ल्यू०टी० क्षमता के जहाजों और पोत तल के विसर्जन के उपयोग से चक्र प्रणाली से चलने वाले माल जहाजों के लिए दो बर्थ होंगी और सरकार

द्वारा निर्माणाधीन तापीय कोयला कार्गो के वैगन संचालन का कार्य होगा ? क्या एशियाई विकास बैंक इस परियोजना का वित्त पोषण करेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : हां, इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण दिया जाएगा और हमें पी०आई०बी० की स्वीकृति पहले ही मिल गई है। हम मन्त्रिमण्डल में इसे रख रहे हैं और इसकी स्वीकृति ले लेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय मन्त्री हाल ही में पारादीप गए थे और वहां पर उन्होंने पारादीप के विकास हेतु अनेक घोषणाएं की थीं। लेकिन मुद्दा यही है कि मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग बर्थ का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित पड़ा है और जैसाकि मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि इसे मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। क्या इसे इस वर्ष अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ताकि एशियाई विकास बैंक का ऋण उपयोग में लाया जा सके ? भारत सरकार से जो मन्जूरी चाहिए क्या वह मिल रही है ? यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब मिलेगी ?

दूसरे, पारादीप पत्तन के लिए एक व्यापक विकास कार्यक्रम की जरूरत है। भारत सरकार पारादीप की उपेक्षा कर रही है और मन्त्री महोदय इस मुद्दे पर सहमत होंगे कि सुविधाओं के लिए अनेक मांगें की जा रही हैं लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पारादीप के लिए कोई नई बर्थ मन्जूर नहीं की है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि पारादीप के विकास हेतु उड़ीसा सरकार की मांग क्या थी ? इसे परियोजना रिपोर्ट के मामले में आप इस वर्ष क्या करेंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : मैं अगली योजना पारादीप के लिए ही बनाऊंगा। आपने अच्छा प्रश्न किया है। हम लगभग 883.15 करोड़ रुपये व्यय करेंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैंने जो घोषणा की है उसे पूरा करूंगा अर्थात् जो भी सम्भव हुआ, जरूर करूंगा। हम राज्य सरकार की मदद करेंगे और इन योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको कोयला हैंडलिंग सुविधा के विकास के बारे में बताऊंगा जैसाकि मैंने अन्य माननीय सदस्य को बताया है।

हमने एक दूसरी बहु-बर्थ सुविधा का निर्माण, एक कंटेनर बर्थ का निर्माण, पहली बहु बर्थ का निर्माण, कोयला हैंडलिंग उपकरण प्राप्त करना और तेल बर्थ तथा लौह अयस्क हैंडलिंग योजना में तब्दीली तथा फ्लोटिंग बन्दरगाह को बदलने की परियोजनाएं पारादीप पत्तन के लिए मन्जूर की है।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या आप इन्हें इस वर्ष के दौरान मन्जूरी दे देंगे ?

श्री जगदीश टाइटलर : यदि परियोजनाएं अपने गुणों के आधार पर उपयुक्त पाई गईं तो हम ऐसा जरूर करेंगे।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है कि पारादीप पत्तन एक नया अनुषंगी पत्तन होगा। अगर पारादीप को एक नए अनुषंगी पत्तन में परिवर्तित कर दिया गया तो वहां क्या अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी और इसे अनुषंगी पत्तन में बदलने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

श्री जगदीश टाइटलर : पारादीप एक नया अनुषंगी पत्तन नहीं बनाया जा रहा है। इन्नोर को नया अनुषंगी पत्तन बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको सूचित किया है कि अगली पंचवर्षीय

योजना में हमें 883.15 करोड़ रुपए व्यय करने हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि पूर्वी बन्दरगाह में मौजूदा लौह अयस्क बर्थ के साथ 345 लम्बी दो बर्थों के निर्माण का प्रस्ताव भी है। कि क्या सम्बन्धित पक्ष—विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगी। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है जिसे मैं माननीय मन्त्री से पूछता हूं कि अगर कार सेवक या उनका एक वर्ग या एक गुट जो उनके नियंत्रण से बाहर है, उनके अनुशासन में नहीं है वह विद्रोह करके अदालती आदेश का उल्लंघन करता है तब क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी और अपने दायित्व का निर्वाह विश्वासपूर्वक और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करेगी। हमारे सम्मुख ये दो प्रश्न हैं। एक उत्तर तो वाजपेयी जी दे सकते हैं और दूसरा उत्तर आज गृह मन्त्री द्वारा दिया जाए।

आज हम इतिहास के बहुत ही कठिन क्षण में हैं। वास्तव में हमारे सम्मुख एक ऐतिहासिक मुद्दा एक निर्णायक मुद्दा है। या तो इस देश में सभ्य समाज रहेगा या जंगल राज रहेगा; या तो गणराज्य रहेगा 65,000 डी०डब्ल्यू०टी० क्षमता के जलपोतों के संचालन के लिए मौजूदा अभिगम जलमार्ग, 'टर्निंग बेसिन' तरंग रोध को उपयुक्त समझा जाता है। रेलवे द्वारा 'बोटम डिस्चार्ज वैगन' उपलब्ध कराए जाएंगे। 26,000 वर्ग मी० क्षेत्र को कोयला रखने हेतु भूमि सुधार उपायों सहित अनिवार्य 'संचयी' क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आवश्यक आवासीय और गैर-आवासीय भवनों.........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह उन्हें लिखित में भेज सकते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : सदस्य भी यही चाहते हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मन्त्री महोदय ने प्रश्न संख्या 162 के उत्तर में कहा है कि पारादीप और इन्नोर पत्तन यंत्रीकृत कोल हैंडलिंग सुविधाओं युक्त एक नया अनुषंगी (सेटेलाइट) पत्तन होगा.........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपको उनका उत्तर नहीं देना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मन्त्री जी इसे भेज रहे हैं। इसे अभी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब डा० भोई।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, उड़ीसा के संसद सदस्यों को आपके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रश्न 162 और 163 दोनों के उत्तर मन्त्री महोदय ने मात्र नौकरशाही के रूप में दिए हैं। तननीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बड़े पत्तनों के लिए कतिपय विवरण मांगा गया है। अपने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रथम उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि यंत्रीकृत कोल हैंडलिंग सुविधाओं युक्त पारादीप और इन्नोर पत्तन एक नया अनुषंगी (सेटेलाइट) पत्तन बन जाएगा। प्रश्न 163 के उत्तर में उन्होंने यह मानने से इन्कार कर दिया। दूसरा पारादीप की मूल परियोजना रिपोर्ट में 12 माल ढुलाई बर्थों का प्रावधान किया गया है; एक बहुउद्देश्यीय 'कोल हैंडलिंग बर्थ' है। एक लौह अयस्क और अन्य खनिजों से सम्बन्धित बर्थ और रसायन हैं। महोदय, आस्ट्रेलिया में शेर नामक स्थान लोह अयस्क मैंगनीज और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। 1970 में बंगलादेश में लड़ाई चल रही थी और 150 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज सूखे की स्थिति के कारण पारादीप पत्तन में रुके रहे। आज सूखे की स्थिति क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल परियोजना रिपोर्ट में 13 माल ढुलाई बर्थों का प्रावधान किया गया था। यह विभाग 1972 से 1992 तक क्या करता रहा। इसकी प्रगति क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या नौकरशाह तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके लिए एक इच्छा होनी चाहिए। इच्छाशक्ति के बिना इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता········· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा० कृपासिन्धु भोई : पारादीप पत्तन में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के कितने 'कार्गो बर्थ' स्थापित किए जाएंगे ? 'कारगो कोल हैन्डलिंग प्लान्ट' का आकार क्या होगा। पारादीप पत्तन से कितने मिलियन टन कोयले का संचालन किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने लौहे अयस्क मैंगनीज और अन्य खनिजों का निर्यात किया जाएगा। इस प्रकार मैं डी०डब्ल्यू० टी०, कारगो हैन्डलिंग बर्थ, खनिज निर्यात और कोयला निर्यात के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, यह करेक्शन की जाय कि शेर आस्ट्रेलिया में नहीं है जर्मनी में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आपकी समझ में आ गया है वो आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं सदस्य को बताना चाहूंगा कि शेर आस्ट्रेलिया में नहीं जर्मनी में है। सरकारी तौर पर इसे ठीक कर लिया गया है······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो गलती से कह दिया गया।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एशियाई विकास बैंक की इस पूरी परियोजना के अन्तर्गत पहले इन्नौर ही नया सेटेलाइट पत्तन होगा। उपलब्ध कराई जाने वाली नई सुविधाएं अर्थात् ये सुविधाएं मौजूदा पारादीप पत्तन में उपलब्ध कराई जाएंगी········ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको व्यवधानों का उत्तर नही देना है।

श्री जगदीश टाइटलर : एशियाई विकास बैंक की सहायता से सृजित की जाने वाली नई सुविधाएं पारादीप पत्तन में मौजूदा सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार इस ऋण का प्रयोजन यंत्रीकृत ढुलाई सुविधाएं सृजित करने के लिए ही होगा। जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा कि 1933 की स्थिति के अनुसार यातायात प्रक्षेपण की स्थिति क्या है। वर्तमान समय में कोयला ढुलाई सुविधा की कमी है। आप ठीक कहते हैं। यह भी एक कारण है कि इन्नोर और पारादीप पत्तनों में ये सुविधाएं बहुत कम हैं। अब मौजूदा प्रक्षेपित तीन क्वार्टर सहित 245 मी० लम्बाई के सीधे घाट में आपने जो दो वर्ष की प्रस्तावित सुविधा मांगी है...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यदि उत्तर विस्तार में है तो आप इसे लिखित में भेज सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक से ऋण

[हिन्दी]

*164. **श्री जनार्दन मिश्र** :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1993 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए "एक्सटेंडेड फण्ड फैसीलिटी" और इन्हान्सड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम (विस्तारित धन सुविधा और विस्तारित बुनियादी समायोजन कार्यक्रम) के उपयुक्त तरीके के अंतर्गत 2·2 बिलियन डालर के एक अन्य ऋण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के महीनों में केन्द्र सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के बीच कोई चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के अनुरोध पर इन एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) इस समय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हमारी 2·2 अरब डालर की राशि हेतु उच्चतर ऋण किश्त की वैकल्पिक व्यवस्था है जो मार्च, 1993 तक जारी रहेगी। वर्तमान समय से आगामी मार्च तक इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें कई किश्तें प्राप्त होंगी। हमने तीन वर्ष के लिए ई०एस०ए०एफ० संसाधनों समेत विस्तारित निधि सुविधा व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ प्रारम्भिक बातचीत की हैं। इस व्यवस्था के बारे में औपचारिक बातचीत अगले वर्ष की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जो 2·2 अरब डालर का ऋण जारी

हुआ है, वह किन-किन शर्तों पर जारी किया गया है और क्या वे शर्तें देश के हित में हैं। यह जो धन दिया जा रहा है, जो ऋण प्राप्त किया जा रहा है, क्या उसका उपयोग ऐसी योजनाओं में किया जाएगा जिससे देश की उत्पादकता बढ़े और हम उस ऋण को वापिस कर सकें तथा उस ऋण के ब्याज की दर क्या है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दों पर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है और जानकारी चाही है। पहली बात उन्होंने ऋण की शर्तों के बारे में पूछी है। जो सामान्य शर्तें हैं, उनके बारे में वित्त मंत्री महोदय ने लोक सभा में 16-12-1991 को स्टेंडबाई अरेंजमेंट के बारे में जानकारी सदन के पटल पर रखी थी, उसमें सभी शर्तों का उल्लेख है और दूसरा पत्र दिनांक 2-6-1992 को वित्त मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखा था, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है।

जहां तक ऋण के ब्याज और ऋण की अवधि का सवाल है, दो तरह के ऋण इस मद में उपलब्ध हैं। एक तो वे जिनको स्टेंडबाई फेसिलिटी कहते हैं, स्टेंडबाई अरेंजमेंट में एक्सटेंडेड फंड्स फेसिलिटी का भुगतान साढ़े 4 साल से 10 साल के अंतर्गत किया जाता है और इसके ब्याज की दर 7 प्रतिशत के लगभग है। दूसरी व्यवस्था एनहांस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फेसिलिटी है, इसके अंतर्गत हमें जो सुविधा दी जाती है वह साढ़े 5 साल से 10 साल तक की होती है और इसके ब्याज की दर बहुत कम, ·5 प्रतिशत, अर्थात् आधा प्रतिशत होती है। यह सुविधा खासकर ऐसे देशों को उपलब्ध कराई जाती है जो विकासशील देश हैं। तो दोनों सुविधाओं को मिलाकर हमें ऋण दिया जाता है और दोनों सुविधाओं को प्राप्त करने की जो शर्तें हैं, वे मैंने आपके सामने रखी हैं।

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है। वित्त मंत्री जी ने वर्ल्ड बेंक की एनवल मिटिंग से लौटने के बाद जो यहां पर बयान जारी किया है उसमें उन्होंने विश्व बेंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इनडीवीजुअल डोनर्स भी भारत को ऋण देने को तैयार हैं, यह बात कही है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनडीवीजुअल डोनर्स की सूची क्या है, कौन-कौन से इन्डीवीजुअल डोनर्स भारत को ऋण देना चाहते हैं और किन शर्तों पर देना चाहते हैं ? क्या उनकी कोई योजनाएं हैं ? उन योजनाओं के आधार पर क्या वे भारत को दान देंगे ? दान करने के बाद क्या वे उस राशि को भारत से वापस लेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सितम्बर महीने में वाशिंगटन और दूसरे देशों में गए थे। उस समय उनकी सामान्य चर्चा विश्व बेंक से और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हुई थी। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी विश्व बेंक के अधिकारीगण का डेलीगेशन हिन्दुस्तान आया था। उन्होंने यहां पर उस सिलसिले में बातचीत की है। उम्मीद यह है, जैसे वित्त मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि जो भारत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार से, किन शर्तों के अनुसार और किन-किन देशों से यह रुपया मिल सकता है। इसमें दो तरह के देश हैं। देशों से जो मिलता है जिसको बाइलेटरल संबंध कहते हैं, जैसे जापान, जर्मनी और इंगलेंड के साथ हैं, वह दूसरा प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्यों को प्रोजेक्ट्स के आधार पर, योजना के आधार पर हम राशि देते हैं। जो राशि विभिन्न राज्यों से हमें मिली है और मार्च 1992 में लगभग 71 हजार करोड़ की राशि जो बरसों से विभिन्न राज्यों

को स्वीकृत है, प्रोजेक्ट जो पूरे हुए हैं, कुछ कार्यरत हैं, कुछ लम्बित हैं, वह अलग है। यह सहायता एक देश की दूसरे देश के साथ प्रोजेक्ट के आधार पर होती है। सरकार विश्व बैंक से और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी लेती है इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल कर्ज देता है, उसकी शर्तें अलग हैं। जो विश्व बैंक है वह कर्ज और सहायता दोनों देता है, उनकी शर्तें अलग हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी जो हमें स्वीकृत राशि है जिसे स्टैण्ड बाई फेसिलिटी हमने कहा, उसके अन्तर्गत हमें अब तक जो राशि मिली है वह जुलाई 1991 से लेकर सितम्बर, 1991 तक 2217 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है, नवम्बर 1991 से लेकर जुलाई 1992 तक 2705 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अभी दिसम्बर, 1992 में हमें इसी के अन्तर्गत, स्टैण्ड बाई अरेंजमेंट के अन्तर्गत, 646 मिलियन डालर प्राप्त होने वाले हैं। फरवरी, 1993 में 323 मिलियन डालर प्राप्त होंगे और मई, 1993 में 323 मिलियन डालर प्राप्त होंगे।

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इंडीवीजुअल डोनर्स के बारे में जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, इन्होंने पूछा है कि किस इंडीवीजुअल डोनर से आपको पैसे मिलने जा रहे हैं और कितनी शर्तों पर ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज कर दिया है। अभी मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूं जो पीछे मिल चुका है। जिनसे बातचीत हो रही है उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। अभी शर्तें तय नहीं हुई हैं। बातचीत जब पूरी होगी, शर्तें तय होंगी, राशि तय होगी उसके बाद हम संसद को यथासमय सूचित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : महोदय, पिछले महीने जब विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री प्रेस्टन भारत यात्रा पर आये थे तो उन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में धारवी 'स्लम' का भी दौरा किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ धारवी के 'स्लम्स' के बारे में क्या वातचीत हुई और स्लम्स में सुधार करने हेतु उन्होंने क्या सहायता देने का आश्वासन दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, जैसा मैंने पहले बताया, जब जुलाई/अगस्त, 1992 में यहां विश्व बैंक का दल आया था और विभिन्न आवश्यकताओं और आगामी तीन वर्षों की आवश्यकताओं के विभिन्न सामान्य पहलुओं पर चर्चा हुई थी लेकिन उस समय उक्त चर्चा को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए इस समय मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि वह राशि कितनी है और इसे किन शर्तों के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है या माननीय मन्त्री द्वारा उल्लिखित परियोजना विशेष को क्या अन्तिम रूप दिया गया है। इन विषयों पर अभी भी बातचीत चल रही है और जब भी इन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा उसकी घोषणा सभा में की जाएगी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न वास्तव में भविष्य के बारे में था और माननीय मन्त्री क्या उत्तर विगत समय के बारे था।

[हिन्दी]

"सवाले दीगर—जवाबे दीगर"

[अनुवाद]

माननीय मन्त्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा से प्राप्त होने वाले कुल ऋण की स्थिति क्या थी? चालू वर्ष के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत आपने वहां से कितनी धनराशि प्राप्त करली है ? चालू वर्ष के दौरान आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण पर कुल कितनी राशि का भुगतान करना है ? अन्त में ऋण और जमाराशि से इतर चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : शेष के बारे में हमारे पास तीन लेखा खाते हैं। एक बाह्य सहायता के बारे में है। माननीय मन्त्री जी ने विशेषरूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछा है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मुझे पूरा ब्यौरा नहीं चाहिए। मैं पूरे आंकड़े के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण का अलग-अलग ब्यौरा दे सकता हूं। 31 मार्च, 1992 को कुल ऋण के आंकड़े अर्थात् बाह्य सहायता, दीर्घ कालिक और अल्पकालिक ऋण—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त एवं बाह्य वाणिज्यक ऋणों के रूप में कुल राशि······

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं केवल अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की बात कर रहा हूं न कि वाणिज्यिक ऋणों की।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं बता रहा हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित आंकड़े 8,935 करोड़ रुपए की राशि के हैं। विश्व बैंक और अन्य उपायों से प्राप्त बाह्य सहायता राशि 1,09,981 करोड़ रुपए है। यही दो आंकड़े हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, मेरा प्रश्न है कि आपने चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कितनी राशि हासिल की है और चालू वर्ष में आपने कितनी राशि का भुगतान किया है और चालू वर्ष में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होनी है इसमें ऋण की राशि को सम्मिलित किया जाय।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि नवम्बर 1991 और जुलाई, 1992 के बीच अर्थात् इस वर्ष हमें दो ऋण प्राप्त हुए हैं। एक ऋण चालू कलैन्डर वर्ष में 2 जुलाई, 1992 को प्राप्त हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : आप कृपया वित्तीय वर्ष के आंकड़े दें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यदि हम कलैन्डर वर्ष लें, जनवरी, 1992 में हमें वैकल्पिक व्यवस्था के रुपये 693 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और जुलाई 1991 में 1,717 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हमें जो कुछ राशि मिलने वाली है मैंने अभी उसी के आंकड़े पेश किए हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैंने इन आंकड़ों के बारे में नहीं पूछा। 31 मार्च, 1992 की स्थिति

के अनुसार आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण की राशि पर इस वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने अभी-अभी इससे संबंधित आंकड़े दिए हैं। मैं उस राशि के आंकड़े भी देने को तैयार हूं जो हमें मिलने वाली है। (व्यवधान)

जहां तक भुगतान का सवाल है इस समय मेरे पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को बाद में दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की राशि विशेष परियोजनाओं के लिए राज्यों को आंवटित की जाती है। इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि राज्यों को ऋण राशि की अदायगी किन शर्तों के आधार पर की गई और क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को दिए जाने वाले ब्याज की दर तथा राज्यों से प्राप्त ब्याज की दर में कोई अन्तर है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मेरे विचार से मैंने उन परियोजनाओं का उल्लेख किया था जिनके लिए न केवल विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बल्कि विभिन्न देशों से भी ऋण लिया गया था और इसके लिए अलग-अलग शर्तें हैं। विभिन्न राज्यों में विद्युत, जल पूर्ति और पीने के पानी जैसी विभिन्न परियोजनाएं हैं। मैंने बताया था कि इस सम्बन्ध में बकाया राशि सभी राज्यों की संचित कुल राशि है जोकि लगभग 71,000 करोड़ रुपये हैं। मेरे पास विभिन्न राज्यों का पूर्ण ब्यौरा है। अलग परिस्थितियों में शर्तें भी अलग हैं। राज्यों की शर्तों में पिछले वर्ष तक केवल एक ही भिन्नता थी। द्विपक्षीय व्यवस्था द्वारा हमें जो भी धनराशि प्राप्त होती थी उसका 70% हम राज्यों को दे देते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बाद राज्यों को इसका शत-प्रतिशत दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे थे जिस इंटरेस्ट से यह पैसा आता है उसी इंटरेस्ट से राज्य सरकार को देते हैं या कोई फर्क है, यदि है तो क्या है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए अलग-अलग शर्तें हैं और ब्याज की राशि भी अलग-अलग है। जो राशि आती है सरकार लगभग उसी प्रकार से समूचे को मिला देती है और पैकेज बनाती है फिर सभी राज्यों को देते हैं। सरकार ब्याज की बचत नहीं करती है। पहले व्यवस्था थी कि रकम 70 प्रतिशत दी जाती थी 30 प्रतिशत सरकार रखती थी, अब सारा केन्द्र सरकार देती है और उसी ब्याज पर देती है।

श्री राम नाईक : विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो कर्जा मिला है उनकी क्या शर्तें हैं, उनको सदन की मेज पर रखा गया है। लेकिन सितम्बर में वित्त मन्त्री विदेश न्यूयार्क में चर्चा करने के लिए गये थे। उस समय इन दोनों संस्थाओं की ओर से कोई नई शर्त भी बताई गई हैं क्या, जिससे अपनी आर्थिक आजादी पर कोई प्रतिबन्ध आवे? इसके साथ ही यह भी बताएं कि आज तक जो प्रतिबन्ध हैं उनमें से कुछ कम करने की बात हमने की है या नहीं और जो 2.2 बिलियन डालर्स आपने ऋण बताया है उसमें रेट आफ इंटरेस्ट कौन-सी तय की गई है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने निवेदन किया था कि जो शर्तें पहले निर्धारित की गई थीं उनको सदन के पटल पर रखा गया है। नई कोई शर्त निर्धारित नहीं हुई है। जब वित्त मन्त्री गये थे उन्होंने सामान्य तौर से जो हमारी नई आर्थिक नीति है उसके पर्यवेक्षण में जो कार्य कर रहे हैं उस पर चर्चा की थी। हमारे भविष्य की जो आवश्यकता है उस पर चर्चा हुई। उस समय यह निर्णय हुआ कि दिल्ली में जब वे लोग आयेंगे तो उस पर चर्चा होगी। अभी हाल ही में दिल्ली में उनके कुछ लोग आये थे और उनके साथ कुछ चर्चा हुई थी। मैं फिर कहना चहता हूं कि कोई नई शर्त नहीं रखी गई है, देश के हित में सारे काम होंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भविष्य में लिए जाने वाले ऋणों के बारे में था। वे पिछले ऋणों के बारे में पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 165।

पटसन मिलें

* 165. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

[हिन्दी]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां। 20-11-92 की स्थिति के अनुसार 13 जूट मिलें बन्द पड़ी थीं।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने जूट क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के अब तक 32 मामले पंजीकृत किए हैं। इनमें से तदन्तर 5 मामलों को चलाने योग्य नहीं पाया गया था और 9 मामलों में पुनर्वास पैकेजों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम की धारा 18(4) के तहत मंजूरी दी गई है अथवा धारा 17(2) के तहत अनुमोदित किया गया है। 4 मामलों में इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि क्यों न कम्पनियों को बन्द कर दिया जाए और 5 मामलों में आदेश जारी करके समापन की सिफारिश की गई है। न्यायालयों द्वारा 3 मामलों में स्थगन आदेश जारी किया गया है और 6 मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, पटसन मिलों के बन्द होने से देश की पटसन अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले दशक के दौरान देश में पटसन अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के कारण लगभग 2.5 लाख मजदूर और लगभग 50 लाख परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि बन्द पटसन मिलों के बेरोजगार मजदूरों के प्रति सरकार का क्या रवैया है और क्या सरकार का इन मिलों को पुन: चालू करने और देश की पटसन अर्थव्यवस्था में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने जो कहा कि इसमें जो जूट मिल्स हैं और खासकर इस बारे में टैक्सटाईल मिनिस्ट्री से जो रिपोर्ट मिली है, इसका मुख्य सवाल यह है कि बी०आई० एफ०आर० में कितने केसेज यहां पर पड़े हैं तो उनकी संख्या 32 है। माननीय सदस्य ने पूछा है तो इसमें 40 लाख किसान पटसन ग्रो करते हैं और ढाई लाख के लगभग कर्मचारी काम करते हैं। इस का खास कारण यह है कि हमारा एक्सपोर्ट यू०एस०एस०आई० से होता था, वह बन्द हो गया है। दूसरा कारण यह है कि एफ०सी०आई० के तहत जो फूड ग्रेन्स या शुगर है, उनके लिए 100 प्रतिशत जूट के बोरे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है और वह उसमें हो रहा है लेकिन जहां तक सवाल है···

एक माननीय सदस्य : वह नहीं हो रहा है···

श्री दलबीर सिंह : मैं बता रहा हूं कि वह हो रहा है लेकिन जहां तक सीमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स का सवाल है, वे भी 65 : 70 प्रतिशत जूट के बोरे खरीदेंगे और बाकी दूसरे बोरे इस्तेमाल करेंगे। इसका यह है कि वे उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट चले गये हैं और उन्होंने स्टे आर्डर ले लिया है। यह केस अभी लम्बित है और सरकार इसमें अभी कुछ नहीं करने जा रही है ।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। तथापि मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछता हूं। जिन पटसन मिल स्वामियों ने मजदूरों को भविष्य निधि और बैंक ऋण नहीं दिया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रुग्ण उद्योगों की परिसीमन शक्तियां बी०आई०एफ०आर० को देने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, जूट मिल्स के बारे में टैक्सटाईल मिनिस्ट्री ने तय किया है और सैक्रेटरी टैक्सटाईल मिनिस्ट्री, फाईनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और कामर्स मिनिस्ट्रिज की आपस में एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि डाईवर्सिफिकेशन्स कैसे हों ? इसके लिए 1986 में एक माडर्नाइजेशन फण्ड बनाया गया जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपया शुरु किया गया था। यदि किसी भी सिक कम्पनी को अपना यूनिट रिवाईवल करना हो और अपना शेयर न दे पाती हो तो माडर्नाइजेशन फण्ड से लगभग 80 प्रतिशत रुपया मिल सकता है और वह 6% रियायती दर

पर मिलेगा जिसे 12 साल में डाईवर्सिफाई करेंगे। इसके अतिरिक्त सन् 1987 में स्व० राजीव जी ने इस उद्योग के लिए जूट डेवलपमेंट फण्ड बनाया था जिसके अन्तर्गत सरकार अब तक 100 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। एक यू०एन०डी०पी० प्रोग्राम है। इसमें टेक्सटाईल मिनिस्ट्री ने यह तय किया था और एक योजना के मुताबिक इसमें 23 मिलियन डालर रखे गये हैं। केन्द्रीय सरकार भी उसी अनुपात में पैसा खर्च करेगी और यह चाहेगी कि किस तरह से जूट मिल में यह पैसा लगे और उद्योग के कर्मचारियों के लिए काम आ सके।

तीसरा सवाल यह है कि नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन का अहम मुद्दा है। इसके दो सेंटर कलकत्ता और नोएडा में हैं। जहां तक जूट का सम्बन्ध है तो इसकी टैक्नॉलॉजी में सुधार होना चाहिये कि जूट की किस-किस चीज का हमको निर्यात करना है। ये सेंटर इसी चीज के लिए खुले हैं और सरकार अपनी ओर से बराबर व्यवस्था करने जा रही है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सरकार की गलत नीति के कारण आज जूट उद्योग मरता जा रहा है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास इतना समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने माडर्नाइजेशन की बात कही है जिसके साथ मॉनिटरिंग, रिसर्च या प्रचार एवं प्रसार या मानिटरिंग की तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। ये तमाम चीजें जड़ी हुई हैं जिनके कारण आज जूट उद्योग मर रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को जोड़कर किस तरीके से जूट उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए, इसके लिए सरकार ने कोई प्लानिंग तैयार की है, और यदि की है तो वह क्या है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले जो रिप्लाई दिया, शायद वह इसी से सम्बन्धित था। इसमें दो-तीन चीजें हैं। जूट मॉडर्नाइजेशन फण्ड हमने बनाया है, स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड्ज हमने बनाए हैं, यू०एन०डी०पी० हमने बनाया है और टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में बैठकर और भी मन्त्रालय हैं, उन्होंने तय किया है और उसकी रिपोर्ट सितम्बर में आई है तथा उसके आधार पर यह सब तय किया गया है कि किस तरीके से हम जूट मिलों को फिर से पुनर्जीवित कर सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बैंकों की ब्याज दरें

*166. श्री पी०सी० थामस :

डा० वसन्त पवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों में जमा-राशि तथा ऋण-राशि पर ब्याज की दरों में बार-बार परिवर्तन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उपर्युक्त ब्याज की दरों में की गई वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंक अग्रिमों और जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारित करता है।

(ख) 22-9-1990 से अग्रिमों पर ब्याज दर में परिवर्तन और 10-10-1990 से बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर में परिवर्तन सम्बन्धी बिवरण संलग्न है।

बिवरण

अग्रिमों पर 22-9-1990 से प्रभावी ब्याज दरें

सीमा का आकार	से प्रभावी						
	22-9-90	13-4-91	4-7-91	9-10-91	2-3-92	22-[illegible]-92	9-10-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1. (क) 7500/- रुपए तक और उसके सहित	10.0	10.0	10.0	11.5	11.5	11.5	11.5
(ख) 7500/- रुपए से अधिक और 15000/- रुपए तक	11.5	11.5	11.5	13.0	13.0	13.5	13.5
(ग) 15000/- रुपए से अधिक और 25000/- रुपए तक	12.0	12.0	12.0	13.5	13.5	13.5	13.5
(घ) 25000/- रुपए से अधिक और 50000/- रुपए तक	14.0	14.0	14.0	15.5	15 5	16.5	16.5
(ङ) 50000/- रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	15.0	15.0	15.0	16.5	16.5	16.5	16.5
(च) 2 लाख रुपए से अधिक	16.0 (न्यूनतम)	17.0 (न्यूनतम)	18.5 (न्यूनतम)	20.0 (न्यूनतम)	19.0 (न्यूनतम)	19.0 (न्यूनतम)	18.0 (न्यूनतम)
2. कृषि, लघु औद्योगिक क्षेत्र और 2 वाहनों वाले सड़क परिवहन परिचालकों को सावधि ऋण							
(i) 25000/- से अधिक और 50000/- रुपए तक	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0	15.0

1	2	3	4	5	6	7	8
(ii) 50000/- से अधिक और 2 लाख रुपए तक	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0
(iii) 2 लाख रुपए से अधिक	14.0	14.0	14.0	15.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)

टिप्पणी : उपर्युक्त दरें ब्याज कर के अतिरिक्त हैं ।

10-10-1990 से आज तक बैंक जमा राशियों पर ब्याज की दरें

सावधि जमा राशियां	से प्रभावी			
	10-10-90	13-4-91	4-7-91	9-10-91
(i) 46 दिन और उससे अधिक के लिए परन्तु एक वर्ष से कम	8.0	8.0	9.0	11.0
(ii) एक वर्ष और उससे अधिक के लिए परन्तु 2 वर्षों से कम	9.0	9.0	10.0	12.0
(iii) दो वर्ष और उससे अधिक के लिए परन्तु तीन वर्षों से कम	10.0	10.0	11.0	12.0
(iv) तीन वर्ष और उससे अधिक के लिए	11.0	12.0	13.0	13.0

22-4-1992 से, 46 दिन से 3 वर्षों और अधिक की परिपक्वता के लिए जमा राशि दरों में केवल यह निर्धारित किया गया है कि ब्याज दर "13.00 प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो" और किन्हीं दो परवर्ती परिपक्वता स्लेबों के ब्याज दर में कम से कम 0.25 प्रतिशत बिन्दु का अन्तर हो । इस समय 9-10-1992 से ये दर कम करके 12.0 प्रतिशत कर दी गई है ।

बचत जमाराशियां

23-4-1992 तक, बचत बैंक खाते पर ब्याज दर 5.0 प्रतिशत थी । इसे 24-4-1992 से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया है ।

प्रमुख बैंकों द्वारा ऋण

***167. श्री सुदर्शन राय चौधरी :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रमुख बैंकों के माध्यम से लघु एककों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या इसके लिए योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वाणिज्यिक बैंक अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में आवश्यकता पर आधारित ऋण जरूरतों के मूल्यांकन के पश्चात् और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक उद्यमों का वित्तपोषण करते हैं। अग्रणी बैंक योजना के माध्यम से, जिले में एक समुचित संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया है जो ऋण समर्थन की आवश्यकता वाले विकास कार्यों के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा सम्बद्ध राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। अग्रणी बैंक जिला ऋण योजनाएं तैयार करता है जिसमें उन स्कीमों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जिन्हें बैंक वित्त की आवश्यकता होती है। अग्रणी बैंक जिले में एक संयोजक का कार्य करता है तथा जिले के अन्य बैंक स्वयं भी योजनाओं का वित्त पोषण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के अपने ऋणों को अपने निवल बैंक ऋणों के 40% तक बढ़ाएं। प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में मुख्य रूप से कृषि और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिम शामिल हैं।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निरन्तर निम्न ऋण-जमा अनुपात की जानकारी है। किसी राज्य/क्षेत्र में ऋण खपाने की क्षमता, आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं के विकास और कृषि, औद्योगिक उत्पाद आदि के लिए आवश्यक निविष्टियों और विपणन सुविधाओं पर निर्भर करती हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न राज्यों के अनुपातों में अत्यधिक असमानताएं न हों।

[हिन्दी]

लघु बचत जमा धनराशि में से राज्यों में पूंजी निवेश

*168. **श्री ललित उरांव** :

कुमारी विमला वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु बचत जमा राशि में से राज्यों में किए गए पूंजी निवेश का राष्ट्रीय औसत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में लघु बचत के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि जमा की;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने लघु बचत की जमा धनराशि में से राज्यों के हिस्से में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी राज्य में किए गए निवल अल्प बचत संग्रहों का 75 प्रतिशत राज्य योजनाओं में वित्तपोषण के लिए दीर्घावधिक ऋण के रूप में राज्य सरकार को दे दिया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि राज्य के हिस्से की प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए। तथापि इसे केन्द्र सरकार की वापसी अदायगी, ब्याज-अदायगी और अल्प बचत योजनाओं की प्रबन्ध-लागत संबंधी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की वजह से व्यवहार्य नहीं माना गया था।

विवरण

दिनांक 4-12-92 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित सूचना निवल अल्प बचत संग्रह और निवल संग्रह के एवज में स्वीकृत ऋण

लाख रुपए
(अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	1989-90		1990-91		1991-92	
		निवल संग्रह	स्वीकृत ऋण	निवल संग्रह	स्वीकृत ऋण	निवल संग्रह	स्वीकृत ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	50036	29463	53349	43312	31511	30309
2.	अरुणाचल प्रदेश	140	1617	121	492	76	115
3.	असम	24312	16238	15469	15278	12887	10707
4.	बिहार	42972	38642	43224	50433	23637	25752
5.	गोआ	4775	1995	2909	4010	2534	2084
6.	गुजरात	87634	61033	104558	79378	65788	61906
7.	हरियाणा	25088	16433	25268	18210	19338	15663
8.	हिमाचल प्रदेश	18182	11181	10802	9998	8166	7001
9.	जम्मू तथा कश्मीर	14732	11792	4780	6472	4419	3927

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	45272	37278	30651	25274	31282	23139
11.	केरल	22294	14443	21772	15268	16339	13564
12.	मध्य प्रदेश	31916	19174	26059	23296	20799	17929
13.	महाराष्ट्र	76262	80068	109943	96544	69700	109968
14.	मणिपुर	300	1680	379	[illegible]63	305	240
15.	मेघालय	2918	2100	822	1333	742	713
16.	मिजोरम	97	1585	156	472	327	233
17.	नागालैंड	268	1685	172	[illegible]73	109	1613
18.	उड़ीसा	18393	13861	26522	18525	12535	87 4
19.	पंजाब	40263	30095	38184	29360	23625	23241
20.	राजस्थान	33948	16940	42864	33331	36566	24347
21.	सिक्किम	125	1614	155	499	84	106
22.	तमिलनाडु	34594	20325	39572	27298	57782	34975
23.	त्रिपुरा	2521	4461	2380	2735	1319	1494
24.	उत्तर प्रदेश	115370	81256	156393	117340	86833	75308
25.	पश्चिम बंगाल	104876	60143	96551	82334	57999	55058
	जोड़-राज्य	797288	574210	853065	702348	579702	548146

टिप्पणी:—1. राज्यों को जारी ऋण पिछले वर्ष के जनवरी से मार्च तक और चालू वर्ष के अप्रैल से दिसम्बर तक के निवल संग्रहों पर आधारित हैं।

2. निवल संग्रहों में डाकघरों और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से लोक भविष्य निधि शामिल है परन्तु इसमें अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से निधि शामिल नहीं है। इनमें सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा स्कीमें शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आय तथा वेतन नीति

*169. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय आय और वेतन नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के उद्देश्य तथा इसका क्षेत्र क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सकल घरेलू उत्पाद

*170. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1991-92 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक विकास दर कितनी है;

(ख) क्या ये वृद्धि संबंधी आंकड़े पिछले दशक के आंकड़ों में सबसे कम हैं;

(ग) क्या उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार 1991 के दौरान किए गए कम आयात से औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 3.5 प्रतिशत की और औद्योगिक संवृद्धि में 4-5 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया है।

(ख) जी, नहीं। निम्न वृद्धि दर 1991-92 में दर्ज की गई थी।

(ग) रिपोर्ट ने औद्योगिक उत्पाद में गत्यावरोध के लिए आयात संकुचन के प्रभाव के अतिरिक्त अनेक कारकों को उत्तरदायी ठहराया है।

(घ) रिपोर्ट में, औद्योगिक गत्यावरोध के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के संकल्प के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र में माल और वस्तुओं की मांग में कटौती करने, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने और प्रतिकूल भुगतान संतुलनों पर काबू पाने के लिए ऋण नियंत्रण और विनिमय दर समायोजन के सम्बन्ध में प्रत्याशाएं तथा शुल्क में कटौती करने जैसे विभिन्न अन्य कारण सूचीबद्ध हैं।

(ङ) औद्योगिक संवृद्धि की गति तेज करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ये हैं :—

(i) उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत आयातित कच्ची सामग्री को सुलभ बनाना,

(ii) आयातों की नकारात्मक सूची में काफी कटौती करना,

(iii) शुल्क की अधिकतम दर को 150 प्रतिशत से घटाकर 110 प्रतिशत करना,

(iv) निर्यात वचनबद्धता के लिए जहां पूंजीगत सामान को 15 प्रतिशत शुल्क पर आयात किया जा सकता है वहां निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना को लागू करना,

(v) 2 लाख रुपए से अधिक के बैंक अग्रिमों पर ब्याज दर में कटौती करके 18 प्रतिशत (न्यूनतम) करना और कुल मिलाकर निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में कटौती करना,

(vi) सांविधिक नकदी अनुपात में कटौती और वृद्धिकारक नकद जमा अनुपात को हटाना,

(vii) पूंजी बाजार का उदारीकरण और पूंजी निर्गमों पर नियंत्रण की समाप्ति करना,

(viii) हाइड्रोकार्बन और विद्युत क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोलना; और

(ix) पूंजीगत लाभों पर कराधान का पुनर्गठन, साझेदारी फर्मों पर दोहरे कराधान को समाप्त करना और शेयरों/डिबेन्चरों को धन कर से छूट देना।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

*171. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री काशीराम राणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों की मरम्मत पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गुजरात राज्य से होकर गुजरने वाले राजमार्गों पर, 1-4-1992 तक, 69 पुलों को मंजूरी दी गई थी। 1-4-1992 तक इनमें से 64 पुल निर्माण की विभिन्न अवस्था में थे। वर्ष 1992-93 में शेष 5 पुलों पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना अवधि में पुलों को दी जाने वाली प्राथमिकता के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो पुलों की मरम्मत की जा रही है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि पिछले 3 वर्षों में पुलों की मरम्मत पर 162.13 लाख रु० व्यय हुए हैं।

विदेशी निवेश

*172. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री अपनी हाल की पश्चिमी देशों/अमरीका की यात्रा के दौरान देश में विदेशी निवेश बढ़ाने में सफल हो पाए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी निवेश की कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सितम्बर, 1992 में वित्त मंत्री की पश्चिमी देशों/अमरीका की यात्रा के दौरान, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निगमों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों या प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान, भारत द्वारा वृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण के पुनःस्थापन में की गई प्रगति तथा भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह के लिए सृजित नए अवसरों की आम प्रशंसा की गई। वित्त मंत्री ने उन पृथक निवेश प्रस्तावों के प्रचलनात्मक विवरणों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जिन पर सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती प्रणाली

*171. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती प्रणाली के सम्बन्ध में "चारलू समिति" की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा अब तक कौन-कौन सी सिफारिशें लागू की गई हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी सात बैंकों और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरकार अब भी अलग-अलग भर्ती एजेंसियों अर्थात् केन्द्रीय भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग सेवा भर्ती को अस्तित्व में रखना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने चारलू समिति की निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं:—

1. अधिकारी संवर्ग में भर्ती के लिए आयु सीमा को सरकार की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के बराबर कर दिया गया है।
2. साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों को समाप्त कर दिया गया है।
3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र द्विभाषी होंगे।
4. सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्दिष्ट अंकों (कट आफ मार्क) का निर्धारण किया जाता है बशर्ते कि, उन्होंने प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए हों।
5. रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक से अधिक तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अन्तिम योग्यता-क्रम (मेरिट) सूची तैयार की जाती है।
7. जहां तक सम्भव होता है सभी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड एक समान तारीखों पर लिखित परीक्षाएं आयोजित करते हैं।
8. अधिकारी संवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क को 40/- रु० से बढ़ाकर 50/- रु० कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/केन्द्रीय भर्ती बोर्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

क्रम संख्या	बी०एस०आर०बी० सी०आर०बी	स्थापना का वर्ष	संयोजक बैंक (मानव संसाधन तथा वित्त पोषण के लिए उत्तरदायी)	कार्मिकों की भर्ती के लिए अधिकार क्षेत्र: सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के लिए लिपिकीय संवर्ग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सभी संवर्ग	निम्नलिखित बैंकों के लिए अधिकारी संवर्ग
1	2	3	4	5	6
1.	बंगलौर	1979	केनरा बैंक	कर्नाटक	केनरा बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक
2.	बड़ौदा	1978	बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात, दिव दमन, दादर एवं नगर हवेली	बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक
3.	भोपाल	1981	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	मध्य प्रदेश	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
4.	भुवनेश्वर	1985	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	उड़ीसा	—
5.	बम्बई	1979	बैंक आफ इंडिया	महाराष्ट्र एवं गोवा	बैंक आफ इंडिया बैंक आफ महाराष्ट्र यूनियन बैंक
6.	कलकत्ता	1979	यूको बैंक	पश्चिमी बंगाल, सिक्कीम एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	यूको बैंक
7.	चंडीगढ़	1985	स्टेट बैंक आफ इंडिया	पंजाब, हिमाचल और जम्मु एवं कश्मीर	—
8.	दिल्ली	1978	पंजाब नेशनल बैंक	केन्द्र शा०प्रदेश दिल्ली और हरियाणा	पंजाब, नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स

1	2	3	4	5	6
9	गुवाहाटी	1981	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालेंड, त्रिपुरा और मणिपुर	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
10.	हैदराबाद	1985	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा प्रदेश	सिंडिकेट बैंक और आन्ध्रा बैंक
11.	जयपुर	1985	स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर	राजस्थान	—
12.	लखनऊ	1979	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक
13.	मद्रास	1979	इंडियन बैंक	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक
14.	त्रिवेन्द्रम	1985	स्टेट बैंक आफ इंडिया	बिहार	—
15.	पटना	1985	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	केरल, माहे, लक्षद्वीप द्वीपसमूह	—
16.	सी०आर०बी०* (बम्बई)	1978	स्टेट बैंक आफ इंडियन	—	स्टेट बैंक और सात अनुषंगी बैंक

* भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों में अधिकारियों की भर्ती करने वाले बोर्ड को केन्द्रीय भर्ती बोर्ड कहा जाता है ।

बंद के कारण हानि

*174. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश में एक दिन के बन्द होने के कारण सरकारी राजस्व और उद्योग को होने वाली हानि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बन्दों का देश की अर्थव्यवस्था पर समग्ररूप से क्या प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार को बन्दों से उत्पादन में होने वाली हानियों की जानकारी है फिर भी उनकी लागत का वास्तविक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सीमा कुछ तो अनिश्चित है और किसी एक दिन विशेष

में उत्पादन में हुई हानि के कुछ हिस्से की अन्य दिनों में अनिश्चित सीमा तक भरपाई हो सकती है। लेकिन, बन्दों का अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव हानिकर ही हो सकता है जिससे उत्पादन और लोक सुविधाएं दोनों ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*175. श्री **सूरज भानु सोलंकी** :

डा० सुधीर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं;

(ख) चालू वर्ष में और 1993 के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी;

(ग) नई शाखाएं खोलने पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या भूमिका रही है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी भूमिका पूरी तरह से निभायें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14539 शाखाएं कार्यरत थीं जैसाकि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 31-3-93 तक 58 शाखाएं खोलनी हैं जो विभिन्न राज्यों में उपयुक्त परिसर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जैसाकि संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) नई शाखाओं की स्थापना पर होने वाला व्यय, शाखाओं की अवस्थिति, नियोजित मानव शक्ति और अन्य व्ययों पर निर्भर करेगा जो प्रत्येक बैंक के मामले में भिन्न-भिन्न होगा।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में कई तरह से सहयोग दिया है जैसा कि 14539 शाखाओं के द्वारा ग्रामीण जनता तक बैंकिंग सेवा पहुंचा कर, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी तक बैंक शाखाएं नहीं थीं, समाज के कमजोर वर्गों को 4086 करोड़ रुपए (मार्च, 1992 तक बकाया) का संस्थागत ऋण उपलब्ध करवा कर, मार्च 1992 की स्थिति के अनुसार 5851 करोड़ रुपए तक ग्रामीण जमाराशियां जुटा कर और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यों में लगा कर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करके।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना छोटे किसानों, सीमान्तिक किसानों और भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि जैसे लक्ष्यगत समूह के उधारकर्ताओं को रियायती ऋण उपलब्ध

कराने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण सम्बन्धी प्रचालनों को अर्थक्षमता प्रदान करने की सामान्य आवश्यकता को देखते हुए, हाल ही में, विद्यमान मानदण्डों में छूट प्रदान की गई और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने वृद्धिशील ऋणों के 40 प्रतिशत से अनाधिक राशि को गैर लक्ष्यगत समूहों के वित्तपोषण के लिए देने की अनुमति दी गई है। इन बैंकों के प्रचलन का क्षेत्र सामान्यतः एक या दो जिलों तक सीमित होता है और इसलिए इनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों को उसी क्षेत्र में विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए लगाया जाता है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	हरियाणा	291
2.	हिमाचल प्रदेश	129
3.	जम्मू और कश्मीर	268
4.	पंजाब	201
5.	राजस्थान	1068
6.	अरुणाचल प्रदेश	19
7.	असम	404
8.	मणिपुर	29
9.	मेघालय	51
10.	मिजोरम	50
11.	नागालैण्ड	8
12.	त्रिपुरा	90
13.	बिहार	1892
14.	उड़ीसा	819
15.	पश्चिम बंगाल	864
16.	मध्य प्रदेश	1602
17.	उत्तर प्रदेश	3056
18.	गुजरात	430

1	2	3
19.	महाराष्ट्र	590
20.	आन्ध्र प्रदेश	1126
21.	कर्नाटक	1075
22.	केरल	269
23.	तमिलनाडु	208
	जोड़	14539

विवरण-II

31-3-93 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में खोले जाने वाली शाखाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खोले जाने वाली शाखाएं
1.	राजस्थान	1
2.	असम	22
3.	मणिपुर	6
4.	मेघालय	1
5.	मिजोरम	3
6.	नागालैण्ड	2
7.	त्रिपुरा	2
8.	बिहार	5
9.	मध्य प्रदेश	9
10.	उत्तर प्रदेश	2
11.	महाराष्ट्र	4
12.	कर्नाटक	1
	जोड़	58

[अनुवाद]

समाचारपत्र उद्योग के लिए वेतन संशोधन तंत्र

*176. श्री धर्मभिक्षम :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का समाचार पत्र उद्योग के लिए एक स्थायी वेतन संशोधन तंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समाचार पत्र कर्मचारियों के कुछ श्रमिक संघों ने वेतन बोर्ड के बारे में कोई ज्ञापन दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1579 समाचर पत्र प्रतिष्ठानों में से 944 ने बछावत वेतन बोर्डों की सिफारिशें लागू नहीं की हैं।

(ख) सिफारिशों को लागू न किए जाने के लिए अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा जो कारण बताए गए हैं वे हैं—वित्तीय बाध्यताएँ तथा बछावत पंचाट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की गई तथा लम्बित पड़ी अनेक रिट याचिकाएं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) मामले पर नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के संगठनों के साथ अलग-अलग बैठकों में चर्चा की गयी है। नियोक्ताओं के साथ बैठक में सुझाई गई विभिन्न वैकल्पिक कार्यवाई के तरीकों पर उनकी विशिष्ट प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

*177. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री आर्जे फर्नांडिज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हथकरघा विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) चालू वर्ष में अभी तक राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा विकास और इसके आधुनिकीकरण तथा बुनकरों के पुनर्वास हेतु आवर्तीनिधि (रिवोलिंग फंड) बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा के विकास के लिए गत

तीन वर्षों में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	2015.48	2477.23	2667.76
2.	असम	1140.67	1230.46	1471.84
3.	बिहार	902.20	542.45	475.93
4.	गुजरात	641.38	634.24	141.84
5.	हिमाचल प्रदेश	23.40	49.29	84.80
6.	हरियाणा	31.91	20.00	68.20
7.	जम्मू व कश्मीर	227.63	132.81	47.04
8.	कर्नाटक	1175.40	1292.45	1451.54
9.	केरल	433.42	205.63	174.00
10.	मध्य प्रदेश	597.29	704.28	550.69
11.	महाराष्ट्र	1314.93	952.96	1590.24
12.	मणीपुर	60.59	42.41	3·42
13.	मेघालय	—	0.50	—
14.	मिजोरम	—	22.30	2.80
15.	नागालैण्ड	—	—	2.32
16.	उड़ीसा	934.79	1211.14	1441.83
17.	पंजाब	32.21	50.62	43.86
18.	राजस्थान	445.33	368.32	395.28
19.	तमिलनाडु	4390.41	3624.64	4005.00
20.	त्रिपुरा	129.67	101.47	26.63
21.	उत्तर प्रदेश	3191.32	4499.84	3769.42
22.	पश्चिमी बंगाल	1901.65	1573.86	762.56
23.	दिल्ली	0.72	0.27	114.06
24.	पांडिचेरी	19.75	0.94	18.26
	कुल :	19610.15	19738.12	19309.32

(ख) चालु वर्ष के दौरान (एक अप्रैल 1992 से 15 नवम्बर 1992 तक) राज्यों/संघ

शासित क्षेत्रों को जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल
1.	असम	416.02
2.	आन्ध्र प्रदेश	89.55
3.	बिहार	51.00
4.	गुजरात	111.06
5.	हिमाचल प्रदेश	—
6.	हरियाणा	—
7.	जम्मू व कश्मीर	23.00
8.	केरल	—
9.	कर्नाटक	416.07
10.	महाराष्ट्र	383.58
11.	मणिपुर	—
12.	मध्य प्रदेश	207.81
13.	मिजोरम	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	241.16
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	2.53
18.	त्रिपुरा	35.45
19.	तमिलनाडू	358.48
20.	उत्तर प्रदेश	1393.18
21.	पश्चिमी बंगाल	514.55
22.	पांडिचेरी	0.15
23.	दिल्ली	—
	कुल	4243.59

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास और इसके आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कई प्लान योजनाएं लागू की गई हैं इस क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कुछ मुख्य योजनाएं, करघों का आधुनिकीकरण और उपकरणों की आपूर्ति, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना और बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देना शामिल है।

[अनुवाद]

विदेशी बीमा कम्पनियां

*178. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्री तरित बरण तोपदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी बीमा कम्पनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक अनुमति प्राप्त इन विदेशी बीमा कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देश में जीवन बीमा कारोबार और साधारण बीमा कारोबार करने का अनन्य विशेषाधिकार क्रमश. भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम (इसकी चार सहायक कम्पनियों सहित) को है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धन में कामगारों की भागीदारी

*179. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सम्बन्धी विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सरकार ने पहले ही मई, 1990 में प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता विधेयक, 1990 राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया है जो अभी तक सदन के विचार-विमर्श के लिए नहीं आया है। विधेयक में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शाप फलोर, प्रतिष्ठान और प्रबन्धन स्तर के बोर्ड में श्रमिकों की विशिष्ट और सार्थक सहभागिता की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

*180. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को एक स्थायी दर्जा देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस आयोग से ग्रामीण श्रमिक कहां तक लाभान्वित होंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालल के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा)

(क) जी, नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शेयर के कारोबार में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1856. श्री विश्वनाथ दास शास्त्री :

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में आनिवासी भारतीयों को भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या आइजल औफम्न तथा अन्य उन क्षेत्रों में, जहां कर नहीं लगता है, पंजीकृत कुछ कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के शेयर खरीदे थे;

(ग) क्या इन शेयरों के 1990 में कुछ अन्य भारतीय कम्पनियों की शेयर होल्डिंग में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया है; और

(घ) विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम के ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान कुछ अन्य भारतीय कंपनियों की शेयरधारिताओं में कथित रूप से शेयरों के शामिल किए जाने की कोई अधिकृत सूचना अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन लागत

1857. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विकसित और अल्प विकसित देशों में कोयले की उक्त लागत की तुलना में किस प्रकार की जा सकती है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० में कोयले की उत्पादन लागत को कम किए जाने के संबंध में उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:—

1. श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है।
2, श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण।
3. "आल मैन-आल-जॉब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है।
4. पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार।
5 भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।
6. कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाए जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं।

(ख) कोल इंडिया लि० की तुलना में वर्ष 1986-87 के लिए कुछ देशों के कोयले की उत्पादन की उपलब्ध लागत नीचे दी गई है :—

उत्पादन लागत

देश	अमरीकी डालर प्रति टन	रु० प्रति टन
यू०के०	68.80	873.10
बेलजियम	71.00	901.02
एफ०आर० जर्मनी	114.20	1449.24
पोलेंड	29.00	368.02
इंडिया (को०इं०लि०)	—	221.54

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया पाठ्यक्रम

1858 श्री **राम सागर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नया सिलेबस तैयार करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार है।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानां द्वारा आयोजित किए जाने वाले नामित व्यवसायों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि व्यवसाय समितियों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन के अधीन समय-समय पर किया जाता है ताकि उद्योगों में उभरती हुई नई परिष्कृत प्रौद्योगिकियों तथा तीव्र विभिन्नीकरण के साथ चल सकें।

(ख) और (ग) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन नये व्यवसाय आरम्भ करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, नियोक्ता संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रयोक्ता संगठनों एवं विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरम्भ करने के लिए निम्नलिखित नए व्यवसायों की शिनाख्त की गई है।

1 प्रोटोटाइप सैंटर एण्ड डैस्क टॉप पब्लिशिंग आपरेटर।

2. बेकर एंड कन्फेक्शनर।

3. आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप।

उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकारें अपनी राज्य व्यावसायिक प्रशिण परिषदों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने-अपने राज्यों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(घ) जहां तक उत्तर प्रदेश में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का सम्बन्ध है, यह उद्योग तथा कुशल जन शक्ति आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय की भूमिका राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को सम्बन्ध प्रदान करने तक सीमित है यदि सभी पूर्वअपेक्षाएं संतोषजनक रूप से पूरी होती हों . केन्द्र-सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अधीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए नौ नए औद्योगिक-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी अनुमोदन कर दिया है।

राज्य आवास निर्माण योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम और
साधारण बीमा निगम से ऋण

1859. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों की 1991-92 और 1992-93 की आवासीय योजनाओं के लिए जीवन और साधारण बीमा निगम से ऋण-राशि आवंटित करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों को उनकी आवास योजनाओं के लिए ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92		1992-93	
		जीवन बीमा निगम	साधारण बीमा निगम	जीवन बीमा निगम	साधारण बीमा निगम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20.64	5.46	22.76	6.26
2.	असम	1.26	0 33	2.27	0.68
3.	बिहार	—	—	1.81	0.54
4.	गोवा, दमन एवं दीव	0.92	—	—	1.14
5.	गुजरात	7.81	2.07	8.37	2.50
6.	हरियाणा	14.07	3.73	14 54	5.04
7.	हिमाचल प्रदेश	1.11	0.29	1.14	0.34
8.	जम्मू एवं कश्मीर	6.87	1 82	2.68	0.34
9.	कर्नाटक	9.49	2.51	14.12	2.54
10	केरल	13.35	3.54	20 00	8.13
11.	मध्य प्रदेश	5.49	1.45	5.83	2.15
12.	महाराष्ट्र	4.35	1.15	4.66	1.39
13.	मणिपुर	0.43	0.37	0.69	0.21
14.	मेघालय	2.89	0.77	2.86	0.85
15.	नागालैंड	0.02	0.01	0.02	0.01
16.	उड़ीसा	8.08	2.14	8.66	2.54
17.	पंजाब	2.54	0.67	—	—
18.	राजस्थान	4.77	1.26	5.11	1.52
19.	सिक्किम	0.43	0.12	0.47	0.14

1	2	3	4	5	6
20.	तमिलनाडु	15.79	4.18	16.74	5.23
21.	त्रिपुरा	3.65	0.96	3.72	1.12
22.	उत्तर प्रदेश	11.08	2.91	10.71	3.21
23.	पश्चिम बंगाल	24.23	6.42	17.32	5.18
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.92	—	—	—

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को हुई हानि

1860. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस वर्ष जून में समाप्त हुए बारह महीनों की अवधि में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के कारण हुए विनिमय जोखिम के फलस्वरूप भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी राशि की हानि हुई और इसकी इस अवधि से बारह महीने पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक को विनिमय जोखिम से हुई हानि के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका समग्र रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय रिजर्व बैंक की होल्डिंग्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। 30 जून, 1992 को समाप्त वर्ष में, पिछले बारह महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक पर पड़ने वाला भार, जो विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों से आहरणों/नवीकरणों के कारण होने वाले विनिमय जोखिम की वजह से है, 2513.83 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 5531.91 करोड़ रुपए था।

(ग) जब विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता स्कीम के अंतर्गत जमाराशि प्राप्त होती है तो वाणिज्यिक बैंक विदेशी मुद्रा की राशि को वर्तमान विनिमय दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित कर देता है। आहरण किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की उस राशि को उस समय की लागू विनिमय दर पर ध्यान दिए बगैर उसी दर पर वापिस कर देता है। यदि, इसी अवधि में विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए में लाभ होगा और यदि इसी अवधि में विनिमय दर घट जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए में हानि होगी।

(घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी स्कीम के अंतर्गत जुटाई गई विदेशी मुद्राओं को विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में रखा गया है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिली है।

पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में आयी गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1861. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंड-स्टर्लिंग के मूल्य में तेजी से आयी गिरावट तथा यूरोप के वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का, कहां-कहां और किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका मूल्यांकन एवं उपचारात्मक उपाय करने के लिऐ क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सितम्बर, 1992 से यूरोपीय मुद्रा बाजार में संकट आने के बाद कुछ यूरोपीय मुद्राओं विशेषकर पौंड स्टर्लिंग और इटालियन लीरा में मूल्यह्रास हुआ है। इन मुद्राओं की तुलना में रुपए की परिणामी मूल्यवृद्धि से भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू०के० और इटली दोनों का हिस्सा मिलकर भारत के विश्वव्यापी व्यापार का 10 प्रतिशत से भी कम बैठता है। फिर भी, सरकार रुपए की विनिमय दर में घट-बढ़ पर बारीकी से नजर रख रही है।

प्रमोटर्स कोटा के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को शेयर जारी करना

1862. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को प्रमोटर्स कोटा के अन्तर्गत अपने अथवा अपनी पत्नियों/बच्चों के नाम पर शेयर खरीदने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें बैंक कर्मचारियों सहित कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने अथवा अपनी पत्नियों/बच्चों के नाम पर कुछ कम्पनियों के शेयर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में उक्त कर्मचारियों को अपने पद का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बस परिचारिका योजना

1863. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान बस-परिचारिका योजना चलाने के लिए कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना को अब तक क्रियान्वित न किए जाने तथा इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य योजना को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 के दौरान किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1976-77 में 183 महिला कंडक्टर नियुक्त की गई थीं। इसमें से 179 या तो टिकट टैली क्लर्क, स्वागत अधिकारी के पद पर पदोन्नत/नियुक्त कर दी गई हैं, अथवा सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दी गई हैं। 1976-77 के दौरान नियुक्त की गई इन कंडक्टरों में से फिलहाल केवल 4 कंडक्टर के रूप में काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में सरकारी निवेश

1864. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में और अधिक धन लगाने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त संस्थान को निर्यातकों द्वारा चलाये जाने हेतु उनसे कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय फैशन टेक्नालाजी संस्थान (निफ्ट) को अलग-अलग वर्ष के लिये निर्धारित बजट आबंटन के आधार पर सहायता अनुदान रिलीज करती है। वर्ष 1992-93 के चालू वित्तीय वर्ष के लिये निफ्ट के लिए 2.35 करोड़ रु० का बजट आबंटन किया गया है।

(ग) सरकार को अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फर्मों के कार्य

1865. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बेंक देश में पहले से ही कार्य कर रहे विदेशी बेंकों को शेयर बाजार में बड़े विदेशी निवेशकों के लिए पूंजी जमा करने वाले संस्थानों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बेंक ने इस सम्बन्ध में क्या निदेश जारी किये हैं; और

(ग) विदेशी बेंकों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बेंक ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत में पहले से कार्यरत विदेशी बेंकों को स्टाक मार्किट में बड़े विदेशी निवेशकों के लिए जमाकर्ता संस्थानों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाएं

1866. **श्री कालका दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय वायुसेना के कितने विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं और इन दुर्घटनाओं के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) मृतक और घायल व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क)

वर्ष	वायुयान	हैलीकॉप्टर	कुल
1989-90	30	1	31
1990-91	22	1	23
1991-92	30	2	32
जोड़ :	82	3	86

(ख) दुर्घटनाएं मानव (वायुयान कर्मीदल) त्रुटियों, तकनीकी खराबियों, पक्षी टकराने, प्राकृतिक और संक्रियात्मक जोखिमों आदि के कारण हुई थीं। 85 दुर्घनाएं हुई थीं, जिनमें 86 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इनमें से 41 दुर्घटनाएं मानव त्रुटियों की वजह से, 28 तकनीकी खराबियों के कारण, 6 पक्षी टकराने से तथा 10 अन्य कारणों से हुईं।

(ग) (एक) दुर्घटनाओं में मारे गए सेवा कार्मिक — 91

(दो) दुर्घटनाओं में मारे गए सिविलियन — 24

(तीन) सरकार को हुई क्षति — 370.70 करोड़ रुपए

(घ) सेवा कार्मिकों को दिया गया मुआवजा : (9.00 लाख रुपए

सिविलियनों को दिया गया मुआवजा : (क) दुर्घटना में मृतकों के लिए 7.86 लाख रुपए

: (ख) दुर्घटना में घायलों के लिए 30 हजार रुपए

श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया अनुसंधान

1867. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा किये गये अनुसंधान अध्ययनों/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और कितनी रिपोर्टें तैयार की गईं तथा प्रकाशित की गईं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित अनुसंधान/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रमुख उद्योगों में श्रमिकों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं संबंधी नीतियां बनाने के लिए श्रम अध्ययनों/विशेष सर्वेक्षणों को उचित महत्व दे रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) एक विवरण संलग्न है। (विवरण-I)

(ख) एक विवरण संलग्न है। (विवरण-II)

(ग) जी, हां। सरकार नीति बनाने के लिए श्रम अध्ययनों/विशेष सर्वेक्षणों को उचित महत्व दे रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

श्रम ब्यूरो द्वारा सातवीं योजना के दौरान आयोजित अनुसंधान अध्ययनों/सर्वेक्षणों तथा तैयार की गई एवं प्रकाशित की गई रिपोर्टों के ब्यौरे

1 शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित श्रमिकों की कार्य तथा रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण	योजना के अन्तर्गत चुनींदा अस्वच्छ व्यवसायों में अनुसूचित जाति के कर्मकारों की कार्य तथा रहन-सहन की दशाओं के बारे में पटना में सर्वेक्षण आयोजित किया गया था तथा उस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गयी थी। मद्रास में किए गये इसी तरह के सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी। राउरकेला सूरत तथा रांची में अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं

	संबंधी सर्वेक्षण आयोजित किये गये थे और उनकी रिपोर्टें प्रकाशित की गयी थीं।
2. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (चौथा दौर)	सातवीं योजना के दौरान 53 चुने हुए उद्योगों (3 बागान, 5 खनन तथा 45 विनिर्माणकारी उद्योगों) में सर्वेक्षण किये गये थे। अब तक नौ रिपोर्टें, (i) 3 बागानों (ii) 5 खानें (iii) चाय प्रसंस्करण उद्योगों (iv) 5 वस्त्र उद्योगों (v) सिले-सिलाये वस्त्र उद्योगों तथा (vi) 19 इंजीनियरी उद्योगों पर चार खण्डों में प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा, चाय प्रसंस्करण उद्योग पर सात, खनन उद्योगों पर 5, बागान उद्योगों पर 3, वस्त्र उद्योगों तथा सिले सिलाये कपड़ा उद्योगों पर 5 तथा इंजीनियरी उद्योगों पर 9 (दो भागों में) विश्लेषणात्मक टिप्पणियां भी जारी की गई हैं।
3. असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में कर्मकारों की रहन-सहन एवं कार्य दशाओं के बारे में सर्वेक्षण	सातवीं योजना अवधि के दौरान ऊनी कालीन विनिर्माण उद्योग हथकरघा उद्योग तथा बिजली करघा उद्योग में सर्वेक्षण किये गये थे। ऊनी कालीन विनिर्माण उद्योग पर सातवीं योजना के दौरान रिपोर्ट जारी की गयी थी जबकि हथकरघा तथा बिजली करघा संबंधी रिपोर्टों को सातवीं योजना के दौरान अन्तिम रूप दिया गया था और उसके पश्चात् उन्हें प्रकाशित किया गया था। शहरी असंगठित क्षेत्र में रोजगार तथा औद्योगिक संबंधों पर सर्वेक्षण आयोजित किया गया था तथा उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।
4. श्रमिक दशाओं का सर्वेक्षण	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के बारे मे रोजगार मजदूरी तथा अर्जनों, कार्य दशाओं, कल्याण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि पर व्यापक सूचना एकत्र की जा रही हैं। समीक्षाधीन में अवधि के दौरान चावल मिलिंग उद्योग (बिजली की मशीनों द्वारा) में सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, जिस पर एक रिपोर्ट भी जारी की गयी थी।
5. ठेका श्रम सर्वेक्षण	इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में नियोजित ठेका श्रमिकों की मात्रा प्रकृति तथा कार्य

दशाओं का पता लगाना था। सातवीं योजना अवधि के दौरान चावल मिलिंग उद्योग (बिजली की मशीनों द्वारा) तथा लौह अयस्क खनन उद्योग में ठेका श्रमिक सर्वेक्षण आयोजित किये गये थे। चावल मिलिंग उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की गयी थी जबकि लौह अयस्क खनन पर रिपोर्ट शीघ्र ही जारी जाएगी।

6. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (जनगणना क्षेत्र)

इस योजना के अन्तर्गत आंकड़े एकत्र करने का कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है जबकि संवीक्षा, सारणीयन तथा रिपोर्ट लिखने का दायित्व श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 दौर के लिए आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्र किये गये श्रम ब्यूरो द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 (रोजगार एवं श्रम लागत भाग) के लिए रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया गया था और प्रकाशित किया गया था। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1987-88 के लिए रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और उसे अन्तिम रूप दे दिया जा रहा है।

7. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण [प्रतिदर्श (सैंपल) क्षेत्र]

सातवीं योजना अवधि के दौरान, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 दौर के लिये आंकड़े प्राप्त हो गये थे और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1985-86 के लिये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मूल्यांकन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश (पूर्वी जिले), उड़ीसा केरल तथा मध्य प्रदेश राज्यों में कृषि (राज्य क्षेत्र) में किये गये मूल्यांकन अध्ययनों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। बॉक्साइट खानों (केन्द्रीय क्षेत्र) तथा भवन एवं निर्माण प्रयोजन (केन्द्रीय क्षेत्र) में किये गये इसी प्रकार के अध्ययनों के बारे में रिपोर्टें भी प्रकाशित की गई थीं।

9. उद्योग में महिला कर्मकारों की

इस योजना का उद्देश्य महिला कर्मकारों की

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां	कामकाजी तथा रहन-सहन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये उनके बारे में आंकड़े एकत्र करना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किये गये सर्वेक्षण तथा प्रकाशित रिपोर्टें निम्न प्रकार हैं :
	(i) कच्ची पत्ती-तम्बाकू, जर्दा तथा सिगरेटों, ईंट-भट्ठों, टाइल्स पत्थर ड्रेसिंग तथा स्टोन क्रशिंग, बिजली तथा लघु-लैम्पों, रेडियो तथा टैलिविजनों सैटों फाउंटेनपेन और बाल-पैन उद्योगों में महिला कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
	(ii) चाय संसाधन, कहवा संसाधन, पेपर तथा पेपर-बोर्ड, माचिस स्प्लिंट तथा विनीयर एवं बॉबिन, रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों, चीनी मिट्टी के बर्तन, इलैक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण तथा उपस्कर, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं तथा कल पुर्जे (रेडियो तथा टी०वी० सैटों के निर्माण को छोड़कर) उद्योगों में महिला कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
	(iii) भवन एवं निर्माण उद्योग में महिला कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
	(iv) पानीपत (हरियाणा) में हथकरघा इकाइयों में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
	(v) उत्तर प्रदेश में चुनिंदा हथकरघा तथा खादी इकाइयों में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
	(vi) दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर की चुनिंदा हथकरघा तथा खादी इकाइयों में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट।
10. कामकाजी परिवार की आय तथा व्यय सर्वेक्षण, 1981-82	छठी योजना अवधि के दौरान 1960=100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार तथा वेटिंग डायग्रामों में संशोधन करने के

	उद्देश्य से 76 महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में ये सर्वेक्षण करवाये गये थे। इन 76 चुनिंदा केन्द्रों में से 70 केन्द्रों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) में शामिल कर लिया गया है जिसे अक्तूबर, 1988 सूचकांक से जारी किया गया था। 7वीं योजना अवधि के दौरान, सभी 76 केन्द्रों के लिए सर्वेक्षणों के निष्कर्ष पर आधारित केन्द्र विशिष्ट विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तथा मुख्य रूप से सर्वेक्षण के तकनीकी ब्यौरे तथा महत्वपूर्ण विशेषताओं की अन्तर्केन्द्रीय तुलना का वर्णन करने वाले एक सामान्य रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया तथा प्रकाशित किया गया था।
11. मकान किराये का दुबारा सर्वेक्षण	कामकाजी परिवार की आय एवं व्यय सर्वेक्षण 1981-82 के उप सिद्धान्त के रूप में, श्रम ब्यूरो छमाही आधार पर मकान सूचकांक के संकलन के लिये नियमित आधार पर नमूना निवास के मकान किराया आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से मकान किराये के बारे में दुबारा सर्वेक्षण करता रहा है। 7वीं योजना अवधि के दौरान, मकान किराया सर्वेक्षण के 10 छमाही दौर पूरे किए गए थे।
12. ग्रामीण श्रम जांच (आर०एल०ई०)	श्रम ब्यूरो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षणों द्वारा प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण श्रम जांच पर रिपोर्टें तैयार करता है।
	7वीं योजना अवधि के दौरान, ब्यूरो ने सभी चारों रिपोर्टें अर्थात् (i) रोजगार तथा बेरोजगारी, (ii) मजदूरी और आमदनी, (iii) उपभोग व्यय तथा (iv) ग्रामीण श्रम जांच 1977-78 की ऋण ग्रस्तता सर्वेक्षण (राष्ट्रीय-नमूना सर्वेक्षण संगठन का 32वां दौर) प्रकाशित कर दी हैं। इनके अतिरिक्त, दो रिपोर्टें अर्थात् (i) उपभोग व्यय, तथा (ii) ग्रामीण श्रम जांच 1983 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का 32वां दौर) से संबंधित ग्रामीण श्रमिक परिवारों की ऋण ग्रस्तता भी प्रकाशित कर दी थीं।

विवरण-II

आठवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित शोध सर्वेक्षणों का विवरण

लगातार प्लान स्कीमें :

1. काम काजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1981-82।
2. ग्रामीण श्रम जांच (नए कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सहित)।
3. देश में असंगठित श्रमिकों की कार्य करने और रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण।
4. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (चौथा और पांचवां दौर)।
5. मशीन सारणीकरण इकाई का आधुनिकीकरण।
6. शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित श्रमिकों की कार्य करने और रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण।
7. नमूना क्षेत्र (कारखानों) में औद्योगिक विस्तार के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम सांख्यिकी का एकत्रीकरण।
8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन।
9. उद्योग में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं।
10. दोहरा मकान किराया सर्वेक्षण (कामकाजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1981-82 के तहत)।
11. औद्योगिक लाइसेंस, अर्थात् रोजगार सृजन को औद्योगिक लाइसेंस के साथ संबद्धता देने वाली इकाइयों के रोजगार संभाव्य को मानीटर करना।

नई प्रस्तावित प्लान स्कीमें :

1. कामकाजी परिवार की आय और व्यय का सर्वेक्षण, 1992-93।
2. कामकाजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1992-93 के अन्तर्गत दोहरा मकान किराया सर्वेक्षण।
3. कामकाजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1981-82 के तहत 31 आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य सूचकांकों का निर्माण और अनुरक्षण।
4. मजदूरी दर सूचक—नई श्रेणियां परिशोधित आधार।
5. कामकाजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1981-82 योजना के तहत मूल्य लेखा-परीक्षा कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की कर्मचारी संख्या को बढ़ाना।
6. कामकाजी परिवार की आय और व्यय सर्वेक्षण, 1981-82 पर आधारित शोध।

7. श्रम सूचना केन्द्र ।

8. भारत में बाल श्रम सर्वेक्षण ।

9. औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारणों से हानि हुए श्रम दिवसों का सर्वेक्षण ।

10. श्रम लागत का अध्ययन और श्रम लागत सूचकों का संकलन ।

11. लाइसेंस देने सहित वास्तविक रोजगार सृजन को मानीटर करना ।

12. व्यावसायिक मजदूरी सांख्यिकी पर आधारित शोध ।

13. श्रम सांख्यिकी और प्रशिक्षण के विकास के लिए केन्द्रीय योजना ।

14. औद्योगिक लाइसेंस अर्थात् रोजगार सृजन की औद्योगिक लाइसेंसिंग के साथ सम्बद्धता वाली इकाइयों के रोजगार संभाव्य को मानीटर करने जिसे समाप्त किया जा रहा है के अतिरिक्त सभी लगातार प्लान स्कीमों को अनुमोदित किया गया है जबकि 13 नई प्लान स्कीमों में से क्रम संख्या 1 से 4 पर केवल चार स्कीमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

वाणिज्यिक बैंकों के बिल-पोर्टफोलियो में अनियमिततायें

1869. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के कतिपय औद्योगिक घरानों को बैंकों की सामान्य सहायता सुविधाओं से बाहर जाकर बिल सीमाओं के अतिरिक्त वित्त पोषण करने को कठोरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के बिल-पोर्टफोलियो में बरती गई अनेक अनियमितताएं भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आई हैं;

(ग) यदि हां तो अनियमितताओं के इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामले में की गई कार्यवाही क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 27 जुलाई, 1992 को बैंकों से कहा है कि बड़े उधारकर्ताओं के मामले में किसी भी उधारकर्ता को कंसार्शियम व्यवस्था के बाहर निधि-आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं नहीं प्रदान की जानी चाहिए ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के बिल पोर्टफोलियो के निरीक्षण/जांच से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला है :—

(i) लीड बैंक और अन्य कंसार्शियम सदस्यों को सूचित किए बिना बैंक कंसार्शियम के बाहर बड़े उधारकर्ताओं को बिल वित्त प्रदान करते रहे हैं;

(ii) कतिपय कम्पनियों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से, बैंक ऐसे

ग्राहकों के नाम बिल आहरित करते रहे हैं और वे स्वयं ऐसे बिल भुना रहे हैं तथा ऐसे बिलों के बदले पुनर्भुनाई सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं;

(iii) बैंकों ने कतिपय औद्योगिक घरानों को कंसार्शियम व्यवस्थाओं के बाहर सामानों की बिक्री को कवर करते हुए बिल सीमाओं के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया है;

(iv) बड़ी विनिर्माण कम्पनियों के डीलरों/स्टाकिस्टों को मात्र इन कम्पनियों की सिफारिश और गारंटियों के आधार पर डीलरों/स्टाकिस्टों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना और आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाएं निश्चित किए बिना बिल वित्त प्रदान किया गया है;

(v) बैंकों द्वारा कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित ऐसे बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई की गई है जिनकी बिल भुनाई/पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत अनुमति नहीं है;

(vi) औद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित फ्रन्ट कम्पनियों द्वारा अपनी होल्डिंग/मूल कम्पनी पर आहरित बिलों की, जो स्पष्ट रूप से निभाव बिलों की प्रकृति के हैं, बैंकों ने भुनाई/पुनर्भुनाई की है; और

(vii) पोर्टफोलियो प्रबन्ध के लिए बैंकों द्वारा अन्य ग्राहकों से स्वीकार की जाने वाली निधियों का उपयोग बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर खोले गए साख पत्रों के बदले आहरित बिलों की पुनर्भुनाई के लिए किया जा रहा है।

(घ) जबकि बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई योजना में बरती गई अनियमितताओं के मामलों को अलग-अलग बैंकों के साथ उठाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1992 में बैंकों को हिदायतें जारी की हैं कि अपात्र मीयादी बिलों के बदले उनके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी अधिक वित्त को उधार माना जाएगा और तदनुसार उन्हें सम्बन्धित अवधियों के लिए प्रारक्षित नकदी अनुपात/सांविधिक नकदी अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए अपनी बाहरी देनदारियों के रूप में हिसाब में लेना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोर दिया है कि इन हिदायतों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंकों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें प्रारक्षित नकदी अपेक्षाओं में वृद्धि करना, भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाले पुनर्वित्त को वापस लेना और मुद्रा बाजार तक पहुंच से इन्कार करना शामिल है।

वस्त्र निर्यात

1869. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक कपड़ा मिल की वित्तीय स्थिति क्या थी;

(ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है जो विदेशों को अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं;

(घ) विदेशों को वस्त्रों का अधिकतम निर्यात करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष वस्त्र निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(च) विदेश व्यापार बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु नवीनतम वैज्ञानिक विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय एन०टी०सी० (गुजरात) लि० के अन्तर्गत 12 वस्त्र मिलें हैं।

(ख) एन०टी०सी० (गुजरात) के अन्तर्गत मिलों द्वारा वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान उठाये गये घाटों को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा प्रबन्धित 19 वस्त्र मिलें विदेशों को सामान का निर्यात कर रही हैं।

(घ) राज्य-वार निर्यात आंकड़े न तो संकलित किये जाते हैं न ही मानीटर किये जाते हैं।

(ङ) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान वस्त्र सामान के निर्यात के मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(च) सरकार ने वस्त्र निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं : उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली शुरू करना, परिवर्तनशील मुद्राओं के सन्दर्भ में कोटा मदों के फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, लाइसेंस की आवश्यकताओं के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीनरी के आयात को सुकर बनाना, कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता के बिना परिधान, होजरी और मेड-अप्स क्षेत्रों द्वारा आवश्यक पुरानी मशीनरी का आयात करना, निर्यात संवर्धन (पूंजीगत माल) योजना शुरू करना जिसके अन्तर्गत निर्यात दायित्व के अधीन पूंजीगत माल का रियायती सीमा शुल्क पर आयात किया जा सकता है, विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना शुरू करना, वस्त्र और परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत उचित नीतिगत उपायों के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना आदि।

विवरण-I

एन०टी०सी० (गुजरात) लि० के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के घाटों की स्थिति

(घाटा—लाख रु० में)
(अनन्तिम)

क्रम सं०	मिल का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	162.90	117.96	148.84
2.	महालक्ष्मी मिल्स	313.40	22[illegible].49	378.91

1	2	3	4	5
3.	पेटलड मिल्स	277.70	285.93	325.27
4.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स	407.70	335.03	413 75
5.	अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स	519.40	375.33	632 65
6.	जहांगीर मिल्स	443.10	311.25	425.93
7. 8.	राजनगर नं० 1 राजनगर नं० 2	510.50	392.32	522.51
9.	वीरमगांव मिल्स	293.30	231.15	285.57
10.	न्यू मानक चौक मिल्स	228.90	201.13	275 33
11.	हिमाद्री मिल्स	247.10	192.93	256.64
12.	फाईन निटिंग मिल्स	अभी चालू नहीं हुई		

विवरण-II

वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान वस्त्र सामान (कयर, पटसन और हस्तशिल्प को छोड़कर) के निर्यात का मूल्य

वर्ष	निर्यात	
	करोड़ रु० में	मिलियन डालरों में (अमरीकी डालर)
1989-90	6473	3888
1990-91	8366	4652
1991-92	12150	4872

जीवन बीमा निगम की पालिसियों का अधिक भुगतान

1870. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, गुवाहाटी में जीवन बीमा निगम की पालिसियों के समर्पण मूल्य के अधिक भुगतान तथा चिकित्सा शुल्क के दुरुपयोग के मामले, केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय जीवन

बीमा निगम के लेखा परीक्षा दल ने अभ्यर्पण मूल्य की तुलना में 14,904.73 रुपए राशि की अधिक अदायगी करने सम्बन्धी 29 मामलों तथा चिकित्सा शुल्क के रूप में 225/- रुपए राशि की अधिक अदायगी करने के 19 मामलों का पता लगाया है। ये मामले परिकलना की त्रुटियों से सम्बन्धित हैं न कि दुर्विनियोग किए जाने सम्बन्धी मामले हैं। अदा की गई अधिक राशि को वसूल करने के बारे में कार्यवाई की जा रही है।

दिल्ली में फ्लाई ओवर/आर०यू०बी०/भूमिगत पैदल-पारपथों का निर्माण

1871. **श्री जीवन शर्मा :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा शहरी कला आयोग द्वारा विगत छ: महीनों के दौरान दिल्ली में क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत किए गए फ्लाईओवरों/आर०यू०बी०/भूमिगत पैदल-पारपथों की संख्या क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दो।

(ख) क्योंकि परियोजनाओं को अभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना है, इसलिए अभी से इन परियोजनाओं के आरम्भ होने की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है।

(ग) लगभग 45 करोड़ रुपये।

बीरभूम में नए कोयला क्षेत्र

1872. **श्री रामचन्द्र डोम** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरभूम में विदेशी सहायता से नए कोयला क्षेत्रों के समन्वित विकास, इसके साथ-साथ ही जलमार्ग के विकास, शहरीकरण और इस क्षेत्र में कोयला पर आधारित उद्योगों के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बीरभूम जिले की कोलफील्ड्स में क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। कोयले के भण्डारों को प्रमाणित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण कार्य क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य पूरा किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है। कोलफील्ड्स के विकास की व्यवहार्यता तथा कोयले पर आधारित उद्योगों को स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी दृष्टिकोण विस्तृत रूप में अन्वेषण कार्य पूरा किए जाने के पश्चात् ही अपनाया जा सकता है।

करों/शुल्कों की वसूली

1873. **श्री राम नाइक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 तक आयकर, निगमित कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की कितनी वसूली की गई;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कर शुल्क के मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) इस वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 के दौरान आयकर, निगम-कर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क की वसूली तथा इन करों/शुल्कों, प्रत्येक के मामले में वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 के दौरान वसूली (करोड़ रुपयों में)	दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 के दौरान वसूली (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत वृद्धि
आयकर	1954	2892	48.00
निगम-कर	1422	3160	122.22
केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क	12690	14472	14.04
सीमा-शुल्क	9224	11885	28.85

(ग) चालू वित्त वर्ष के प्रथम 6 महीनों के दौरान आयकर तथा निगम-कर की वसूली में हुई वृद्धि के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदायी कारण इस प्रकार हैं—अग्रिम-कर की अदायगी करने की समय-सूची में परिवर्तन, स्व: कर-निर्धारण कर की अपेक्षाकृत अधिक वसूली तथा बकाया मांगों की बेहतर वसूली । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क की वसूली में हुई वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः विनिर्मित माल में तथा आयात के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है ।

परिधान निर्यात सम्बन्धी नीति

1874. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-कोटा मदों को कोटा वाले देशों को और कोटा मदों गैर कोटा वाले देशों को निर्यात करने को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे खण्ड के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन परिषद को आवेदन करने के लिए रेशम के परिधान शामिल किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान रेशम के वस्त्रों के निर्यात के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ङ) इस खण्ड में आने वाले रेशम सहित वस्त्रों में क्या कोई परिवर्तन किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) वर्ष 1990 से गैर-कोटा निर्यातिक हकदारी (एन०क्यू०ई०) प्रणाली के अंतर्गत कोटों के आवंटन के लिए रेशमी परिधानों के निर्यात को ध्यान में रखा गया है। तथापि, सरकार ने अभी हाल में यह निर्णय लिया था कि इस प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1993 के लिये आवंटन के लिए रेशमी परिधानों पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि विशुद्ध रेशम एक गैर-एम०एफ०ए० फाइबर है। कुछ प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार ने निर्णय की समीक्षा की है और अब ऐसा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1993 के दौरान एन०क्यू०ई० प्रणाली के अन्तर्गत रेशमी परिधान कोटों के लिये पात्र बने रहेंगे।

लघु औद्योगिक और निर्यातोन्मुखी एककों को सहायता

1875. **श्री हाराधन राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु औद्योगिक और निर्यातोन्मुखी एककों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय तंगहाली का सामना कर रहे लघु औद्योगिक तथा निर्यातोन्मुख एककों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष योजना सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है।

अलबत्ता, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित बैंकों की निधियों के संवितरण में सतत कम ऋण-जमा अनुपात की जानकारी है। किसी राज्य/क्षेत्र की ऋण को खपाने की क्षमता आधारभूत सुविधाओं के विकास और अपेक्षित निविष्टियों की उपलब्धता तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए विपणन सम्बन्धी साधनों आदि जैसी बातों पर निर्भर करती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को अलग-अलग राज्यों में उक्त अनुपात में व्यापक असमानता को दूर करने के लिए कहा है।

विदेशी ऋण सेवा का भुगतान

1876. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋण सेवा के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) इस वर्ष के दौरान यह निर्यात आय का कितना प्रतिशत थी;

(ग) सम्बद्ध वर्ष के दौरान यह अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत थी;

(घ) मूलधन के पुनर्भुगतान पर और स्वदेश भेजी गई जमा-राशियों पर ऋण सेवा राशि कितनी-कितनी थी; और

(ङ) पहले छः माह के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मौजूदा वर्ष की क्या स्थिति होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान बकाया विदेशी ऋण पर मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज अदायगी 13759 करोड़ रुपए की थी।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋण परिशोधन अदायगी निर्यात आय का 30.8 प्रतिशत थी।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋण परिशोधन अदायगी सकल घरेलू उत्पाद का 2.26 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋण के मूलधन की वापसी अदायगी से सम्बन्धित ऋण परिशोधन अदायगी की राशि 7676 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1991-92 के दौरान अनिवासी (विदेशी) रुपया लेखे और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते से निवल बाह्यप्रवाह 16540 लाख अमेरिकी डालर था।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी ऋणों के ऋण परिशोधन अदायगी की राशि 17609 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

भारत-नेपाल सीमा पर सामान की तस्करी

1877. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के मधुबनी जिले में भारत और नेपाल के बीच सामान की तस्करी किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बिहार के मधुबनी जिले में स्थानीय सीमा शुल्क केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से बिहार के मधुबनी जिले की सीमा पर भारत-नेपाल के बीच बड़े पैमाने पर तस्करी होने का पता नहीं चलता है। तथापि, वर्ष 1992 के दौरान, अब तक इस जिले में लगभग 37.19 लाख रुपए मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है।

(ग) से (ङ) मधुबनी जिले में जयनगर में एक भू-सीमा शुल्क चौकी है और इस समय इस जिले में कोई अन्य भू-सीमा शुल्क चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कपास निगम द्वारा रूई निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा

1878. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने रूई के निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमन्त्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न किस्मों की रूई के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) 29 नवम्बर, 1992 को भारतीय कपास निगम ने ए०पी०एच०-4 (1991-92) की उपज, शंकर-6, एच-4, जे-34 एस०जी०, 1007, एल०आर०ए० तथा डी०सी०एच०-32 (कर्नाटक) किस्मों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए स्टेपल कपास के निर्यात के लिए विश्वव्यापी निविदा जारी की थी। 9 नवम्बर, 1992 को दी गई निविदा के प्रत्युत्तर में 3,25,850 गांठों के प्रस्ताव में से केवल 20,516 गांठों की ही बिक्री की जा सकी। 25 नवम्बर, 1992 को खोली गई दूसरी निविदा में से भारतीय कपास निगम को 1,71,501 गांठों की बोलियां ही प्राप्त हुईं जिसमें से 12,265 गांठों की बिक्री हुई। इन दोनों निविदाओं के बन्द होने के समय 48,941 गांठों की बिक्री हुई जिसमें से 16,000 गाठें वर्ष 1991-92 की उपज तथा 32,941 गांठें वर्ष 1992-93 की उपज में से थीं।

(ग) कोई किस्म-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा/हस्तशिल्प और चर्म वस्तुओं का निर्यात

1879. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में उड़ीसा के हथकरघा, हस्तशिल्प और चर्म उत्पादों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु लघु उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विश्व बाजार में उड़ीसा में निर्मित हथकरघा, हस्तशिल्प तथा चमड़ा उत्पादों की कुछ मांग है ।

(ख) और (ग) सरकार देश से हथकरघा, हस्तशिल्प तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है । जैसे विक्रेता-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में सहभागिता, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन रिलीज करना, उत्पाद विकास तथा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए क्वालिटी उन्नयन/निर्यात सदन की मान्यता के उद्देश्य से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात से प्राप्त निबल विदेशी मुद्रा आय को तिगुना महत्व दिया जाता है ।

ऊन/ऊनी उत्पादों का निर्यात

1880. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान ऊन/ऊनी उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या ऊनी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नई नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान ऊन और ऊनी वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए 263 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) से (घ) ऊनी वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए नई रणनीति का उद्देश्य उत्पादन आधार का विस्तार करना, बाजारों को विविध बनाना तथा उत्पाद शृंखला को विविध बनाना है ।

नई रणनीति के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) तमिलनाडु में तिरुपुर को ऊनी वस्त्र तथा एक्रिलिक निटवियर्स को एक उत्पादन आधार के रूप में विस्तृत किया जा रहा है ।

(2) पश्चिम यूरोप, स्कैंडीनिवियाई देशों तथा उत्तरी अमरीका में नए बाजारों का पता लगाया जा रहा है ।

(3) ऊनी परिधानों तथा ऊनी फर्नीशिंग जैसे विविधीकृत उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की सप्लाई

1881. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पाठाखेरा स्थित कोयला खानें उक्त क्षेत्र में स्थापित ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की कुल आवश्यकता खान मुहाने से पूरी करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो दो तीन वर्षों के दौरान उक्त विद्युत केन्द्र की कोयले की कितनी आवश्यकता थी तथा इस अवधि के दौरान पाठाखेड़ा कोयला खानों द्वारा वस्तुतः उसे कितना कोयला सप्लाई किया गया; और

(ग) भविष्य में ताप विद्युत केन्द्र के कोयले की अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सतपुरा तापीय विद्युत गृह को कोयले की आवश्यकता वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 4.09 मिलियन टन, 4.09 मि० टन और 4.16 मि० टन तक रही और पाथरखेड़ा खान से कोयले की आपूर्ति 2 मि० टन रही। इस विद्युत गृह को पर्याप्त रूप में कोयले की आपूर्ति करने हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के वैकल्पिक स्रोतों से कोयले का प्रेषण करने की व्यवस्था की गई है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से सतपुरा विद्युत गृह का कोयले के प्रेषण किए जाने में तेजी से वृद्धि की गई है। सतपुरा तापीय विद्युत गृह का वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (अक्तूबर माह तक) कुल प्रेषण किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष		(आंकड़े अनंतिम) (मिलियन टन में)
1990-91	—	3.76
1991-92	—	3.99
1992-93 (अप्रैल-अक्तूबर)	—	2.30

तूतीकोरिन और मद्रास में अफीम का जब्त किया जाना

1882. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1992 के दौरान तूतीकोरिन और मद्रास में बड़े पैमाने पर अफीम जब्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 22-10-92 को तूतीकोरिन के बाह्यांचल में कार को बीच में रोक कर तथा उसमें छिपी 116.500 किलोग्राम अफीम जब्त की। इसकी अनुवर्ती कार्यवाई के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मद्रास क्षेत्रीय एकक के अधिकारियों ने मद्रास में 126.400 किलोग्राम अफीम जब्त की तथा इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति अर्थात् श्री एम० देवराजन और एम०जी० रंगानायन को मद्रास में गिरफ्तार किया गया।

(ग) और (घ) जांच के दौरान अभियुक्त श्री एम० देवराजन ने यह बताया कि उसे मद्रास में श्रीलंका के एक व्यक्ति राज द्वारा अफीम दी गई थी। राज को तूतीकोरिन (बन्दरगाह के समीप) माल को उसके मद्रास से ढोने के पश्चात् एकत्र करने के लिए आना था। राज, जो श्रीलंका का निवासी है, का अभी तक पता नहीं चला है।

गुजरात में बैंक शाखाएं खोलना

1883. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जा चुकी हैं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक ये कहां-कहां खोली गई हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में इन बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1992 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	बैंक का नाम	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3	4
1.	बैंक आफ इंडिया	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	बैंक आफ बड़ौदा	बंसकन्था	चान्दोतर
3.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	भावनगर	भावनगर
4.	बैंक आफ बड़ौदा	गांधीनगर	गांधीनगर सैक्टर II
5.	इलाहाबाद बैंक	जामनगर	जामनगर-जी०आई०डी०सी० फेस II
6.	इलाहाबाद बैंक	जूनागढ़	जूनागढ़-मार्किटिंग यार्ड
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	खेड़ा	कसोर
8.	—वही—	खेड़ा	लम्भवेल
9.	इलाहाबाद बैंक	—वही—	नादियाड वैशाली रोड
10.	बैंक आफ बड़ौदा	—वही—	नादियाड मिशन रोड
11.	देना बैंक	कच्छ	न्यू अंजार
12	बैंक आफ बड़ौदा	मेहसाणा	मेऊ
13.	बैंक आफ बड़ौदा	मेहसाणा	चन्सोल

1	2	3	4
14.	बैंक ऑफ बड़ौदा	पंचमहल	शेहरा
15.	—वही—	—वही—	दिवाड़ा कालोनी
16.	इलाहाबाद बैंक	सूरत	सूरत नानावाराचा
17.	—वही—	वड़ोदरा	वड़ोदरा आज्वा रोड इन्द्रपुरी
18.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—वही—	वड़ोदरा हर्नी रोड नियर एरोड्रोम
19.	देना बैंक	—वही—	वड़ोदरा महर्षि अरविन्द मार्ग आन बी०आई०पी० रोड

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में निम्नलिखित केन्द्रों पर बैंक शाखाएं खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :—

क्रम सं०	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	पंचमहल	दहोद
2.	अहमदाबाद	डायमांड पार्क, नरोरा, अहमदाबाद
3.	बंसकथा	ए०पी०एम०सी० दीसा
4.	बंसकंथा	बनेरा
5.	राजकोट	रावानी ब्लाक, धोराजी, राजकोट
6.	बंसकंथा	श्री अमीरगढ़
7.	बंसकंथा	धेहोरी
8.	बंसकंथा	संतालपुर
9.	पंचमहल	दाहोद
10.	साबरकंथा	भेलोदा
11.	कच्छ	कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज की नई शाखाएं एवं विस्तार काउन्टर खोलना
12.	मेहसाणा	वदनागर

1	2	3
13.	खेड़ा	वादलपुर गांव
14.	बलसाड	वातरगांव
15.	पंचमहल	जरसीतगढ़ गांव
16.	मेहसाना	छत्राल जी०आई०डी०सी० कलाल
17.	सुरेन्द्र नगर	सुरेन्द्र नगर
18.	पंचमहल	संत्रामपुर
19.	बरौच	अंकलेश्वर

उपर्युक्त अभ्यावेदनों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने दो को मंजूर किये हैं और, अतः बैंक आफ इंडिया को पंचमहल में दहोद में अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी।

गुजरात से प्राप्त योजनाएं

1884. श्री गाभीजी मंगाजी ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान नवम्बर, 1992 तक गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से 77.40 करोड़ रु० की राशि के 31 प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 15.22 करोड़ रु० की राशि के 6 प्राक्कलन संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 51.08 करोड़ रु० की लागत के 9 प्राक्कलनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। शेष 16 प्राक्कलनों को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है क्योंकि ये संस्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की सूची में शामिल नहीं हैं।

(ग) परियोजना को स्वीकृति देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मंत्रालय में लम्बित 9 प्रस्तावों में से 50.19 करोड़ रु० के 4 प्रस्तावों पर काफी हद तक कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 5 प्रस्ताव अभी हाल में प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

बुनकरों को सूत की आपूर्ति हेतु नई प्रणाली का आरम्भ किया जाना

1885. श्री नीतीश कुमार :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुनकरों को सस्ती दरों पर सूत की आपूर्ति की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर उनको मिल दरों में सूत प्रदान करने हेतु नई प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो बुनकरों का इस वैकल्पिक प्रणाली के अंतर्गत सूत खरीदने के लिए क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में फैले हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर सूत देने हेतु प्रस्तावित योजना में क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। सरकार ने हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति के लिए अभी हाल ही में एक संशोधित योजना लागू की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के तत्वावधान में लागू की गई मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की इस योजना में राज्य हथकरघा अभिकरणों जैसे:—राज्य हथकरघा विकास निगम और राज्य शीर्ष/क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सरकारी समितियों में पंजीकृत बुनकरों को सूत की आपूर्ति की बात कही गई है। इस योजना में इन अभिकरणों के साथ कार्यरत व्यक्तिगत बुनकरों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम वर्ष 1992-93 के दौरान 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति करेगा। भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा मिल गेट मूल्यों पर किए गए कुल सूत की आपूर्ति के कुल मूल्य का 2% की दर से सब्सिडी का भुगतान करेगा जो निगम द्वारा परिवहन व्यय और ऊपरी खर्चों के लिए होगा। हथकरघा अभिकरणों को विक्रय/सप्लाई किए गये सूत निगम द्वारा वास्तव में इन अभिकरणों के उत्पादन केन्द्रों/जिला स्तर के कार्यालयों तक पहुंचायेगा बशर्ते सूत की मांग कम से कम एक ट्रक की हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महिला संगठनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

1886 **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न देशों को राजस्थानी हथकरघा वस्त्रों एवं सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने की कोई योजना बनाई है ताकि इस क्षेत्र में और अधिक हथकरघा, दस्तकारी और स्व-रोजगार को बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त क्षेत्र के महिला संगठनों से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि विश्व के नवीनतम फैशन के अनुरूप वस्त्रों की गुणवत्ता, नई-नई विविधता, डिजाइन और उनकी तकनीक को बनाया रखा जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने केन्द्र से महिला स्व-रोजगार कार्यक्रम को संवर्धित करने और हथकरघा एवं दस्तकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने समस्त भारत से हथकरघा और सिले सिलाए परिधानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिसमें शामिल हैं : बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, शुल्क वापसी की स्वीकृति और उचित कोटा नीति उपाय। अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद परिधान विनिर्माण कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जोधपुर और जयपुर में अपैरल प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र की स्थापना कर रही है।

(ग) से (ङ) हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पों में प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों ने, उनके सामने दर्शाये गये, प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

1. एस०ई०डब्ल्यू०ए०, अहमदाबाद में पैच वर्क।

2. एस०ई०टी०यू०, जयपुर में दरी विनिर्माण।

सरकार ने एस०ई०डब्ल्यू०ए० के शिल्प विकास केन्द्र के लिए अनुदान सहायता पहले ही मंजूर कर दी है। यदि संबद्ध राज्य सरकारों के जरिये उपरोक्त संगठनों से हथकरघा क्षेत्र से सम्बन्धित विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित 'परियोजना पैकेज योजना' के अन्तर्गत उन पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक

1887. **श्री रूप चन्द मुरमु :**

श्री प्रफुल पटेल :

श्री नवल किशोर राय :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कांच, कालीन तथा ताला उद्योगों में बड़ी संख्या में बच्चे कार्य करते हैं तथा उन्हें उस उद्योग से सम्बन्धित जोखिमों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इसके अलावा, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत

दी गयी अनुसूची कतिपय जोखिमकारी व्यवसायों/कार्यों में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती है जिसमें कालीन बुनाई उद्योग भी शामिल है। इन उपबन्धों के प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकारों का है। उत्तर प्रदेश सरकार उपबन्धों के बेहतर प्रवर्तन के लिए कारंवाई कर रही है।

बाल श्रम को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए विधायी उपबन्धों के प्रभावी प्रवर्तन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 बनायी गयी है जिसमें बाल-श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए सामान्य कल्याण तथा विकास कार्यक्रम पर जोर देना, कामकाजी बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, कौशल विकास आदि जैसे कल्याणकारी योगदान की व्यवस्था करने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू किया जाना शामिल है। उत्तर प्रदेश में चार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कार्योन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

कर्नाटक में तटीय कोल टर्मिनल के लिए आस्ट्रेलिया का प्रस्ताव

1888. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई कंपनी ने कर्नाटक में तटीय कोल टर्मिनल हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार एक आस्ट्रेलियाई कंपनी ने कर्नाटक में तटीय विद्युत गृहों की, जोकि आयातित कोयले द्वारा चालित होंगे, स्थापित किए जाने की पेशकश के साथ कर्नाटक सरकार से सम्पर्क किया है। एक तटीय टर्मिनल को स्थापित करना, जिससे इस आयातित कोयले का रख-रखाव किया जा सके, इस पेशकश के एक अंश के रूप में है। आरम्भ में कंपनी ने इस परियोजना के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में निमंत्रण मांगा था। यह प्रस्ताव अभी बहुत ही प्रारंभ अवस्था में है तथा यहां तक कि प्रस्तावित विद्युत गृह और कोयला टर्मिनल की स्थिति को अभी राज्य सरकार द्वारा सुझाया जाना है। अतः इस स्थिति में इस परियोजना के बारे में निर्णय लिए जाने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख किया जाना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

आई०टी०आई० के लिए विश्व बैंक से सहायता

1889. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) तथा तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु दो बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दिये जाने की संभवना है; और

(घ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां। ये परियोजनाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना हैं जो रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और तकनीशियन शिक्षा परियोजना शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना का कार्यान्वयन अगस्त, 1989 में आरम्भ हुआ था और यह आठवीं योजना में जारी है। इस परियोजना के अन्तर्गत 19 योजनाएं हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाना तथा उच्च कौशल और हाई-टैक क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा उनमें विविधता लाना और गैर-परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करना है। इस परियोजना से प्रशिक्षण सुविधाओं, पद्धति/तकनीकों, कार्यशाला उपकरण एवं भवनों को आधुनिकीकृत करने हेतु राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को सहायता मिलेगी। इस परियोजना का क्षेत्र राष्ट्रीय है जिसमें ऐसे 28 राज्य/संघ शासित प्रदेश शामिल हैं जिनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं तथा इसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के समन्वयन और निर्देशन के अधीन वर्ष 1989-90 से लेकर 7 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त संशोधित ऋण का आवंटन एस०डी०आर० 1597 लाख (अनुमानत: 2200 लाख अमरीकी डालर के समतुल्य) है। विश्व बैंक ने तकनीकी (पॉलिटेक्निक) शिक्षा के संवर्धन के लिए जिसमें 16 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त 500 से अधिक पॉलिटेक्निक शामिल हैं, के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजना के लिए 1990-99 की अवधि के दौरान, दो चरणों में, 3733 लाख विशेष आदान अधिकार (एस०डी०आर) (अनुमानत: 5170 लाख अमरीकी डालर के समतुल्य) की ऋण सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है। पहले चरण का कार्य 5-12-1990 को तथा दूसरे चरण का कार्य 29-01-1992 को आरम्भ हो गया।

(ग) केन्द्र सरकार 7 वर्ष की अवधि के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के लिए 687.79 करोड़ प्रदान करेगी जिसमें विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाने वाली 65% राशि शामिल है। तकनीशियन शिक्षा परियोजना मूलत: एक राज्य क्षेत्र की परियोजना है और सम्पूर्ण परियोजना लागत आरम्भ में संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनके प्लान आवंटनों/वार्षिक बजट में से प्रदान की जाती है और बाद में जिन की प्रतिपूर्ति का दावा अनुमोदित परियोजना के कार्यकलापों पर खर्च किए गए वास्तविक व्यय के बारे में सहमत अनुपात में बैंक से किया जाता है।

(घ) जबकि व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना 31 मार्च, 1996 तक पूरी होने की आशा है, तकनीशियन शिक्षा परियोजना की अवधि 7 वर्ष है।

[अनुवाद]

एच०एम०टी० लिमिटेड द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

1890. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग, मुम्बई ने एच०एम०टी० लिमिटेड द्वारा सीमा शुल्क के कथित अपवंचन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) मुम्बई सीमा शुल्क ने विगत समय में मैसर्स एच०एम०टी० लिमिटेड द्वारा सीमा शुल्क अपवंचन किए जाने के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

बैटरी चालित बसें

1891. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में विद्युत चालित बसें शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के पुराने शहर में ऐसी कितनी बसें चल रही हैं और किन-किन रूटों पर ये बसें चल रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पुराने शहर के क्षेत्र में और अधिक विद्युत चालित बसें शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राजधानी में अधिकांश विद्युत चालित बसों को बंद कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी ने राजधानी में बैटरी बसें शुरू की हैं।

(ख) दिल्ली नगर क्षेत्र के निम्नलिखित रूटों पर 32 बसें चल रही हैं।

(1) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा से फतेहपुरी

(2) लाल किले से फतेहपुरी

(3) पहाड़गंज से बाराटूटी

(4) फतेहपुरी से कनॉट प्लेस

(5) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा से कनॉट प्लेस

(ग) जी, हां।

(घ) किसी निर्धारित तारीख के बारे में नहीं बताया जा सकता।

(ङ) जी, हां।

(च) अक्सर पेश आने वाली चॉपर कंट्रोलर समस्याओं के कारण बैटरी चालित बसों के मौजूदा बेड़े का प्रचालन प्रभावित हुआ है।

बुनकरों के लिए कल्याण योजना

1892. **श्री एम०जी० रेड्डी :**

श्री बारे लाल जाटव :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री रूप चन्द मुरमु :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार में हथकरघा बुनकर घोर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है अथवा हथकरघा बुनकरों के लिए कोई नई योजना आरम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बुनकरों के कल्याण तथा उत्पादन में, विशेषरूप से जनता कपड़े के उत्पादन में लगे बुनकरों को नियमित और समुचित मजदूरी सुनिश्चित करने पर बल दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है लेकिन पूरे देश के हथकरघा बुनकर जिसमें बिहार के बुनकर भी शामिल हैं सूत के मूल्यों में निरन्तर उतार-चढ़ाव और तैयार माल की कम निकासी के कारण प्रभावित हुए हैं।

(ग) भारत सरकार के पास विस्तृत आंकड़ा आधार है और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गई हैं/अथवा उनका संशोधन किया गया है।

(घ) कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण के लिए अधिक सबसिडी सहायता देने हेतु वर्ष 1991-92 से इस योजना में संशोधन किया गया है। वर्ष 1992-93 से समूह बीमा योजना नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसमें लाभान्वित हथकरघा बुनकर को 10 हजार रुपए तक के बीमे की सुविधा दी गई है।

(ङ) जी, हां ।

(च) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत कड़े नियम बनाए गए हैं जिसमें प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि बुनकरों को नियमित रूप से उचित भत्ते दिए जाएं। इस पहलू को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को समय-समय पर भौतिक निरीक्षण भी करना होगा ।

स्कूटर की खरीद हेतु अग्रिम धनराशि

1893. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री बी०एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने के लिये दिए जा रहे अग्रिम की राशि स्कूटर की वास्तविक लागत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूटर की खरीद हेतु दूसरी बार दी जाने वाली राशि पहले से और कम कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का स्कूटर की खरीद हेतु हर बार वास्तविक लागत के बराबर राशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के तहत् 1500 रुपए तथा उससे अधिक प्रतिमाह मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी मोटर साईकल/स्कूटर खरीदने के लिए पेशगी की मंजूरी के हकदार होते हैं। पेशगी की राशि 13,000 रुपए अथवा 8 महीनों का मूल वेतन अथवा मोटर साईकल/स्कूटर का पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी सबसे कम हो, होती है। सरकारी कर्मचारियों के पास यह विकल्प भी होता है कि वे स्कूटर/मोटर साईकल के लिए ली गई अग्रिम राशि तथा वास्तविक लागत के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में से 8000 रुपए तक की राशि पेशगी के रूप में ले सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं। संसाधनों की कमियों को देखते हुए स्कूटर/मोटर साईकल अग्रिम की राशि को बढ़ाना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) दूसरी बार तथा उसके पश्चात् के अवसरों पर स्कूटर/मोटर साईकल अग्रिम की राशि 10,000 रुपए अथवा 6 महीनों का मूल वेतन अथवा स्कूटर का पूर्वानुमानित मूल्य, इनमें से जो भी सबसे कम हो, तक सीमित रखी जाती है क्योंकि पुराने स्कूटर को बेचकर भी कर्मचारी को राशि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग स्कूटर/मोटर साईकल खरीदने के लिए किया जा सकता है ।

(ङ) ऊपर (क) से (घ) तक की स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

"फेरा" तथा कोफेपोसा में पकड़े गए व्यक्ति

1894 श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1992 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और विदेशी मुद्रा अभिरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधि अधिनियम 1974 के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों के इन लोगों से जुड़े होने के आरोप हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निरुद्ध रखे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

कलैण्डर वर्ष	विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निरुद्ध रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1991	336	751
1992 (31 अक्टूबर तक)	114	360

(ख से घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटसन उद्योग को सुविधाएं

1895. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम् : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पटसन उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटसन आधारित उद्योग शुरू करने के लिए नये उद्यमियों को प्रोत्साहन अथवा राजसहायता सुविधाएं देने की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार देश के विभिन्न भागों में विविधीकृत पटसन आधारित उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं वित्तीय, राजकोषीय तथा विपणन सहायता प्रदान करना तथा अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों का वित्त पोषण करना ताकि उपभोक्ता की अभिरुचियों के अनुरूप नई श्रृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास किया जा सके।

जीवन बीमा निगम में पेंशन योजना

1896. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने यहां पेंशन योजना शुरू करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में संस्थागत ऋण का वितरण

1897. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में संस्थागत ऋण का वितरण गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वितरित किए गए संस्थागत ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में उड़ीसा में संस्थागत ऋण संवितरण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91	1991-92
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई)	111.4	129.5	137.5
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई)	19.6	62.6	42.3

	1989-90	1990-91	1991-92
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०)	21.2	37.1	67.8
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक* (एस०आई०डी०बी०आई०)	—	45.6	44.8
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी०आई०)	0.9	1.2	शून्य

*भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अप्रैल, 1990 में स्थापित किया गया था और लघु उद्योग पोर्टफोलियो को उसी तारीख से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भारतीय लघु विकास बैंक को अन्तरित किया गया था।

[अनुवाद]

मुद्रा स्फीति दर

1899. श्री प्रफुल पटेल :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री उत्तमराव देवराव पाटील :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री शरद दिघे :

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री राम सागर :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री अमल दत्त :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री रूप चन्द पाल :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री तरित वरण तोपदार :

श्री पंकज चौधरी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मोहन सिंह देवरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान अंक से अंक के आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही;

(ख) मुद्रास्फीति पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि तथा रसायन उर्वरकों से राजसहायता समाप्त करने का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जुलाई, 1992 से बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दरें नीचे दी गई हैं :—

थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रा-स्फीति की साप्ताहिक दरें

सप्ताह के अन्त में		मुद्रा-स्फीति की दर (प्रतिशत)
1		2
4-7-92	—	12.3
11-7-92	—	12.2
18-7-92	—	11.9
25-7-92	—	10.4
1-8-92		10.0

1		2
8-8-92	—	9.7
15-8-92	—	9.3
22-8-92	—	8.6
29-8-92	—	9.2
5-9-92	—	9.1
12-9-92	—	9.0
19-9-92	—	10.2
26-9-92	—	9.2 (अ)
3-10-92	—	9.3 (अ)
10-10-92	—	9.3 (अ)
17-10-92	—	9.8 (अ)
24-10-92	—	10.0 (अ)
31-10-92	—	9.8 (अ)
7-11-92	—	9.1 (अ)
14-11-92	—	8.8 (अ)

(अ)=अनंतिम ।

(ख) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों पर आर्थिक सहायता को वापस लिए जाने का थोक मूल्य सूचकांक पर क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत प्रभाव पड़ा । प्रशासित मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि लगभग एक प्रतिशत थी ।

(ग) मुद्रास्फीति की दर जो 4 अप्रैल, 1992 को 13.8 प्रतिशत थी, वह 14 नवम्बर, 1992 को गिरकर 8.8 प्रतिशत रह गई ।

(घ) सरकार मुद्रा-स्फीति की दर को नीचे लाने के लिए विभिन्न अवस्फीतिकारी राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का अनुसरण कर रही है और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए गेहूं, चावल और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयातों का प्रबंध कर रही है ।

[हिन्दी]

डी०टी०सी० के पास

1900. श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीन लाइन, रैड लाइन और व्हाइट लाइन और एक्सप्रेस बसों तथा एस०टी०ए० के अन्तर्गत चलने वाली बसों में डी०टी०सी० के आल रूट/जनरल पासों तथा "जैसे चाहो यात्रा करो" टिकटों को मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रीन लाइन सेवाएं उन यात्रियों के लिए शुरू की गई थी जो सामान्य किराए से थोड़ा अधिक किराया दे सकते हैं। इस सेवा के अन्तर्गत ऐसे यात्रियों को चार रुपए प्रति प्रति ट्रिप के हिसाब से आरामदायक और तीव्रगामी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों को छोड़कर आल रूट/सामान्य पास तथा "मनचाही यात्रा करें" टिकट मान्य नहीं हैं। रेड लाइन, व्हाइट लाइन एक्सप्रेस तथा अन्य बसों का प्रचालन रा०प०प्रा० के लाइसेंस के तहत निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है जबकि आल रूट/सामान्य पास इत्यादि दि०प०नि० द्वारा जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विशाखापटनम और तलचर विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की आपूर्ति

1901. **श्री रामकृष्ण कोनाला** :

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापटनम ताप विद्युत केन्द्र के लिए उड़ीसा के तलचर कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) इस ताप विद्युत केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित ताप संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति, दूर-दूर फैली खानों के विकास तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में अमरीका की कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस संबंध में प्रस्तावित विशाखापटनम तापीय विद्युत गृह के लिए कोयले के संयोजन पर तलचर कोयला क्षेत्र से सहमति हो गई है। इस विद्युत गृह के लिए कोयले की कुल आवश्यकताएं लगभग 3.54 मि० टन होने की संभावना है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार मिशन कंपनी (अमेरिका), अशोक लेलेंड, भारत और विशाखापटनम (1000 मे०वा०) तापीय विद्युत गृह के लिए आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

1902. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आज तक देश पर विदेशी मुद्रा में कितना विदेशी ऋण है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार ऋणों के भुगतान के लिए कितने प्रतिशत विदेशी ऋणों का उपयोग किया गया तथा ऋणों के भुगतान पर निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा की आय का कितने प्रतिशत खर्च किया गया;

(ग) सरकार खर्च को कम करने के लिए किन प्राथमिकताओं और क्षेत्रों को चुना गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा दी जा रही राज-सहायता को भी कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या स्थिति होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकारी लेखे पर विदेशी ऋण में 1991-92 के दौरान डालर की शर्तों के अनुसार 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सितम्बर, 1992 की समाप्ति पर सरकारी लेखे पर उस तारीख का प्रचलित विनिमय दर पर 373540 लाख अमरीकी डालर, 112023 करोड़ रुपए के बराबर बकाया होने का अनुमान है।

(ख) विदेशी ऋणों का पुन: भुगतान प्रत्येक ऋण की शर्तों और निबंधनों के अनुसार निर्यात से होने वाली प्राप्तियों और अदृश्य आयों सहित देश के विदेशी मुद्रा में होने वाले अन्त: प्रवाह में से किया जा रहा है। सरकारी लेखा पर विदेशी ऋणों के मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान 1989-90, 1991-91 और 1991-92 में क्रमश: 12.4 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत था।

(ग) व्यय नीति की दिशा में संदर्शन महत्व इस बात का है कि राजकोषीय सुधार लाने के प्रयास में सरकारी खर्च का कोई भी क्षेत्र संवीक्षा से छूट नहीं जाना चाहिए। सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने के लिए अनेक आर्थिक अनुदेश जारी किए हैं। यात्रा ईंधन, टेलीफोनों, साज सज्जा, सेमिनारों, प्रकाशनों आदि पर खर्चों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की पुनरीक्षा भी की गई है ताकि निम्न प्राथमिकता वाली योजनाओं को निकाल दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण और ब्याज की वापसी अदायगी जैसी बजट प्राप्तियों को वसूल किया जाए और बजट पर आर्थिक सहायताओं के भार में वृद्धि न हो, जहां भी आवश्यक हुआ, प्रशासित मूल्यों में भी

समायोजन किया जाता है। जैसाकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख है, सभी मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किफायत बरतने का हरसंभव प्रयास किया जाए, ताकि बजट अनुमानों में किए गए प्रावधान अधिक न हो पाए। सभी मंत्रालयों से अनुमोदित बजट प्रावधानों के भीतर अतिरिक्त महंगाई भत्ते के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को समाविष्ट करने की आशा की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि राज आर्थिक सहायताओं पर होने वाले खर्च को संभव न्यूनतम स्तर पर रखा जाए ताकि राजकोष पर भार को घटाया जा सके। इस दिशा में, सी०सी०एम० और निर्यात ऋण योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। उर्वरकों के मूल्य बढ़ाए गए हैं और पोटाश तथा फास्फेट उर्वरकों से नियंत्रण हटा लिया गया है।

[अनुवाद]

आई०एल०-76 विमान परियोजना

1903. **श्री लाल बहादुर रावल :**

श्री विजय नवल पाटील :

श्री कमल चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में किसी स्थान के लिए आई० एल०-76 (गजराज) भारवाहक विमान परियोजना नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को महाराष्ट्र से बाहर अंतरित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो परियोजना के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) आई०एल०-76 परिवहन वायुयानों पर प्रशिक्षण दिए जाने के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध करने और सामान्य रूप से भारतीय वायुसेना के वायुयानों के लिए पारगमन सुविधाओं की देख-भाल और रख-रखाव के निमित्त नागपुर, महाराष्ट्र में एक यूनिट स्थापित की गई है। ये सुविधाएं वहां से कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सड़कों पर भीड़भाड़

1904. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

श्री कमल चौधरी :

श्री विजय एन० पाटील :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कों के आधारभूत ढांचे तथा मोटर वाहनों की संख्या में काफी असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो गत एक दशक में मोटर वाहनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या मोटर वाहनों की प्रयोग में आने वाली सड़क की चौड़ाई उचित अनुपात में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दशक में वाहनों की संख्या में 13,70,414 वृद्धि हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) निधियों की उपलब्धता तथा विभिन्न सड़क खंडों और चौराहों की आपसी प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से सड़कों को चौड़ा करके तथा व्यस्त चौराहों पर ग्रेड सैपरटर्स की व्यवस्था करके मौजूद सड़क नैटवर्क की क्षमता में सुधार किया जा रहा है। इस दिशा में दिल्ली प्रशासन ने भीतरी रिंग रोड़ के सुधार के लिए तथा फ्लाई ओवरों के निर्माण हेतु प्राथमिकताओं के लिए एक "ब्लू-प्रिंट" तैयार किया है।

सियाचिन का मसला

1905. **श्री पी०एम सईद** :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री शरद दिघे :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती विभू कुमारी देवी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

डा० ए०के० पटेल :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री के०पी० सिंह देव :

डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री साईमन मरान्डी :

श्री मुमताज अंसारी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री ललित उरांव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच बातचीत हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के मुख्य विषय क्या थे और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सियाचिन के मसले के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच 2 नवम्बर से 4 नवम्बर, 1992 तक सियाचिन के मुद्दों पर बातचीत का छठा दौर हुआ था। इस बातचीत के दौरान, सियाचिन मसले के व्यापक समाधान के लिए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह सहमति व्यक्त की गई कि बातचीत का अगला दौर जल्दी ही इस्लामाबाद में शुरू किया जाएगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

1906. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) ये शाखाएं किन-किन क्षेत्रों में खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के तहत, महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास ग्रामीण केन्द्रों के लिए 35 लाइसेंस लंबित हैं। इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31-3-1993 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, महानगरीय केन्द्रों के लिए 10 लाइसेंस लंबित हैं। केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के तहत, जनवरी, 1992 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 14 ग्रामीण और 4 अर्धशहरी केन्द्र आबंटित किए गए हैं। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर केन्द्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1991 में 181 केन्द्र आबंटित किए थे। इन केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1992 में शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदार बना दिया है। बैंक अब अर्धशहरी, शहरी, महानगरीय और पत्तन नगर केन्द्रों में अपनी पसंद के स्थानों पर शाखाएं खोल सकते हैं बशर्ते कि, वे विशिष्ट शर्तों का अनुपालन कर रहे हों और पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों तथा विवेकपूर्ण लेखा मानकों को पूरा करते हों।

विवरण-I

1985-90 की लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास ग्रामीण और महानगरीय केन्द्रों के लिए लंबित लाइसेंसों का ब्यौरा देते हुए विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामीण केन्द्रों के लिए लम्बित लाइसेंसों की संख्या
1.	अकोला	2
2.	अमरावती	3
3.	भाण्डारा	3
4.	बीड	1
5.	बुलधाना	1
6.	चन्द्रापुर	7
7.	गढ़चिरोली	12
8.	परभानी	1
9.	थाणे	5
	जोड़ :	35

क्रम सं०	नगर का नाम	महानगरीय केन्द्रों के लिए लम्बित लाइसेंसों की संख्या
1.	वृहत्त बम्बई	7
2.	नागपुर	2
3.	पुणे	1
	जोड़ :	10

विवरण-II

वर्तमान लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी/महानगरीय केन्द्रों का ब्यौरा देते हुए विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामीण केन्द्र	अर्ध-शहरी केन्द्र
1.	औरंगाबाद	1	—
2.	धुले	1	—
3.	कोल्हापुर	3	—
4.	नासिक	1	1
5.	पुणे	1	1
6.	रायढ़	1	—
7.	रत्नागिरी	1	—
8.	सतारा	—	1
9.	शोलापुर	3	—
10.	यवतमाल	2	1
	जोड़ :	14	4

क्रम सं०	जिले का नाम	शहरी/महानगरीय केन्द्र	आबंटित केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	अहमदनगर	1
2.	अकोला	अकोला	2
3.	अमरावती	अमरावती	3
4.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	7
5.	भण्डारा	गोंडिया	3
6.	चन्द्रापुर	चन्द्रापुर	4
7.	धुले	धुले	3

1	2	3	4
8.	वृहत्त बम्बई	वृहत्त बम्बई	39
9.	जलगांव	भुसावल	3
10.	जलगांव	जलगांव	2
11.	जालना	जालना	3
12.	कोल्हापुर	इचालकरंजी	2
13.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	5
14.	लाटूर	लाटूर	4
15.	नागपुर	नागपुर	13
16.	नांदेड	नांदेड	3
17.	नासिक	मालेगांव	4
18.	नासिक	नासिक	7
19.	परभानी	परभानी	3
20.	पुणे	पिंपरी चिंचवाड	13
21.	पुणे	पुणे	20
22.	सांगली	सांगली	3
23.	शोलापुर	शोलापुर	3
24.	थाणे	भिवांडी	2
25.	थाणे	कल्याण	5
26.	थाणे	थाणे	5
27.	थाणे	उल्हासनगर	3
28.	न्यू बम्बई	सीबीडी बालापुर	1
29.	न्यू बम्बई	एपीएमसी तुर्भे	9
30.	न्यू बम्बई	ऐरोली	2
31.	न्यू बम्बई	नेरुल	2
32.	न्यू बम्बई	सीबीडी कोन्कन भवन	1
33.	न्यू बम्बई	न्यू पनवेल	1
34.	न्यू बम्बई	वाशी	1
		जोड़ :	181

केन्द्रीय मजदूर संघों की बैठक

1907. **श्री रवि राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 नवम्बर, 1992 को केन्द्रीय मजदूर संघों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सरकार ने 14 नवंबर, 1992 को नई दिल्ली में कोयला तथा श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के प्रतिनिधियों और नियोजकों के संगठनों की एक बैठक बुलायी थी जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा। यह बैठक बाद में 23 नवंबर, 1992 को आयोजित की गयी थी जिसमें प्रस्तावित नये औद्योगिक संबंध कानून पर चर्चा की गई। व्यवसाय संघ तथा नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों को नये कानून को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन

1908. **श्री देवी बक्स सिंह** :

डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मार्गों के रख-रखाव तथा विकास के लिए आबंटन की राशि में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) 30-11-92 की स्थिति के अनुसार राज्यों से प्राप्त संशोधित बजट प्राक्कलनों के अनुसार 12 राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए तथा 8 राज्यों ने उनके रख-रखाव के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान अतिरिक्त निधियों की मांग की है। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के अल्प आबंटन के कारण राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित अतिरिक्त मांगों को पूरा करना संभव नहीं है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा रुग्ण उद्योगों को सहायता

1909. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने बिहार और उड़ीसा के रुग्ण उद्योगों को कितनी सहायता प्रदान की और चालू वर्ष के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उसने उड़ीसा में रुग्ण औद्योगिक एककों को कोई सहायता नहीं दी है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में रुग्ण औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता को नीचे दर्शाया गया है :

(अवधि : अप्रैल-मार्च)
(करोड़ रुपए)

वर्ष	मंजूर	संवितरित
1989-90	2.11	0.10
1990-91	1.19	3.79
1991-92	2.39	3.54

मंजूर और संवितरित सहायता का उद्योगवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

	1999-90		1990-91		1991-92	
	*मं	सं	मं	सं	मं	सं
कागज उत्पाद	0.72	—	—	0.50	1.29	—
रसायन और औषधि	0.90	—	—	0.38	—	—
मशीनरी	—	—	1.19	—	—	0.06
विद्युत मशीनरी	—	—	—	—	1.10	0.78
सीमेंट	0.45	—	—	2.75	—	2.70
अन्य	0.14	0.10	—	0.16	—	—
जोड़ :	2.11	0.10	1.19	3.79	2.39	3.54

*मं—मंजूर सं—संवितरण

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने सूचित किया है कि तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन के बाद जिन रुग्ण एककों को अपेक्षाकृत अर्थक्षम पाया गया उन पर मामला दर मामला आधार पर सहायता के लिए विचार किया गया।

[अनुवाद]

जनता कपड़े का उत्पादन

1910. **श्री दिलीपभाई संघानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़े का राज्यवार आबंटन राज्य में कार्यरत हथकरघों की संख्या एवं उनकी पिछली उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष जनता कपड़े का राज्यवार कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में जनता कपड़े का आबटन किया गया तथा राज्यवार 1992-93 के लिये इसके आबंटन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े का लक्ष्य व उपलब्धि

(आंकड़े मिलियन वर्ग मीटर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	61.00	56.65	65.00	59.26	52.00*	55.09	52.00
2.	असम	30.70	34.45	33.00	41.36	30.00	31.08	35.00
3.	बिहार	35.03	11.28	42.16	12.00	24.00	11.64	21.50
4.	गुजरात	15.40	11.75	15.40	12.33	13.00	7.61	13.00
5.	हरियाणा	0.45	—	1.00	0.01	0.50	0.003	0.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1.00	—	1.00	—	0.50	—	0.50
7.	जम्मू व कश्मीर	2.00	0.81	2.00	0.08	1.00	0.72	0.50
8.	कर्नाटक	40.18	35.29	40.00	40.25	33.00	32.35	33.00
9.	केरल	3.00	0.20	3.00	0.17	1.50	0.04	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मध्य प्रदेश	20.00	15.85	20.00	16.42	18.00	17.63	18.00
11.	महाराष्ट्र	64.34	53.74	64.34	34.43	40.00	37.84	34.50
12.	मणीपुर	1.40	0.01	1.40	0.02	0.50	0.01	0.50
13.	उड़ीसा	37.20	26.07	33.00	31.62	27.00	26.74	30.00
14.	पंजाब	2.00	0.38	2.00	0.50	2.00	1.73	1.50
15.	राजस्थान	10.00	7.91	10.00	9.44	9.00	9.01	9.50
16.	तमिलनाडु	75.00	64.27	65.00	30.77	45.00	31.62	40.00
17.	त्रिपुरा	4.00	3.20	4.00	3.73	2.50	3.59	4.00
18.	उत्तर प्रदेश	132.00	120.62	132.00	119.14	100.00	97.82	100.00
19.	पश्चिमी बंगाल	65.00	61.27	65.00	65.69	50.00	38.16	45.00
20.	पांडिचेरीβ	0.30	0.05	0.50	0.03	0.50	0.002	0.50
	कुल :	600.00	503.80	600.00	477.15	450.00	402.685	450.00ω

*आंध्र प्रदेश को 5 मिलियन वर्ग मीटर अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया।

βपांडिचेरी ने जनता कपड़े का उत्पादन बंद कर दिया।

ω10 मिलियन मीटर रिजर्व रखा।

लघु क्षेत्र की इकाइयों को बैंक ऋण

1911. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत, जिनमें लघु क्षेत्र उद्योग भी शामिल हैं वित्त पोषण हेतु ऋण देने पर पाबंदी लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का हाल ही में ब्याज की दरों में की गई वृद्धि को देखते हुए लघु इकाइयों, विशेषरूप से बहुत लघु और ग्रामीण उद्योगों को कम ब्याज दर/रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) लघु क्षेत्र की इकाइयों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मई, 1991 में उसके द्वारा शुरू किये गये ऋण प्रतिबंध उपाय 9 मई, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 के बीच की सीमित अवधि के लिए थे और सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की कुल कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) सीमाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं पर ही लागू किए गए थे। निधियों की कमी के कारण संभवतः कुछ बैंकों ने अपने समग्र ऋणों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया हो जिससे लघु क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर (फरवरी 1991 और नवम्बर 1992) बैंकों से यह कहता रहा है कि किसी भी हालत में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए।

(घ) 22 सितम्बर, 1990 से वर्ग-विशेष, क्षेत्र-विशेष और प्रयोजन-विशेष की ब्याज दरें वापस ले ली गई थीं और ऋण के आकार के आधार पर ब्याज की दर निर्धारित करने का एक ही मानदंड आरम्भ किया गया था। अलबत्ता, लघु क्षेत्र के उद्योग जिनमें अन्य श्रेणियों के साथ-साथ अति लघु एवं ग्राम तथा कुटीर उद्योग शामिल है, 25,000/- रुपए से अधिक के सावधि ऋणों पर रियायती ब्याज दर का लाभ प्राप्त करते हैं जो निम्नानुसार है :

ऋण सीमा का आकार	ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक	
	लघु उद्योग, कृषि और दो वाहनों वाले परिवहन चालक	अन्य श्रेणियों के उधारकर्ता
25,000 रुपए से अधिक और 2 लाख रु० तक	15.0	16.5
2 लाख रुपए से अधिक	15.0 (न्यूनतम)	18.0 (न्यूनतम)

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जमाराशियों की दरों में तदनुरूप कमी किए बिना अग्रिमों की ब्याज दरों को कम करना संभव नहीं है अन्यथा बैंकों की अर्थक्षमता कम हो जाएगी। जमाराशियों की ब्याज दरों में किसी भी प्रकार की कमी करने से बैंकों द्वारा किए जाने वाला जमा संग्रहण बुरी तरह प्रभावित होगा। अतः बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए उधार दर ढांचे में पहले से ही की गई व्यवस्था की तुलना मे ब्याज दरों में और अधिक रियायत प्रदान करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

पायलट विहीन विमान का परीक्षण

1912. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकसित किये गए पायलट विहीन विमान "लक्ष्य" का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विमान की मूलभूत विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस विमान को सेना में कब से प्रयोग किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में विकसित किए गए पायलट रहित लक्ष्यभेदी विमान "लक्ष्य" के अनेक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) लक्ष्य सेनाओं द्वारा आकाश से आकाश में और पृथ्वी से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों और तोप से गोलाबारी करने के अभ्यास के लिए एक ऐसा पायलट रहित सबसॉनिक लक्ष्यभेदी वायुयान है जिसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) इस वायुयान का प्रयोक्ता परीक्षण सन् 1993 में किए जाने की योजना है। परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही इसे सेनाओं में शामिल किए जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

बाल श्रमिक

1913. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) इसे लागू करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

बाल श्रम से संबंधित 16 सदस्यीय गुरुपदस्वामी समिति का गठन बालकों के रोजगार की प्रकृति के कारणों और उस रोजगार से उत्पन्न समस्याओं की विस्तार से जांच करने के लिए 1979 में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की स्वीकार की गयी सिफारिशों के अनुसरण में उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं :—

(1) श्रम मंत्रालय में एक बाल श्रम सैल का गठन किया गया है।

(2) बाल श्रम के उत्तरोतर उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

(i) कतिपय विशिष्ट व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया गया है;

(ii) उन नियोजनों, जिसमें बालकों के कार्य करने को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है में बालकों के कार्य/कार्य परिस्थिति की दशाओं को विनियमित करना;

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में "बालक" की परिभाषा (वह व्यक्ति जिसमें 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) में एक रूपता लाना;

(iv) किसी भी व्यक्ति को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराध के बारे में शिकायत दायर करने का अधिकार प्रदान करना; और

(v) बाल श्रम से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दांडिक प्रावधान किए गए हैं। ये शास्तियां कारखाना अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1950 मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में लागू होंगी।

(4) भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत बाल और महिला कर्मकारों से संबंधित कानूनों के बेहतर कार्यान्वियन के लिए राज्यों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है।

(5) कामकाजी बालकों की आवश्यकताओं के संबंध में व्यवसाय संघों और नियोजक संगठनों से उनके सहयोग की छानबीन के लिए बातचीत शुरू की गई है।

(6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर कहा जाता है।

(7) शिक्षा विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से अनेक अनौपचारिक केन्द्रों की स्थापना की है।

(8) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति-1987 बनाते समय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया।

(9) बाल श्रमिकों के लाभार्थ कार्योन्मुख परियोजना आरम्भ करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(10) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची में जिनमें बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, शामिल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिये बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना

1914. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री आर० जीवरत्नम :

श्री सुबास चन्द्र नायक :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत श्रमिकों के लिए जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूह बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कितनी लाभकारी सिद्ध होगी; और

(घ) इसमें श्रमिकों को बीमा क़िस्त के रूप में कितनी भागीदारी करनी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के विद्युत करघा श्रमिक के लिए, जिनकी औसत मासिक आय 1200 रु० प्रति माह से कम नहीं, है भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सामूहिक

बचत-एवं-बीमा योजना भारत सरकार (वस्त्र मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित कर दी गई है यह योजना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नाडल अभिकरणों द्वारा प्रशासित की जाएगी। इस योजना में सामान्य मृत्यु पर 10,000 रु० और दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 20,000 रु० राशि के जीवन बीमा कवच का प्रावधान है, जोकि इस योजना के मृतक सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय है। प्रारम्भ में 120 रुपए की दर से प्रति सदस्य वार्षिक अंशदान तय किया गया है, जिसका केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और इस योजना के अन्तर्गत शामिल विद्युत-करघा श्रमिकों द्वारा बराबर-बराबर अंशदान किया जाएगा। उक्त अंशदान में से 10,000 रुपए की मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम के रूप में प्रति सदस्य 60 रु० की समुचित राशि ली जाएगी और 60 वर्ष की उत्तरजीविता या इससे पहले सेवा से अलग हो जाने पर बचत लाभ प्रदान करने के लिए शेष राशि 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर संचित कर दी जाएगी।

इसके अलावा, समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों से संबंधित विद्युत-करघा श्रमिकों को शामिल करने के लिए एक सामूहिक बीमा योजना भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा हाल में स्वीकृत की गई है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के संबंध में बीमित राशि और प्रति सदस्य प्रति हजार पर वार्षिक प्रीमियम क्रमशः 3000 रु० और 10 रुपए से अधिक नहीं होगा। इस प्रीमियम पर जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित समाज सुरक्षा कोष से 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अरुणाचल प्रदेश में सड़कों की हालत

1915. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में रोइन-एनिनी सड़क तथा तेजु-वालोंग सड़क की हालत सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने डिबन घाटी की जिला मुख्यालय, एनिनी से आगे सड़क के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) रोइंग से हुनली तक की श्रेणी-9 की सड़क पर तारकोल बिछाकर और हुनली से एनिनी तक की श्रेणी-5 की सड़क को तारकोल बिछाए बिना पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी परिषद ने हुनली से एनिनी तक की सड़क पर तारकोल बिछाने के लिए धन उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है। सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य तभी किया जाएगा जबकि सड़क को ठीक कर दिया जाएगा, पुलों आदि को बेहतर बनाया जाएगा और यह सब धन की उपलब्धता

पर निर्भर करता है। तेमू से वालोंग तक श्रेणी-9 की तारकोल वाली सड़क मार्च, 93 तक पूरा किये जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस सड़क को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

1916. प्रभूदयाल कठेरिया :

प्रो० रीता वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आयकर कार्यालयों में आयकर विभाग के सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है, आरम्भ में केवल यह दिल्ली तथा बम्बई में किया जाएगा जिस पर 16.66 करोड़ रु० की कुल लागत आने का अनुमान है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निवेश

1917. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में राष्ट्रीकृत बैंकों से 60 प्रतिशत धनराशि बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए हैं जिनमें यह कहा गया हो कि वे अपनी 60% जमाराशियों को बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश करें। परन्तु, विभिन्न राज्यों में बैंक ऋण के संवितरण में क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या की जानकारी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को है। बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधनों को अधिकांश रूप से स्थानीय संवितरण के लिए उपयोग किए जाने के बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष में ऋण संवितरण उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, उद्यम-वृत्ति, कच्चे माल और अन्य आधारभूत

सुविधाओं की उपलब्धता, निवेश के अवसर और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे ऋण संवितरण में विभिन्न राज्यों के बीच विस्तृत क्षेत्रीय असमानताओं को कम करें और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

ब्यूरो ऑफ फ्राड्स गठित करने का प्रस्ताव

1918. **श्री मोहन रावले :**

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के एक दल ने बैंक धोखाधड़ी से निपटने के तरीकों का अध्ययन करने हेतु स्काटलैण्ड यार्ड (यू०के०) का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुरूप ब्यूरो ऑफ फ्राड्स गठित करने के प्रस्ताव का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सिफारिशें अभी तक सरकार को नहीं भेजी है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक

1919. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गत दो वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए अब तक कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के जिले के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने की स्वीकृति दी गयी है तथा ये कब तक खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत ग्रामीण केन्द्र खोलने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक को जनवरी, 1992 तक 333 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखा लाइसेंसिंग के उस समय विद्यमान मानदण्डों के अनुसार 18 ग्रामीण केन्द्रों का

आबंटन किया। फरवरी-नवम्बर, 1992 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 107 आवेदन प्राप्त हुए थे, इन आवेदनों के संबंध में लाइसेंसों के आबंटन को भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भविष्य में होने वाले गठन का निर्णय होने तक स्थगित रखा है।

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपाय के रूप में फरवरी, 1991 में बैंक आफ बड़ौदा को रामपुर जिले के सैंदनगर खण्ड में लालपुर ग्रामीण केन्द्र आबंटित किया गया था। वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को रामपुर जिले में ग्रामीण शाखा खोलने का कोई आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मार्फत प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक अर्ध शहरी केन्द्रों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को एक निर्दिष्ट संख्या में अर्ध शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं जिनमें से अपनी पसन्द के केन्द्र पर शाखाएं खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रामपुर जिले में कोई शहरी केन्द्र आबंटित नहीं किया है।

विदेशी ऋण पर द्विपक्षीय समझौता

1920. **श्री अमल दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से किसी प्रकार की विदेशी सहायता अथवा सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय/आर्थिक अथवा अन्य गतिविधियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह धनराशि उपलब्ध होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध सहायता से संबंधी सूचना एक विवरण में संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध क्षेत्रवार/ गतिविधिवार विदेशी सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्र/गतिविधि	उपयोग के लिए उपलब्ध राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	कृषि क्षेत्र	1753.39
2.	ऊर्जा क्षेत्र	365.36
3.	ऊर्जा क्षेत्र—कोयला	1771.78
4.	ऊर्जा क्षेत्र—विद्युत	30347.31

1	2	3
5.	ऊर्जा क्षेत्र—तेल	371.71
6.	उर्वरक क्षेत्र	521.38
7.	उद्योग क्षेत्र	2239.64
8.	आधारभूत क्षेत्र	54.79
9.	आधारभूत क्षेत्र—रेलवे	291.80
10.	आधारभूत क्षेत्र—सड़क	121.09
11.	आधारभूत क्षेत्र—दूर-संचार	93.44
12.	आधारभूत क्षेत्र—पत्तन	165.27
13.	आधारभूत क्षेत्र—सामान्य	220.79
14.	सिंचाई क्षेत्र	806.41
15.	सामाजिक क्षेत्र	1768.47
16.	नगर विकास क्षेत्र	810.35
17.	ढांचागत समायोजना क्षेत्र	30.43
18.	अन्य	1802.87
	जोड़ :	43536.29

[हिन्दी]

राजस्थान में सीमा सड़कें

1921. श्री मनफूल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1992 में राजस्थान में प्रत्येक सीमा सड़क के निर्माण तथा रखरखाव पर खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में सीमा सड़कों के निर्माण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जो खर्च हुआ उसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है और वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय परिव्यय विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सीमा सड़क विकास बोर्ड का बजट योजनेतर बजट है। सीमा सड़कों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन प्रतिवर्ष संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1992-93 के लिए 16.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

विवरण-I

राजस्थान में सीमा-सड़कों के बारे में वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 तक हुए व्यय का सड़कवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	वर्ष के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपए में)								
		1989-90			1990-91			1991-92		
		निर्माण	रखरखाव	कुल	निर्माण	रखरखाव	कुल	निर्माण	रखरखाव	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परियोजना चेतक										
1.	जैसलमेर-रामगढ़-टनोट-किशनगढ़	—	13.63	13.63	—	13.60	13.60	9.00	54.13	63.13
2.	रामगढ़-लोंगेवाला	4.13	4.13	8.26	—	4.13	4.13	—	4.13	4.13
3.	रामगढ़-आसतौर-घोतारू	36.13	83.37	119.50	—	10.27	10.27	—	9.02	9.02
4.	जैसलमेर-साम-धनाना	7.96	7.96	15.92	—	21.56	21.56	—	27.23	27.23
5.	जैसलमेर-सुरी-मिआजलर-हरसानी	53.78	53.79	107.57	—	85.22	85.22	—	70.32	70.32
6.	रामदिओरा-नाचना, भरेवाला	67.00	9.79	76.79	—	9.79	9.79	—	9.79	9.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बाप-बिकमपुर-रंजीतपुरा	7.49	7.49	14.98	—	7.49	7.49	—	7.49	7.49
8.	मैजलर-मीनाबाओ	16.24	16.24	32.48	—	7.10	7.10	—	7.20	7.20
9.	गगरिया-बिजिविचार-चाडुसर-मिया-कटारा-धनाओ	14.01	5.66	19.67	27.79	5.66	33.45	10.05	7.76	17.81
10.	बलेवा-रामसर-धोताल-बिकासर सासा-केरिया	18.46	19.44	37.90	9.40	19.48	28.88	3.28	49.74	53.02
11.	रामसर-रानासर	2.21	2.21	4.42	0.20	2.21	2.41	—	2.21	2.21
12.	बाड़मेर-छीतन-केलनोरी	13.77	14 78	28.55	4.38	4.94	10.32	32.32	7.97	40.29
13.	नरसव-पुग्गल-खोजेवाला	—	40.48	40.48	—	7.97	7.97	—	29 75	29.75
14.	अवम-सत्तासर	—	3.69	3.69	—	3.65	3.65	—	3.62	3.62
15.	कुपली-राम सिंहपुर	—	4.70	4.70	0.20	4.70	4.90	17.40	23.10	40.50
16.	सूरतगढ़-अनूपगढ़	—	41.98	41.98	—	87.57	87.57	16.48	21.24	37.72
17.	डाबरी-पीलीबागान	—	24.98	24.98	5.20	14.98	20.18	6.54	83.14	89.68
18.	हनुमानगढ़-पदमपुर-डाबला	30.32	120.37	150.69	3.60	47.26	50.86	1.65	9.65	11.30
19.	करणपुर-रायसिंह नगर	—	8.17	8.17	5.30	13.67	18.97	—	3.04	3.04
20.	गंगानगर-मलौत	—	0.29	0.29	6.80	4.80	11.60	13.58	75.09	88.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	मारूदी-जस्सीपारा-खारीन-हातमा-दुधाबारी	6.16	1.15	7.31	104.37	2.09	106 46	71.27	16.35	87.62
22.	शिव हुरसानी-गादरा-खलीपा की बावड़ी	—	13.35	13.35	48.80	8.16	56.96	—	10.18	10 18
23	असूतर-सारगढ़	—	4.37	4.37	—	2.30	2 30	—	4.10	4.10
24.	बाजू-नच्छआ-सरी मोहनगढ़	140.00	23.53	163.53	183.68	15.63	199.31	187.08	15.65	202.66
25.	पक्कासरन-लालगढ़ जट्टन	—	25.56	25.56	—	67.67	67.67	—	4.03	4.03
26.	हनुमानगढ़-संगरिया	—	11.53	11.53	0.54	9.74	10.28	—	2.45	2.45
27.	टनोट-लोंगावाला-घोतारू	37.60	37.60	75.20	—	6.34	6.34	—	6.34	6.34
28	बाड़मेड़-गदरा-मुनाबाओ	36.44	66 43	102.87	—	24.00	24.00	5.65	12.00	17.65
29.	हनुमानगढ़-बाईपास	5.10	—	5.10	1.90	0.77	2.67	3.61	1.06	4.67
30.	मोकाला-सुलतान-पियीवाला	3.55	3.55	7.10	—	3.55	3.55	0.99	3.55	4.54
31.	बृघवाला-पुगल-बजूजू	55.09	12.18	67.27	313.20	19.68	332.88	33.17	19.08	52.25
32.	जैसलमेर-आसतौर	—	—	—	—	—	—	4.11	—	4.11
33.	लनीयारनसर-सन्तासर	5.00	—	5.00	0.30	—	0.30	118.27	—	118.97
34.	अर्जनसर-पालू	—	3.55	3.55	—	3.55	3.55	2.92	3.50	6.42
35.	गंगानगर-बाईपास	—	—	—	—	—	—	238.10	—	238.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	लेवल क्रासिंग-कारनवाली	—	—	—	—	—	—	0.33	—	0.33
37.	घोरीनाना-बाईपास	—	—	—	—	—	—	7.70	—	7.70
38.	सूरतगढ़ बाईपास	—	0.62	0.62	—	—	—	—	—	—
39.	हनुमानगढ़-सूरतगढ़	—	12.14	12.14	—	—	—	—	—	—
40.	बिरदवाल-पुगल-लखन-चोटी	—	—	—	27.26	—	27.26	—	—	—
	कुल :	569.44	698.71	1259.15	743.92	539.53	1283.45	784.13	6 3.91	1389.04
	लगभग :	560.00	699.00	1259.00	744.00	540.00	1284.00	784.00	604.00	1388.00

विवरण-II

राजस्थान में सीमा सड़कों के बारे में वर्ष 1992-92 के लिए वित्तीय परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	धनराशि उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमोदन विशिष्ट	वर्तमान स्थिति	वित्तीय परिव्यय 1992-93 (लाख रुपए में)			अभ्युक्तियां
					निर्माण	रखरखाव	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
परियोजना चेतक								
1.	जैसलमेर-रामगढ़-टनोट किशनगढ़	सी०स०वि०बो०/143.00	आई डब्ल्यू/ एन एच (एस/एल)	पूर्ण	—	94.63	94.63	
2.	रामगढ़-लौंगेवाला	सी०स०वि०बो०/43.00	आई डब्ल्यू	वही	—	4.13	4.13	
3.	रामगढ़-असुतार-[illegible]टारू	सी०स०वि०बो०/112.00	श्रेणी-9 (तार)	वही	—	5.57	5.57	
4.	जैसलमेर-साम-धनाना	सी०स०वि०बो०/83.00	एन एच (एस/एल)	वही	—	48.46	48.46	
5.	जैसलमेर-खुरी-मिआजलर हरसानी	सी०स०वि०बो०/170.00	एन एच (एस/एल)	वही	—	16.32	16.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	रामदेरा-माचना-भरेवालासी	सी०स०वि०बो०/102.00	श्रेणी-9/एस एल	पूर्ण	—	9.79	9.79	
7.	बाप-बिकमपुर-रंजीतपुरा	सी०स०वि०बो०/77.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	—	7.49	7.49	
8.	मैजलर-मीनाबीओ	सी०स०वि०बो०/75.00	एन एच (एस/एल)	वही	—	7.20	7.20	
9.	गगरिया-बिजिदियार-दादुसर-मिथा कटाडा-घनाओ	सी०स०वि०बो०/81.00	श्रेणी-9/आई डब्ल्यू	वही	—	7.76	7.76	
10.	बलेवा-रामसर-धोतान-विकासर-साता-केरिया	सी०स०वि०बो०/205.00	एन एच (एस/एल) श्रेणी-9 (तार०)	वही	1.32	22.48	23.80	
11.	रामसर-रानासर	सी०स०वि०बो०/23.00	एन एच (एस/एल)	वही	—	2.21	2.21	
12.	बाड़मेर-छोतन-केलनोरी	सी०स०वि०बो०/83.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	—	51.16	51.16	
13.	नरसर-पुगल-खोजेवाला	सी०स०वि०बो०/83.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	—	45.77	45.77	
14.	अदम-सत्तासर	सी०स०वि०बो०/37.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	—	54.95	54.95	
15.	कुपली-राम सिंहपुर	सी०स०वि०बो०/21.00	आई डब्ल्यू	वही	9.52	51.95	61.47	
16.	सूरतगढ़-अनूपगढ़	सी०स०वि०बो०/76.00	डी एल	वही	—	7.30	7.30	
17.	हिसार-डाबरी-पीली बागान	सी०स०वि०बो०/160.00	डी एल	वही	15.16	14.98	30.14	
18.	हनुमानगढ़-पदमपुर-डाबला	सी०स०वि०बो०/112.00	डी एल/एस एल	वही	—	10.75	10.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	करणपुर-रायसिंह नगर	सी०स०वि०बो०/33.00	एस एल	पूर्ण	—	3.17	3.17	
20.	गंगानगर-मलौत	सी०स०वि०बो०/50.00	डी एल	वही	—	—	—	
21.	माल्थी-जस्सीपारा-खारीन-हातमा-बुधाबारी	सी०स०वि०बो०/एजेंसी 52.00	आई डब्ल्यू/डी एल	वही	5.54	23.03	28.57	
22.	शिव-हरसानी-गादरा-खलीफा-की बावड़ी	सी०स०वि०बो०/106.00	श्रेणी-9 (तार०)/आई डब्ल्यू	वही	0.13	10.18	10.31	
23.	असूतर-शारगढ़	सी०स०वि०बो०/27.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	—	—	—	
24.	बाजू-सरीमोहनगढ़	सी०स०वि०बो०/163.00	आई डब्ल्यू	वही	—	—	—	
25.	पक्कासरन-लालगढ़-जट्टन	सी०स०वि०बो०/20.00	डी एल	वही	—	5.18	5.18	
26.	हनुमानगढ़-संगारिया	सी०स०वि०बो०/26.00	डी एल	वही	—	56.50	56.50	
27.	डंडबा-पर्संना	सी०स०वि०बो०/28.00	आई डब्ल्यू०	वही	—	—	—	
28.	घोटारू-लोंगेवाला-टनोट	सी०स०वि०बो०/66.00	एन एच (एस/एल)	वही	—	33.34	33.34	
29.	बाड़मेर-मुनाबाओ	सी०स०वि०बो०/125.00	डी एल (एस/एल)	वही	—	12.00	12.00	
30.	हनुमानगढ़-बाईपास	सी०स०वि०बो०/11.00	डी एल	वही	—	1.06	1.06	
31.	मुकल-मुल्ताना-पियंबाला	सी०स०वि०बो०/55.00	आई डब्ल्यू	कार्य प्रगति पर	—	3.55	3.55	
32.	बृढवाल-पुग्गल-बज्जू-बीकमपुर	सी०स०वि०बो०/200.00	आई डब्ल्यू	वही	280.77	35.68	316.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	जैसलमेर-असूतर	सी०स०वि०बो०/94.00	आई डब्ल्यू	कार्य प्रगति पर	183.15	—	183.15	
34.	लुंकाणसर-सतासर	सी०स०वि०बो०/66.00	आई डब्ल्यू	वही	85.04	—	85.04	
35.	असुतर-साहगढ़	एजेंसी/27.00	श्रेणी-9 (यू/एस)	वही	—	—	—	
36.	अर्जनसर-पालू	एजेंसी/37.00	एस एल	वही	128.38	3.55	131.93	
37.	गिराब-सुन्दरा	सी०स०वि०बो०/16.00	श्रेणी-9 (तार०)	वही	2.61	—	2.61	
38.	गंगानगर-बाईपास	सी०स०वि०बो०/22.00	आई डब्ल्यू	वही	240.17	—	240.17	
39.	लेवल-क्रासिंग करने वाली	एजेंसी/6.00	एन एच (एस/एल)	वही	8.24	--	8.24	
	कुल लम्बाई :	2916.00			960.03	650.14	1610.17	
		कि०मी०	अर्थात्	=	960.00	650.00	1610.00	

आई डब्ल्यू — बीच की चौड़ाई
डी/एल — दोहरी लेन
एन एच — राष्ट्रीय राजमार्ग
सर्फ — तारकोल बिछी
एस एल — एकल लेन
(यू/एस) — बिना तारकोल की

[अनुवाद]

रुपये का अवमूल्यन

1922. रीता वर्मा :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का अवमूल्यन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ख) सरकार रुपए की विनिमय दर पर बरीकी से नजर रख रही है। इस समय रुपए का अवमूल्यन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशें

1923. श्री चित्त बसु :

श्री धीर सिंह महतो :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदन उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एन०सी०आर०एल०) ने 31 जुलाई, 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने मुख्यतः ग्रामीण श्रमिकों के लिए दो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की आवश्यकता पर अर्थात् उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार और विकास प्रक्रिया में उनकी प्रभावी सहभागिता को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भूमि आधार, कृषि विकास, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों के लिए अध: संरचना, मानव संसाधन विकास और ग्रामीण श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा, संगठनात्मक पहलुओं तथा जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीण श्रमिकों की प्रभावी सहभागिता को और सुदृढ़ बनाने और इसमें सुधार करने पर बल दिया है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :—

(i) 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा;

(ii) सभी व्यवसायों और संक्रियाओं में बाल श्रम का प्रतिषेध;

(iii) निर्धन महिलाओं के लिए एक "राष्ट्रीय महिला ऋण निधि" ताकि वे एक विशिष्ट वित्तीय सीमा तक बिना पारस्परिक प्रतिभूति के ऋण प्राप्त कर सकें;

(iv) दिसम्बर, 1990 के मूल्यों के आधार पर 20 रु० प्रतिदिन की राष्ट्रीय बेसिक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) में वृद्धि के आधार पर प्रत्येक छः महीने पर मजदूरी में स्वतः वृद्धि का प्रावधान;

(v) जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली क्षेत्रीय विकास योजनाओं से जुड़ी आई०आर०डी०पी० जैसी स्वरोजगार योजना;

(vi) कम्बाईन हार्वेस्टर के प्रयोग की तरह कृषि में श्रमिकों को विस्थापित करने वाले मशीनीकरण पर प्रतिबंध;

(vii) प्रवासी श्रमिकों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए एक अधिक संगठित नीति;

(viii) ग्रामीण श्रमिक परिवारों को उपभोग के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण;

(ix) ग्रामीण श्रमिक परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से संस्थागत ऋणों की आसानी से उपलब्धता;

विधायी उपाय

(x) कतिपय अर्हताओं के साथ काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में और इसके कार्यान्वियन के लिए एक रोजगार गारंटी अधिनियम;

(xi) कृषि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान;

(xii) बन्धित श्रमिकों के लिए बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वियन का निरीक्षण करने और मानीटर करने के लिए अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय बन्धित श्रम आयोग;

(xiii) गृह-आधारित श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिये एक मॉडल विधान;

(xiv) भूमि सुधार मामलों के तीव्र निपटान के लिए स्थानीय स्तर पर भूमि अधिकरण;

कार्यान्वियन के लिए संस्थागत तंत्र

(xv) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वियन में पंचायती राज संस्थाओं का सक्रियता से शामिल होना; और

(xvi) ग्रामीण श्रमिकों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए केन्द्र स्तर पर ग्रामीण श्रम विभाग तथा राज्यों में एक स्वतंत्र ग्रामीण श्रम निदेशालय।

(3) कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान, निर्माण कर्मकारों के लिये एक केन्द्रीय विधान, सामाजिक सुरक्षा और बन्धित श्रमिकों के आयोग के गठन में संबंधित सिफारिशों पर विचार करने के लिए और सरकार को शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए यह मामले महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की

अध्यक्षता में राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति को भेजे गये हैं।

(4) विशिष्ट सिफारियों से संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों ने सिफारिशों पर विचार किया है और अपनी कारंवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कलकत्ता पत्तन का तलकर्षण

1924. **डॉ० असीम बाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 के दौरान कलकत्ता पत्तन के तलकर्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : कलकत्ता पत्तन के निर्माण के लिए वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान 39.58 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों में जमा राशि

1925. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीयों द्वारा विदेश स्थिति बैंकों के जमा धन का वापस देश में लाने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोवा में ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना

1926. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने गोवा में ताड़ी निकालने वाले लोगों के लिए कोई बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम का विचार इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू करने का है; और

(घ) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने, हालही में गोवा में 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के ताड़ी निकालने वाले 4300 व्यक्तियों जो ताड़ी निकालने संबंधी कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत सहकारिता समितियों के पंजीकृत सदस्य

हैं, को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सामुहिक बीमा योजना को अंतिम रूप दिया है। इस योजना की यह संकल्पना है कि इसके सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु होने पर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को 300 /- रुपए की बीमांकित राशि दी जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा कवच 6000/- रुपए का होगा। उपर्युक्त कवच के लिए प्रीमियम की राशि 30 रु० है, जिसमें से 50% प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित समाज सुरक्षा निधि में से दिया जाएगा और बाकी 50% प्रीमियम का अंशदान ताड़ी निकालने वालों के सुरक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्यों की राजधानियों में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। इस समय आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बातचीत प्रगति पर है।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश

1927. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोयला क्षेत्र में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी को अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ देशों ने कोयला क्षेत्र में पूंजी-निवेश के संबंध में अपनी रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (च) सरकार ने ग्रहीत उपयोग के लिए कोयला खनन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति का निर्णय लिया है। इसे लागू करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में पारित किया है।

इस तरह की निजी क्षेत्र की भागीदारी भारतीय तथा विदेशी पूंजी निवेश दोनों क्षेत्रों के लिए खुली रहेगी। किन्तु, इस प्रकार का विदेशी पूजी निवेश को खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत विनिगमित होगा।

इस मंत्रालय में विदेशी निवेशकों से प्राप्त निवेश संबंधी पेशकश नीचे दी गई हैं :—

(1) ग्रहीत लिग्नाइट खान के लिए मेसर्स कोलिमेन एसोसिएशन, बारसिंगसर, राजस्थान के तापीय विद्युत गृह के संबंध में पेशकश।

(2) कालिंगा विद्युत निगम लि० (एक कंपनी जोकि भारत में ही पंजीकृत है, जिसमें शीघ्र ही विदेशी निवेशकों की अधिकांश इक्विटी शेयर धारिता होगी) उड़ीसा के [illegible]बरी, कटक जिले के स्थान पर एक विद्युत संयंत्र के लिए ग्रहीत कोयला खान के संबंध में पेशकश।

(3) इन्टेक्स प्राइवेट लि०, आस्ट्रेलिया से एन०आर०आई० ग्रुप भारत में पूरे विदेशी सहयोग तथा विदेशी वित्तीय सहयोग से एक मोडुलर कोयला वाशरी की स्थापना करना चाहता है।

[अनुवाद]

विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋण माफ करना

1928. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेष श्रेणी के राज्यों के ऋणों को माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशेष श्रेणी के राज्य कौन-कौन से हैं और इन राज्यों के ऋण माफ करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक राज्य न तो अपने कर्ज अदा कर रहे हैं और न ही उसका ब्याज; और

(घ) यदि हां, तो कर्ज और ब्याज की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों ने 1991-92 में क्रमश: 468 करोड रुपए तथा 144 करोड़ रुपए के अपने केन्द्रीय ऋण तथा ब्याज की अदायगी में चूक की और उनकी देनदारियां 1992-93 के लिए आगे लाई गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कच्चे तेले पर रायल्टी में संशोधन करने पर निर्णय लिए जाने तक, असम द्वारा 1991-92 से आगे लाई गई 468 करोड़ रुपए का बकाया ऋण [illegible]यता को प्रस्थगित रखा गया है। असम, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब जिस वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे हैं उसका हल सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा

मई, 1992 में एक अन्तर-मंत्रालयी दल गठित किया गया था। दल की रिपोर्ट पर भारत सरकार विचार कर रही है। दल की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय लिए जाने तक, जम्मू और कश्मीर से 199 -92 में 144 करोड़ रुपए की देय राशि को प्रास्थगित रखा गया है।

पंजाब को 1984-85 से 1990-91 तक मंजूर किए गए विशेष अवधि ऋणों तथा उन पर ब्याज की वापसी पर उसे 1991-92 तक ऋण-स्थगन प्रदान किया गया था। 1992-93 के दौरान, पंजाब सरकार को उपर्युक्त के कारण तथा राज्य सरकार को 1991-92 के दौरान स्वीकृत सावधि ऋण के कारण भारत सरकार को 611.38 करोड़ रुपए की राशि अदा करनी है। तथापि, राज्य सरकार ने 1984-85 से 1991-92 तक सभी विशेष सावधि ऋणों पर 1992-93 के दौरान भी ऋण-स्थगन हेतु अनुरोध किया है। दल की रिपोर्ट पर भारत सरकार के अन्तिम निर्णय लिए जाने तक पंजाब से 611.38 करोड़ रुपए की वसूली को प्रास्थगित रखा गया है।

चालू वर्ष में, राज्यों द्वारा ऋणों की वापसी की ध्यानपूर्वक मानीटरी की जा रही है। राज्यों को सूचित किया गया है कि देय तारीख तक वापसी अदायगी किए जाने में चूक करने पर, राज्यों की अगले महीनों की हकदारियों में से वह बकाया राशि काट ली जाएगी। विशेष रूप से, लगातार अर्थोपायों की कठिनाइयों वाले राज्यों द्वारा ऋण की वापसी के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

तलचेर कोल फील्ड क्षेत्रों में कोयला खानों को बंद किया जाना

1929. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तलचेर कोल फील्ड में कतिपय कोयला खानें बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, कौन-कौन सी कोयला खानें बंद की गई हैं;

(ग) उन खानों से कोयले की निकासी बंद करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन खानों को खोलने तथा काम पुनः शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार तलचेर कोल फील्ड्स में किसी भी कोयला खान को बंद नहीं किया गया है। किंतु स्टाक के अधिक मात्रा में एकत्रित होने तथा कोयले के उठान में कठिनाई होने के कारण एक ओपन-कास्ट खान (लिंगराज) में कोयले के उत्पादन को अस्थाई तौर पर स्थगित कर दिया गया था। कोयले की निकासी किए जाने के लिए मलबा हटाने के उत्खनन कार्य के मुख्य भाग को, जिसके द्वारा कोयले की निकासी तत्काल की जा सकती है, इस ओपनकास्ट परियोजना को सामान्य प्रक्रिया द्वारा अन्य खनन क्रियाकलापों के साथ किया जाना जारी है।

[हिन्दी]

भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्याएं

1930. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री छीतूभाई गम्भीत :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया था;

(ख) क्या उपरोक्त समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) रिपोर्ट को क्रियान्वित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान के प्रश्न पर विचार करने हेतु राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गुजरात के ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधायें

1931. **श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने गुजरात में राज्य ग्रामीण बैंकों को मकान बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ, 1989 से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों सहित राज्य स्तरीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना लागू की है। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मार्फत संवितरित आवासीय ऋणों के लिए प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों के मार्फत पुनर्वित्त देने का प्रावधान भी है। तथापि, गुजरात राज्य के मामले में इनमें से किसी भी योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है।

बैंकों के लिए एक अधिकार सम्पन्न पर्यवेक्षी निकाय

1932 **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

श्री प्रफुल पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नया बैंकिंग पर्यवेक्षी निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नियाय के प्रस्तावित कार्य क्या होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक पर्यवेक्षी निकाय का गठन किया जाए। इस निकाय की संरचना और कार्यों पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में रखी नकद राशि का वास्तविक सत्यापन

1933. **प्रो० प्रेम धूमल :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री शिवाजी पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में रखी नकद राशि का वास्तविक सत्यापन हाल ही में किया गया है;

(ख) क्या रिकार्ड में दर्शाई गई राशि तथा वास्तव में पाई गई राशि में कोई अन्तर पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह करेंसी चेस्टों का निरीक्षण करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक दो वर्षों में नकदी का सत्यापन भी शामिल है। हाल ही में, जून/अगस्त, 1992 के दौरान, जैसाकि ऊपर बताया गया है नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने 68 करेंसी चेस्टों में धारित नकदी का मौके पर सत्यापन किया।

(ख) इन 68 करेंसी में से 5 मामलों में विसंगतियां पाई गई।

(ग) तीन करेंसी चेस्टों के मामलों में विसंगतियां दोषपूर्ण प्रविष्टि, प्रतिपूरक त्रुटियों और वाल्टों में ही नकदी को गलत जगह पर रखने के कारण था। इन मामलों में खातों के रिकार्डों को अब ठीक कर दिया गया है। शेष 2 करेंसी चेस्टों में नकदी की वास्तविक कमी देखी गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इन कमियों को पूरा करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि करेंसी चेस्टों के प्रचालन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से यह निर्णय लिया है कि निरीक्षण की आवृत्ति को बढ़ाकर वर्ष में एक बार कर दिया जाए।

महानदी कोलफील्ड्स लि० में स्थानीय लोगों को रोजगार

1934. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानदी कोलफील्ड्स लि० से संबंधित कोलफील्ड्स में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भर्ती सामान्यतः स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है और यह खुले विज्ञापनों के माध्यम से अपेक्षानुसार की जाती है। स्थानीय लोगों के रोजगार की वास्तविक संख्या वहां पर उपलब्ध उपयुक्त तथा योग्यता प्राप्त स्थानीय लोगों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कम्पनियों द्वारा बाण्ड निर्गम

1935. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी बैंकों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से वाणिज्यिक ऋण लेने हेतु भारतीय कंपनियों द्वारा जारी बांड निर्गमों का प्रबन्ध करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि प्रस्ताव किए जाते हैं और उन पर बातचीत अनवरत आधार पर होती है, इसलिए फर्मों के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार बाजार की परिस्थितियों और भारतीय कम्पनियों की निधि की आवश्यकता के अधीन ऐसे बांड जारी करने के लिए अनुमति देने का इरादा रखती है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को बन्द करना

1936 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो पर वार्षिक रूप से कितना व्यय हो रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस ब्यूरो को बन्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

पर उसकी स्थापना होने से अब तक उपगत व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष		वार्षिक व्यय (रु० लाखों में)
1985-86	—	8.65 (केवल 2 महीनों का)
1986-87	—	50.93
1987-88	—	102.76
1988-89	—	69.69
1989-90	—	67.72
1990-91	—	74.91
1991-92	—	75.35

(ख) और (ग) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के परिसमापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चीनी मिलों को ऋण

1937. **श्रीमती सूर्यकांता पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों की चीनी-मिलों को ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा महाराष्ट्र में प्रत्येक चीनी मिल को कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ग) क्या उपर्युक्त ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति के अनुसार दिए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन चीनी मिलों को दिए गए ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चीनी उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं मासिक नकदी बजट के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। प्राणाली के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान अधिकतम (पीक) आवश्यकताओं के लिए ऋण-सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। अधिकतम ऋण-सीमाओं के अन्तर्गत माह के दौरान आहरणों की उस माह विशेष के नकदी के घाटे या आहरण अधिकार, जो भी कम हो, तक अनुमति होती है। सभी क्षेत्रों के लिए नीति एक समान है। इसके अलावा, चीनी उद्योग भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निर्देशों द्वारा कवर होता है और समय-समय पर बैंकों को इन अनुदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग चीनी मिलों को प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों के राज्य-वार आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है। बहरहाल, गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चीनी मिलों को दिए गए ऋणों

और अग्रिमों की कुल बकाया धनराशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

1990	1991	1992
501.2	772.5	739.4

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे उक्त ऋणों को प्रदान करने में नीति के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) बैंकिंग परिचालन में कतिपय ऋणों के अशोध्य होते रहने की सम्भावना स्वाभाविक ही है। बहरहाल, बैंक ऋणों की निगरानी करने और अतिदेय ऋण वसूल करने के उपाय करते हैं। इसमें संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई करना, सूचना प्रणाली और सावधिक पुनरीक्षा करना शामिल है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋणों की प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किसी एक समय में अग्रिमों के स्वास्थ्य के अनुसार कुछ परिभाषित श्रेणियों में उनके वर्गीकरण की पद्धति शुरू की है। जब कभी किसी व्यक्ति के खाते की जांच से अनियमितताओं का पता चलता है, अग्रिमों को नियमित करने के उपाय किए जाते हैं और यदि वे असफल होते हैं, ऋणों को वापिस मांगा जाता है और ऋणों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिसमें उधारकर्ताओं तथा साथ ही गारंटीकर्ताओं, यदि कोई हो तो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

भारतीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से सहायता

1938. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता/अनुदान राशि मिली है; और

(घ) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ग) जी, हां।

यथा निर्णीत प्रस्तावित कार्यक्रम के तीन प्रमुख घटक हैं :—

1. औद्योगिक पुनर्संरचना को सुसाध्य बनाने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि।

2. प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम जैसे—प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य रोग नियंत्रण और पोषण (आई०सी०डी०एस०) के परिव्यय को बनाए रखना।

3. अधिक लागत प्रभावकारिता प्राप्त करने और अधिक सुविधा वंचित क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक कार्यक्रमों के कवरेज विस्तारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना इस प्रयोजन के लिए नए उपायों को अन्तिम रूप दिया गया है।

नए उपाय ये है :—

(i) नामांकनों में वृद्धि करने और लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने के अनुपात को कम करने पर जोर देते हुए शैक्षिक रूप से अति पिछड़े जिलों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा का विस्तारित कार्यक्रम ।

(ii) उन जिलों में, जहां पर शिशु और प्रसूति मृत्यु दर अप्रिय रूप से अधिक है, विशेष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।

(iii) विभिन्न राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों में वृद्धि करना ।

(iv) एकीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण ।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के संबंध में विश्व बेंक सहायता (5000 लाख अमेरिकी डालर) के लिए बातचीत 16-20 नवम्बर, 1992 को वाशिंगटन में हुई थी । इस समय यह प्रस्ताव बेंक के विचाराधीन है ।

"एक्सप्रेसवेज" का निर्माण

1939. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय "एक्सप्रेसवेज" व्यवस्था में और अधिक सड़कें शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सेक्टर की सड़कों के कार्यक्रम हेतु नियत निधियां तो मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू कार्यों के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त हैं । अतः 1992-93 में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेज प्रणाली में और सड़कों को शामिल करना संभव नहीं है । तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना की माध्यावधिक समीक्षा के समय निधियों की उपलब्धता और इस उद्देश्य के लिए परिकल्पित विभिन्न अन्य मानदंडों को ध्यान में रखकर स्थिति पर विचार किया जाएगा ।

कलकत्ता पत्तन न्यास पर प्रभारों में वृद्धि

1940. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री से कलकत्ता पत्तन न्यास पर प्रभारों में वृद्धि करने के संबंध मे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां । कलकत्ता पत्तन न्यास के टैरिफ संशोधन संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले इस पर विचार किया जाएगा ।

परियोजनाओं के लिए फ्रांस से सहायता

1941. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से प्राप्त होने वाली एकमुश्त ऋण सहायता को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में निर्माणाधीन एवं नई परियोजनाओं के लिए परियोजनावार कुल कितनी राशि मिलेगी;

(ग) क्या इसमें से कुछ परियोजनाओं पर निर्धारित सीमा से अधिक समय एवं लागत लग गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नई/संशोधित लागत एवं समय सीमा का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुम्बई और रत्नागिरि के बीच स्टीमर सेवा

1942. **श्री राम कापसे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई और रत्नागिरि के बीच स्टीमर सेवा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल पपिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के पुल पर चुंगी कर की वसूली

1943. **श्री एम० रमन्ना राय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर वलारपट्टनम में पुल के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) पुल से चुंगी कर के रूप में कुल कितनी राशि संग्रहित की गई;

(ग) क्या उपरोक्त पुल पर चुंगी कर की वसूली का कार्य समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का पुल से चुंगी कर के रूप में एकत्रित अतिरिक्त राशि को किस प्रकार खर्च करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वलारपट्टनम पुल के निर्माण तथा उसकी आवधिक मरम्मत इत्यादि के लिए उस पर 4,25,66,630/- रु० कुल खर्च हुए हैं।

(ख) 4,20,02,462/- रु०।

(ग) जी, नहीं। पुल की पूरी लागत, जिसमें सम्पर्क मार्गों, की प्लाजा, गाईड बंधों और

सुरक्षात्मक कार्यों तथा रख-रखाव की लागत और उस पर ब्याज की वसूली, शामिल है, पूरी होने तक चुंगी वसूल की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस०ई०सी०एल० परियोजनाओं का अनुमोदन

1944. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुछ परियोजनाओं का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के स्थापना कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या एस०ई०सी०एल० की चालू परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) वर्तमान में एक कोयला परियोजना में 50 करोड़ रु० से अधिक की राशि का निवेश करने हेतु सरकार का निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। हाल ही में सरकार ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के संबध में 50 करोड़ रु० से ऊपर की राशि की कोई कोयला खनन परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। हालांकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की दीपिका विस्तार (2 से 10 मि० टन प्रतिवर्ष का विस्तार) सरकार के पास निवेश हेतु निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है। चूंकि निवेश हेतु निर्णय लिए जाने के लिए पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति पूर्व में ली जानी अपेक्षित है, दीपिका ओ०का० (विस्तार) हेतु वन एवं पर्यावरण स्वीकृति लिए जाने की कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

सा०ई०को०लि० की कई परियोजनाएं चालू स्थिति में है। कुछ महत्वपूर्ण चालू परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मि०ट० प्रतिवर्ष)	लागत (करोड़ रु० में)
1.	अमलाई ओ०का० (आर०सी०ई०)	0.70	46.51
2.	चुरचा वेस्ट भू०ग०	0.60	32.64
3.	गंगवार भू०ग०	0.65	25.14

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों की प्राथमिक समितियों को राजसहायता देना

1945. **श्री राम सिंह काव्वा :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा बुनकरों की प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय राजसहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को राजसहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी समितियों को यह राजसहायता प्रदान की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक समिति को कितनी राजसहायता प्रदान की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा बुनकर प्राथमिक समितियों को प्रबंधकीय राजसहायता देने की योजना 1-4-1989 से समाप्त कर दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में धोखाधड़ी

1946. **श्री ए० चार्ल्स :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री देवी बक्स सिंह :

डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री आर० जीवरत्नम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 तथा अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी/कदाचार के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) राज्यवार तथा बैंकवार गए प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि शामिल है तथा राज्यवार कितने मामले न्यायालयों में दायर किए गए हैं;

(ग) क्या गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में चालू वर्ष में ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ङ) ऐसे प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है;

(च) क्या कुछ बैंक कर्मचारी भी ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) ऐसे मामलों में फंसे धन की वसूली करने तथा बैंकों में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान प्रबन्ध सूचना प्राणाली से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार धोखाधड़ियों/कदाचारों और न्यायालय में चल रहे मामलों संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होती है। प्रणाली से बैंक कर्मियों और अन्यों की अन्तर्ग्रस्तता का मामलावार ब्यौरा भी प्राप्त नहीं होता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991 और 1992 (जून 92 तक) के दौरान, भारत में तथा विदेशों में उनकी शाखाओं में घटित धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 30-6-92 को समाप्त छमाही के दौरान धोखाधड़ियों के 778 मामलों की सूचना दी गई जबकि 30-6-91 को समाप्त छमाही के तदनुरूप अवधि में 768 मामलों के घटित होने की सूचना दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न बैंकों से प्राप्त धोखाधड़ी की घटनाओं के तिमाही सांख्यिकीय आंकड़े रखता है जिनमें वे मामले भी शामिल होते हैं जो पहले की अवधि में घटित हुए हों। अतः यह जरूरी नहीं है कि 10 मामलों की मामूली वृद्धि 30-6-92 को समाप्त छमाही के दौरान घटित घटनाओं से ही सम्बद्ध हों।

(छ) धोखाधड़ी की घटनाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक तब तक नजर रखता है जब तक कि वसूली, कर्मचारी पक्ष पर कार्रवाई, पुलिस/सी०बी०आई० जांच, बीमा कवच के तहत दावे आदि जैसे सभी पैरामीटरों पर सतोषजनक रूप से कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। बैंक धनराशियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर करते हैं और बीमा कवच के तहत दावे भी प्रस्तुत करते हैं। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक समय-समय पर धोखाधड़ियों की जांच के लिए प्रतिरोधक और तुरन्त उपाएं करते हैं। इनमें से कुछ उपाए निम्नलिखित हैं :—

(i) निरीक्षण, लेखापरीक्षा और आवधिक विवरणों के माध्यम से बैंकों द्वारा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना;

(ii) निरंतर आधार पर बहियों के समायोजन और अन्तर-शाखा लेखों के समाधान के बकाया को निपटाना;

(iii) अन्य बैंकों से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति;

(iv) धोखाधड़ी की बड़ी घटनाओं की जांच और उनकी संवीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष की स्थापना;

(v) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को चेतावनी नोटिस जारी करना;

(vi) प्रचालन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना;

(vii) भ्रष्टाचार निवारक उपायों के कार्यान्वियन के लिए बैंकों द्वारा संगठित प्रयास करना।

(viii) सतर्कता के मामलों की बैंकों के निदेशकों की समिति और निदेशक मण्डलों द्वारा समीक्षा करना; और

(ix) हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। धोखा-धड़ियों की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसकी सिफारिशों/सावधानियों को बैंकों में उन्हें यह सलाह देते हुए परिचालन की गई है कि अधिकतर सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित किया जाए। कुछ सिफारिशों की भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर और जांच की जानी अपेक्षित है।

विवरण

वर्ष 1991 और 1992 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारत और विदेश में अपनी शाखाओं के संबंध में सूचित की गई धोखा-धड़ियों की बैंकवार संख्या और अन्तर्ग्रस्त धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1991		1992 (जून)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	34	25.56	25	22.50
2.	आन्ध्रा बैंक	35	290.03	14	158.98
3.	बैंक आफ बड़ोदा	79 (10)	240.95 (30.11)	28 (1)	216.07 (3.52)
4.	बैंक आफ इंडिया	96 (9)	689.03 (38.53)	58 (1)	179.80 (12.48)
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	12	742.29	16	33.61
6.	केनरा बैंक	115	489.14	56	216.00
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	68	106.04	19	19.67
8.	कारपोरेशन बैंक	19	6.54	8	3.06
9.	देना बैंक	20	46.16	20	9.95
10.	इण्डियन बैंक	56	223.73	29	121.72

1	2	3	4	5	6
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	60	18.67	43	251.84
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	19	517.28	12	450.38
13.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	7	80.25	2	1.61
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	14	198.70	2	208.95
15.	पंजाब नेशनल बैंक	42	218.59	17	69 86
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	19	603.54	11	5.67
17.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	457	520.64	217	188.04
		(6)	(195.36)	(4)	(63.35)+ अमरीकी डालर 119716.15
18.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	24	12.89	13	10.01
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	14	34.73	13	8.79
20.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	9	77.50	14	5.42
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	9	6.39	9	56.11
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	11	121.20	5	53.95
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	14	8.92	9	82.29
24.	सिंडिकेट बैंक	116	381.85	56	97.22
25.	यूको बैंक	57	492.18	17	247.71
		(2)	(12.25)		
26.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	65	46.05	22	24.48
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	24	7.71	9	141.89
28.	विजया बैंक	40	58.40	28	20.64
	जोड़ :	1559	6541.31	778	2985.57+ अमरीकी डालर 119716.15

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बैंक की विदेशी शाखाओं के संबंध में हैं।

कोल्लम-कोचीन का राष्ट्रीय जल-मार्ग के रूप में विकास

1947. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैस्ट कोस्ट कनाल के कोल्लम-कोचीन सैक्शन, कोचीन-इल्लूर और कोचीन-चम्बाकुलम कनाल को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :—

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लाम—टोट्टापुरम खंड और चम्पातारा और उद्योग मंडल नहरें (अधिनियम, 1992 को दिनांक 1-2-93 से लागू करने संबंधी अधिसूचना को जारी किया गया है।

(ii) इस उद्देश्य से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में 19 पदों को स्वीकृति दी गई है।

(iii) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(iv) इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना में 3.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

सहकारी क्षेत्र में बीमा

1948. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी दलालों के साथ कितना पुनः बीमा किया गया है;

(ख) पुनः बीमा पर विदेशी मुद्रा का निवल बहिर्गमन कितना है तथा उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का सहकारी क्षेत्र में बीमा आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दलालों के जरिए भारत के बाहर किए गए कारोबार के सम्बन्ध में श्रेणी वार सूचना नीचे दी गई है :—

कारोबार की श्रेणी	1990-91		1991-92 (अनुमानित)	
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल पुनर्बीमा	कालम (2) के प्रतिशत के रूप में विदेशी दलालों के जरिए किया गया कारोबार	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल पुनर्बीमा	कालम (4) के प्रतिशत के रूप में विदेशी दलालों के जरिए किया गया कारोबार
1	2	3	4	5
अग्नि	19.0	36.34	16.6	33.76
नौवहन माल जलपोत ढांचा	8.8 46.0	48.18	7.0 43.8	44.39
मोटर	—	—	—	—
अन्य विविध	12.4	17.14	8.3	16.76
उड्डयन	61.3	95.18	89.7	97.16
सभी श्रेणियां	11.9	46.44	9.8	44.73

जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है, ऐसी कोई सूचना नहीं है चूंकि निगम दलालों के जरिए भारत के बाहर कोई कारोबार नहीं करता।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान पुनर्बीमा के कारण विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन (करोड़ रुपए में)	
	साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियां	जीवन बीमा निगम
1990-91	111.69	0.15
1991-92	103.19	0.22

विवेकपूर्ण हामीदारी और पूंजी एवं आरक्षित भण्डार के समनुरूप, बीमा कम्पनियां प्रतिधारण के इष्टतम स्तर को प्रतिवर्ष बढ़ाती रहती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण-जमा अनुपात

1949. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऋण जमा अनुपात कितना-कितना था;

(ख) इस अनुपात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च 1990, 1991 और 1992 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ राज्यों में बैंक निधियों के संवितरण में निम्न ऋण जमा अनुपात के बारे में राज्य सरकारों के साथ-साथ आम जनता से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक मात्र द्योतक नहीं हो सकता। किसी खास राज्य अथवा क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों की तुलना में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो कृषि, औद्योगिक उत्पादों आदि के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अपेक्षित निविष्टियों तथा विपणन केन्द्रों की उपलब्धता जैसे तत्वों द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होता है। अलबत्ता, आर्थिक विकास की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अनुदेश दिए हैं कि वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अलग से 6% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया था कि यद्यपि इस अनुपात को शाखावार, जिलेवार या क्षेत्रवार अलग से प्राप्त करना आवश्यक नहीं है फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अलग-अलग राज्यों के बीच अनुपात में व्यापक विसंगति को दूर किया जाए।

ऐसे मामलों पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की बैठकों में भी राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

विवरण

मार्च 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात के राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1990 ऋण जमा अनुमात	मार्च 1991 ऋण जमा अनुपात	मार्च 1992 ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	54.8	63.6	59.3
हरियाणा	61.2	60.3	56.5
हिमाचल प्रदेश	38.6	37.4	33.3
जम्मू व कश्मीर	31.8	48.7	42.9
पंजाब	45.5	44.8	42.2
राजस्थान	62.2	56.5	55.6
चंडीगढ़	65.5	82.2	66.1
दिल्ली	58.6	78.6	73.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	51.7	45.6	44.4
अरुणाचल प्रदेश	20.1	16.4	14.4
असम	55.5	51.2	49.1
मणिपुर	69.9	65.4	72.5
मेघालय	24.6	19.3	20.1
मिजोरम	34.2	22.1	21.5
नागालैंड	42.6	38.5	39.2
त्रिपुरा	72.2	58.4	56.5
पूर्वी क्षेत्र	52.6	51.8	50.5
बिहार	40.0	39.6	39.5

1	2	3	4
उड़ीसा	81.3	76.5	72.2
सिक्किम	28.3	18.3	20.6
प० बंगाल	54.9	54.5	52.7
अंडमान व निकोबार	35.1	34.3	32.3
मध्य क्षेत्र	52.8	51.6	49.8
मध्य प्रदेश	68.6	67.1	63.7
उत्तर प्रदेश	47.0	45.8	44.6
पश्चिमी क्षेत्र	74.0	71.4	59.8
गोवा	31.9	33.2	30.8
गुजरात	61.3	59.7	53.5
महाराष्ट्र	79.7	76.3	62.4
दादरा व ना०ह०	55.5	51.7	47.3
दमन व दीव	22.4	23.4	20.0
दक्षिणी क्षेत्र	87.4	84.5	80.3
आंध्र प्रदेश	87.1	82.6	80.7
कर्नाटक	91.0	85.7	78.4
केरल	64.0	59.1	51.9
तमिलनाडु	99.4	100.1	99.8
लक्षद्वीप	16.2	16.9	12.8
पांडिचेरी	57.4	55.1	47.8
अखिल भारत	65.8	66.2	61.0

[हिन्दी]

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में संशोधन

1950. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का कब तक निर्णय लेने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ये प्रस्ताव, के अन्तर्गत आय की पात्रता सीमा को 7,200/- से बढ़ाकर 11,850/- रुपए करने, लाभानुभोगियों को दावा राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करने, आदि से संबंधित थे।

(ख) गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना की पुनरीक्षा की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस पुनरीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1951 **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजनावार ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से इस समय कार्यान्वित की रही परियोजनाओं की सूची जिसमें ऋण की राशि और अक्तूबर, 1992 के अन्त तक उपयोग में लाई गई राशि तथा अनुसूचित अन्तिम तारीखें दर्शाई गई हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(दस लाख अमरीकी डालर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्यों के नाम	सहायता की राशि	31-10-92 तक किया गया संचयी उपयोग	अंतिम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-II	आन्ध्र प्रदेश	271.00	54.409	30-6-94
2.	आन्ध्र प्रदेश चक्रवात आपातकालीन पुर्नीनर्माण कार्य	आन्ध्र प्रदेश	210.00	96.11	31-3-94
3.	हैदराबाद जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रबंध	आन्ध्र प्रदेश	87.26	20.45	31-3-98
4.	द्वितीय रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश	280.00	276.701	31-12-92
5.	बिहार लोक ट्यूबवैल	बिहार	68.00	14.225	31-5-94

1	2	3	4	5	6
6.	झरिया कोयला	बिहार	57.00	52.62[illegible]	31-12-92
7.	गुजरात मध्यम सिंचाई-II	गुजरात	172.00	146.26[illegible]	31-12-92 एक वर्ष के लिए और समय मांगा है।
8.	गुजरात शहरी विकास	गुजरात	64.86	35.07	31-12-92
9.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	गुजरात	137.92	47.90	31-12-94
10.	अपर कृष्णा चरण-II	कर्नाटक	325.00	46.484	31-12-96
11.	कर्नाटक विद्युत-I	कर्नाटक	260.00	67.9[illegible]3	31-12-95
12.	कर्नाटक विद्युत-II	कर्नाटक	220.00	37.737	31-12-96
13.	पंजाब सिंचाई तथा जल निकास	पंजाब	165.00	21.290	31-3-98
14.	अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई	उत्तर प्रदेश	125.00	87.4[illegible]5	30-9-93
15.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	उत्तर प्रदेश	135.05	61.37	31-3-96
16.	उत्तर प्रदेश विद्युत	उत्तर प्रदेश	350.00	47.048	31-12-92
17.	सहकारी उर्वरक	उत्तर प्रदेश	118.260	97.558	30-6-93 (3 वर्ष के लिए और समय मांगा गया है)

1	2	3	4	5	6
18.	महाराष्ट्र संघटित सिंचाई-I	महाराष्ट्र	160.00	51.[illegible]28	31-12-92
19.	महाराष्ट्र वानिकी	—वही—	124.00	6.00	30-9-98
20.	बंबई शहरी विकास	—वही—	1[illegible]7.51	94.61	3[illegible]-9-93
21.	तृतीय बंबई जल आपूर्ति तथा मल व्यवस्था	—वही—	184.07	53.13	30-[illegible]-94
22.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता	—वही—	104.33	7.04	31-1[illegible]-97
23.	चन्द्रापुर टी०पी०पी०	—वही—	280.00	185.945	31-12-92
24.	महाराष्ट्र विद्युत	—वही—	202.00	193.188	31-12-[illegible]2
25.	महाराष्ट्र विद्युत	—वही—	400.00	30.032	31-12-26
26.	कोरबा टी०पी०पी०	मध्य प्रदेश	427.614	171.437	31-12-92
27.	इंदिरा सरोवर	—वही—	52.125	8.426	30-[illegible]-93
28.	केरल सामाजिक वानिकी	केरल	26.1एस०डी०आर०	30.29	31-3-93
29.	केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रबन्ध	—वही—	31.00	22.52	31-3-93
30.	केरल विद्युत	—वही—	176.00	45.218	31-12-92

1	2	3	4	5	6
31.	अपर इन्द्रावती एच०ई०पी०	उड़ीसा	213.03	172.409	31-12-92
32.	तलचर टी०पी०पी०	—वही—	375.00	100.717	31-3-96
33.	नथपाझाकरी	हिमाचल प्रदेश	485.00	36.714	31-12-97
34.	पश्चिमी बंगाल लघु सिंचाई	पश्चिम बंगाल	99.00	31.920	31-3-92 (2 वर्ष का समय मांगा गया है)
35.	पश्चिम बंगाल वानिकी	—वही—	34.00	2.00	30-9-97
36.	चतुर्थ जनसंख्या	—वही—	63.23	47.00	31-8-93
37.	फरक्का-II	—वही—	278.80	222.002	31-12-92
38.	पेरियार व्यागाई सिंचाई-II	तमिलनाडु	35.00	12.622	30-4-93
39.	ए०डी०पी० तमिलनाडु	—वही—	107.53	6.80	30-9-98
40.	तमिलनाडु आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	—वही—	96.40	50.95	30-6-93
41.	मद्रास जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध	—वही—	68.80	33.08	31-12-95
42.	तमिलनाडु शहरी विकास	—वही—	265.00	93.10	30-9-95
43.	तमिलनाडु पोषाहार-II	—वही—	90.26	8.48	31-12-97
44.	सरदार सरोवर बांध और विद्युत	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	300.00	133.298	30-6-95

1	2	3	4	5	6
4 .	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, केरल और गुजरात	114.00	41.355	31-3-94
46.	बांध सुरक्षा	तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान	153.00	9.269	30-9-97
47.	द्वितीय देशव्यापी राष्ट्रीय डेयरी	देशव्यापी	360.00	126.38	31-12-94
48.	झींगा और मछली पालन	आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	85.00	4.00	30-6-99
49.	तृतीय राष्ट्रीय बीज	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान	130.00	48.1	31-12-94
50.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान	156.4 एस०डी० आर०	194.21	31.3.93
51.	एन०ए०आर०पी०-II	देशव्यापी	78.93	43.49	30-6-93
52.	एन०ए०ई०पी०-I	मध्य प्रदेश, डी०ओ०ई०, उड़ीसा, और राजस्थान	44.52	39.[illegible]0	31-3-93

1	2	3	4	5	6
53.	ए०एन०ई०पी०-II	जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा	63.58	42.45	31-3-93
54.	एन०ए०ई०पी०-III	हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और पंजाब	80.84	40.48	31-3-94
55.	जल संभरण विकास और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए आरम्भिक परियोजना	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक	30.05	15.74	31-3-94 (एक वर्ष का समय और मांगा गया है।)
56.	आई०डब्ल्यू०डी० पहाड़ी क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा	77.56	6.18	30-6-97
57.	आई०डब्ल्यू०डी० मैदानी इलाका	उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान	58.17	3.36	31-3-98
58.	तकनीकी शिक्षा-I	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल और उड़ीसा	218.22	30.64	30-6-98
59	तकनीकी शिक्षा-II	आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, असम, हरियाणा, और महाराष्ट्र	291.54	17.36	30-6-99

1	2	3	4	5	6
60.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अखिल भारतीय	218.09	44.43	31-12-96
61.	आई०पी०पी०-5	बंबई और मद्रास	55.99	37.33	31-8-93
62.	आई०पी०पी०-6	उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश	109.08	26.55	31-3-97
63.	आई०पी०पी०-7	जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पंजाब, बिहार और हरियाणा	86.58	11.55	30-6-98
64.	आई०सी०एस०	आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा	100.50	15.78	3 -12-97
65.	शिशु जीवन और मातृत्व सुरक्षा	राष्ट्रव्यापी	219.72	29.40	30-9-95
66.	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण	राष्ट्रव्यापी	84.00	—	30-9-97
67.	कम्बाइंड साईकिल	केन्द्रीय	485.00	—	31-12-90
68.	राष्ट्रीय पूंजी विद्युत	केन्द्रीय	425.00	245.336	30-6-95
69.	उत्तरी क्षेत्र टी०आर०	केन्द्रीय	485.00	30.430	30-9-98
70.	विद्युत उपयोगिता कुशलता आई०एम०पी०	केन्द्रीय	265.00	14.024	31-12-97
71.	राष्ट्रीय रेशम उद्योग	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर एवं कर्नाटक	155.40	38.563	31-12-96

1	2	3	4	5	6
72.	सीमेंट उद्योग	तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक	200.00	118.658	30-6-93
73.	पैट्रोलियम परिवहन	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब	340.00	35.00	30-6-95
74.	सीमेंट उद्योग पुनर्वास	असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र	300.00	33.915	30-6-96
75.	द्वितीय पेट्रोरसायन	महाराष्ट्र और गुजरात	233.00	73.372	30-9-96
76.	रेलवे बिजलीकरण	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र	279.00	259.354	31-3-93
77.	तृतीय रेलवे आधुनिकीकरण	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा	390.00	181.075	31-1 .-83
78.	राज्य सड़कें	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और महाराष्ट्र	250.00	40.151	30-6-95

1	2	3	4	5	6
79.	राष्ट्रीय राजमार्ग-I	गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हरियाणा	163.00	82.007	31-12-92
80.	दूषित चोआ कोयला	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश	109.00	92.496	31-3-93
81.	कोयला खनन और गुणवत्ता सुधार	मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल	340.00	222.736	30-9-96
82.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	155.95	8.022	30-6-98
83.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र	306.00	11.00	30-9-98

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर पुल का निर्माण

1952. **श्री पांडुरंग फुंडलिक फुंडकर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अकोला जिले में रिघोरा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर बाईपास के निकट नदी पर पुल निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर रिघोरा (न कि रिघोरा) गांव के निकट रिघोरा नाला पर मौजूदा अवगाहन क्षम पुल के स्थान पर एक उच्च स्तरीय पुल की हाल में 95.13 लाख रु० की लागत पर संस्वीकृति दी गई है। निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसका निर्माण 1993 में शुरू किए जाने की संभावना है। अकोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर किसी बाईपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं

1953. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगी भूमि को होटल/रैस्टोरेंट/स्नैक बार के लिए पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार पट्टे पर लिए जाने से प्राप्त होने वाले अपेक्षित राजस्व का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी०टी०सी० बस सेवाएं

1954. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डी०टी०सी० द्वारा प्रतिदिन औसतन कितनी बसें सामान्य, लिमिटेड, पी सर्विस, रेलवे सर्विस तथा ग्रीन लाईन के रूप में चलाई जाती हैं; और

(ख) प्रतिदिन प्रत्येक बस सेवा द्वारा औसतन कितनी ट्रिपें लगाई जाती हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस समय शहरी मार्गों पर लगाई गई बसों की दैनिक औसत आधार पर कुल संख्या नीचे दी गई है :—

सामान्य (पी सेवा सहित)	2987
पालम कोच	9
सीमित सेवा	43
रेलवे सेवा	52
ग्रीन लाईन	232
जोड़ :	3323

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

सामान्य	33835
सीमित	1089+1449 (स्पे० ट्रिप्स)
पालम कोच	36
पी सेवा	21
रेलवे सेवा	471
ग्रीन लाईन	2153
जोड़ :	39054

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग का विस्तार करने के लिए योजनाएं

1955. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को हथकरघे के विस्तार एवं विकास के लिए कई योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार हथकरघा के विकास और विस्तार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाए राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की गई है। इनमें से कुछ योजनाओं

जैसे कार्यशाला-सह-आवास योजना, जनता कपड़ा योजना, विपणन विकास सहायता योजना और थ्रिफ्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शिका भेजी गई है।

[अनुवाद]

अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

1956. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अकुशल कामगारों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यात आय पर ऋण भार

1957. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों में निर्यात से प्राप्त आय पर ऋण भार कितने प्रतिशत रहा; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ऋण सेवा भार का अनुपात कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1992 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज-भुगतान की राशि, निर्यात-आय का 34 प्रतिशत आंकी गई है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज-भुगतान की राशि चालू प्राप्तियों अर्थात् वस्तुओं के निर्यात एवं अदृश्य आय का 21.3 प्रतिशत थी।

"ओवर दि काउन्टर एक्सचेंज आफ इण्डिया" के पास सूचीबद्ध कम्पनियां

1958. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ओवर दि काउन्टर एक्सचेंज आफ इंडिया" के पास अभी तक कितनी कम्पनियां सूचीबद्ध हुई हैं;

(ख) क्या केरल में कोचीन सहित और स्थानों पर "ओवर दि काउन्टर एक्सचेंज आफ इंडिया, के काउन्ट खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ओवर दि कांउटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओ०टी०सी०ई०आई०) के पास अभी तक दो कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं।

(ख) और (ग) ओवर दि कांउटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओ०टी०सी०ई०आई०) का 1993 के अन्त तक कोचीन सहित 21 और शहरों में कांउटर खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, कांउटरों की स्थापना काफी हद तक दूरसंचार सुविधा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता

1959. श्री साईमन मरान्डी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रुग्ण औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जिनको सरकार का वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) ये एकक कब से रुग्ण हैं;

(ग) इन एककों में पूंजी निवेश तथा वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(घ) इन एककों को चालू वर्ष के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को उनके पुनरूद्धार के लिये कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि वित्तीय संस्थाएं और लीड बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संविभाग (पोर्टफोलियो) के अन्तर्गत या रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों की शर्तों पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा जारी योजनाओं के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करते हैं।

किसी स्वस्थ कंपनी द्वारा पुनरूद्धार के लिये किसी रुग्ण औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण कर लेने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72-क के अन्तर्गत का लाभ दिये जाते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कर्मकारों को प्रतिपूर्ति के भुगतान की व्यवस्था करता है।

केन्द्र प्रायोजित मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत, लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

केरल को वित्तीय सहायता

1960. प्रो० के०वी० थॉमस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) :(क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए 150.00 करोड़ रुपए का मध्यावधि ऋण तथा राज्य में अक्तूबर, 1992 की बाढ़ की वजह से आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए 448.35 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।

(ग) राज्य की 150.00 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण के अनुरोध की जांच की गई थी और केन्द्र पर संसाधनों के दबाव को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केरल में 1990-91 से प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए 31.00 करोड़ रुपए का भारी वार्षिक आपदा राहत कोष स्थापित किया गया है। कोष में बकाया राशि को अगले वर्ष के कोष में ले जाया जाता है। केन्द्र इस कोष में प्रतिवर्ष 23.25 करोड़ रुपए का अंशदान करता है और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय की सभी मदों की पूर्ति इस कोष से की जाती है। राज्य आपदा राहत कोष में 17.4375 करोड़ रुपए के केन्द्र के अंशदान की तीन तिमाही किस्तें अग्रिम रूप से रिलीज की गई थीं ताकि राज्य राहत उपायों को जारी रख सके। इसके अतिरिक्त 84.00 करोड़ रु० तक की राज्य की पात्रता की राशि समयपूर्व दे दी गई थी और 7.00 करोड़ रु० के अर्थोपाय अग्रिम भी राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए रिलीज किए गए थे।

करेंसी नोट छापना

1961. **श्री के०वी० तंगकाबालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने मूल्य के लिए करेंसी नोट छापे गए; और

(ख) वर्ष 1991-92 के बजट में पुनरीक्षित प्राकलन अथवा वास्तविक घाटे के अनुपात में इसका प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1991-92 में मुद्रित किए गए नए करेंसी नोटों का कुल मूल्य 15546.8 करोड़ रुपए था।

(ख) किसी भी वर्ष में नए करेंसी नोटों के मुद्रण करने और बजटीय घाटे के स्तर के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। लेकिन, 1991-92 वर्ष के अंत में वास्तविक बजटीय घाटा 6,491 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 1991-92 में यह 7,032 करोड़ रुपए था।

उड़ीसा में परियोजनाएं

1962. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको सातवीं योजना के अन्त तक पूरा किया जाना था;

(ख) निश्चित अवधि तक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) शेष परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 183 संस्वीकृत कार्यों को पूरा किया जाना था। इसमें पूर्व योजना के बकाया 55 कार्य और सातवीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत 128 कार्य भी शामिल हैं।

(ख) 151।

(ग) और (घ) कुछ कार्यों को पूरा करने में विलम्ब मुख्यतः भूमि अधिग्रहण में कठिनाई/विलम्ब, ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करना/छोड़ना, स्थान की जटिलता इत्यादि के कारण हुआ। कार्य को शीघ्र पूरा करने के प्रयोजन से विभिन्न मामलों की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इनमें भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाई को शीघ्र पूरा करना, जुर्माना करना/ठेका रद्द करना और पुनः ठेका देना इत्यादि शामिल है।

केरल में इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं

1963. श्री के० मुरलीधरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन ओवरसीज बैंक की कुछ शाखाएं केरल में खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज बैंक ने केरल में शाखाएं खोलने के लिए निम्नलिखित 6 अर्ध शहरी केन्द्रों का पता लगाया है :—

1. सुल्तान बैटरी, जिला वायनाड
2. कालपेट्टा, जिला वायनाड
3. तिरूर, जिला मालापुरम
4. मंजरी, जिला मालापुरम
5. कंजेरापल्ली, जिला कोट्टायम
6. क्विलेन्डी, जिला कालीकट

बैंक को अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करना पड़ेगा।

सूती धागे की उत्पादन लागत

1964. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों, सहकारी स्पिनिंग मिलों द्वारा कताई किए गए सूती धागे का औसत काउन्ट उत्पादन कितना है; और

(ख) क्षेत्रवार धागे के उत्पादन की औसत लागत कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कपास यार्न का औसत काउन्ट उत्पादन निम्नानुसार है (क्षेत्र-वार) :—

क्षेत्र		यार्न का औसत काउन्ट उत्पादन
सरकारी	—	28
सहकारी	—	30
निजी	—	31
सभी क्षेत्र	—	30

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान क्षेत्रवार यार्न के उत्पादन की औसत लागत निम्नानुसार है :—

क्षेत्र		औसत लागत रु०/किग्रा०
सरकारी	—	82.86
सहकारी	—	72.87
निजी	—	83.03

पटसन उद्योग में अनुसंधान और विकास हेतु सहायता

1965. श्री के० प्रधानी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग में अनुसंधान और विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कोई धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के संबंध में इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रत्येक राज्य विशेषतः उड़ीसा के कुल कितने क्षेत्र में पटसन की कृषि की जाती है;

(घ) क्या उड़ीसा में इसके कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उड़ीसा में पटसन उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पटसन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 1989-90 में 6.58 करोड़ रु०, 1990-91 में 2.96 करोड़ रु० और 1991-92 में 4.16 करोड़ रु० प्रदान किए हैं। इन निधियों को अनुसंधान और विकास संस्थाओं के लिए रिलीज किया गया था न कि राज्यवार आधार पर।

(ग) पटसन और मेस्टा की कृषि के अन्तर्गत औसतन राज्यवार क्षेत्र निम्नानुसार है :—

(000 हैक्टेयर में)

राज्य का नाम	क्षेत्र (1988-89 से 1991-92 का औसत)
असम	104
बिहार	156
उड़ीसा	69
त्रिपुरा	9
उत्तर प्रदेश	3
प० बंगाल	471
आन्ध्र प्रदेश	85
अन्य	69
योग :	966

(घ) कृषि क्षेत्र मांग-पूर्ति की स्थिति और किसानों को प्राप्त होने वाले अनुमानित मूल्यों पर निर्भर करता है।

(ङ) सरकार ने उड़ीसा में पटसन उद्योग सहित पटसन उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं के प्रयोग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 बनाना जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सप्लाई और वितरण में पटसन का अनिवार्य प्रयोग निर्धारित किया गया है। पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, राजकोषीय, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना आदि।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० द्वारा बिना अनुमति के खनन

1966. श्री अनिल बसु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० लाल कुल्था

महानिदेशक तथा जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ स्थानों पर खनन कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा, महानिदेशक खान सुरक्षा की बिना अनुमति कोई भी खनन क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रट की अनुमति अपेक्षित नहीं है। खनन क्रियाकलापों को किए जाने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट को केवल सूचना ही भेजना उपेक्षित है और यह कार्रवाई विधिवत रूप से ही जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

नई ऋण नीति

1967. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री शरद दिघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1992 में नई ऋण नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) वह नीति पिछली नीति से कैसे भिन्न है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 की दूसरी छमाही के लिए ऋण-नीति की घोषणा 8 अक्तूबर, 1992 को की गयी थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 अक्तूबर, 1992 को घोषित किये गये ऋण नीति संबंधी उपायों की मुख्य-मुख्य बातें और किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखा गया सांविधिक नकदी अनुपात (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 3 अप्रैल, 1992 को बकाया निवल मांग और मियादी देयताओं के स्तर तक (एफ०सी० एन०आर० और एन०आर०ई० जमाराशियों को छोड़कर) 9 जनवरी, 1993, 6 फरवरी, 1993 और 6 मार्च, 1993 को 38.5 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत के तीन चरणों में घटाते हुए 37.75 प्रतिशत तक लाया जाये।

(ii) प्रत्येक बैंक द्वारा 10% वृद्धिशील नकदी आरक्षित अनुपात के तहत 17 अप्रैल, 1992 तक के स्तर पर रखे गए अतिरिक्त नकद शेष के 1/3 भाग को 17 अक्तूबर, 1992, 14 नवम्बर, 1992 तथा 12 दिसम्बर, 1992 से शुरू होने वाले पखवाड़े में तीन समान किस्तों में जारी किया जाएगा।

(iii) 17 अक्तूबर, 1932 से शुरू होने वाले पखवाड़े से :

(i) 23 मार्च, 1990 के आधार पर पात्र नकदी शेष जमाराशियों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता रहेगा।

(ii) 23 मार्च 1990 के बाद रखी गयी निवल मांग और मियादी देयताओं पर आधारित पात्र नकदी जमाराशियों में वृद्धि दर, औसत 15 प्रतिशत नकदी आरक्षित अनुपात तथा 10 प्रतिशत तक वर्धमान नकदी आरक्षित अनुपात के अन्तर्गत रखो गयी पात्र नकदी जमाराशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

(iv) 31 अक्तूबर, 1992 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान को जाएंगी :—

(i) वर्ष 1988-89 के मासिक औसत स्तर से अधिक तथा 1989-90 के मासिक औसत स्तर तक बकाया निर्यात ऋण में वृद्धि के 60 प्रतिशत तक निर्यात ऋण (रुपया) पुनर्वित्त । इसके साथ ही, 1989-90 में बकाया निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर से 110 प्रतिशत की वृद्धि दी जायेगी जबकि अब तक यह 125 प्रतिशत थी।

(ii) अमेरिकी डालर में निर्दिष्ट पोत लदान पश्चात् निर्यात ऋण की पुनर्वित्त सुविधा के अन्तर्गत, बैंक इस प्रकार के ऋण में 120 प्रतिशत के बराबर निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं के लिए हकदार होंगे। ये ऋण अब तक $133\frac{1}{3}$ प्रतिशत था।

(v) 9 अक्तूबर, 1992 से 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं पर उधार ब्याज दर एक प्रतिशत अंक कम करते हुए 19.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से घटा कर 18.0 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दी गई। चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के दायरे में आने वाले पण्यों के लिए लागू उधार ब्याज दर भी 19.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से कम करके 18.0 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दी गई।

(vi) 9 अक्तूबर, 1992 से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले निर्यात ऋण (रुपया) पर ब्याज दरें सपाट रूप से एक प्रतिशत अंक कम कर दी गयीं।

(vii) 9 अक्तूबर, 1992 से 46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर ब्याज दरें "13 प्रतिशत से अनधिक वार्षिक दर" को एक प्रतिशत बिन्दु कम करके "12 प्रतिशत से अनधिक वार्षिक दर" कर दिया गया है।

(viii) 9 अक्तूबर, 1992 से अनिवासी विदेशी खातों के अन्तर्गत आने वाले बचत खातों की ब्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 5.0 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। इसी तारीख से 46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वता वाले अनिवासी विदेशी खातों को मियादी जमा दरों को सुसंगत बना दिया गया है और "13 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक" एकल निर्धारण कर दिया गया है।

(ix) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा जमा प्रमाणपत्रों के निर्गम की सीमाओं को, 17 अक्तूबर, 1992 से आरम्भ होने वाले पखवाड़े से 1989-90 की पाक्षिक औसत बकाया कुल जमाराशियों के 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

स्प्रिट की तस्करी

1968. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्प्रिट की अन्तर्राज्यीय तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तस्करी रोकने हेतु कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) केरल में हाल ही में हुए तस्करी के घोटाले में किसी अपराधी को सजा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) स्प्रिटों की अन्तर्राज्यीय तस्करी का मामला राज्य सरकारों का विषय है। अतः इस सूचना को राज्य सरकारों से एकत्र किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का स्थाई परीक्षण स्थल

1969. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के पास स्थायी परीक्षण स्थल की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थायी परीक्षण स्थल की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पास तोपों, मोर्टारों और संबंधित गोला-बारूद के परीक्षण के लिए बालासोर में एक स्थायी परीक्षण रेंज है। प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाओं से सम्पन्न रेंज अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है।

(ख) और (ग) प्रक्षेपास्त्रों के उड़ान परीक्षण की तत्काल जरूरतों की पूर्ति के लिए चांदीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है। बलियापाल में राष्ट्रीय रेंज परियोजना के अन्तर्गत उड़ान परीक्षण के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

केरल में कृषि ऋण माफ करना

1970. **श्री रमेश चेन्नीतला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल सरकार से राज्य में हाल ही की प्राकृतिक आपदा और बाढ़ को देखते हुए कृषि ऋण माफ करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक

बैंकों को इस आशय के स्थाई निर्देश जारी किए हैं कि वे बाढ़, सूखा, बवण्डर आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनरूद्धार सहाता प्रदान करें। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इनकी परिकल्पना की गई है :—(i) अल्पावधिक उत्पाद ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन करना, (ii) वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों को पुनर्निर्धारित करना/उन्हें स्थगित करना, और (iii) आवश्यकता पर आधारित फसल/निवेश ऋणों का प्रावधान करना आदि। उपर्युक्त मार्गनिर्देश केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हैं।

[हिन्दी]

स्टाक इन्वेस्ट स्कीम

1971. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक "स्टाक इन्वेस्ट स्कीम" शुरू करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन बैंकों द्वारा यह योजना शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्कीम को गुजरात में भी शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक गुजरात में इस योजना को आरम्भ करेंगे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्टाक निवेश योजना लागू करने की अनुमति दी गई है :—

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. बैंक आफ इंडिया
3. बैंक आफ महाराष्ट्र
4. केनरा बैंक
5. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
6. देना बैंक
7. इंडियन बैंक
8. पंजाबन नेशनल बैंक
9. सिंडिकेट बैंक
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया
11. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
12. यूको बैंक

13. आन्ध्रा बैंक

14. कार्पोरेशन बैंक

15. न्यू बैंक आफ इंडिया

16. पंजाब एण्ड सिंध बैंक

17. विजया बैंक

(ख) इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बैंकों के भौगोलिक प्रसार के आधार पर किसी न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं द्वारा लागू किया गया है।

(ग) से (ङ) योजना को गुजरात में भी लागू किया गया है।

(च) योजना को निवेश करने वालों के अनुकूल बनाने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे किसी भी मूल्य वर्ग में स्टाक निवेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा निगमित निकायों, भागीदारी फर्मों आदि के अलावा अनिवासी भारतीयों को भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के लिए सुविधा समाप्त करना

1972. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य जमा) योजना के अन्तर्गत लाने के लिए विदेशी बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दी गई सुविधा समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य कौन से मुद्रास्फीतोरोधी उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त, 1992 से विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य जमा राशियां) योजना को लम्बित कर दिया है।

(ख) यह सुविधा खाड़ी संकट और तेल मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लागू की गई थी जिसके कारण देश, विदेशी क्षेत्र में कठिन स्थिति का अनुभव कर रहा था। इस सुविधा की पुनरीक्षा की गई, यह निर्णय लिया गया कि इस सुविधा को 1 अगस्त, 1992 से लम्बित कर दिया जाए।

(ग) सरकार द्वारा किए गए अवस्फीतिकारी उपायों में, केन्द्र के राजकोषीय घाटे पर सख्त नियंत्रण लगाना, जिसे सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक घटाने का प्रोग्राम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 1700 अतिरिक्त खंडों तक और विस्तार करना; औद्योगिक और कृषि उत्पादन की वसूली को समर्थन देने के लिए निम्न ब्याज दर पर बैंक ऋण के प्रवाह में वृद्धि करना, वसूली/समर्थन मूल्यों में उपयुक्त वृद्धि करके और भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र के उधारों की वृद्धि की दर में कटौती करके निसानों को ऊंचे उर्वरक मूल्यों के संबंध में पर्याप्त मुआवजा देना शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में विवेकानन्द पुल की मरम्मत के लिए धनराशि

1973. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर विवेकानन्द पुल की मरम्मत कराने हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान कोई धनराशि देने का है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि जारी की जाएगी; और

(ग) इसके कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इन कार्यों के लिए 2 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों (वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर) के लिए किए गए 9.00 करोड़ रु० के कुल आबंटन में से पूरा किया जाएगा। 2.5 करोड़ रु० की धनराशि "ऑन अकाउन्ट" भुगतान के रूप में पहले ही जारी कर दी गई है। और निधियां किए गए खर्चे के आधार पर जारी की जाएंगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेशम-उत्पादन का विकास

1974. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में रेशम-उत्पादन का तेजी से विकास करने संबंधी कोई परियोजना स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना में केन्द्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार के रेशम उत्पादन विभाग के सहयोग से 718.97 लाख रु० की कुल लागत वाली एक गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना बनाई है जोकि 5 वर्ष की अवधि में पूरी होगी। इस परियोजना में 5 वर्ष की परियोजना अवधि के अन्त तक 77.10 मी० टन कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर जिलों में शहतूती रोपण के 3000 एकड़ क्षेत्र का विकास करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में मूल बीज फार्म, ग्रेनेज, विस्तार केन्द्र, चाकी कीटपालन केन्द्र, तकनीकी सेवा केन्द्र, कोया बाजार आदि जैसे मूल सहायक रेशम उत्पादन इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

(ग) उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति पहले से ही 3 नवम्बर, 1992 को सम्प्रेषित कर दी गई है।

(घ) इस परियोजना में भारत सरकार (केन्द्रीय रेशम बोर्ड) द्वारा 467.22 लाख रु० के कुल व्यय की व्यवस्था है तथा यह परियोजना की कुल लागत का 64.98 प्र०श० भाग बनता है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम को सहायता

1975. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) इसमें से दिल्ली परिवहन निगम ने कितनी धनराशि की अदायगी कर दी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रु०)

	1989-90	1990-91	1991-92
पूंजीगत ऋण	13.00	43.00	11.75
संसाधन ऋण	57.50	120.00	67.00

(ख) भारी घाटों के कारण दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशि

1976. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालू वर्ष के दौरान जमा-राशि में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

आसाम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां मार्च, 1992 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 2234 करोड़ रुपए से बढ़कर जून, 1992 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) 2279 करोड़ रुपए हो गई है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

1877. श्री मदन लाल खुराना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बसों के घाटे के मार्गों से हटाने का है।

(ख) यदि हां, तो घाटे वाले मार्गों का ब्यौरा क्या है और क्या उनसे दिल्ली परिवहन निगम की बसें हटा ली गई हैं;

(ग) क्या मंत्री ने अभी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और तो भी इसे कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दि०प०नि० को मुख्यत: उसमें व्याप्त अकार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार से घाटा हो रहा है, और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों को उन रूटों से हटा लिया जाए जिन पर प्रति कि०मी० आय 4.50 रु० से कम है। इन रूटों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। दिल्ली परिवहन निगम को बसें चरणबद्ध ढंग से हटाई जाएंगी, जब निजी प्रचालकों को इन रूटों पर बसें चाने के परमिट दे दिए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

4.50 रु० से कम प्रति कि०मी० आय वाले 300 रूटों की सूची

क्रम सं०	रूट नं०	विवरण
1	2	3
1.	1	गांधी विहार—कश्मीरी गेट/गु०ते०ब० नगर
2.	3	अशोक विहार फेस-2—प्रगति मैदान
3.	13	अशोक विहार फेस-2—रेलवे स्टेशन
4.	16	शालीमार बाग—पालिका केन्द्र
5.	20	बी०एम०दास चौक—केन्द्रीय सचिवालय
6.	28	राजिन्दर नगर—मोरी गेट (ट०)
7.	31	शास्त्री नगर—नन्द नगरी (ट०)
8.	40	सेवा नगर रे० क्रासिंग—लक्ष्मी नरायण मंदिर

1	2	3
9.	46	वे० पटेल नगर—ज०ला०ने० स्टेडियम
10.	47	सेवा नगर रे० क्रासिंग—इन्द्रापुरी
11.	74	नरायणा विहार—राजघाट (ट०)
12.	80	कर्मपुरा (ट०) - केन्द्रीय टर्मिनल
13.	85	कर्मपुरा (ट०)—प्रगति मैदान
14.	89	देव नगर—सरोजनी नगर डिपो
15.	90	मल्कागंज—केन्द्रीय टर्मिलन
16.	98	कन्हैया नगर—बस अड्डा
17.	101	गु०ते०ब० नगर —शिवाजी स्टेडियम
18.	103	नरेला—रेलवे स्टेशन
19.	104	निरंकारी कालोनी—शिवाजी स्टेडियम
20.	106	कुतुबगढ़/औचंदी बार्डर—रेलवे स्टेशन/आ० पुर
21.	107	बटेवड़ा—रेलवे स्टेशन
22.	109	बांकनेर—रेलवे स्टेशन
23.	111	गु०ते०ब० नगर (+) (—)—गु०ते०ब० नगर
24.	112	साफियाबाद बार्डर—रेलवे स्टेशन
25.	113	सनोठ—रेलवे स्टेशन
26.	114	कुतुबगढ़/खटखोर पंजाब खोड़—रेलवे स्टेशन/आजादपु
27.	116	शालीमार बाग—लाल किला
28.	118	कल्याणपुरी—आर०पी० बाग/लाल किला
29.	119	वाजिदपुर—रेलवे स्टेशन
30.	121	शाहदरा—मोरिस नगर
31.	123	हरेवली—मोरीगेट (ट०)
32.	124	मुखमेलपुर—रेलवे स्टेशन
33.	125	पल्ला—रेलवे स्टेशन
34.	126	बादली—रेलवे स्टेशन
35.	128	खेरा खुर्द—मोरीगेट (ट०)
36.	129	इंगोला—रेलवे स्टेशन

1	2	3
37.	130	बवाना—केन्द्रीय टर्मिनल
38.	131	लामपुर बार्डर—रेलवे स्टेशन
39.	132	अशोक विहार—लाल किला
40.	133	नरेला—मोरीगेट (ट०)
41.	134	इब्राहिमपुर—अ०रा० बस अड्डा
42.	135	नरेला—श०भ० सिंह टर्मिनल
43.	136	घोगा—रेलवे स्टेशन
44.	137	होलम्बी कलां—रेलवे स्टेशन
45.	139	माडल टाउन-3—शिवाजी स्टेडियम
46.	143	सन्त नगर—मोरीगेट ट०
47.	144	सिंघु स्कूल—रेलवे स्टेशन
48.	145	जहांगीर पुरी—नेहरू विहार
49.	146	हिरंकी—रेलवे स्टेशन
50.	147	सिग्गी पुर—रेलवे स्टेशन
51.	153	नांगलोई सैयद—आजाद पुर ट०
52.	154	अशोक विहार—करोल बाग ट०
53.	155	नेहरु विहार—केन्द्रीय टर्मिनल
54.	158	घोगा—आजादपुर
55.	164	सरस्वती विहार—शिवाजी स्टेडियम
56	167	उत्तरी प्रीतम पुरा—शिवाजी स्टेडियम
57.	168	अशोक विहार फेस-2—केन्द्रीय टर्मिनल
58.	169	जहांगीर पुरी—रानी बाग
59.	170	सरस्वती विहार—केन्द्रीय सचिवालय
60.	171	शालीमार बाग—मंडी हाउस
61.	175	लामपुर गांव—रेलवे स्टेशन
62.	176	पल्ला—आजादपुर ट०
63.	177	मंगेश पुर—मोरीगेट ट०
64.	179	नरेला—आजाद पुर ट०

1	2	3
65.	180	जहांगीर पुरी—केन्द्रीय टर्मिनल
66.	184	शालीमार बाग—रेलवे स्टेशन
67.	188	कुतुबगढ़—केन्द्रीय टर्मिनल
68.	193	सिंधु बार्डर—मोरी गेट ट०
69.	195	सिरस पुर—रेलवे स्टेशन
70.	196	उत्तरी प्रीतम पुरा—केन्द्रीय टर्मिनल
71.	199	यादव नगर—मिंटो रोड़ (ट०)
72.	200	तीनमूर्ति—मोरी गेट ट०
73.	202	झील—मल्कागंज
74.	204	शाहदरा—कोडिया पुल
75.	206	घरौली डेरी—झील
76.	207	नानक पुरा—बस अड्डा
77.	220	अशोक विहार—केन्द्रीय टर्मिनल
78.	222	चंदर नगर—मोरिस नगर
79.	223	शाहदरा—मोरिस नगर
80.	232	मंगोल पुरी बी ब्लाक—रेलवे स्टेशन
81.	235	नन्द नगरी (ट०)—वजीर पुर जे जे कालोनी
82.	240	शक्ति नगर—केन्द्रीय टर्मिनल
83.	243	सीलमपुर मार्किट—जामा मस्जिद
84.	245	शाहदरा—बाबर पुर एक्सटेंशन
35.	248	जौहरी पुर—मोरी गेट ट०
86.	252	नन्द नगरी ट०—आर०के० पुरम-1
87.	256	यमुना विहार—आर०के० पुरम-1
88.	264	नन्द नगरी—शिवाजी स्टेडियम
89.	265 सी०	इन्दिरा पुरी (लोनी)—केन्द्रीय टर्मिनल
90.	270	करावल नगर—केन्द्रीय टर्मिनल
91.	275	कृष्णा नगर—बस अड्डा
92.	280	नन्द नगरी—केन्द्रीय टर्मिनल

1	2	3
93.	302	शास्त्री नगर—कोडिया पुल
94.	303	पटपड़ गंज—लाल किला
95.	305	शास्त्री नगर—कोडिया पुल
96.	311	चन्दर नगर—कोडिया पुल
97.	313	विवेक विहार—इन्द्रापुरी
98.	317	शाहदरा—शिवाजी स्टेडियम
99.	322	त्रिलोक पुरी—अ०रा०बस अड्डा
100.	324	मयूर विहार फेस-1—मोरी गेट ट०
101.	325	मयूर बिहार फेस-2—अजमेरी गेट
102.	327	मयूर विहार फेस-1—केन्द्रीय टर्मिनल
103.	328	कड़कड़ डूमा—मोरी गेट ट०
104.	329	शाहदरा—केन्द्रीय टर्मिनल
105.	330	शालीमार पार्क—केन्द्रीय टर्मिनल
106.	336	विवेक विहार—बसंत विहार
107.	337	विवेक विहार—मोरी गेट ट०
108.	338	मयूर विहार—धौलाकुंआ
109.	339	मंडावली/फाजलपुर—मोरी गेट ट०
110.	340	सीमापुरी—केन्द्रीय टर्मिनल
111.	344	कल्याणपुरी—हौजखास ट०
112.	345	आनन्द विहार—उद्योग भवन
113.	348	मयूर विहार-2—अ०रा० बस अड्डा
114.	349	मयूर बिहार-2—केन्द्रीय टर्मिनल
115.	357	शालीमार पार्क—करावल नगर
116.	359	न्यू अशोक नगर—प्रगति मैदान
117.	360	पटपड़ गंज—केन्द्रीय टर्मिनल
118.	361	पटपड़ गंज—लाल किला
119.	362	कस्तूरबा नगर—मोरी गेट ट०
120.	365	शालीमार पार्क—मोरिस नगर

1	2	3
121	372	कृष्णा नगर—बापू धाम
122.	373	कृष्णा नगर—नेहरू प्लेस
123.	384	त्रिलोक पुरी—आर्या समाज रोड
124.	391	कल्याणपुरी—केन्द्रीय टर्मिनल
125.	401	ग्रेटर कैलाश-1—सुपर बाजार
126.	411	अलकनन्दा—जामा मस्जिद
127.	414	तुगलकाबाद रेलवे कालोनी—लाजपत नगर
128.	421	ओखला—जल विहार ट०
129.	422	ग्रेटर कैलाश—मोरी गेट ट०
130.	428	जल विहार ट०—रेलवे स्टेशन
131.	431	मालवीय नगर—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
132.	445	अलकनन्दा—मिन्टो रोड ट०
133.	446	ओखला—मोरी गेट ट०
134.	448	रघुबीर नगर एफ ब्लाक—ज०ला० नेहरू स्टेडियम
135.	454	जल विहार ट०—करौल बाग ट०
136.	470	ग्रेटर कैलाश-1—जन्तर मन्तर
137.	481	कालका जी एक्स०—केन्द्रीय टर्मिनल
138.	482	कालका जी एक्स०—मोरी गेट ट०
139	504	मालवीय नगर—कमला मार्किट
140.	513	सुजान सिंह पार्क—अम्बेडकर नगर ट०
141.	517	सफदर जंग टर्मिनल—आया नगर
142.	526	केन्द्रीय टर्मिनल—अम्बेडकर नगर ट०
143.	531	मिंटो रोड ट०—सादिक नगर
144.	535	राजेन्द्र नगर मार्किट—मालवीय नगर
145.	538	मालवीय नगर—विकास पुरी
146.	567	सफदरजंग टर्मिनल—नांगलोई
147.	578	सफदरजंग टर्मिनल—नजफगढ़
148.	588 सी०	ज०ला० नेहरू स्टेडियम—तिलक नगर

1	2	3
149.	610	केन्द्रीय टर्मिनल—आर०के० पुरम-1
150.	611	प्रगति मैदान—बापू धाम
151.	615	मिन्टो रोड ट०—पूर्वान्चिल होस्टल
152.	616	जंतर मंतर—बसंत कुन्ज सेक्टर-ए
153.	623	निजामुद्दीन रे० स्टेशन—बसंत विहार ट०
154.	628	आर०के० पुरम—उत्तम नगर ट०
155.	629	आर०के० पुरम-1—ज्वाला जे जे कालोनी
156.	630	जंतर मंतर—साउथ कैम्पस
157.	632	लाल किला—नानक पुरा सी-सेन्टर
158.	640	केन्द्रीय टर्मिनल—मुनीरका
159.	641	बारा टूटी—सी०पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी बसंत विहार
160.	660	जंतर मंतर—बसंत विहार ट०
161.	666(+) (—)	पूर्वान्चिल होस्टल—पूर्वान्चिल होस्टल
162.	701	नरेला—नजफगढ़
163.	703	शकरपुर ए-1—जनकपुरी
164.	707	किर्बी प्लेस—नजफगढ़
165.	709	इन्दिरा गांधी एअरपोर्ट—सुल्तान पुरी
166.	710	केन्द्रीय टर्मिनल—बापू धाम
167.	711	सी-1 जनकपुरी—लाजपत नगर
168.	712	चाणक्यपुरी टर्मिनल—कापस हेड़ा बार्डर
169.	715	मंगलापुरी—महरोली
170.	716	चाणक्यपुरी ट०—धूल सिरस
171.	718	इन्दिरा गांधी एअरपोर्ट—कर्मपुरा ट०
172.	720	केन्द्रीय टर्मिनल—जनकपुरी बी-1
173.	722	अम्बेडकर स्टेडियम ट०—बडू सराय
174.	726	चाणक्य पुरी ट०—विकास पुरी
175.	727	ज०ला० नेहरू स्टेडियम—पालम गांव
176.	730	जनकपुरी ए-1—केन्द्रीय टर्मिनल

1	2	3
177.	731	पोचन पुर—बी०एम०डी० चौक
178.	732	पालम गांव—मोरी गेट ट०
179.	733	बिजवासन बार्डर—शिवाजी स्टेडियम
180.	735	मटियाला—स०ज० टर्मिनल
181.	737	नजफगढ़—ज०ला० नेहरू स्टेडियम
182.	740	उत्तम नगर टर्मिनल—केन्द्रीय टर्मिनल
183.	750	करोल बाग टर्मिनल—स०न० डिपो
184.	751	जनकपुरी सी-1—कमला मार्किट
185.	754	किर्बी प्लेस—कमला मार्किट
186.	755	नरायणा विहार—भाई परमानंद कालोनी
187.	770	पालम गांव—अम्बेडकर स्टेडियम
188.	771	अमरोही गांव—केन्द्रीय टर्मिनल
189.	772	इन्दिरा गांधी एअरपोर्ट—चाणक्यपुरी ट०
190.	780	इन्दिरा गांधी एअरपोर्ट—सुपर बाजार
191.	783 सी०	नजफगढ़—श०भ० सिंह ट०
192.	790	नजफगढ़—केन्द्रीय टर्मिनल
193.	793 सी०	विकास पुरी एच-3—अम्बेडकर स्टेडियम
194.	803	किर्बी प्लेस—कर्मपुरा टर्मिनल
195.	804	चाणक्यपुरी ट०—कर्मपुरा टर्मिनल
196.	808	मंगोल पुरी एस ब्लाक—तिलक नगर
197.	809	नीलवाल गांव—तिलक नगर
198.	810	उत्तम नगर टर्मिनल—केन्द्रीय टर्मिनल
199.	819	पंडवाला कलां—तिलक नगर
200.	821	जाफर पुर कलां—तिलक नगर
201.	822	ईसा पुर—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन
202.	824	कैर गांव—तिलक नगर
203.	825	झड़ौदा—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन
204.	826	खेरा डाबर—तिलक नगर/कौडिया पुल

1	2	3
205	827	दौराला—तिलक नगर/कोडिया पुल
206.	828	गालिब पुर—तिलक नगर/कौडिया पुल
207.	829	शिकार पुर—तिलक नगर
208.	834	नानक डेरी—नजफगढ़
209.	835	ढांसा बार्डर—तिलक नगर/रेलवे स्टेशन
210.	836	मुन्डेला कलां—तिलक नगर/कोडिया पुल
211.	84 ;	हरी न.र डिपो—शिवाजी स्टेडियम
212.	844	सारंग पुर—नजफगढ़
213.	845	दौलत पुर—तिलक नगर
214.	848	बावर गढ़ बार्डर—तिलक नगर
215.	853	उत्तम नगर ट०—करोल बाग ट०
216.	854	जनक पुरी सी-1—शिवाजी स्टेडियम
217.	861	तिलक नगर—जहांगीर पुरी
218.	862	जनक पुरी डेसू—मोरी गेट ट०
219.	865 सी०	विकासपुरी—नेहरू प्लेस ट०
220.	869	तिलक नगर—न्यू दिल्ली रे० स्टेशन
221.	873	ताजपुर खुर्द—तिलक नगर
222.	874	तिलक विहार—नरायणा विहार
223.	875	कैलाश पुरी—करोल बाग ट०
224.	876	दिचाऊं कलां—कर्मपुरा ट०
225.	877	राजा गार्डन ट०—बिजवासन रे० स्टेशन
226.	878	मलिकपुर बैंर—नजफगढ़
227.	885	रेवला खानपुर—तिलक नगर
828.	886	नजफगढ़—महरौली
229.	904	शकूरपुर—लाजपत नगर
230.	913	पंजाबी बाग एक्स०—बालकराम हास्पिटल
231.	914	पंजाबी बाग ट०—नांगलोई जे जे कालोनी-2
232.	915	पंजाबी बाग ट०—कनझावला

1	2	3
233.	922	फतेहपुरी—नजफगढ़
234.	924	मोरी गेट—माजरा डबास
235	927	पंजाबी बाग ट०—बवाना
236.	928	फतेहपुरी—गढ़ी रन्धाला
237.	930	केन्द्रीय टर्मिनल—रानीबाग
238.	931	पंजाबी बाग ट०—बक्कारवाला
239.	932	बस अड्डा—रानी बाग
240.	933	मोरी गेट ट०—नांगलोई जै जै कालोनी-2
241.	934	पंजाबी बाग ट०—नीलवाल
242.	935	आजाद पुर ट०—माजरा डबास
243.	938	आजाद पुर ट०—टीकरी बार्डर
244.	941	रेलवे स्टेशन—कुतुब गढ़
245.	942	फतेहपुरी—कैर/झड़ौदा कलां
246.	944	केन्द्रीय टर्मिनल—सुल्तानपुरी
247.	945	केशव पुरम (व०टै०)—सफदरजंग अस्पताल
248.	948	पंजाबी बाग ट०—नरेला
249.	949	अम्बेडकर स्टेडियम ट०—गुरु हरकिशन नगर
250.	950	श०भ० सिंह ट०—मोहिन्द्रा पार्क
251.	956	पश्चिम विहार—न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन
252.	960	नांगलोई सैयद—केन्द्रीय टर्मिनल
253.	961	नजफगढ़—नरेला
254.	962	बुद्ध विहार—केन्द्रीय टर्मिनल
255.	963	रामपुरा डी०डी०ए०—केन्द्रीय टर्मिनल
256.	963 सीमित	सरस्वती विहार—नेहरू प्लेस टर्मिनल
257.	965	पश्चिम विहार बीजी-5—केन्द्रीय टर्मिनल
258.	967	टीकरी बार्डर—धौला कुआं
259.	9[illegible]9	रिठाला गांव—आजाद पुर टर्मिनल

1	2	3
260.	970	रोहिणी सैक्टर-1—केन्द्रीय टर्मिनल
261.	972	नरेला—नजफगढ़
262.	973	केशवपुरम वाटर टैंक—पालिका केन्द्र
263.	974	मादीपुर जे जे कालनी—अम्बेडकर नगर टर्मिनल
264.	975	रोहिणी सैक्टर-6—केन्द्रीय टर्मिनल
265.	977	नरेला—नजफगढ़
266.	978	नजफगढ़—आजाद पुर टर्मिनल
267.	980	नांगलोई जे जे कालोनी—केन्द्रीय टर्मिनल
268.	981	नरेला—टीकरी बार्डर
269.	984	रोहिणी सैक्टर-3 (ट०)—स०जं० टर्मिनल
270.	985	रोहिणी सैक्टर-16 (ट०)—वजीर पुर डिपो डिपो-1
271.	एफ-1	जल विहार टर्मिनल—तुगलकाबाद गांव
272.	एफ-2	सेवा नगर रेलवे क्रासिंग—हमदर्द नगर टर्मिनल
273.	एफ-3	सं०जं० टर्मिनल—मेहरौली
274.	एफ-5	जनक पुरी सी-1—बरार स्क्वायर रे० स्टेशन
275.	कृषक (+)(—)	कुतुब गढ़—कुतुब गढ़
276.		शाहदरा डिपो—पटपड़ गंज डिपो
277.		पूसा इन्सटीच्यूट—अजमेरी गेट
278.		हमीद पुर—रेलवे स्टेशन
279.	148	टिकरी खुर्द—रेलवे स्टेशन
280.	149	ताजपुर कलां—रेलवे स्टेशन
281.	161	सुल्तान पुर डबास—रेलवे स्टेशन
282.	162	सुंगर पुर मन्दिर—मोरी गेट टर्मिनल
283.	174	कन्झावला—वजीर पुर डिपो
284.	178	सनोठ गांव—रेलवे स्टेशन
285.	189	नरेला—आजाद पुर
286.	191	हरेवली गांव—मोरी गेट टर्मिनल
287.	314	शकरपुर—लाल किला

1	2	3
288.	708	नरेला—नजफगढ़
289.	713	नासिर पुर—चाणक्य पुरी (ट०)
290.	723	सागर पुर स्कूल—केन्द्रीय टर्मिनल
291.	745	दौलत पुर गांव—नेहरू स्टेडियम
292.	752	ककरौला—रेलवे स्टेशन
293.	774	चाणक्य पुरी (ट०)—आई०ओ०सी० टर्मिनल
294.	775	बिजवासन बार्डर—करौल बाग टर्मिनल
295.	792	भरथल—मोरी गेट (ट०)
296.	866	नजफगढ़—कौड़िया पुल
297.	872	नजफगढ़—सुरख पुर
298.	947	गंढी रढ़ाला—आजादपुर
299.	976	पंजाबी बाग (ट०)—निठारी गांव
300.	979	नांगलोई—नरेला

[हिन्दी]

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में अफीम कृषकों को परेशान किया जाना

1978. **श्री राम सागर :** क्या वित्त मन्त्री 7 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में अफीम कृषकों को तथाकथित रूप से परेशान किए जाने की जांच हेतु गठित जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) नार्कोटिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस बारे में अब जांच पूरी कर ली गई है और उससे यह पता चला है कि पोस्त के प्लॉटों को परीक्षण के तौर पर मापने और अफीम की भार-तौलाई के समय पर पोस्त की खेती करने वाले कुछ किसानों को परेशान करने सम्बन्धी आरोप झूठे और निराधार थे।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना के एम०आई०-8 हेलीकॉप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना

1979. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में भारतीय वायुसेना के एम०आई०-8 हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने हेतु किसी जांच के आदेश दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 11 नवम्बर, 1992 को बम्बई हाई में हुई दुर्घटना में चौदह (14) सिविलियन यात्रियों में से पांच (5) मारे गए थे जबकि एक यात्री अभी लापता है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर जिसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ले रखा था पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच चल रही है।

(घ) न्यायिक जांच पूरी हो जाने के बाद इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे।

पटसन एककों को निर्यात हेतु सहायता

1980. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पटसन एकक पटसन उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों को सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी है और पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 378.24 करोड़ रु० मूल्य के पटसन के सामान का निर्यात किया गया।

(ग) और (घ) सरकार ने सहायता प्रदान करने के साथ-साथ पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं वित्तीय, राजकोषीय तथा विपणन सहायता प्रदान करना तथा अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों का वित्त पोषण करना ताकि उपभोक्ता की अभिरुचियों के अनुरूप नई शृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास किया जा सके। पटसन विनिर्माण के निर्यात को बढ़ाने के लिए बहु-आयामी क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बाजार अध्ययन शुरू करना, आयातकों और अन्तः प्रयोक्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना तथा प्रचार अभियान चलाना।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

1981. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में 31 मार्च, 1991 तथा 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान अतिरिक्त पंजीकरण की संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान नियोजकों की संख्या क्या है; और

(घ) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार तथा स्तर-वार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31 मार्च, 1991 तथा 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, निम्न प्रकार थी :—

निम्न तिथि के अनुसार		संख्या (हजारों में)
31 मार्च, 1991	—	34890 0
31 मार्च, 1992	—	36551.4

(ख) जनवरी, 1992 से अगस्त, 1992 तक की अवधि के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या 3649.4 हजार थी।

(ग) अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान रोजगार में लगाए व्यक्तियों की संख्या 257.7 हजार थी।

(घ) सितम्बर, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार पंजीकृत शिक्षित रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार तथा शिक्षा-स्तर के अनुसार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित (मैट्रिक और उससे ऊपर) नौकरी चाहने वाले व्यक्ति

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मैट्रिक	हायर सैकेण्डरी/ इण्टरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	997.4	505.1	233.3	21.8	1757.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1	×	0.3
3.	असम	364.6	128.1	68.7	4.1	565.5

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	1697.5	402.5	352.0	16.1	2468.1
5.	गोवा	44.4	9.2	7.3	0.4	61.3
6.	गुजरात	441.1	83.4	66.9	8.1	599.4
7.	हरियाणा	257.1	28.8	53.5	7.8	347.2
8.	हिमाचल प्रदेश	207.0	16.0	27.7	8.6	259.3
9.	जम्मू और कश्मीर	15.9	10.3	8.9	2.6	37.7
10.	कर्नाटक	559.0	96.7	116.4	16.6	788.8
11.	केरल	1700.7	214.7	133.5	27.8	2076.6
12.	मध्य प्रदेश	310.7	862.0	189.6	50.4	1412.6
13.	महाराष्ट्र	1434.3	241.4	217.4	21.9	1915.1
14.	मणिपुर	73.2	25.4	20.1	0.9	119.5
15.	मेघालय	6.5	2.2	1.5	0.1	10.3
16.	मिजोरम	8.7	1.8	1.2	0.2	11.9
17.	नागालैंड	9.1	1.6	1.2	×	12.0
18.	उड़ीसा	331.6	63.0	96.8	8.8	501.1
19.	पंजाब	248.7	57.9	83.8	19.8	411.3
20.	राजस्थान	171.2	205.1	126.3	14.0	516.6
21.	सिक्किम*					
22.	तमिलनाडु	944.0	457.0	292.5	50.2	1744.7
23.	त्रिपुरा	25.6	16.5	6.5	0.9	49.6
24.	उत्तर प्रदेश	764.7	814.4	398.9	84.5	2062.5
25.	पश्चिम बंगाल	1363.4	698.6	469.3	32.4	2563.7
	संघ शासित प्रदेश					
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.9	2.9	1.6	0.2	8.6
27.	चण्डीगढ़	42.3	20.9	20.1	2.8	86.0
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.9	0.1	0.2	×	1.2

1	2	3	4	5	6	7
29.	दिल्ली	254.1	178.9	197.1	18.0	648.1
30.	दमन और दीव**					
31.	लक्षद्वीप	1.6	×	×	×	1.7
32.	पांडिचेरी	47.4	11.7	8.1	1.4	68.5
	योग :	12327.7	5156.4	3200.2	422.6	21106.8

टिप्पणी :—

1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।
3. ×50 से कम आंकड़े
4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

1982. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर०आर०बी० बैंकों का विलय उनको प्रयोजित करने वाले बैंकों के साथ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से कई मॉडल तैयार किए गए हैं और सभी दृष्टिकोणों से प्रत्येक मॉडल की कारगरता की जांच की जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्तमान सभी 196 ग्रामीण बैंकों का समामेलन कर एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। फिलहाल इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु विदेशी सहायता

1983. श्री नाभाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री के०पी० सिंह देव :

डा० सूलीराम डुंगरीमल गेस्वामी :

श्री कृपासिंधु भोई :

श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार पिछले तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिए सड़कों/पुलों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजनाएं क्या हैं;

(ख) इन वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं तथा इस प्रकार की सहायता राशि से निर्मित किए जाने वाले सड़कों/पुलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना-वार कितनी सहायता राशि दी गई; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ङ) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं (विवरण-I एवं II)।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित सड़क/पुल परियोजनाओं की सूची

1. राज्य—आन्ध्र प्रदेश

(i) एन०एच०-5 के चिरकालरीपेट-विजयवाड़ा खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) नेल्लोर—बेलोरी बम्बई सड़क 120 कि०मी० का सुधार।

(iii) कुड्डापाहुला—टाडीपट्टी—अनन्तपुर सड़क का सुधार।

(iv) काथीपुडी—काकीनाडा—नरसापुर—टोडीपल्ली सड़क का सुधार।

(v) मोडीरमातला—डबेपल्ली—पांडुगुला—मिरयला गडा—नरहेल्ली सड़क का सुधार।

(vi) आन्ध्र प्रदेश राज्य में सड़क के किनारे बरिहर।

(vii) हैदराबाद—विजयवाड़ा—राजमुंदरी (चुनिंदा खंड) के साथ एन०एच०-5 और एम०एच०-9 को मजबूत बनाना।

(viii) काकीनाडा राजनगर सड़क।

2. राज्य—असम

(i) एन०एच०-52 पर जिया-भारेली पुल का निर्माण।

3. राज्य—बिहार

(i) एन०एच०-2 के बारवाड़ा—पश्चिम बंगाल/बिहार बार्डर खंड को 4 लेन का बनाना।

4. राज्य—गोवा

(i) एन०एच०-4 के पणजी—पोंडा खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।

(ii) एन०एच०-17 के पणजी—मारगांव खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।

(iii) एन०एच०-17 के पणजी—मापूसा खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।

5. राज्य—गुजरात

(i) एन०एच०-8 के अहमदाबाद—हिमपत नगर खंड को मजबूत बनाना।

6. राज्य—हरियाणा

(i) एन०एच०-1 के करनाल—हरियाणा/पंजाब बार्डर खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) एन०एच०-8 के 162-36 कि०मी० को 4 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

7. राज्य—हिमाचल प्रदेश

(i) कालम्ब--नाहन धोल काउन लाल राज बन सड़क को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।

(ii) पारवानू—दिल्ली/यू०पी० बाउंडरी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार इकहरी लेन में सुधार)।

(iii) मेहतपुर—ऊना—संसारपुर सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार इकहरी लेन में सुधार।

8. राज्य—जम्मू एवं कश्मीर

(i) एन०एच०-1 ए के जम्मू—पठानकोट खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

9. राज्य—कर्नाटक

(i) एन०एच०-13 के चित्रदुर्ग—महाराष्ट्र/कर्नाटक बार्डर को 2 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

(ii) राज्य राजमार्ग-42 के हुबली—गडेग—कोप्पल—होसपेट—बेलरी खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

(iii) एन०एच०-4 के कोहलापुर—बेलगाम खंड को 4 लेन का बनाना।

(iv) एन०एच०-4 के होसकोटी—बंगलोर—तुमकुर खंड को 4 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

(v) एन०एच०-7 के बंगलोर—होसुर खंड को 4 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

10. राज्य—केरल

(i) एन०एच०-17 के कर्नाटक बार्डर—माहा खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।

(ii) एन०एच०-47 के 327/100-343/200 कि०मी० और कोचीन बाईपास 0/0-9/800 कि०मी० को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iii) एन०एच०-47 पर क्विलान-त्रिवेन्द्रिम 497/750 कि०मी० से 551/100 कि०मी० तक और त्रिवेन्द्रम बाईपास को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iv) एन०एच०-47 पर कोचीन बाई पास 9/8 से 16/4 कि०मी० और अरूर-अलीप्पी खंड 366/780 से 409/3 कि०मी० तक चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(v) एन०एच०-16 और एन०एच०-17 को जोड़ने वाली लिंक रोड।

(vi) एन०एच०-47 के त्रिवेन्द्रम—क्विलान खंड को लेन का बनाना/मजबूत बनाना।

(vii) एन०एच०-47 के अलवाये—वीट्टीला और अरूर—शेरथली खंड को 4 लेन का बनाना और वीट्टीला—अरूर खंड को मजबूत बनाना।

11. राज्य—मध्य प्रदेश

(i) एन०एच०-3 के देवास—इन्दौर खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) इन्दौर बाई पास (एन०एच०-3) का निर्माण।

(iii) एन०एच०- पर महू इन्दौर—महू खंड को 4 लेन का बनाना।

(iv) एन०एच०-6 के दुर्ग—मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र बार्डर खंड को 4 लेन का बनाना।

(v) एन०एच०-12 के मोन्डीदीप भोपाल—ओबेदुल्लागंज खंड को 4 लेन का बनाना।

(vi) एन०एच०-7 के जबलपुर—कटनी खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना।

(vii) एन०एच०-3 के 132-232 कि०मी० खंड को मजबूत बनाना।

(viii) एन०एच०-6 के रायपुर—भिलाई (30 कि०मी०) खंड को 4 लेन का बनाना।

12. राज्य—महाराष्ट्र

(i) एन०एच०-8 वैसीन क्रीक—मानोर खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) एन०एच०-3 के थाने से नासिक 414/0 से 559/500 कि०मी० तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iii) एन०एच०-4 के थापो से पुणे 139/600 से 26/700 कि०मी० तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iv) औरंगाबाद—जलगांव सड़क लेन को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।

(v) औरंगाबाद—नासिक (चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और मजबूत बनाना)।

(vi) औरंगाबाद—पैथन सड़क को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और मजबूत बनाना।

(vii) एन०एच०-4 के पुणे—सतारा खंड को 4 लेन का बनाना।

(viii) एन०एच०-4 के कोल्हापुर—बेलगाम खंड को 4 लेन का बनाना।

13. राज्य—उड़ीसा

(i) एन०एच०-5 पर महानदी पुल सहित भुवनेश्वर—कटक खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) राज्य सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का पुननिर्माण।

(iii) एन०एच०-5 ए पर द्वितीय महानदी पुल।

(iv) सुरेन्द्रगढ़ से खारियार सड़क को मजबूत बनाने के साथ-साथ उसे चौड़ा करके 2 लेन का बनाना।

(क) सुरेन्द्रगढ़ से सम्बलपुर तक—78 कि०मी०

(ख) बारागढ़-सैन्टोब—30 कि०मी०

(ग) एन०एच-3 बोलनगीर खंड—71 कि०मी०

(घ) एम०डी०आर० 40 सैन्टोला—टीटलागढ़

(v) पालीकोइली से राजमुन्डा तक के खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना।

(क) 0/0 से 131/0 कि०मी०—121.0 कि०मी०

(ख) 121/0 से 160/0—39.0 कि०मी०

और 0/ से 29/0—28.0 कि०मी०

(ग) 2999/0 कि०मी०—29.00 कि०मी०

और आगे 267.00 कि०मी०

(vi) बंगोमुन्डा से एम०पी० बार्डर तक सुधार।

(vii) राउर केला-सुन्दरगढ़ (85-166 कि०मी०) तक के खंड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना।

14. राज्य—पंजाब

(i) एन०एच०-1 के हरियाणा/पंजाब बार्डर—सिरहिंद खंड को 4 लेन का बनाना।

(ii) एन०एच०-1 ए के जालंधर—पठानकोट खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

15. राज्य—राजस्थान

(i) एन०एच०-11 पर यू०पी०/राजस्थान बार्डर—जयपुर खंड के 2 लेन वाली सड़क को मजबूत बनाना।

(ii) एन०एच०-8 के जयपुर—अजमेर सड़क को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iii) एन०एच०-8 के 162-36 कि०मी० तक के खंड को 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना ।

(iv) एन०एच०-8 के एक्रोल—कोटपुट्टी खंड को 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना ।

16. राज्य—तमिलनाडु

(i) एन०एच०-5 के 8/6 से 52/8 कि०मी० तक के खंड को मजबूत बनाने के साथ-साथ चौड़ा करके 4 लेन का बनाना ।

(ii) एन०एच०-7 पर 33/015-94/0 कि०मी० तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना ।

(iii) कुड्डालोर से कन्याकुमारी तक पूर्व-पश्चिम सड़क का सुधार ।

(iv) एन०एच०-7 के कर्नाटक बार्डर से कृष्णा गिरि खंड को 4 लेन का बनाना ।

17. राज्य—उत्तर प्रदेश

(i) एन०एच०-2 के मथुरा-आगरा खंड को 4 लेन का बनाना ।

(ii) शाहदरा-शोरनपुर रोड 11-162 कि०मी० (2 लेन) को चौड़ा करना और मजबूत बनाना ।

(iii) पानीपत-खातिया (नेपाल बार्डर) को चौड़ा करना और मजबूत बनाना (2 लेन)।

(iv) दिल्ली-कानपुर फेज-I को 2 लेन से 4 लेन का बनाना ।

(v) दिल्ली-कानपुर फेज-II 4 लेन से 6 लेन का बनाना ।

(vi) आगरा (टूंडला-एटा-कासगंज-बदायूं) बरेली सड़क को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और उसमें सुधार करना ।

(vii) शिकोहाबाद-मैनपुरी-भोगांव रोड को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना ।

(viii) वाराणसी-शक्तिनगर रोड को सुधार करना और चौड़ा करके 2 लेन का बनाना ।

(ix) एन०एच०-25 पर लखनऊ-कानपुर आई/सी गंगापुल को 4 लेन का बनाना ।

18. राज्य—पश्चिम बंगाल

(i) एन०एच०-2 के पश्चिम बंगाल/बिहार बार्डर—रानीगंज खंड को 4 लेन का बनाना ।

(ii) जयपुरबील (18 कि०मी०) से उल्लूबेरिया (52 कि०मी०—एन०एच०-6) तक के मौजूदा 2 लेन के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना ।

(iii) एन०एच०-2 पर रानीगंज से पानागढ़ तक के खंड को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना।

(iv) सड़कपुर-रानीगंज रोड को चौड़ा करना और उसे सुधारना।

(v) त्रिगाला से पुनूलिया तक सड़क को चौड़ा करना और उसे सुधारना।

(vi) दुर्गापुर-रंजोरा-पुनूलिया रोड को चौड़ा करना और उसे सुधारना।

(vii) जादवपुर से कमालगंज तक सुबोध मालिक रोड को चौड़ा करना उसे मजबूत बनाना।

(viii) पानागढ़-मोरेग्राम रोड में सुधार करना।

(ix) एन०एच०-2 पर द्वितीय विवेकानन्द पुल का निर्माण।

(x) एन०एच०-31 पर द्वितीय तीस्ता पुल का निर्माण।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत सड़क/पुल परियोजनाओं के ब्यौरे

(क) वित्तीय संस्था का नाम—विश्व बैंक

क्रम सं०	राज्य	परियोजना का विवरण	सड़क की लम्बाई कि०मी० में	अनुमानित लागत मिलियन रु० में	ऋण की अनुमानित राशि अमरीकी डालर	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	एन०एच० 1 के करनाल-हरियाणा/पंजाब बार्डर के बीच के खण्ड को 4 लेन का बनाना।	79.5	1400.00	58.9	1996-97

1	2	3	4	5	6	7
2.	पंजाब	एन०एच० के सिरहिंद एवं पंजाब-हरियाणा बार्डर के बीच के खण्ड को 4 लेन का बनाना।	40.0	730.00	31.5	1996-97
3.	पश्चिम बंगाल	एन०एच० 2 के रानीगंज एवं पश्चिम बंगाल/बिहार बार्डर के बीच के खण्ड को 4 लेन का बनाना।	35.4	871.80	30.5	1996-97
4.	मध्य प्रदेश	(i) एन०एच० 3 के इंदौर बाईपास का निर्माण	31.4	683.60	33.5	1996-97
		(ii) एन०एच० 3 के इंदौर-देवास खण्ड को 4 लेन का बनाना।	18.2	264.40		
6.	महाराष्ट्र	एन०एच० 8 के बासीन क्रीक और मानोर खण्ड को 4 लेन का बनाना।	58.0	1150.00	43.3	199-97
7.	उड़ीसा	(i) एन०एच० 5 के पहुंच मार्ग और महानदी पुल सहित कटक-भुवनेश्वर खण्ड को 4 लेन का बनाना।	27.6	1267.40	51.7	1996-97
		(ii) राज्य सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण।	6	583.50	12.9	1996-97

(ख) वित्तीय संस्था का नाम—ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड, जापान

क्रम सं०	राज्य	विवरण	लंबाई (कि०मी० में)	लागत (मिलियन रु० में)	ऋण की राशि (मिलियन यैन में)	पूरा होने की संभावित
1.	उत्तर प्रदेश	एन०एच० 2 के मथुरा-आगरा खंड को 4 लेन का बनाना	51.3	1050.0	4855	1996-97

(ग) वित्तीय संस्था नाम : एशियाई विकास बैंक

क्रम सं०	राज्य	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	अनुमानित लागत (मिलियन रु० में)	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डार (ऋण की राशि	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर्नाटक	एन०एच०-7 के बंगलौर-कर्नाटक/तमिलनाडु बार्डर खंड को 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना	25	481	13.51	1996-97

1	2	3	4	5	6	7
2.	केरल	एन०एच०-47 के अलवाये-विट्टीला और अरूर-शेरथाई खंड (37 कि०मी०) को 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना तथा विट्टीला अरूर खंड (10 कि०मी०) को मजबूत बनाना	47	566	22.06	1996-97
3.	राजस्थान	एन० एच०-8 के एक्रोल-कोटपूतली खंड को 4 लेन का बनाना और उसे मजबूत बनाना	69	940	30.35	1996-97
4.	आन्ध्र प्रदेश	काकीनाडा-राजानग्राग सड़क का सुधार करना	54	350	10.51	1996-97
5.	उड़ीसा	राउर केला-सम्बलपुल सड़क का सुधार करना	164	1450	4 .07	1996-97
5.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी-शक्तिनगर सड़क का सुधार करना	182	1090	30.92	1996-97
7.	पश्चिम बंगाल	पानागढ़-मोरेग्राम सड़क का सुधार	152	1710	40.76	1996-97

निजी कम्पनियों द्वारा साल वृक्षारोपण द्वारा धन जुटाया जाना

1984. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी कम्पनियां साल वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपए जुटा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा इन कम्पनियों के दावों और घोषित अनुमानित लागत तथा उनसे आय के बारे में जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कम्पनियों में निवेशकर्ता/आगे निवेश करने वाले लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन गतिविधियों से चिन्तित होने पर, भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने कंपनी कार्य विभाग को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी ओर से उल्लेख किया और अनुरोध किया कि यह मामला सेबी के कार्यक्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस पर संभाव्य कार्रवाई कंपनी विभाग द्वारा की जाए। तथापि, कंपनी कार्य विभाग का विचार था कि कंपनी द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए धन जुटाने को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के तहत न तो ऋण और न ही बचत माना जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभाग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के साथ चर्चा की। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सूचित किया कि कंपनियों द्वारा कथित रूप से भूठे दावे प्रस्तुत करने और उन्हें गलत तरीके से पेश करने के बारे में जांच कार्य प्रगति पर है।

(घ) "सेबी" भी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इन कंपनियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 2(ज) के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के तहत आते हैं और यदि ऐसा हो तो क्या "सेबी" निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए "सेबी" की धारा 11 के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकती है।

कालाकोट कोयला क्षेत्र का बन्द होना

1985. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी जिले के कालाकोट कोयला क्षेत्र को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार कालाकोट की कोयला खानों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मेसर्स जम्मू एवं कश्मीर मिनरल लि०, जोकि राज्य सरकार का एक उपक्रम है तथा कालाकोट की कोयला खानों का प्रचालन करती है, द्वारा अपने खनन क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए विद्यमान कोयला खानों तथा कालाकोट में नई कोयला खानों को खोले जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

1986. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लिए प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत होने से सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र निर्यातक को अपने माल का निर्यात करने में गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने तथा चालू वर्ष में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या रियायतें दी हैं और क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिधान निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार परिधानों सहित वस्त्रों के निर्यात की लगातार मानीटरी कर रही है जब भी आवश्यक होता है, उद्योग को पेश आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। सरकार ने अभी हाल ही में परिधानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें शामिल हैं :—उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली शुरू करना, परिवर्तनशील मुद्राओं के सन्दर्भ में कोटा मदों के फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, लाइसेंस की आवश्यकताओं के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीनरी के आयात को सुकर बनाना, कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता के बिना परिधान, हौजरी और मेड-अप्स क्षेत्रों द्वारा आवश्यक पुरानी मशीनरी का आयात करना, निर्यात संवर्धन (पूंजीगत माल) योजना शुरू करना जिसके अन्तर्गत निर्यात दायित्व के अधीन पूंजीगत माल का रियायती सीमा शुल्क पर आयात किया जा सकता है, विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना शुरू करना, वस्त्र और परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत उचित नीतिगत उपायों के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना आदि।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिधानों का निर्यात

मात्रा (000 नगों में)
मूल्य (000 रु० में)

देश का नाम	1989		1990		1991	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अमेरिका	109669	9107848	111822	11229145	124196	13281570
जर्मनी	62040	4453490	76504	6577072	86292	8419172
फ्रान्स	31787	1959998	40631	2949274	49121	3716837
इटली	30068	1170563	27050	1405369	27264	1976177
बेनलक्स	26050	1302897	37505	2037527	34759	2359782
डेनमार्क	5244	328174	5464	418557	5701	519567

1	2	3	4	5	6	7
यू के	59905	3463711	81797	5021216	79306	5770119
आयरलैंड	809	60707	1060	85603	1040	98778
ग्रीस	162	12883	339	29994	355	36402
स्पेन	3417	217133	4788	386419	6013	569927
पुर्तगाल	278	8882	776	29367	495	40098
नार्वे	1943	133678	2286	217904	4384	418438
फिनलैंड	2196	115910	2549	164142	2369	193564
आस्ट्रिया	5749	288982	8412	584663	8849	736101
कनाडा	13776	886182	15111	1161396	17127	1558218
यू०एस०एस०आर०	41184	2798560	48783	3621753	34425	2875931
जापान	15674	944943	16337	1243826	20348	1873898
आस्ट्रेलिया	6249	465037	5888	499166	6176	567187
न्यूजीलैंड	1090	75829	1056	77712	717	66574
हंगरी	1603	55736	3105	113293	9188	331422
यूगोस्लाविया	678	14561	1634	67935	974	58177

1	2	3	4	5	6	7
सिंगापुर	2619	150618	2547	227210	2416	243033
स्विटजरलैंड	19908	798831	25447	1218537	25404	1427558
हांगकांग	1128	111245	2089	332323	1399	184423
यू०ए०ई०	22821	693027	40915	1843757	59826	2470254
पोलैंड	4461	111318	4331	155256	11587	468491
पनामा	1069	63580	2761	178719	6133	441623
सऊदी अरब	1667	65254	4662	140889	7030	342543
चेकोस्लावाकिया	2053	41317	1345	38965	1942	77244
कनाडी आइसलैंड	1814	80261	1948	131058	2165	252097
कुवैत	1603	87664	1975	105698	899	73520
मेक्सिको	343	32741	772	54939	1504	139294
स्वाजीलैंड	102	4824	221	16844	343	35034
मारीशस	886	22421	146	8 48	276	20211
स्वीडन	5522	369219	8326	685192	9534	891938
अन्य देश	8538	410578	12294	716379	15225	1005543
कुल योग :	494105	30908602	602676	43775647	664782	53580735

रुग्ण लघु इकाइयां

1987. **श्री नीतिश कुमार :**

डा० महावीपक सिंह शाक्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण लघु इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों को निर्देश देने हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का रुग्णता की परिधि से कुल वर्तमान इकाइयों में से कितनी इकाइयों को बाहर निकालने का लक्ष्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के देश के 2,21,472 लघु उद्योग एककों पर अग्रिम बकाया थे।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा, अर्थक्षमता मानदंडों, शुरू की रुग्णता तथा साथ ही बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के मामले में पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए सहायता और रियायतों के संदर्भ में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। सम्भावित रूप से अर्थक्षम उन लघु एककों को, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से 150000 रुपए की दीर्घावधिक इक्विटी टाइप वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिस पर 1% वार्षिक सेवा प्रभार लिया जाएगा। इसके अलावा, रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित मार्जिन राशि योजना के अन्तर्गत प्रति एकक 50,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋणों की आवश्यकताओं को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्थाओं तथा लघु उद्योगों से संबद्ध अन्य मामलों की जांच करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को पेश कर दी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार, 2,21,472 रुग्ण एककों में से बैंकों ने उनकी अर्थक्षमता या गैर-अर्थक्षमता के बारे में निर्णय लेने के लिए 2,19,138 एककों की पहचान की है। इनमें से, 16,140 एककों को अर्थक्षम पाया गया था। बैंकों ने 13,224 एककों को अपने पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया है।

[अनुवाद]

राज्यों में बी०आई०एफ०आर० जैसे निकाय

1988. **श्री चार्ल्स फर्नांडीज :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र की इकाइयों के बीच बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता से निबटने के लिए प्रत्येक राज्य में बी०आई०एफ०आर० जैसे निकायों की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

गुजरात में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक ऋण

1989. **श्री खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा गुजरात को कितना ऋण दिया गया;

(ख) इस सम्बन्ध में बंकों की भूमिका की समीक्षा कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1990-91 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदार बैंकों द्वारा क्रमशः 27.93 करोड़ रुपय और 29 26 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि संवितरित की गई।

(ख) और (ग) संबंधित बैंकों द्वारा बोर्ड स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों अर्थात् 1990-91 और 1991-92 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन परिवारों की सहायता की जानी है उनके लिए क्रमशः 72030 और 68227 परिवारों का प्रत्यक्ष लक्ष्य रखा था। राज्य में कार्य कर रहे बैंकों ने उक्त अवधि के दौरान क्रमशः 72426 और 72326 हिताधिकारी परिवारों की सहायता कर उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। 1991-92 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित 68227 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 72326 परिवारों को सहायता दी गई। इनमें से 38424 परिवार अर्थात् 53% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के और 28984 अर्थात् 38% महिला हिताधिकारी थे।

बीड़ी पर उत्पादन शुल्क

1990. **डा० वसन्त पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर-भट्टी तथा कोयला-भट्टी में तैयार की गई बीडियों पर लगाई गई उत्पादन-शुल्क दरों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी उपयोग में सौर-भट्टी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां।

बीड़ियां, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं। बीड़ियों पर टैरिफ दर दस रुपए प्रति हजार है। पेपर-रोल्ड बीड़ियों को छोड़कर ऐसी बीड़ियों पर जिनके निर्माण में विद्युत की सहायता से या इसके बिना चलाई जाने वाली मशीनों से कोई अन्य काम नहीं किया गया हो, प्रति हजार 4.50 रुपए की प्रभावी दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। अन्य बीड़ियों पर, जिनके निर्माण में विद्युत की सहायता से या उसके बिना चलने वाली मशीनों की सहायता से कोई अन्य कार्य किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केवल टैरिफ दर पर ही प्रभार्य है जोकि 10.00 रुपए प्रति हजार है।

ऐसी बीड़ियों के निर्माण में जिनमें किसी मशीन का उपयोग नहीं किया गया हो और जिन्हें कोयला भट्ठियों में पकाया गया हो, उन पर प्रति हजार 4.50 रुपए की प्रभावी दर पर उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। सौर भट्ठियों में, वायु को सौर ऊर्जा के जरिए गर्म किया जाता है और गर्म वायु को विद्युत शक्ति युक्त धौंकनियों के द्वारा बीड़ियों पर डाला जाना है। तदनुसार इस तरह पकायी गई बीड़ियों को मशीन द्वारा निर्मित बीड़ियां माना जाता है। ऐसी बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 10.00 रुपए प्रति हजार की टैरिफ दर पर प्रभार्य है।

तथापि, बिना ब्रांड वाली बीड़ियों को, चाहे वे मशीनों की सहायता से निर्मित की गई हों, या अन्यथा निर्मित की गई हों, इस बात पर ध्यान दिए बिना ही, दिनांक 28-2-82 की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 33/82-के०उ०शु० के अंतर्गत 20 लाख बीड़ियों से अनधिक संख्या तक सम्पूर्ण शुल्क से छूट दी गई है।

(ग) से (ङ) यद्यपि उत्पाद शुल्क लगाने के बारे में स्थिति उपर बताई गई है; बीड़ी उद्योग तथा अन्य उद्योग ऐसे बहुत से प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं जो सौर-विद्युत (सोलर-पावर) का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करने के लिये दिये जाते हैं।

लघु उद्योग

1991. **श्री लोकनाथ चौधरी** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को दी जाने वाली सभी कर तथा ऋण संबंधी रियायतों को धीरे-धीरे समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

(ग) ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के लिए पेश किए जाने वाले अगले बजट को देखते हुए, इस स्तर पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

1992. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन) से सहायता आसान शर्तों पर ऋण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन आवश्यक सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(ग) सहायता की धनराशि कितनी है; और

(घ) एसोसिएशन द्वारा इसके कब तक दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) भारत, विश्व बैंक समूह से सबसे अधिक उधार लेने वाले देशों में से एक है और इसने अब तक 35 अरब अमरीकी डालर से भी अधिक राशि के ऋण एवं उधार लिए हैं। भारत जैसे उधार लेने वालों को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से 0.75 प्रतिशत के सेवा प्रभार पर सहायता उपलब्ध होती है और असंवितरित राशि पर वचनवद्धता प्रभार लगता है, इसकी वापसी अदायगी 35 वर्षों में करनी होती है जिसके लिए 10 वर्षों की रियायती अवधि भी रखी गई है। इस समय भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता की कुल अनुमोदित राशि 79466.4 लाख अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्ति

1993. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) 31 अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्य और संघ शासित प्रदेश-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति में ऐसे सैक्टरों, सब सैक्टरों और क्षेत्रों के तीव्र विकास सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिसमें रोजगार सृजन की गति में वृद्धि करने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार सम्भाव्यता है। भौगोलिक रूप से और फसलवार विभिन्नीकृत कृषि संबंधी विकास, बंजर भूमि और वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म सैक्टर और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास, लघु एवं विकेन्द्रीकृत उत्पादकता का तीव्र विकास

और आवास का विस्तार, इस योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख वृद्धि संबंधी नीति के मूल तत्व हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के जारी विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार संबंधी योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०), भी जारी रहेंगे।

आठवीं योजना में परिकल्पित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की 5.6% की विकास दर से प्रति वर्ष औसत रूप से 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किये जाने की आशा है।

31-8-1992 को स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	3321.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.5
3.	असम	1365.2
4.	बिहार	3600.5
5.	गोवा	102.6
6.	गुजरात	1034.7
7.	हरियाणा	635.2
8.	हिमाचल प्रदेश	478.9
9.	जम्मू और कश्मीर	130.3
10.	कर्नाटक	1485.4
11.	केरल	3799.0
12.	मध्य प्रदेश	2932.7
13.	महाराष्ट्र	3337.6
14.	मणिपुर	203.8

1	2	3
15.	मेघालय	24.3
16.	मिजोरम	36.1
17.	नागालैंड	22.2
18.	उड़ीसा	907.2
19.	पंजाब	734.3
20.	राजस्थान	890.3
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3629.4
23.	त्रिपुरा	178.5
24.	उत्तर प्रदेश	2655 3
25.	पश्चिमी बंगाल	5187.7
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.0
27.	चंडीगढ़	161.4
28.	दादर औद नगर हवेली	2.5
29.	दिल्ली	904.4
30.	दमन और दीव	2.5
31.	लक्षद्वीप	6.9
32.	पांडिचेरी	131.1
	योग :	37124.0

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

हुगली नदी पर पुल का निर्माण

1994. श्री सुदर्शन रायचौधरी :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री रूपचन्द पाल

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कलकत्ता के निकट हुगली नदी पर विद्यमान तीन पुलों के अतिरिक्त एक नया सड़क पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) रा०रा० 2 पर हुगली नदी पर मौजूदा विवेकानन्द पुल के स्थान पर एक नए सड़क पुल के निर्माण के मामले पर निर्णय लेने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत महिला उम्मीदवार

1995. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य-वार पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) 31 अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत महिला उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, और वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाई गई महिलाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

चालू रजिस्टर पर महिला उम्मीदवारों की संख्या और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31 अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या	की गई नियुक्तियों की सं०	
			1990	1991
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	527.8	4.0	2.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.6	—	×
3.	असम	284.8	0.4	0.3
4.	बिहार	228.9	0.3	0.2
5.	गोवा	31.5	0.2	0.2

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	138.0	1.6	1.4
7.	हरियाणा	101.8	0.9	0.8
8.	हिमाचल प्रदेश	109.1	1.1	0.9
9.	जम्मू और कश्मीर	19.8	0.1	0.1
10.	कर्नाटक	300.7	1.3	4.3
11.	केरल	1872.5	7.5	7.4
12.	मध्य प्रदेश	287.3	1.7	1.6
13.	महाराष्ट्र	532.0	5.0	5.4
14.	मणिपुर	55.3	0.1	×
15.	मेघालय	9.2	0.2	0.2
16.	मिजोरम	8.7	0.3	0.2
17.	नागालेंड	6.5	×	×
18.	उड़ीसा	123.1	3.6	1.4
19.	पंजाब	162.3	0.6	1.0
20.	राजस्थान	87.0	1.7	2.8
21.	सिक्किम*			
22.	तमिलनाडु	1118.7	13.1	14.6
23.	त्रिपुरा	59.0	0.2	0.1
24.	उत्तर प्रदेश	215.6	1.2	1.4
25.	पश्चिम बंगाल	1081.4	1.0	1.0
	संघ शासित प्रदेश			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.2	0.3	0.2
27.	चण्डीगढ़	32.8	0.3	0.3
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.7	—	×
29.	दिल्ली	193.7	3.8	2.7
30.	दमन और दीव	0.5	—	×
31.	लक्षद्वीप	2.5	×	×

1	2	3	4	5
32.	पांडिचेरी	39.9	×	×
	योग :	7637.7	50.6	50 9

नोट : 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. × 50 से कम आंकड़े ।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं ।

खेप कर

1996. **श्री ललित उरांव :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेप कर लगाये जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इससे कितने राजस्व राशि अर्जित होते की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 6 नवम्बर, 1992 को हुई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर उपमार्ग का निर्माण

1997. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की संस्वीकृत लागत 16.26 करोड़ रु० है ।

(ग) संस्वीकृति के अनुसार इसे मार्च, 1996 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बस बोडी निर्माताओं पर छापे

1998. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ बस बॉडी निर्माताओं के परिसरों पर छापे मारे थे जैसाकि 3 अक्तूबर, 1992 के "इकॉनॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी शुल्क चोरी का पता लगा है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दिल्ली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा दिल्ली के लिए 3000 बसों के रूट परमिट जारी किए जा रहे हैं और कुछ बस बॉडी निर्माता बस की बॉडियों का निर्माण और निकासी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के विना कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने एक सर्वेक्षण किया और ऐसे बस बॉडी निर्माताओं के 25 परिसरों में निर्माण संबंधी कार्यकलापों की जांच की जिनके बारे में ऐसे निर्माण कार्यों में लगे होने के बारे में सूचना दी गई थी। अधिकारियों ने कुछ अपराध-आरोपणीय दस्तावेज और 2.63 करोड़ रुपए मूल्य की 71 बसें अभिगृहीत की थीं, जिनमें 3.67 लाख रुपए का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ग्रस्त था। उनमें से एक यूनिट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से पंजीकरण करवाये बिना ही बस-बॉडियों के निर्माण कार्य में लगा हुआ पाया गया था।

(ग) अभिगृहीत वाहनों को जब्त करने के लिए तथा बस-बॉडी निर्माताओं पर अर्थदण्ड लगाने के लिए न्याय-निर्णयन कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(घ) बस-बॉडियों के निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली की जानकारी उपयुक्त कार्रवाई के लिए अन्य समाहर्तालयों को भी दे दी गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली से भी शुल्क प्रदत्त चैसीज पर निर्मित बस बॉडियों के शुल्क अदायगी से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा गया है।

कर्नाटक स्थित प्रक्षेपास्त्र परीक्षण क्षेत्र

1999. **श्री राम नाईक :**

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के हुनसुर तालुक के कुप्पेकोल्लागट्टा में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण क्षेत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो बीजापुर से हुनसुर तालुक के कुप्पेकोल्लागट्टा में परीक्षण क्षेत्र को स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) हुनसुर, कर्नाटक के कुप्पेकोल्लागट्टा में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंदी का रुख

2000. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित विश्व के देशों को हाल ही के वर्षों में निरन्तर मंदी के रुख का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो देश की अर्थव्यवस्था को कम मुद्रास्फीति के रास्ते पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व अर्थव्यवस्था में 1990-91 की चक्रीय गिरावट से 1992 में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं। वर्ष 1991-92 में भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में 1992-93 में 3.5-4.0 प्रतिशत तक वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है। सरकार द्वारा जुलाई, 1991 से आरम्भ किए गए स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यावधि में उच्च विकास दर के पथ पर आने की संभावना है।

बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1984

2001. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1984 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अधिनियम को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के संवर्ग में भर्ती करने के लिए एक बैंकिंग सेवा आयोग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1984 में निर्णय लिया गया था। तथापि, मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए तथा भर्ती की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के संतोषजनक कार्यकरण को देखते हुए इस निर्णय के क्रियान्वयन को स्थगित रखा गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को वार्षिक अनुदान और अल्पकालीन ऋण

2002. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या वि॰ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश को अलग-अलग कितना वार्षिक अनुदान और अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को मंजूर किये गये वार्षिक अनुदान और अल्पकालीन ऋण की राशि कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संघ सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक नीचे दिए गए अनुसार अनुदान तथा अल्पावधि ऋण-राशि प्राप्त किए जाने की सूचना है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सहायता अनुदान	अल्पावधि ऋण
1989-90	571.95	14.25
1990-91	858.42	17.15
1991-92	926.42	18.25
1992-93	1250.44	26.00

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुदानों तथा अल्पावधि ऋणों की राशि घटती नहीं रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंगरोनी कोयला खान

2003. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंगरोनी कोयला खान के अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० को केन्द्रीय सरकार के अधीन लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मई, 1992 में कंपनी की इक्विटी में आगे और अधिक निधि लगाने की राज्य सरकार की असमर्थता व्यक्त की तथा भारत सरकार से कंपनी के लिए अपेक्षित स्रोतों की आवश्यकता व्यवस्था करने का अनुरोध किया और यदि आएश्यक हो तो यह कार्य कंपनी की शेयर प्रणाली को बदल कर किया जाए।

भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच आठवीं योजना के त्रिपक्षी समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने के समय कंपनी की पुनर्संरचना के मामले पर, जिसमें शेयर प्रणाली का मामला शामिल है, विचार-विमर्श के लिए उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

2004. **श्री लाला बाबू राय** :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री राम देव राम :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार के क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) :(क) से (ग) पता लगाये गये तथा मुक्त कराये गये बंधित श्रमिकों की 31-3-1992 को कुल संख्या 2,50,289 थी तब कभी बंधित श्रमिकों का पता चलता है, सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित करके तथा कड़ाई से उनको मानीटर करके एक समयबद्ध तरीके से उनको मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने की कारंवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजीगत आधार बढ़ाने का प्रस्ताव

2005. **श्री प्रफुल पटेल** :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजीगत आधार बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की

शेयर पूंजी में अतिरिक्त अंशदान के लिए वर्ष 1992-93 के बजट अनुदानों में 700 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश

2006. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्षवार कितना निवेश किया गया तथा चालू वर्ष में कितना निवेश करने का विचार है; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम ने पूंजी निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

(लाख रुपए)

वर्ष	जीवन बीमा निगम	साधारण बीमा निगम
1989-90	14386.35	2327
1990-91	15890.83	1994
1991-92	12349.78	3926
1992-93	24406.00* (आबंटन)	2990 (सितम्बर, 1992 तक)

* धनराशियों को जारी करना बकाया देयताओं को पूरा करने के अधीन होगा।

(ख) योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा इस प्रयाग है :—

जीवन बीमा निगम

1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां
2. भूमि विकास बैंक ऋण पत्र
3. राज्य वित्तीय निगम के बांड और शेयर

निम्नलिखित को ऋण

4. सामाजिक आवास योजना के लिए राज्य सरकार
5. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति, आवास बोर्ड और अन्य प्राधिकरण
6. राज्य बिजली बोर्ड
7. राज्य सड़क परिवहन निगम

निगमित क्षेत्र

8. शेयर, ऋणपत्र और कम्पनियों (सार्वजनिक सहकारी और निजी क्षेत्र) को ऋण

साधारण बीमा निगम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ऋणों में अभिदान।
2. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ग्राम आवास योजनाओं हेतु और अग्निशमन उपकरण की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार उदार शर्तों पर प्रत्यक्ष ऋण।
3. उत्तर प्रदेश में स्थित कम्पनियों की इक्विटी तरजीही शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश।
4. उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न कम्पनियों को सावधिक ऋणों के रूप में दी गई सहायता।

मुख्य मंत्रियों की विदेश यात्रा

2007. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यों के उन मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 1992 तक विदेश यात्रा अनुमति दी गई और उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी विदेशी मुद्रा जारी की;

(ख) उनकी विदेश यात्रा का विशेष प्रयोजन क्या था;

(ग) मुख्य मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर उनके साथ राज्य सरकार के कितने अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति गए और उनके लिए कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई;

(घ) ये मुख्य मंत्री अपने संबद्ध राज्यों के लिए कितने विदेशी पूंजी निवेश को जुटा पाए; और

(ङ) क्या विदेशी मुद्रा की बचत की दृष्टि से राज्यों के मुख्य मंत्रियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बैंकों खातों का मिलान

2009. **डा० राजागोपालन श्रीधरण :**

श्री हरीश नारायन प्रभु झांट्ये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के खातों के मिलाने के मिलाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी उपलब्धि मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा प्रणाली, रिपोर्टिंग पद्धति और बैंकों के अन्तर शाखा खातों के समाधान प्रक्रिया पर गौर करने तथा उनके उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए मार्च 1992 में एक कार्य दल का गठन किया था जिससे अन्तर शाखा लेखों के समाधान तथा बकाया प्रविष्टियों के समाशोधन की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके। इस दल ने नवम्बर 1992 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को दे दी है। इस दल ने अन्तर शाखा समाधान के बकाया को निपटाने के लिए एक कार्य योजना बनाने की सिफारिश की है। भारतीय रिजर्व बैंक अब कार्य दल की रिपोर्ट को बैंकों के पास उपयुक्त अनुदेशों सहित अनुपालनार्थ भेजने के कार्य में लगा हुआ है।

"नाबार्ड" को पुन: वित्त प्रदान करने के कार्यक्रम

2010. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान कृषि कार्यों के लिए नाबार्ड के "पुनर्वित्तपोषण" कार्यक्रम में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, खर्च की गई धनराशि की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए 1992-93 का बजट संबंधी कार्यक्रम और मौसमी कृषि परिचालनों (एस०ए०ओ०-फसल ऋण) बुनकरों की वित्तीय सहायता, मध्यावधिक कृषि ऋण और मध्यावधिक परिवर्तन ऋण जैसे प्रमुख प्रयोजनों के लिए 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को की गई वास्तविक मंजूरियों/संवितरणों का

ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	1990-91		1991-92		1992-93
	मंजूर सीमा	बकाया राशि	मंजूर सीमा	बकाया राशि	मंजूरी के लिए किया गया प्रावधान
सहकारी बैंक					
मौसमी कृषि परिचालन	3015.0	2168.0	3059.0	2146.0	3750
हथकरघा वित्त	382.0	324.0	452.0	344.0	600
मध्यावधि कृषि ऋण	19.0	18.0	11.0	13.0	15
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक					
मौसमी कृषि परिचालन	360.0	309.0	373.0	327.0	500
बकाया मौसमी कृषि परिचालन	117.0	114.0	118.0	120.0	200
मध्यावधिक कृषि ऋण	91.0	246.0	77.9	246.0	100

वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के योजनाबद्ध ऋणों (निवेश ऋण) के संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 2054 करोड़ रुपए तक की पुनर्वित्त सहायता संवितरित की है। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 2471 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता देने का लक्ष्य (योजनाबद्ध ऋण) निर्धारित किया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित पुनर्वित्त सहायता में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना

2011. **श्री मृत्युन्जय नायक :**

श्री खारे लाल जाटव :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सशस्त्र बलों के उन कर्मियों के सम्मान में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिन्होंने स्वतंत्रयोत्तर काल में देश के लिये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) भारत सरकार सशस्त्र सेनाओं के उन सभी कार्मिकों की स्मृति में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित किए जाने पर विचार कर रही है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पब्लिक इश्यू जारी करना

2012. **श्री शंकर सिंह वघेला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक आफ बड़ौदा को पब्लिक ईश्यू अथवा बांड जारी करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य बैंकों को भी पब्लिक इश्यू जारी करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव सक्रिय जांच-अधीन नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों की जब्ती

2013. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री छोतूभाई गामीत :
श्री काशीराम राणा :
श्री रति लाल वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992 के दौरान अब तक जब्त की गई नशीली दवाओं की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्रा और कीमत क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अपराधी पाया गया; और

(ग) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992 के दौरान देश में जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा तथा गिरफ्तार व सिद्धदोषी व्यक्तियों का राज्य व संघ क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नशीले पदार्थ जो प्राय: अनिर्धारित रसायन मात्रा तथा मिश्रण के होते हैं तथा जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि परम सतर्कता बरती जाए तथा स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम में निहित सख्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाया जाए।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान 27-11-92 की स्थिति के अनुसार जब्त किए गए स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों की मात्रा किलोग्राम में

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	अफीम	मारफीन	हेरोइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालीन	कोकीन	गिरफ्तार व्यक्तियों की सं०	सिद्धदोषी व्यक्तियों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	1	—	—	—	4	—
आंध्र प्रदेश	—	—	—	218	—	—	—	10	—
असम	1	—	3	2524	—	—	—	102	2
बिहार	—	—	2	7983	2339	—	0.310	61	1
गोवा	—	—	1	3	10	—	—	27	1
गुजरात	—	—	—	63	13	—	—	26	—
हरियाणा	41	—	25	—	—	—	—	39	2
हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	16	—	—	11	2
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	44	—	—	30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	—	—	—	92	—	—	—	30	—
केरल	—	—	—	29	—	—	—	39	17
मध्य प्रदेश	137	1	1	111	10	—	—	74	—
महाराष्ट्र	58	2	815	7175	1510	6152	—	464	140*
मणिपुर	—	—	5	4601	—	—	—	225	1
मेघालय	—	—	0.5	597	—	—	—	11	—
मिजोरम	5	—	6	133	—	—	—	138	5
नागालैंड	—	—	3	1790	—	—	—	95	—
उड़ीसा	—	—	—	6	—	—	—	1	—
पंजाब	101	—	41	11	5	—	—	70	70*
राजस्थान	488	—	39	60	396	—	—	89	3
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	357	—	24	11346	—	—	—	2292	98*
त्रिपुरा	—	—	—	0.500	—	—	—	1	—
उत्तर प्रदेश	130	24	33	3826	445	71	0.040	4205	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	—	—	7	445	22	—	—	82	—
संघ राज्य क्षेत्र									
दिल्ली	66	—	25	250	190	293	—	602	—
दमन तथा विऊ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	5	—	—	—	3	—
अंडमान तथा निकोबार	—	—	—	1	—	—	—	1	1
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	199	—	3	20	24	—	—	31	—
दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग :	1585	27	1034	41290	5024	6516	0.350	8763	422

* अनंतिम ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का यातायात के उपयुक्त होना

2014. **श्री एम०जी० रेड्डी :**

श्री नीतीश कुमार :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हेतु उपयुक्त स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत सामान्यः यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। निधियों की सकल उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जितना संभव होता है चरणबद्ध रूप में नेटवर्क की कमियों को दूर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आवधिक जमा योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दर

2015. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवधिक जमा योजनाओं पर 46 दिनों से 179 दिनों की अवधि हेतु देय ब्याज दर को 13 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे आवधिक जमा योजनाओं के अन्तर्गत राशि में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी आई हैं; और

(ङ) क्या सरकार का 13 प्रतिशत ब्याज दर को बहाल करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) बैंक की जमा राशियों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे-संसाधनों को जुटाने के लिए आवश्यकता, बचत की अन्य लिखितों पर ब्याज, मुद्रा-स्फीति की दर तथा बैंकों की लाभप्रदता ब्याज दरों से संबंधित नीति निरंतर समीक्षाधीन रहती है तथा वर्तमान और भविष्य के सम्भावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किए जाते हैं। 46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता की जमा राशियों पर 22-4-92 से ब्याज दर को एकल दर "13 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं" निर्धारित किया गया था। ये दर कम से कम 3 परिपक्वताओं के अध्याधीन होगी और किन्हीं दो क्रमिक परिपक्वताओं के स्लैबों में कम से

कम 0.25 प्रतिशत प्वाइंट का अंतर होगा। ब्याज नीति की समीक्षा के परिणामस्वरूप उपरोक्त निर्धारित दरों की 9-10-1992 से। प्रतिशत बिन्दु कम करके 12.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाराशियों ने वृद्धि का रुख प्रदर्शित किया है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष करो के लिए सामान्य संहिता

2016. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2700 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों के लिए सामान्य संहिता बनाने के लिए गठित समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिपों की जांच कब तक पूरी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्रत्यक्ष करों के लिए एक सामूहिक संहिता के बारे में एक प्रतिष्ठित एडवोकेट की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार कब तक विचार कर लेगी यह बता पाना संभव नहीं है।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा राशि

2017. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार के पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां और संवितरित ऋणों की राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

जुटाई गई जमाराशियां		संवितरित ऋण	
मार्च के अन्त तक	राशि	अप्रैल-मार्च के दौरान	राशि
1990	15031	1989-90	4408
1991	17455	1990-91	2702
1992	21313	1991-92	4731

सेरामिक फैक्टरियों के लिए कोयला

2018. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सेरामिक उद्योग के लिए कोयले का कितना कोटा निर्धारित किया गया और कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या सप्लाई किया गया कोयला घटिया स्तर का था और कोयला ढोने वाले रेल वैगनों में 30 प्रतिशत पत्थर थे तथा इनका वजन भी कम था; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सेरामिक उद्योग को पर्याप्त कोयले की सप्लाई हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) गुजरात की मृत्तिका उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम और पिछले तीन वर्ष के दौरान किए गए कोयले के प्रेषण को नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	कार्यक्रम/संयोजन	कुल प्रेषण
1990-91	320.09	228.41
1991-92	441.52	203.17
1992-93 (अप्रैल-अक्तूबर)	219.10	69.00

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि उत्तम गुणवत्ता वाले कोयले को जो कि अपशिष्ट तत्व रहित है की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। जहां से कोयले का प्रेषण मृत्तिका क्षेत्र के उद्योगों के उपभोक्ताओं को किया जाता है वहां पर रेल के ब्रिजों की व्यवस्था है।

(घ) गुजरात के मृत्तिका उद्योग सामान्यतया कोयले की आपूर्ति पर चुनी हुई भूमिगत खानों से किए जाने पर जोर देते हैं, जहां कि उत्पादन के बढ़ी हुई मांग के अनुरूप नहीं बढ़ी है। इसके अलावा रेल वैगनों के सीमित उपलब्धता, अन्य उपभोक्ताओं का रेल द्वारा कोयले का संचलन जिसमें मृत्तिका उद्योग भी शामिल है, प्रभाव पड़ा है। यदि उद्योग कोयला अन्य स्रोतों से स्वीकार कर ले और सड़क द्वारा कोयले के उठान में भी वृद्धि करले तो उनका कोयले के उठान में भी वृद्धि करले तो उनका संतोषप्रदता का स्तर ऊंचा होगा। गुजरात में मृत्तिका उद्योग कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चय किए जाने के लिए कोयला कंपनियों ने निम्न कदम उठाए हैं :—

(1) रेल द्वारा कोयले की संचलन कमी के एवज में सड़क द्वारा कोयले का संचलन उपलब्ध कराना।

(2) उदारीकृत बिक्री योजना के अन्तर्गत कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन लाने हेतु समिति

2019. **श्री मनफूल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए एक शीर्ष समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए संसदीय उप-समिति

2020. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में बनी संसदीय सलाहकार समिति की उप-समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) श्रम मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप-समिति, जिसे इसके कुछ सदस्यों की मांग पर कतिपय चिरस्थाई रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के अध्ययन के उद्देश्य से 1-4-1992 को केन्द्रीय श्रम उपमंत्री श्री पवन सिंह घाटोवार की अध्यक्षता में गठित किया गया था, की रिपोर्ट 12-11-1992 को श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

(ख) उप-समिति की मुख्य सिफारिशों/निष्कर्षों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उप समिति की रिपोर्ट संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को समुचित कारंवाई के लिए भेजी जा रही है।

विवरण

उपसमिति की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

1. जब तक कर्मकारों के साथ परामर्श करके समुचित प्राधिकारी उनके पुनरुज्जीवित करने

के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लेते तब तक सभी चिर रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (पी०एस०यू०) को आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कुछ इकाइयों जो मात्र थोड़ी पूंजी से पुनरुज्जीवित की जा सकती हैं उन्हें औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजे बिना तुरंत उतनी पूंजी आबंटित की जाए ताकि उनकी औद्योगिक रुग्णता और अधिक गंभीर न हो सके।

2. चिर-रुग्ण क्षेन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए सभी पुनर्वास योजनाएं विशेषज्ञ श्रमिकों के साथ विचार-विमर्श करके तुरंत तैयार की जानी चाहिए।

3. सरकार यह सुनिश्चित करे कि सामान्य तौर पर इकाइयों की बंदी और कर्मकारों की छंटनी नहीं की जाएगी। चिर रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों का आधुनिकीकरण श्रमिकों पर बिना प्रभाव डाले किया जाना चाहिए और श्रमिकों को सरकार द्वारा पुनः प्रशिक्षण/कौशल विस्तार के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

4. प्रबंधकों और श्रमिकों को लाभ कमाने, उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से चिर रुग्ण इकाइयों को चलाने के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, जहां कहीं कर्मकारों की सहकारी समितियां रुग्ण इकाइयों को ग्रहण करने की इच्छुक हो, उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए बशर्ते उनके वैधानिक और गैर वैधानिक देयों के पिछले उत्तरदायित्वों को समुचित रूप से प्रतिपूरित किया जाएगा या उनका अन्य प्रकार से ध्यान रखा जाएगा।

5. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के उत्तरदायित्व और प्रबंध में कर्मकारों की बेरोक सहभागिता का तत्व भी होना चाहिए।

6. विश्व-व्यापी तीव्र तकनीकी परिवर्तनों और बढ़ती तकनीकी अप्रयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को आवश्यक निवेश के साथ इनके आधुनिकीकरण और तकनीकी वर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

7. चिर रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को जीवनक्षम बनाने के लिए तुरन्त निर्णय करने के तथ्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की वर्तमान को 50% विद्यमान क्षमता के स्थान पर 14 सदस्यों की पूरी क्षमता को स्थापित किया जाए।

8. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों और संबंधित व्यवसाय संघ को एक सहमति ज्ञापन (एम०ओ०यू०) तैयार करने से सम्बद्ध किया जाना चाहिए और यदि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का निष्पादन सहमति ज्ञापन में निर्धारित निष्पादन स्तर से कम रहता है तो घटिया निष्पादन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के प्रबंधन के मुख्य कार्यपालक और अन्य सदस्यों को पद छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।

9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अधिकतम समन्वय होना चाहिए और स्वस्थ सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को चिर रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और

नीति के एक मामले के रूप में सरकार को इन चिर रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को, इनके पूर्ण पुनर्वास तक खरीद वरीयता देनी चाहिए।

10 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों विशेषकर जो कोर सेक्टर में हैं, जोकि औद्योगिक अर्थतंत्र को चलाने के लिए आवश्यक हैं, को और अधिक विकासोन्मुखी और तकनीकी रूप से क्षमतावान बनाया जाना चाहिए।

सिटी बैंक द्वारा अपने कार्डधारियों से ली जाने वाली ब्याज दर

2021. **डा० असीम बाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिटी बैंक द्वारा अपने कार्डधारियों से प्रतिमाह वसूल की जाने वाली ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"एबट" तोपों का आधुनिकीकरण

2022. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर (ई०एम०ई०) 18 कि०मी० की मारक क्षमता वाली "एबट" तोपों का आधुनिकीकरण करने में सफल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की सफलता से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है; और

(ग) देश में ऐसी कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) अबोट गन के आधुनिकीकरण के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, गन के देश में ही मरम्मत करने से विदेशी मुद्रा में करीब 75 करोड़ रुपए की बचत हुई है, यदि इन्हें विदेश में मरम्मत के लिए भेजा जाता तो उस पर इतनी ही विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती।

(ग) आर्मी बेस वर्कशाप का आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और पद्धतियों को कारगर बनाने तथा उत्पादकता में सुधार के लिए इन्हें आधुनिक संयंत्र और मशीनरी से लैस करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा तेल के टैंकर किराए पर लेना

2023. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया के तेल के पुराने टैंकर को बदलने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों से तेल के टैंकर किराए पर लेने हेतु बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की उन नौवहन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिससे सरकार ने बातचीत की है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियां तेल के टैंकर किराए पर देने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित नौवहन कम्पनियों को इस विकल्प के साथ तेल टैंकर खरीदने की अनुमति दी है कि वे चार्टर-कम-डिमाइज के आधार पर टैंकरों के प्रयोग के लिए भारतीय नौवहन निगम के साथ उपयुक्त व्यवस्था करें :—

(1) मैसर्स एस्सार शिपिंग।

(2) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज।

(3) मैसर्स इंडिया स्टीमशिप कम्पनी।

(4) मैसर्स सेंच्यूरी शिपिंग।

उक्त चार कम्पनियों में से दो कम्पनियों ने अपनी-अपनी बोली (बिड) देते हुए भारतीय नौवहन निगम को उत्तर दे दिया है।

(घ) उक्त व्यवस्था के अधीन चार्टर कम डिमाइज पर भारतीय नौवहन निगम को दिए गए वैसल्स सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए भारतीय नौवहन निगम के वैसल्स की तरह माने जाएंगे और इन्हें भारतीय नौवहन निगम के टैंकरों/ओ०बी०ओ०एस० के बदले तेल समन्वय समिति (ओ०सी०सी०) के साथ तैनात किया जाएगा।

रुग्ण पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने संबंधी समिति

2024. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रुग्ण पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने पटसन क्षेत्र के मौजूदा विकास का अध्ययन करने तथा आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के लिए राजनीति तथा नीति परक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक

उच्चशक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी । समिति ने 11 नवम्बर, 1992 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों में मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विविधीकृत क्षेत्रों में तथा उपयोग के लिए फाइबर के रूप में पटसन की पूरी संभाव्यता को मान्यता दी जाए । तकनीकी उन्नति तथा कीमत संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हुए पटसन अर्थव्यवस्था के लिए यह असंभव है कि वह मात्र पैकेजिंग की सामग्री का उत्पादन कर अपना अस्तित्व कायम रख सके । इसलिए पटसन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह पटसन उपजाने वाले किसानों, मिल के कामगारों तथा इस फाइबर से संबंधित अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए पुनर्निर्माण करने का कार्य शुरू करे । इस प्रकार के विविधी-करण से यार्न और फैब्रिक जैसे मध्यवर्ती कच्चे माल, जिसका उपयोग विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों द्वारा विविधी-कृत उपयोग के लिए रंग-बिरंगे उत्पादों का उत्पादन करने में किया जाएगा जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, का उत्पादन करके पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि होगी । इसके फलस्वरूप पटसन फाइबर के लिए मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए और अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी । समिति ने सिफारिश की है कि विविधीकरण बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की सहायता दी जाए तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में जैसे कच्चे माल की उत्पादकता तथा क्वालिटी में सुधार लाकर, एक ओर उद्यमियों और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों तथा दूसरी ओर वित्तीय संस्थानों और विपणन माध्यमों के बीच प्रौद्योगिकी आदि के अन्तरण के लिए आन्तरिक संबंध स्थापित करके सुचारू प्रबंध किए जाएं ।

समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए पहले से ही कारवाई शुरू कर दी गई है ।

करघों का आधुनिकीकरण

2025. **प्रो० प्रेम धूमल :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य-वार इस प्रकार की कितनी राशि दी गई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितनी इकाईयां लाभान्वित हुई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी०एम०एफ०एस०) के अन्तर्गत आई०डी०बी०आई० रुग्ण लेकिन अर्थक्षम एककों के साथ-साथ सुव्यवस्थित एककों को उपस्कर/मशीनों के प्रतिस्थापन/नवीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, उत्पाद क्वालिटी में सुधार तथा निर्यात क्षमता को बढ़ाने के जरिए आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करता है । करघों का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण योजना का ही एक भाग है जिसमें मिश्रित मिलों के विभिन्न अनुभाग (जैसे कताई, बुनाई तथा प्रोसेसिंग) शामिल हैं ।

(ग) और (घ) करघों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मिश्रित मिलों को दी गई आधुनिकीकरण सहायता संलग्न विवरण-I में निर्दिष्ट है । इसी अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभांवित एककों की संख्या संलग्न विवरण-II में निर्दिष्ट है ।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में मिश्रित वस्त्र मिलों को संस्वीकृत/संवितरित सहायता के राज्य-वार ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं

31-8-92 तक
संवितरित राशि
(रु० लाख में)

राज्य	1989-90		1990-91		1991-92	
	संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण
गुजरात	2961	1787	1402	689	770	50
कर्नाटक	172	151	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	1230	708	450	—	—	—
महाराष्ट्र	1519	353	5105	1956	2425	772
पंजाब	—	—	728	—	—	—
तमिलनाडु	4032	1209	3134	1127	675	—
उत्तर प्रदेश	—	—	360	—	390	—
पश्चिम बंगाल	—	—	565	33	280	100

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी०एम०एफ०एफ०) के अन्तर्गत लाभ पाने वाले एककों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
1.	गुजरात	7	2	1	10
2.	कर्नाटक	1	—	—	1
3.	मध्य प्रदेश	1	—	—	1
4.	महाराष्ट्र	2	4	2	8
5.	तमिलनाडु	4	7	—	11
6.	पंजाब	—	—	—	—
7.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
8.	पश्चिम बंगाल	—	1	1	2
	कुल :	15	14	4	33

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की सेवायें

2026. कुमारी विमला वर्मा :

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री विलास मुत्तेमवार :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम बसों की संख्या, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस तथा दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत अन्य निजी बसें जैसे व्हाईट लाईन, एवं रेड लाइन एक्सप्रेस बसों की संख्या क्या है;

(ख) ये बसें जिन रूट्स पर चल रही हैं, उनकी संख्या क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की आय तथा व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) आम जनता की सूचना के लिए तथा बेहतर बस सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन बसों के रूट्स तथा समय के उचित प्रचार के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं; और

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के उचित रख-रखाव और मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) (i) दिल्ली परिवहन निनम की बसों की कुल संख्या 4180 है जिनमें से 233 ग्रीन लाइन बसें हैं।

(ii) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन 606 निजी बसें चल रही हैं।

(iii) रेड लाइन बसें : 1093

(iv) व्हाइट लाइन बसें : 92

(v) माइक्रो मिनी बसें : 345

(vi) एक्स सर्विसमैन, बेरोजगार स्नातक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति : 423

(ख)

बसों का विवरण	शहरी मार्गों की संख्या
1	2
(i) दिल्ली परिवहन निगम की बसें और दिल्ली परिवहन निगम के अधीन निजी बसें	721

1	2
(ii) ग्रीन लाइन बसें	66
(iii) रेड लाइन बसें	543
(iv) व्हाइट लाइन बसें	16
(v) माइक्रो मिनी बसें	58
(vi) एक्स सर्विसमैन, बेरोजगार स्नातक, अनु० जाति और अनुसूचित जनजाति	86

(ग) आय और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जब कभी कोई रूट शुरू किया जाता है अथवा समाप्त किया जाता है अथवा उसका मार्ग परिवर्तन किया जाता है तो जन सम्पर्क माध्यम से इसका उचित प्रचार किया जाता है। सामान्य यात्रियों की सूचना के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने रूट गाइडें प्रकाशित की हैं जो सभी पास अनुभागों और महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर उपलब्ध हैं। दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मौजूदा रूटों को सुदृढ़ करने/नये रूट शुरू करने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

(ङ) (i) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े की रोजमर्रा नैमितिक निवारक रख-रखाव कार्यों तथा निवारक रख-रखाव सारिणी अर्थात् लीलेंड और टाटा बसों के संबंध में क्रमशः 1500 कि०मी० 8000/9000 कि०मी० डाक, 18000/24000 कि०मी० डाक के लिए और प्रचालन के लिए भी बस की सड़क उपयुक्तता के लिए मोटर वाहन निरीक्षण कार्यों के लिए देख-रेख की जा रही है। निवारक कार्य वाहन निर्माताओं की सिफारिशों पर आधारित है जिनमें वाहन के डिजाइन में प्रौद्योगिकीय सुधार के फलस्वरूप निर्माताओं द्वारा समय-समय पर भेजे गए सर्विस बुलेटिनों के माध्यम से यथा सूचित सभी मध्यवर्ती मरम्मतों/रख-रखाव के कार्यों का रख-रखाव अनुसूचियों में ध्यान रखा जाता है।

(ii) वाहन के इंजिन को धुआ मुक्त रखने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों के खराब इंजिनों का पता लगाने के लिए "हरट्रिज" धुआं मीटर का उपयोग करके उनकी जांच की जाती है ताकि उन पर तुरन्त ध्यान दिया जा सके।

(iii) वाहन निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय वर्कशापों और दिल्ली परिवहन निगम की यूनिटों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करके तकनिशियनों की प्रशिक्षण कुशलता को भी प्रोन्नत किया जाता है।

(iv) दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में अपने पुराने बेड़े का आंशिक परिवर्तन करते हुए ईंधन की बचत करने वाले "हिनो" इंजिनों से युक्त 100 नये लीलेंड वाहन भी लगाए हैं।

(v) वर्ष 1991-92 और 1992-93 (अक्तूबर, 92 तक) के दौरान बस बेड़े में परिवर्तन के आधार पर क्रमशः 535 और 203 बसें शामिल की गई हैं।

विवरण

दिल्ली परिवहन निगम की पिछले तीन वर्षों की आय और व्यय नीचे दिया गया है :—

(लाख रु०)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. **आय**			
(i) यातायात आय :	12287.12	11957.93	13992.48
(ii) विविध आय	590.39	441.46	866.48
जोड़ :	12877.51	12399.39	14868.96
2. **खर्च**			
(i) सामग्री की लागत (एस०एस० डी०), टायर, ट्यूब, भंडार सामग्री तथा अतिरिक्त पूर्जे	5957.70	6730.75	7604..8
(ii) श्रमिक लागत (वेतन तथा भत्ते, भविष्य निधि, ग्रेक्युटी, चिकित्सा खर्च आदि)	11362.62	15750.69	14253.87
(iii) अन्य आकस्मिक खर्च	1099.72	1114.15	1260.33
पी०ओ० को भुगतान	144.10	126.43	126.55
3. कार्यात्मक खर्च (II)	18564.14	23722.02	23244.93
4. **नियत लागत**			
(i) मूल्यह्रास	1393.04	1431.06	1321.95
(ii) सरकारी ऋणों पर ब्याज	4904.89	6994.66	10673.92
5. कुल खर्च (IV+V)	24862.07	32147.74	35240.80

[अनुवाद]

गुजरात के लिये कपास का निर्यात कोटा

2027. **श्री हरिन पाठक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कपास उत्पादकों ने मांग की है कि उनका निर्यात कोटा बढ़ाया जाये;

(ख) यदि हां, तो गुजरात से इस समय कपास का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है तथा भविष्य में उसका कितनी मात्रा में निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) कपास उत्पादकों को समुचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो सप्ताह में परिचालित विश्व व्यापी निविदाओं के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम लि० (सी०सी०आई०) ने गुजरात कपास की 8716 गांठों की बिक्री की और ऐसी आशा है कि भविष्य में सी०सी०आई० अपने 4 लाख गांठों के आवंटन में से और अधिक बिक्री करेगा। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ ने 27 नवम्बर, 1992 को निर्यात के लिये 30,000 गांठों के निर्यात कोटे का आवंटन किया।

(ग) कपास के निर्यात के लिए दीर्घकालिक नीति के अनुसरण में और फसल के स्टाक और आकार को ध्यान में रखते हुए सरकार कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए समय-समय पर कपास के निर्यात कोटे जारी करती है ताकि उनके उत्पाद पर उचित मूल्य प्राप्त हो सकें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले शहरों के लिए बस सेवा

2028. **डा० सुधीर राव** :

श्री एस०एन० वेकारिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली को अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ने के लिए लम्बी दूरी की बस सेवा चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन मार्गों पर बस चलाने के लिए प्राइवेट बस मालिकों को परमिट देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बसों को कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने के लिए बसों के प्रचालन हेतु रा०प० उपक्रमों/निजी प्रचालकों को उदारतापूर्वक अतिरिक्त परमिट देने से संबंधित मामले को संबंधित राज्य सरकारों/दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ उठाया है। इसके ब्यौरों को अभी राज्य सरकारों/दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

ग्लोबल डिपोजीटरी रिसीप्टस

2029. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपोजीटरी रिसीप्टस के संबंध में निवेशकों के लिए लगाई गई दो वर्ष की शर्त को हटाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) यह उन कम्पनियों पर लागू होगा जिनकी मंशा विदेश में ऐसी प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने की है तथा साथ ही जिन कम्पनियों ने पहले ही एसे निर्गम/निर्गमों को जारी कर दिया है।

अफीम को स्मैक में बदलना

2030. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** :

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्मैक और हेरोइन का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में स्मैक के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि समय-समय पर हेरोइन/मारफीन का अवैध निर्माण गुप्त प्रयोगशालाओं में होता है। जब कभी भी ऐसी गुप्त प्रयोगशालाओं के बारे में विशेष सूचना प्राप्त होती है तो इन प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया जाता है। 1988-91 के दौरान ऐसी 16 प्रयोगशालाओं को नष्ट किया गया था, जबकि 1992 में सितम्बर, 1992 तक 6 प्रयोगशालाओं को नष्ट किया गया।

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि परम सतर्कता बरती जाए तथा स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में निहित सख्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्त्तन प्रयासों को बढ़ाया जाए।

सोने और चांदी की जब्ती

2031. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 1991-92 तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितने मूल्य का सोना और चांदी पकड़ा गया तथा मूल्य की दृष्टि से 10 प्रमुख मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसी जब्तियों के लिए मुखबिरों और अधिकारियों को अलग-अलग अलग किन दरों पर और कुल कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी गयी;

(ग) इस क्षेत्र के 1991-92 के दौरान किन पांच अधिकारियों ने सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य किया;

(घ) क्या सरकार का इन अधिकारियों को उसी प्रकार सम्मानित तथा अलंकृत करने के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है जिस प्रकार सैनिक अधिकारियों को असाधारण सेवा और कर्तव्य प्रतिनिष्ठा के लिए किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को नकली मुखबिर पेश करने की शिकायतें मिली हैं; और

(छ) सरकार ने ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में 31-10-92 तक की अवधि के दौरान अभिगृहीत सोने और चांदी की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

1991-92				1992-93 31-12-1992 तक			
सोना		चांदी		सोना		चांदी	
मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
4645	188.58	188305	138.56	1587	67.90	78787	58.95

प्रमुख मामलों के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) मुखबिर और सरकारी कर्मचारी सोने के मामले में अधिकतम 500 रु० प्रति 10 ग्राम और चांदी के मामले में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं। इस अधिकतम सीमा तक अदा किये जाने वाले वास्तविक पुरस्कार की राशि मुखबिरों के मामले में सूचना की विशिष्टता और यथार्थता, उठाये गये जोखिम और कठिनाई आदि तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी द्वारा उठाये गये जोखिम और निभायी गयी भूमिका जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान दिये गये पुरस्कारों की कुल राशि 29.49 करोड़ है (आंकड़े अनन्तिम हैं)। मुखबिरों और अधिकारियों को दिये गये पुरस्कार की राशि के बारे में अलग-अलग सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) विशिष्ट सेवा के लिए और जीवन के जोखिम पर श्लाघ्य सेवा के लिए राष्ट्रपति की ओर से पात्र सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रशंसा पत्र पहले ही दिये जा रहे हैं। कोई नयी योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(छ) कानून/नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

कृषि तथा उर्वरक के लिए विदेशी सहायता की अप्रयुक्त धनराशि

2032. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा उर्वरक क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंध विदेशी सहायता की पिछले तीन वर्षों के दौरान अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का अद्यतन, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अप्रयुक्त पड़ी सहायता राशि दाता देशों/संगठनों को वापस कर दी गयी थी;

(ग) इन क्षेत्रों में उन विशिष्ट परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए धनराशि का पूर्णतः अथवा अंशतः प्रयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) परियोजना कार्यान्वयन की अवधि सामान्यतया पांच से सात वर्ष होती है और जहां आवश्यक हो भौतिक लक्ष्य उक्त अवधि में विस्तार करके प्राप्त किये जाते हैं। वचनबद्ध निधियां प्रायः वचनबद्धता के वर्ष के अनुसार न होकर कार्यान्वयन और व्यय निष्पादन के अनुसार आहरित की जाती है। अनाहरित शेष राशि परियोजना अवधि के किसी वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती बल्कि उपयोग के लिए अगले वर्ष में ले जाई जाती है। कोई भी अनाहरित शेष राशि परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही स्वतः व्यपगत हो जाती है। कृषि और उर्वरक क्षेत्र के लिए 31-2-90, 31-3-91, 31-3-92 और 30-9-92 के अनुसार पिछले तीन वर्ष से अब तक विदेशी सहायता की अनाहरित राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कृषि और उर्वरक क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष से अब तक अनाहरित शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

	कृषि	उर्वरक
31-3-90 के अनुसार	1842.24	485.67
31-3-91 के अनुसार	2471.23	557.90
31-3-92 के अनुसार	11847.25	401.61
30-9-92 के अनुसार	5026.72	550.05

[हिन्दी]

अर्थव्यवस्था पर प्रतिभूति घोटाले का प्रभाव

2033. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री देवी बक्स सिंह :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिभूति घोटाले के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिभूति घोटाले के बाद सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की गति मंद पड़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकारी प्रतिभूतियों में अनियमित लेन-देनों जिनका पायः प्रतिभूति घोटाले के रूप में उल्लेख किया जाता है, के संबंध में अभी विस्तृत जांच चल रही है और इत लेन-देनों के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की अंतिम स्थिति के संबंध में जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा।

लेकिन प्रतिभूति घोटाले से देश की वित्तीय प्रणाली में कमजोरियां और पर्यवेक्षण की अपर्याप्ताएं उजागर हुई हैं। सरकार न केवल घोटाले के लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कृत संकल्प हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि भविष्य में ऐसा कोई घोटाला न हो वित्तीय प्रणाली में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के लिए भी कृत संकल्प है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

रेलवे हेतु विश्व बैंक ऋण

2034. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा रेलवे उत्पादकता सुधार परियोजना हेतु 300 मिलियन डालर का ऋण दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त ऋण की स्वीकृति हेतु विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण को शीघ्र प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) रेलवे उत्पादकता सुधार परियोजना के लिए 30 करोड़ डालर के विश्व बैंक ऋण के बारे में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच बातचीत चल रही है । यह बातचीत केवल तभी पूरी हो सकती है जब विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच परस्पर सम्मत शर्तें निर्धारित हो जाएं ।

सोना चांदी की तस्करी

2035. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोना और चांदी की तस्करी का मौजूदा रुख कैसा है;

(ख) विगत चार महीनों में कितनी मात्रा में सोना और चांदी जब्त किया गया है; और

(ग) तस्करी रोकने के लिए किये गए उपायों और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि सोना और चांदी तस्करी के लिए बराबर आकर्षण की वस्तु बनी हुई हैं । तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा है, अतः देश में तस्करी द्वारा लाए जाने वाले सोने और चांदी की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है । तथापि, जैसाकि नीचे दिया गया है, मार्च, 1992 से अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा की मार्च, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान पकड़ी गई मात्रा के साथ तुलना करने पर तस्करी में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है :—

	मार्च से अक्तूबर, 1991	**मार्च से अक्तूबर**, 1992
सोना	3684 किलोग्राम	1868 किलोग्राम
चांदी	123778 किलोग्राम	108571 किलोग्राम

(ख) जुलाई, 1992 से अक्तूबर, 1992 की अवधि के चार महीनों के दौरान पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सोना	**चांदी**
814 किलोग्राम	60154 किलोग्राम

(ग) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है । तस्करी-रोधी संगठनों को जलपोतों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों आदि से सुसज्जित किया गया है । एक्स-रे असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों, रात्रि में काम में आने वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां दूर-संचार संजाल की भी व्यवस्था की गई हैं । तस्करी को रोकने और इसका पता लगाने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल रखा जा रहा है । तस्करी-रोधी एजेंसियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च, 1992 से अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान लगभग 314.02 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया ।

इसी अवधि के दौरान तस्करी संबंधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के कारण 1096 व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गए थे।

पत्तनों का निजीकरण

2036. **श्री राम कापसे :**

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन के कतिपय क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागेदारी की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निजी क्षेत्र को सौंपे गए कार्यों का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन शर्तों पर निजी क्षेत्र को ये ठेके दिये गए हैं; और

(घ) निजीकरण के पश्चात् पत्तन न्यासों के कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हल्दिया गोदी परिसर में एक बर्थ को निजी पार्टी को आवंटित करने पर सिद्धान्तः अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) समझौता ज्ञापन में मुख्य प्रावधान है कि बर्थ किराया प्रभारों का भुगतान कम से कम 330 दिनों के लिए होगा तथा 5 वर्षों के लिए नवीकरण के साथ यह 10 वर्ष के लिए वैध है। निजी पार्टी कार्यनिष्पादन में सुधार करने के प्रयोजन मे कार्गो हैंडलिंग प्रचालन के यंत्रीकरण पर विचार कर रही है। यह पार्टी न्यूनतम 500,000 टन प्रतिवर्ष आयात तथा न्यूनतम 50,000 टन प्रति वर्ष निर्यात पर चालू दरों पर उगाहे जाने वाले पत्तन प्रभारों की राशि के बराबर अपरिवर्तनीय तथा मांग पर नकदीकरण बैंक गारंटी देगी।

(घ) पत्तन श्रमिकों के स्तर में कोई परिवर्तन करने का अभी कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक

2037. **श्री खेलन राम जांगड़े : क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति अनुसार, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस राज्य में इन बैंकों द्वारा लघु एककों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 30-6-1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की शाखाओं की जिला-वार संख्या नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	1	2
बालाघाट	54	नरसिंहपुर	41
बस्तर	70	पन्ना	27
बेतूल	66	रायगढ़	32
भिंड	36	रायपुर	143
भोपाल	130	रायसेन	24
विलासपुर	132	राजगढ़	35
छतरपुर	30	राजनांदगांव	38
छिंदवाड़ा	67	रतलाम	58
दमोह	36	रीवां	57
दतिया	21	सागर	68
देवास	44	सतना	43
धार	56	सेहोर	52
दुर्ग	86	सिवनी	34
पूर्वी निमार	74	शाहडोल	63
गुना	49	शाजापुर	44
ग्वालियर	89	शिवपुरी	30
होशंगाबाद	46	सिधी	49
इन्दौर	154	सुरगुजा	56
जबलपुर	174	टीकमगढ़	13
झबुआ	26	उज्जैन	87

1	2	1	2
मंडला	49	विदिशा	43
मन्दसौर	67	पश्चिम नीमार	77
मुरैना	65		

(ख) मध्य प्रदेश में अद्यतन उपलब्ध दो वर्षों के दौरान लघु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

को समाप्त वर्ष के दौरान	राशि
जून, 1989	8521
जून, 1990	8855

भारत-बर्मा सीमा पर तस्करी

2038. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ समय से भारत-बर्मा सीमा पर तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(ग) गत तीन महीनों में प्रत्येक माह मारे गए छापों तथा पकड़े गए तस्करी के माल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत-बर्मा सीमा तस्करी के लिए बराबर संवेदनशील क्षेत्र बनी हुई है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धंधा है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि इस तरह की तस्करी में विगत समय में वृद्धि हुई है या नहीं। तथापि, तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को ऋण

2039. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना-कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटित राशि को निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू किए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धनराशियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिलीज़ की जाती हैं जोकि धनराशियों के उपयोग समेत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी के लिए भी जिम्मेवार हैं। इस तरह, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी के बारे में कोई सूचना केन्द्रीय तौर पर वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित केन्द्रीय स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 (1991-92 के लेखा-परीक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं है) के दौरान प्रत्येक राज्य को दिये गए ऋणों की राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(हजार रु० में)

राज्यों के नाम	केन्द्रीय योजना स्कीमें			केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			कुल केन्द्रीय स्कीमें		
	88-89	89-90	90-91	88-89	89-90	90-91	88-89	89-90	90-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	191885	121383	162	120416	34533	32849	312301	155916	33011
असम	210085	199550	180225	35990	25502	25840	246075	225052	206065
अरुणाचल प्रदेश	159	96	125	800	1250	300	1959	1346	425
बिहार	10087	40282	125	70804	108493	52873	80891	148775	52998
गुजरात	0	0	0	48089	26994	49503	48089	26994	49503
गोवा	144	167	400	961	10530	2802	1105	10697	3202
हरियाणा	0	0	165	55218	35234	9550	55218	35234	9715
हिमाचल प्रदेश	340	491	300	60529	35357	28131	60869	35848	28431
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	9004	11336	10280	9004	11336	10280
कर्नाटक	10000	25054	0	52606	39621	56756	62606	64675	56756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	25118	24296	20625	29582	41397	85427	54700	65693	106052
मध्य प्रदेश	17246	6317	0	115045	108861	63009	132291	115178	63009
महाराष्ट्र	0	0	0	49768	78277	31596	49769	78277	31596
मणिपुर	97	192	200	6227	14949	6950	6324	15141	7150
मेघालय	0	0	0	9024	14678	12568	9024	14678	12568
मिजोरम	400	396	830	4300	5650	4315	4700	6046	5145
नागालैंड	100	257	400	17779	8584	2500	17878	8841	2900
उड़ीसा	5156	87	0	121780	122104	128405	126936	122191	128405
पंजाब	—	0	125	27816	26232	5500	27816	26232	5625
राजस्थान	47	692	250	42969	125565	108613	43016	126257	108863
सिक्किम	72	96	280	7910	9475	6487	7982	9571	6767
तमिलनाडु	13996	14427	250	46371	47026	49808	60367	61453	50058
त्रिपुरा	245	192	338	9926	6497	4724	10171	6689	5062
उत्तर प्रदेश	201059	1677	575	178634	113756	98439	379693	115433	99014
पश्चिम बंगाल	1347	96	125	94704	113152	101239	96051	113248	101364
कुल जोड़ :	687583	435748	205500	1216252	1165053	978464	1903835	1600801	1183964

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड

2040. **श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बंगलौर में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की पीठ स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर किसानों की गन्ने की बकाया धनराशि

2041. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत किस-किस चीनी मिल ने किसानों द्वारा की गई गन्ने की आपूर्ति की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आज तक मिल-वार, वर्ष-वार किसानों की बकाया धनराशि कितनी है; और

(ग) बकाया धनराशि का कब तक भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) गणेश शूगर मिल्स, आनन्द नगर एन० टी० सी० (यू० पी०) लि० के नियंत्रणाधीन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने की सप्लाई के कारण किसानों की बकाया धनराशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	धनराशि (लाख रु० में)
1989-90	शून्य
1990-91	शून्य
1991-92	289.77

(ग) ऐसी संभावना है कि एन० टी० सी० (यू०पी०) लि० गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान आगामी दो महीनों में कर देगी ।

[अनुवाद]

नौवहन उद्योग को अर्थक्षम बनाना

2042. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल-भाड़ा दरों की स्थिति बेहतर होने के बावजूद राष्ट्रीय नौवहन उद्योग बेड़े के कार्य-निष्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नौवहन क्षेत्र के रूप में नौवहन बेड़े और देश की जी० आर० टी० संख्या क्या है;

(ग) लाइनर व्यापार और शुष्क थोक व्यापार में देश का कितना हिस्सा है;

(घ) भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा हमारे तेल आयात के कितने प्रतिशत की ढुलाई की जाती है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय नौवहन उद्योग की आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय टन भार के जहाजी बेड़े की संख्या और जी० आर० टी० निम्न प्रकार है :—

निम्न तारीखों की स्थिति के अनुसार	जहाजों की संख्या	जी० आर० टी० (मिलियन में)
31-3-1990	408	5.979
31-3-1991	418	6.039
31-3-1992	412	5.906
30-11-1992	431	6.286

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए ओवर सीज लाइनर ट्रेड और ड्राई बल्क ट्रेड में देश का हिस्सा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाइनर ट्रेड		ड्राई बल्क ट्रेड	
	मिलियन टनों में कुल	भारतीय लाइनें	मिलियन टनों में कुल	भारतीय लाइनें
1988-89	14.20	14.2%	57.42	22%
1989-90	16.88	16.4%	59.30	24.8%
1990-91 (अनन्तिम)	17.96	12.6%	57.58	27.2%

(घ) भारतीय नौवहन कम्पनियों के माध्यम से ढोए गए तेल/तेल उत्पादन तथा अन्य कार्गो निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल आयात (मिलियन टनों में)	भारतीय लाइनों का हिस्सा	प्रतिशत
1988-89	28.36	19.86	70%
1989-90	28.17	20.61	73.2%
1990-91 (अनन्तिम)	30.83	20.44	66.3%

(ङ) इस संबंध में हाल में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

(i) (क) क्रूड टैंकरों और ओ० बी० एस० को छोड़कर जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा वैसल्स की खरीद, (ख) जहाजों की बिक्री के लिए स्वतः अनुमोदन;

(ii) बेयर बोट चार्टर कम-डिमाईज के माध्यम से खरीद;

(iii) जहाजों को चार्टर करने की स्वतंत्रता; और

(iv) नौवहन कम्पनियों को नई खरीद के लिए विदेशों में बिक्री आय के उपयोग की अनुमति ।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त सरकार वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 की संबंधित धाराओं को संशोधित करने के लिए विचार कर रही है ताकि विदेशी ऋणदाता सुविधानुसार बंधक परिसम्पतियों का निष्पादन कर सके ।

नेवेली लिग्नाइट निगम

2043. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस घाटे के यदि कोई कारण हैं, तो क्या; और

(ग) निगम के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में और चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम 6 महीनों के दौरान कमाए गए लाभ को नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाभ (करोड़ रु० में)
1	2
1989-90	72.61
1990-91	95.24

1	2
1991-92	101.69 (अनन्तिम)
1992-93	19.55
(सितम्बर, 92 को	(लेखा परीक्षित नहीं
समाप्त अवधि में)	किए गए हैं अनन्तिम)

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

म्यूचुअल फण्ड

2044. **श्री के०वी० तंग्काबालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्त के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बेंक पर निर्भरता कम करने और संसाधन जुटाने के लिए राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक विकास निगमों से म्यूचुअल फण्ड शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो म्यूचुअल फण्ड शुरू करने के लिए कितनी राज्य वित्त निगमें आगे आई हैं; और

(ग) क्या कुछ प्राइवेट पार्टियों को भी म्यूचुअल फण्ड शुरू करने हेतु अनुमति देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक विकास निगमों से म्यूचुअल फण्ड शुरू करने के लिए नहीं कहा है। तथापि, दो राज्य निगमों ने भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को म्यूचुअल फण्ड शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं ।

(ग) म्यूचुअल फण्डों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में म्यूचुअल फण्डों को शुरू करने के लिए प्राइवेट पार्टियों की सहभागिता शामिल है ।

ऋण बांटने की प्रक्रिया का सरलीकरण

2045. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बेंकों, निजी क्षेत्र के बेंकों तथा सहकारी बेंकों के माध्यम से लघु उद्योगों, छोटे तथा सीमान्त किसानों को ऋण बांटने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) प्राथमिकता क्षेत्र के उधारकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया का समय-समय पर सरलीकरण और उदारीकरण किया गया है । लघु उद्योगों को ऋणों/अग्रिमों के संवितरण के लिए राज्य वित्त निगमों/राज्य

औद्योगिक विकास निगमों और बैंकों के उपयोग हेतु मानकीकृत ऋण आवेदन प्रपत्रों को लागू किया गया है। निम्नलिखित प्रकार के लघु उद्योग उधारकर्ताओं के उपयोग हेतु एक समान आवेदन फार्मों को लागू किया गया है : उदाहरणार्थ, 50,000/- रु० (समिश्र ऋणों सहित) तक के कुल अग्रिमों के लिए 50,000/- रु० से अधिक और 2 लाख रुपए तक की कुल सहायता के लिए 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक की कुल सहायता के लिए और 10 लाख रुपए से अधिक की कुल सहायता के लिए। इन आवेदन फार्मों का उपयोग वहां करना है जहां सहायता सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी या दोनों रूप में हो और वे नई परियोजनाओं या विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए लागू हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही बैंकों से कहा है कि 25,000/- रु० तक की ऋण सीमा के सभी ऋण आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25,000 रु० से अधिक के आवेदनों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के अन्दर किया जाना चाहिए।

जहां तक छोटे और समसीमान्त किसानों का संबंध है, कृषि अग्रिमों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और उसके उदारीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विस्तृत मार्गनिर्देश वाणिज्यिक बैंकों के नाम पहले से ही विद्यमान है। ये मार्गनिर्देश निम्नलिखित हैं :

(1) किसानों को ऋणों की मंजूरी में सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें सरलीकृत आवेदन फार्म भरने के लिए देना। ऐसे फार्मों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया गया है।

(2) विभिन्न फसलों के लिए प्रत्येक जिले में गठित तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए फसल ऋणों के वित्तपोषण के पैमाने का निर्धारण और सभी बैंकों द्वारा उसे समानरूप से अपनाना। लागत में वृद्धि पर नजर रखने के लिए वित्तपोषण के इन स्तरों की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है।

(3) 25,000/- रु० तक के ऋण आवेदनों का एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25,000/- रु० से अधिक आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटान करना।

(4) ग्रामीण शाखा प्रबन्धकों को उचित मंजूरी की शक्तियां प्रदत्त करना ताकि शाखा स्तर पर ही कमजोर वर्गों के अधिकांश ऋण आवेदनों का निपटान हो सके।

(5) 10,100/- रु० तक के फसल ऋणों और जहां चल सम्पत्तियों का सृजन किया गया है वहां 10,000/- रु० तक के सावधि ऋणों के लिए भूमि को दृष्टिबन्धक रखने, भूमि पर प्रभार/या अन्य पक्ष गारंटी के रूप में कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाएगी।

(6) 10,000/- रु० के कृषि ऋणों पर किसी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है।

(7) 22 सितम्बर, 1990 से उधार दरों पर नई ब्याज दर संरचना प्रचलन में आई जब ब्याज दर को ऋण के आधार से जोड़ा गया :—छोटा ऋण कम ब्याज दर। इसके अलावा, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में अल्पावधिक अग्रिमों के संबंध में किसी खाते में डाली गई कुल ब्याज राशि मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(8) कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि ऋण कार्ड योजना भी लागू की है ताकि अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले किसानों को शीघ्र उत्पादन ऋण प्राप्त हो सके ।

पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग और सप्लाई

2046. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग और पूर्ति में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में 2,000 ईस्वी के अन्त तक इसकी मांग और सप्लाई के आकलन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सदी के अन्त तक पटसन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने पटसन का उत्पादन बढ़ाने तथा पटसन उद्योग का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) कच्चे पटसन और पटसन के सामान की मांग और पूर्ति से संबंधित आंकड़े निम्नांकित अनुसार हैं :—

कच्चा पटसन

(लाख गांठ में)

वर्ष	प्रारम्भिक स्टाक	उत्पादन (आयत सहित)	खपत	अन्तिम स्टाक
1990-91	18	91.00	85.00	19.09
1991-92	19	90.50	79.00	30.50
1992-93	30.93	70.50	83.50	17.50

(अनन्तिम)

पटसन सामान

(लाख टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन	घरेलू उठान	कुल निर्यात	वर्ष के अन्त में स्टाक
1989-90	13.04	11.09	2.37	0.64
1990-91	14.30	12.35	2.41	0.69
1991-92	12.78	10.79	2.33	0.51

बच्चे पटसन के मध्यम तथा निष्कृष्ट ग्रेड की आपूर्ति के कारण कुछ हद तक मांग में कमी हुई है क्योंकि घरेलू तथा निर्यात के दोनों प्रकार के बाजारों में पटसन के सामान की मंद मांग के कारण पटसन के सामान के उत्पादन मे गिरावट आने की प्रवृत्ति तथा जनवरी-मार्च, 1992 में पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में हड़ताल रहने के कारण खपत में गिरावट आने के फलस्वरूप पिछले मौसम से बचे हुए लगभग 30 लाख गांठों के स्टाक से बड़ी मात्रा में पटसन उपलब्ध था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने पटसन उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं विशिष्ट मदों की आपूर्ति तथा वितरण में पटसन का अनिवार्य प्रयोग निर्धारित करना, पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, राजकोषीय, वित्तीय तथा बाजार सहायता की मंजूरी देना आदि ।

[हिन्दी]

चिकित्सा बीमा योजना

2047. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा बीमा योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों द्वारा 3 नवम्बर, 1986 से देश भर में "मेडीक्लेम" नामक चिकित्सा बीमा योजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत 13,600/- रु० से लेकर 96,500/- रुपए तक की राशि की छः लाभ श्रेणियां हैं जिनके लिए 200/- रु० से लेकर 1,300/- रुपए प्रति वर्ष तक का वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष से घटा कर 3 महीने कर दी गई है बशर्ते कि संबंधित बच्चों के माता-पिता का भी बीमा हो चुका हो। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए भी यह पालिसी उपलब्ध है। 70 से 75 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों के लिए कुल लाभ राशि में 10 प्रतिशत की कटौती तथा 75 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए लाभ-राशि में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है।

कोयला खान मजदूरों के वेतन में संशोधन

2048. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उत्पादन क्षेत्र में स्थायी, अस्थायी, दिहाड़ी मजदूर, कुशल तथा अकुशल मजदूरों की मजदूरी तथा अन्य मतों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) योजना उद्योग के कामगारों की मजदूरी तथा अन्य भत्तों में संशोधन, कामगारों के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन द्वारा कोयला उद्योग की द्विपक्षीय समिति (जे०बी०सी०सी० आई०) में हुए समझौते के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लि० को जे०बी०सी०सी०आई०-4 के साथ परामर्श करके जे०बी०सी०सी० आई०-5 के गठन किए जाने का प्राधिकार दिया गया है तथा इसके गठन के संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है। जैसे ही जे०बी०सी०सी०आई०-5 का गठन पूरा कर लिया जाता है, एन०सी०डब्लू० ए०-5 के संबंध में बातचीत शुरू कर दी जायगी।

[**अनुवाद**]

अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व के लिए ऋण योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

2049. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार निर्माण की जाने वाली सड़कों/पुलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत कार्यक्रम की विधि को, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आबंटनों तथा इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुछेक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन एजेंसियों के साथ परामर्श करके शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसलिए अभी यह विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता कि आठवीं योजना तथा वर्ष 1992-93 के दौरान ई० एण्ड आई० कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कितने प्रस्ताव शामिल किए जा सकते हैं।

कोल इंडिया लि० के दावों की जांच

2050. **श्री अनिल बसु** :

श्री हाराधन राय :

श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि० द्वारा अपनी स्टाक स्थिति के बारे में किए गए दावों की जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० की 46 कोलियरियों में कोयले की कमी होने के संबंध में प्राप्त सूचना की जांच किए जाने

के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। इस समिति के शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

क्विलोन स्थित कन्टेनर परिसर

2051. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में काजू निर्यात हेतु क्विलोन में एक कन्टेनर परिसर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा के बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

2052. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बीड़ी श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब से आरम्भ की गई हैं;

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कब तक कितने बीड़ी श्रमिकों को शामिल किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों को छोड़कर योजनाओं के कार्यान्वयन के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सभी बीड़ी कर्मकारों को शामिल किया गया है। ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत 1-4-92 तक 34,200 बीड़ी कर्मकारों को शामिल किया गया है।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों के लिए शुरू की गई कल्याण योजनाओं के नाम

क्रम स०	कल्याण योजना का नाम	शुरू किए जाने की तारीख
1	2	3
स्वास्थ्य		
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए टी०बी० अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना	12-4-1978
2.	चल/स्थिर-एवं-चल/स्थिर चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की योजना	30-3-1978
3.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के वास्तविक उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना	1-12-1984
4.	बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) को चश्मा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	18-9-1984
5.	बीड़ी कर्मकारों के लिए कुष्ठ निवारण की योजना	26-8-1986
6.	मानसिक बीमारी से पीड़ित कर्मकारों का उपचार	28-9-1987
7.	टी०बी० के मरीजों के लिए घरेलू उपचार	6-8-1985
8.	महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना	1-4-1988
9.	परिवार कल्याण कार्यक्रम—बीड़ी कर्मकारों को नसबन्दी करवाने के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति की अदायगी	29-1-1988
10.	हृदय रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना	11-2-1992
11.	गुर्दा प्रतिरोपण से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना	11-2-1992
12.	बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप बीमा योजना	1-4-1992
शिक्षा		
1.	बीड़ी कर्मकारों (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित) के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	4-4-1978
2.	बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को एक जोड़ा वर्दी के लिए वित्तीय सहायता	13-12-1984

1	2	3
मनोरंजन		
1.	दृश्य-श्रव्य सैटों/सिनेमा गाड़ियों/फिल्म प्रदर्शनियों की स्थापना	4-5-1978
2.	बीड़ी कर्मकारों के लिए खेलकूद सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन	
3.	बीड़ी कर्मकारों के लिए होली-डे-होम योजना	3-6-1985
4.	बीड़ी कर्मकारों के लिए बीड़ी सहकारी समिति को टी०वी० सैटों की आपूर्ति	19-12-1987
आवास		
1.	बीड़ी कर्मकारों के लिए अपना मकान स्वयं बनाओ योजना	अप्रैल, 1978
2.	बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना	13-7-1983
3.	वर्कशेडों तथा गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना	3-1-1984
4.	बीड़ी कर्मकारों के लिए ग्रुप आवास योजना	23-1-1989

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड

2053. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक बोर्ड निलम्बित कर दिये गये हैं अथवा वर्ष 1991-92 के दौरान उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नये निदेशक बोर्ड गठित किए गए;

(ख) क्या इस प्रकार के निदेशक **बोर्डों में जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल किया गया** है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के सदस्यों के नाम क्या हैं और वे किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों का सतत अस्तित्व होता है और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को समय-समय पर भर लिया जाता

है। इस समय, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 95 गैर-सरकारी निदेशक हैं। इनमें से दो अर्थात् श्री बाहुरा एक्का (निदेशक बैंक आफ बड़ौदा) और श्री आर० टी० रिम्बई (निदेशक, यूको बैंक) अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के हैं। इन सभी 95 निदेशकों ने सितम्बर-अक्तूबर, 1992 में अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 और 1980 के उपबन्धों के अनुसार अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति लंबित रहने के कारण अभी भी अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

सिगरेटों के संबंध में कर ढांचा

2054. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा चैल्लैया समिति ने सिगरेटों के लिए मूल्यानुसार उत्पाद कर प्रणाली की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मूल्यानुसार प्रणाली लागू करने से प्रयोक्ताओं पर असर पड़े बगैर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय कंपनियां सरकार को उत्पाद कर देने से बचने के लिए सन्देहास्पद आचरण कर रही हैं अर्थात् क्रेता को कम कीमत पर दिए बगैर उत्पाद कर को कम करने के लिए सिगरेट की लम्बाई को कुछ कम कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस तरह की बातें रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) राजा चैल्लैया समिति ने मात्रानुसार दरों के स्थान पर मूल्यानुसार दरें लागू करने की सिफारिश की है। तथापि, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि इस सम्बन्ध में सिगरेटों के मामले की तरह के कुछ अपवाद हो सकते हैं और इस सुझाव को नोट कर लिया गया है।

(ग) यह कहना कठिन है कि सिगरेटों पर मूल्यानुसार दरें लागू करने से उपयोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं।

(घ) और (ङ) विगत समय में, सरकार के ध्यान में यह बात आई थी कि कतिपय सिगरेट विनिर्माताओं ने कुछेक ब्रांडों की सिगरेट की लम्बाई को घटा दिया है। तथापि, विनिर्माताओं को सिगरेट की लम्बाई में परिवर्तन करने और तदनुसार उत्पाद शुल्क अदा करने की पूरी छूट है।

नए कोयला भंडार

2055. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 के दौरान आज तक पाए गए नए कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके दोहन हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) देश में कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण का कार्य भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा निरन्तर आधार पर किया जाता है। क्षेत्रीय अन्वेषण द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर कोयला संसाधनों के विस्तृत रूप में अन्वेषण का कार्य केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा खनिज अन्वेषण निगम लि० तथा अन्य ड्रिलिंग अभिकरणों के सहयोग से खनन आयोजन के प्रयोजन से कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने के लिए किया जाता है।

वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्राथमिक अन्वेषण के दौरान निम्न क्षेत्रों में कोयले के नए भंडारों का पता लगाया गया है :—

क्षेत्र/ब्लाक का नाम	कोयला क्षेत्र का नाम
1. तंगसुली ऊपरी पट्टी जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	जिला बीरभूम
2. अखरापाल तथा श्रीरामपुर ब्लाक का उत्तरी भाग, जिला धनकनाल, उड़ीसा	तलचर कोलफील्ड्स
3. तंगरडीह ब्लाक, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	ईब नदी कोलफील्ड्स
4. जोगापुर धानपुर क्षेत्र, जिला-चन्द्रपुर महाराष्ट्र	वर्धा नदी कोलफील्ड्स
5. पुनकुलचिलका-मरिकदम क्षेत्र जिला-खम्माम, आंध्र प्रदेश	गोदावरी घाटी कोलफील्ड्स

कोयले के संभावित भंडारों का पता लगाये जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण को उपर्युक्त क्षेत्रों में सितम्बर, 1994 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में बुनकरों हेतु कल्याण योजना

2056. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई आत्म-हत्याओं को देखते हुए आंध्र प्रदेश में बुनकरों के उत्थान हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य को अब तक दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अब तक दिए गए अनुदानों का पूर्ण उपयोग कर लिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए उठाए गए विभिन्न प्रभावी उपचारात्मक कदमों में सरकार द्वारा विशेष रूप से गंटूर, कृष्णा और प्रकासम जिलों के संदर्भ में की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

(1) दो करोड़ रु० मूल्य के गैर-जनता कपड़े की बिक्री में संवर्धन करने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को विपणन विकास सहायता के रूप में 8.00 लाख रुपए की धनराशि जारी की है।

(2) वर्ष 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश को 5 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े के उत्पादन का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया और इनके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 127.50 लाख रुपये की अग्रिम सब्सिडी जारी की गई।

(3) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गंटूर और प्रकासम जिलों के 600 बुनकरों को बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए 20.34 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

(4) गंटूर, कृष्णा और प्रकासम जिलों में 12,000 बुनकरों को बीमे की सुविधा देने के लिए एक समूह बीमा योजना मंजूर की गई है और सहकारी और सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार का 7.20 लाख रुपए का अंश जारी किया गया।

(ग) तथापि जनता कपड़ा योजना की राशि प्रयोग कर ली गई है, विपणन विकास सहायता, समूह बीमा योजना और प्रशिक्षण की राशि आंशिक रूप से प्रयोग की गई है।

नेवल फीजिकल एण्ड ओशनोग्राफिक लेबोरेट्री का विस्तार

2057. **श्री रमेश चेन्नीत्तला :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन स्थित नेवल फीजिकल एण्ड ओशनोग्राफिक लेबोरेट्री का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में लेबोरेट्री द्वारा कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में हुआ वास्तविक व्यय इस प्रकार है :—

1989-90	17.07 करोड़ रु०
1990-91	20.82 करोड़ रु०
1991-92	18.40 करोड़ रु०

रोजगार कार्यालय

2058. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1992 को देश में रोजगार कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ग) मार्च, 1991 तक अधिसूचित रिक्तयों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने रोजगार उपलब्ध कराये गए ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार, देश में 855 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे थे।

(ख) 31 अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1991 से अगस्त, 1992 तक की अवधि के दौरान अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	संख्या (हजारों में)
(i) अधिसूचित रिक्तियां	624.6
(ii) रोजगार में लगाए गए	350.1

विवरण

31-8-1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	3321.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.4
3.	असम	1365.2
4.	बिहार	3600.5
5.	गोवा	102.6

1	2	3
6.	गुजरात	1034.7
7.	हरियाणा	635.2
8.	हिमाचल प्रदेश	478.9
9.	जम्मू और कश्मीर	130.3
10.	कर्नाटक	1485.4
11.	केरल	3799.0
12.	मध्य प्रदेश	2032.7
13.	महाराष्ट्र	3337.6
14.	मणिपुर	203.8
15.	मेघालय	24.3
16.	मिजोरम	36.1
17.	नागालैंड	22.2
18.	उड़ीसा	907.2
19.	पंजाब	734.3
20.	राजस्थान	890.3
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3729.4
23.	त्रिपुरा	178.5
24.	उत्तर प्रदेश	2655.3
25.	पश्चिम बंगाल	5187.7
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.0
27.	चंडीगढ़	161.4
28.	दादर और नगर हवेली	2.5
29.	दिल्ली	904.4

1	2	3
30.	दमन और दीव	2.5
31.	लक्षद्वीप	6.9
32.	पांडिचेरी	131.1
	योग :	37124.0

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

कोयले का आयात

2059. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को उनके ताप ऊर्जा केन्द्रों के लिए कोयले के सीधे आयात हेतु अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विधियां निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस मामले में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत रखा गया है और इसे देखते हुए भारत सरकार से इसका आयात किये जाने के लिए किसी लाइसेंस/किसी तरह की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु विद्यमान दरों पर आयात शुल्क ऐसे आयातों पर अदा करना पड़ता है।

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1992-93 के दौरान कोयला कम्पनियों ने विद्युत उपयोगिताओं को 150 मि० टन की आपूर्ति किए जाने की वचनबद्धता की थी। अप्रैल से अक्तूबर, 92 की अवधि के दौरान कोयला कंपनियां (कोल इण्डिया लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने 80.48 मि० टन की आपूर्ति की, जोकि इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य का 97.7% थी और कोयले की आपूर्ति वार्षिक लक्ष्य का 53.65% थी। कोयला कंपनियां लक्ष्य के अनुसार विद्युत उपयोगिताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किए जाने का विश्वास है। वर्तमान हालातों के अन्तर्गत विद्युत गृहों द्वारा कोयले का आयात किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। किन्तु तमिलनाडु बिजली बोर्ड से तथा कर्नाटक विद्युत निगम से प्राप्त निरन्तर अनुरोधों के कारण इन राज्यों द्वारा वित्त मन्त्रालय ने क्रमशः 2 मि०टन/1 मि० टन रियायती आयात शुल्कों पर आयात किये जाने की अनुमति दे दी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा असम को दी गई वित्तीय सहायता

2060. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1992 तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने धनराशि उपलब्ध करवाई है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम असम के लोगों को मकान और फ्लैट खरीदने के लिए ऋण देता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मंजूर किये गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी, हां । विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

1989-90		1990-91		1991-92	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
481	469.45	747	660.20	750	719.13

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

असम राज्य में किया गया निवेश

(लाख रुपये)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 31-10-1992 तक की स्थिति के अनुसार आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	400.00	500.00	500.00	—
2.	भूमि विकास बैंक ऋण-पत्र	8.00	—	—	—
3.	राज्य बिजली बोर्ड	416.00	—	—	7.08

2.50

1	2	3	4	5	6
	निम्नलिखित को ऋण				
4.	राज्य सरकार की आवास योजनाएं	—	—	126.00	2.27
5.	शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति, आवास बोर्ड और अन्य प्राधिकरण	40.00	—	—	0.50
6.	जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकार नगर-पालिकाएं, जिला परिषदें, आदि	—	—	—	0.44
7.	राज्य सरकार के ऋण	—	—	—	2000.00
	निगमित क्षेत्र				
8.	शेयर, ऋणपत्र और कम्पनियों (सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र) को ऋण	93.69	22.80	507.42	—

ईरान को सूती धागे का निर्यात

2061. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान को सूती धागे का निर्यात की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किन संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है अथवा योजना-तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) ईरान को निर्यात किये जाने वाले वस्त्र फाइबरों का योगदान अच्छा नहीं रहा है क्योंकि यह व्यापारिक पूछताछ पर निर्भर करता है। सरकार सभी देशों को किए जाने वाले निर्यात को उच्च प्राथमिकता देती है।

[हिन्दी]

कारों के आयात पर सीमा शुल्क

2062. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वातानुकूलित कारों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क में कमी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन कारों के आयातकों को आयात शुल्क काटने के बाद किस दर से सीमा शुल्क देना पड़ेगा;

(ग) देश में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की कितनी कारों के आयात की सम्भावना है; और

(घ) सीमा शुल्क में इस कटौती के कारण प्रति वर्ष कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित राज्य पर्यटन निगमों, वर्गीकृत होटलों, टूअर संचालकों, पर्यटक परिवहन संचालकों और यात्रा-एजेंसियों द्वारा वातानुकूलित कारों के आयात पर पचास प्रतिशत के हिसाब से रियायती आयात शुल्क लगाया गया है जिसे संपरिवर्तनीय-विदेशी मुद्रा में अदा किया जाना होता है।

(ग) रियायती दर पर आयात की जाने वाली वातानुकूलित कारों की कुल संख्या तीन सौ पचास है।

(घ) रियायती शुल्क पर वातानुकूलित कारों के आयात के कारण कुल मिला कर सीमा शुल्क की लगभग चौंसठ करोड़ रुपये की राशि छोड़नी पड़ेगी। तथापि, यह राजस्व हानि आनुमानिक है, क्योंकि शुल्क रियायत न देने से सामान्यतः वातानुकूलित कारों का बड़े पैमाने में आयात नहीं होगा।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958

2063. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**

श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विधान संसद में कब तक पुरःस्थापित करने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) प्राथमिकता के आधार पर विचाराधीन प्रस्तावित संशोधन भारतीय जहाजों के पंजीकरण, जहाजों और शेयरों के हस्तांतरण तथा बंधक रखने के अधिकारों आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक को अनुमोदन के लिए संसद में पुरःस्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार

2064. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया;

(ग) इन व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या और वर्ष 1990 और 1991 के दौरान नौकरी में लगाये गये इन श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए 15% और $7\frac{1}{2}$% रिक्तियां क्रमशः अ०जा० एवं अ० ज० जा० के लिए आरक्षित हैं। खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती की बजाय अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए, इन दो श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्रमश $16\frac{1}{3}$% और $7\frac{1}{2}$% है। स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर ग्रुप "ग" एवं "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का प्रतिशत सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अ० जा० और अ० ज० जा० की जनसंख्या के अनुपात में है।

(घ) सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए किये गये उपाय निम्न प्रकार है :—

(i) सरकार ने ग्रुप क, ख, ग एवं घ में रिक्तियां भरने के लिए सीधी भर्ती के सभी मामलों में अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अनुसार, यदि अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ये उपलब्ध नहीं होते, तो ये रिक्तियां अन्य उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जाएंगी और अ० जा०/अ० ज० जा० उम्मीदवारों द्वारा उत्तरवर्ती भर्ती प्रयासों में भरने के लिए रिक्त रखी जायेंगी।

(ii) अ० जा०/अ० ज० जा० हेतु विशेष रूप से आरक्षित बैक लाग रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (1989, 1990 और 1991) चलाए जा चुके हैं।

(iii) उपयुक्त अ० ज०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण ग्रेडों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पदों, जिनके लिए सीधा भर्ती कोटा निर्धारित है, में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की भर्ती में आई कमी को पूरा करने के लिए, ये रिक्तियां तब तक अ० जा०/अ० ज० जा० हेतु सीधी भर्ती कोटे में अस्थायी रूप से डाल दी जाती है जब तक कि फीडर संवर्ग के अ० जा०/अ० ज० जा० के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते हैं।

(iv) अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की भर्ती में सुधार लाने के लिए विभिन्न रियायतें और सुविधाएं जैसे ऊपरी आयु सीमा में छूट, परीक्षा/आवेदन शुल्क का भुगतान करने में छूट, परीक्षा में बैठने के लिए और अधिक अवसर उपयुक्तता के स्तर में रियायत आदि, उपलब्ध करायी गयी है।

विवरण

चालू रजिस्टरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या तथा की गई नियुक्तियां

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेशों	चालू रजिस्टर पर संख्या		31-12-1991 की स्थिति के अनुसार की गई नियुक्तियों की संख्या			
		अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा० 1990	अ० ज० जा० 1991	अ० जा० 1990	अ० ज० जा० 1991
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	378.3	79.8	2.6	2.1	0.9	0.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3.	असम	72.7	130.2	0.3	0.3	0.7	0.4
4.	बिहार	387.3	216.1	2.9	1.0	5.5	3.5
5.	गोवा	1.1	—	×	×		—
6.	गुजरात	165.7	87.2	2.1	1.9	3.1	2.5
7.	हरियाणा	111.0	×	1.6	1.9		×

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	81.4	14.1	1.0	0.6	0.2	0.2
9.	जम्मू और कश्मीर	7.1	0.1	0.1	0.1		×
10.	कर्नाटक	161.4	19.2	1.6	2.7	0.4	0.6
11.	केरल	330.7	17.7	1.3	1.6	0.2	0.2
12.	मध्य प्रदेश	252.4	164.0	3.3	2.2	5.2	3.2
13.	महाराष्ट्र	494.0	103.0	5.2	5.5	2.9	2.2
14.	मणिपुर	1.4	49.2	×	×	0.1	0.4
15.	मेघालय	0.2	16.1	×	×	0.3	0.2
16.	मिजोरम	—	—	—	—	1.0	0.4
17.	नागालैंड	1.6	19.7	×	×	0.1	0.2
18.	उड़ीसा	112.5	69.1	1.7	1.5	2.1	1.3
19.	पंजाब	203.1	×	1.6	2.4	—	—
20.	राजस्थान	128.7	59.3	0.9	1.4	0.7	0.9
21.	सिक्किम*						
22.	तामिलनाडु	709.8	14.8	7.3	7.6	0.2	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	10.3	11.5				
24.	उत्तर प्रदेश	512.0	10.0	4.8	3.8	0.2	0.2
25.	पश्चिम बंगाल	423.5	82.4	1.2	1.2	0·4	0.2
	संघ शासित प्रदेश						
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		0.7			×	
27.	चण्डीगढ़	41.7	0.1	0.3	0.3	×	×
28.	दादर और नगर हवेली	0.2	0.9				
29.	दिल्ली	122.7	13.3	0.8	0.4	0.2	0.1
30.	दमन और दीव	0.1	0.2	× ×	×	× ×	×
31.	लक्षद्वीप	—	5.7	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	9.5	0.1	0.1	×	×	—
	योग :	4720.1	1184.6	40.6	38.4	24.4	17.1

नोट—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. × 50 से कम आंकड़े ।

3. × × आंकड़े नहीं रखे जाते ।

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक

2065. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाकाल समाप्त होने के पश्चात् अपने पदों पर कार्यरत गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 95 गैर-सरकारी निदेशक हैं। इन सभी निदेशकों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 और 1980 के उपबन्धों के अनुसार अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति लम्बित रहने के कारण अभी भी अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने इनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

नरसिंहम समिति की सिफारिश

2066. **श्री सी० श्रीनिवासन** :

कुमारी पुष्पादेवी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसिंहम समिति की किन-किन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और लागू किया गया है;

(ख) समिति की किन-किन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी भी विचार किया जाना शेष है; और

(ग) सिफारिशों को तेजी से लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल है : सांविधिक नकदी अनुपात और प्रारक्षित नकदी अनुपात में कमी, ब्याज दर संरचना का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों से सम्बन्धित मानदण्डों का निर्धारण, आय का पता लगाना और प्रावधानों सम्बन्धी अपेक्षाएं, तुलन पत्र तथा लाभ और हानि फार्मेट में संशोधन ताकि उसे और सुस्पष्ट बनाया जा सके, शाखा लाइसेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का संशोधन, आई० एफ० सी० आई० को एक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने सम्बन्धी कार्रवाई, पूंजी बाजार को उदार बनाने सम्बन्धी उपाय करना, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को सांविधिक शक्तियां प्रदत्त करना, विभिन्न म्यूचुअल फण्डों के साथ कर सम्बन्धी रियायतों में समान बर्ताव आदि। सरकार ने समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।

यू० एन० लाइनर कोड

2067. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार यू० एन० लाइनर कोड में अनुरूप भारतीय नौवहन कम्पनियों को "कार्गो सपोर्ट" प्राप्त कराने के लिए एक कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रारूप कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यू० एन० लाइनर कोड के प्रावधानों को कानून के जरिए अथवा किसी अन्य तरीके से लागू करने सम्बन्धी जिस प्रस्ताव को सरकार ने 1986 में सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी थी, सरकार अब उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) यू० एन० लाइनर कोड के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किए कानून की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

(i) लाइनर कोड पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति, जो लाइनर कान्फ्रेंस, शिपर्ज, शिपर्ज संस्थाओं तथा सामान्य वाहकों पर लागू होंगे;

(ii) भारतीय जहाजों के लिए कार्गो का 40% भाग प्राप्त करने के लिए एक स्कीम बनाने की शक्ति;

(iii) कुछेक द्विपक्षीय नौवहन समझौतों को अलग करने और शिपिंग लाइनों और व्यापार के हित में किसी देश को भेजे जाने वाले अथवा किसी देश से आने वाले कार्गो अथवा शिपमेंट को छूट देने की शक्ति; और

(iv) लाइनर कान्फ्रेंस के सम्बन्ध में कुछेक पाबंदियां और पंजीकरण तथा पंजीकरण को रद्द करने सम्बन्धी अन्य मामले।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई राशि

2068. **श्री लाल बाबू राय** :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय बैंक द्वारा आज तक कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना 1990 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दिया जाना अभी शेष है;

(ग) शेष राशि दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य को कब तक शेष राशि दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 16-11-1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मार्फत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को अनुदान और ऋणों के रूप में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए० आर० डी० आर०) योजना, 1990 के अन्तर्गत मंजूर और जारी की गई राशियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत की शत-प्रतिशत जांच करने और अपात्र उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में दावों को निकाल देने के पश्चात् संशोधित दावों को भेजने को कहा है। सहकारी समितियों से अन्तिम दावों सम्बन्धी विवरणों की प्राप्ति के पश्चात् अगली राशि के जारी करने पर विचार किया जाएगा ।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर और भारी अनुदान और ऋणों की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण 16-11-1992 की स्थिति

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		राज्य सहकारी बैंक				राज्य भूमि विकास बैंक			
	अनुदान		ऋण		अनुदान		ऋण		अनुदान	
	मंजूर	आहरण	मंजूर	आहरण	मंजूर	आहरण	मंजूर	आहरण	मंजूर	आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात	4.174	4.174	113.074	113.074	113.074	113.074	18.129	17.120	18.129	17.120
कर्नाटक	49.645	49.540	35.210	35.210	35.210	35.210	14.516	15.516	14.516	14.516
मध्य प्रदेश	25.714	25.708	83.651	83.651	86.651	83.651	16.935	16.650	16.935	16.650
उड़ीसा	36.016	36.016	45.310	45.310	55.517	55.517	13.674	13.674	13.674	13.674
प० बंगाल	29.227	29.227	41.895	41.895	41.895	41.895	9.920	9.920	9.920	9.020
अंडमान व निकोबार	*		—	—	0.075	0.075	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	0.521	0.521	50.000	50.000	50.000	50.000	3.429	3.000	3.429	3.000
हरियाणा	10.996	10.996	41.000	41.000	41.000	41.000	13.520	13.520	13.520	13.520
हिमाचल प्रदेश	1.692	1.692	10.332	8.451	10.332	10.332	0.956	0.830	0.956	0.830
असम	7.579	7.579	7.869	7.869	7.869	7.869	0.645	0.645	0.645	0.645
मेघालय	0.217	0.217	2.712	2.712	2.712	2.712	*	*	*	*
त्रिपुरा	4.984	4.984	2.430	2.430	2.430	2.430	0.389	0.389	0.389	0.389
मणिपुर	0.089	0.089	1.312	1.155	1.312	1.155	*	*	*	*
मिजोरम	0.294	0.294	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	0.053	0.053	1.025	1.025	1.025	1.025				
अरुणाचल प्रदेश	0.056	0.056	0.500	0.500	0.500	0.500	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	64.150	59.947	87.659	87.659	87.659	87.659	44.350	44.350	44.350	44.350
राजस्थान	38.712	34.712	109.209	109.209	109.209	109.209	12.092	12.092	12.092	12.092
उत्तर प्रदेश	58.913	58.889	201.542	201.542	201.542	201.542	37.172	37.172	37.172	37.172
तमिलनाडु	6.084	6.084	107.357	93.857	80.357	66.857	28.790	28.790	28.790	28.790
पांडिचेरी	*		—	—	1.336	1.336	—	—	0.066	0.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	50.753	50.653	93.373	93.373	93.373	93.373	44.000	44.000	44.000	44.000
महाराष्ट्र	12.873	12.848	140.583	140.583	140.583	140.583	41.300	41.300	41.300	41.300
गोवा	*	—	0.575	0.575	0.575	0.575	*	*	*	*
जम्मू व कश्मीर	4.070	4.070	11.765	9.765	11.765	0.765	0.445	0.445	0.445	0.445
केरल	6.517	6.517	26.125	26.126	26.125	26.125	5.000	5.000	5.000	5.000
नई दिल्ली	*	—	—	—	0.100	0.100	*	*	*	*
चंडीगढ़	*	—	0.138	—	0.138	0.076	—	—	—	—
योग :	413.309	408.846	1,214.646	1,196.903	1,199.364	1,83.645	305.262	303.413	305.328	303.479

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई बैंक नहीं ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्ग का निर्माण

2069. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा आठवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जाने वाले उपमार्गों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर संस्वीकृत किए जाने वाले बाईपासों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 8वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधियां देश में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए मुश्किल से पर्याप्त होंगी। इस प्रकार, इस स्थिति में 8वीं योजना के दौरान संस्वीकृति के लिए प्रस्तावित और बाईपासों के ब्यौरे बतलाना कठिन है।

विवरण

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राज्य	बाईपासों का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
1.	10	हरियाणा	रोहतक-केवल भूमि का अधिग्रहण	2.00
2.	22	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.00
3.	22	—यथोपरि—	बारोग	2.00
4.	22	—यथोपरि—	कुल्लू	20.00
5.	17	केरल	कालीकट (फेज-I) और नीलू थोडू पुल	8.60
6.	47	—यथोक्त—	किलोन फेज-I	2.50
7.	47	—यथोक्त—	त्रिवेन्द्रम-नयातिनकारा चे० 5600-10250 एम और ओकुलम पुल तथा रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	16.00
8.	3	मध्य प्रदेश	इन्दौर बाईपास	68.30
9.	6	—यथोपरि—	विश्वनाथ पुल सहित दुर्ग	15.50
10.	7	—यथोक्त—	जबलपुर	11.65

1	2	3	4	5
11.	50	महाराष्ट्र	पेठ	1.00
12.	39	मणिपुर	इम्फाल केवल भूमि अधिग्रहण	5.00
13.	40/44	मेघालय	शिलांग—केवल भूमि अधिग्रहण	7.00
14.	44	—यथोपरि—	जवई	0.70
15.	45क	पांडिचेरी	विलानोर	1.00
16.	15	पंजाब	गुरुदासपुर	4.13
17.	8	राजस्थान	उदयपुर	3.00
18.	7	तमिलनाडु	नामाक्कल—केवल भूमि अधिग्रहण	1.00
19.	47	—यथोपरि—	रोड ओवर ब्रिज सहित कोयम्बतूर	15.00
20.	24	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	8.00
21.	2	—यथोक्त—	रोड ओवरब्रिज सहित इटावा फेज-II	7.00
22.	28	—यथोक्त—	रोड ओवरब्रिज सहित फैजाबाद फेज-II	19.00
23.	28	—यथोक्त—	बस्ती फेज-II	5.50
24.	28	—यथोक्त—	बाराबंकी केवल भूमि अधिग्रहण	2.00
25.	34	पश्चिम बंगाल	शांतिपुर	3.00

पिछड़े राज्यों के विकास हेतु विशेष कोष

2070. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों के विकास हेतु कोई विशेष कोष बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जब्त किया गया सामान

2071. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त काफी माल बगैर दावे के पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास को वर्षों से पड़े इस सामान के किराये के रूप में अनुमानत: कितनी क्षति हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस माल की नीलामी करने और भविष्य में ऐसे माल के जमा न होने देने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन न्यास के अनुसार कलकत्ता गोदी प्रणाली पर पड़े हुए लावारिस और जब्त किये गए कार्गो की मात्रा क्रमश: 5,557 मिट्रिक टन (एम० टी०) ओर 4,085 एम० टी० है।

(ग) और (घ) इसमें ऐसे कार्गों का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पत्तन न्यास को उसका उचित हिस्सा देने हुई बोली लगाकर किया जाता है। जब्त कार्गो के निपटान के लिए कलकत्ता कस्टम हाउस में एक विशेष निपटान अभियान आयोजित किया गया है। इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि घाटा कितना हुआ।

नई आर्थिक उदार नीतियां

2072. **श्री जार्ज फर्नांडीज** :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बहुपक्षीय संस्थानों से अपनी नई आर्थिक उदार नीतियों के लिए समर्थन देते रहने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन नीतियों को स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से प्रोत्साहन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अपवादस्वरूप वित्त-पोषण संबंधी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों से त्वरित-संवितरण संसाधनों का सहारा लेना सरकार के बृहत्-आर्थिक शुद्धिकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक सुधारों का एक अनिवार्य अंग रहा है। इस संबंध में, भारत सहायता संघ ने ठोस वचनबद्धताएं प्राप्त हुई हैं कि विदेशी सहायता की वचनबद्धताओं पर विचार करने के लिए वार्षिक आधार पर आयोजित की

जाती हैं। जून 1992 में पैरिस में हुई संघ की पिछली बैठक में बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त हुई कुल वचनबद्धताओं और उनके त्वरित संवितरण संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

पैरिस में 24-26 जून, 1992 को भारत सहायता संघ की हुई बैठक में बहुपक्षीय दायाओं द्वारा की गई वचनबद्धताएं

द्विपक्षीय दानी	जोड़		त्वरित संवितरण संबंधी	
	दानी की करेंसी (मिलियन)	अमरीकी डालर (मिलियन)	दानी की करेंसी (मिलियन)	अमरीकी डालर (मिलियन)
1	2	3	4	5
बेल्जियम				
कनाडा	54.00	45.30	24.00	20.13
डेनमार्क	250.00	41.98		
फ्रांस	631.50	121.44		
जर्मनी	552.30	358.60	209.60	136·10
इटली	860.00	73.57		
जापान	115908.00	926.00	33.09	264.32
निदरलैंड	190.00	109.76	70.00	40.44
स्वीडन	470.00	83.93		
नार्वे	140.00	23.10		
स्वीटजरलैंड	46.00	32.56	45.00	32.56
यू० के०	185.00	351.04	20.00	37.95
यू० एस० ए०		165.00		125.00
उपजोड़ :		2332.28		656.50

बहुपक्षीय

1	2	3	4	5
ए० डी० बी०		1250.00		400.00
ई० ई० सी०	120.00	158.30	77.00	101.60
आई० बी० आर० डी०/				
आई० डी० ए०		3000.00		600.00
आई० एफ० ए० डी०		25.00		18.00
नोराडिक बैंक		60.00		15.00
यू० एन० सिस्टम		220.00		
आई० एफ० सी०		150.00		
उपजोड़ :		4863.30		1134.60
जोड़ :		7195.58		1791.10

इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि उच्च ऋण किश्त वैकल्पिक सुविधा के अंतर्गत 1.6 करोड़ डालर का संवितरण भी किया जाएगा।

डी० टी० सी० में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2073. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री गुरुदास कामत :

श्री राम कृष्ण कुसारिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच डी० टी० सी० के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के कम होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाला कर्मचारी निम्नलिखित धन वापसी/भुगतानों का पात्र होगा :—

(i) उस पर लागू भविष्य निधि संबंधी नियमों के अनुसार, उसके भविष्य निधि खाते में बकाया राशि।

(ii) उस पर लागू दिल्ली परिवहन निगम के नियमों के अनुसार, उसे मना की गई छुट्टियों तथा संचित अर्जित छुट्टियों के बदले, नकद भुगतान जैसे कि वह सेवानिवृत्ति के सामान्य नियमों के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

(iii) उस पर लागू ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम अथवा दिल्ली परिवहन निगम के ग्रेच्यूटी नियमों के अनुसार ग्रेच्यूटी।

(iv) उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, अलग-अलग मामलों में यथा लागू तीन महीने के नोटिस का वेतन।

(v) सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए डेढ़ महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान परन्तु यह राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले बची सेवा के पूरे महीनों को एक महीने के वेतन से गुणा करने पर बनेगी।

(vi) कर्मचारी और उसके परिवार के लिए, जिसमें उसकी पत्नी/पति और आश्रित सदस्य शामिल है उसके तैनाती के स्थान से भारत में उस स्थान तक जहां वह निवास करना चाहे, उसकी पात्रता की श्रेणी के अनुसार यात्रा हेतु व्यय।

(ग) इस स्कीम के वस्तुतः कार्यान्वित होने तक कर्मचारियों की ठीक संख्या बतला पाना संभव नहीं है।

राज्य सरकारों द्वारा एन० आर० आई० बांड जारी किया जाना

2074. **डा० ए० के० पटेल** :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से एन० आर० आई० बांड को जारी करने संबंधी अनुमति दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों से अनिवासी भारतीय बाण्ड जारी करने की अनुमति देने सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकते।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

2075. **डा० असीम बाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 2190.00 लाख रु० तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 780.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया है।

(ग) चालू वित्त बर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अल्प आवंटन के कारण पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्य सरकारों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दंगा पीड़ितों को ऋण

2076. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों को उनके पुनर्वास हेतु ऋण दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रभावित परिवारों को अब तक कितनी राशि वितरित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 1984 के दंगा प्रभावित ऋणकर्त्ताओं को बैंकों ने 18,180 मामलों में 79.74 करोड़ रुपयों की धनराशि के ऋण स्वीकृत किये थे, जिसमें से सम्पूर्ण देश में जून, 1988 की स्थिति के अनुसार 16,704 मामलों में 68.42 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई थी।

दिल्ली में 6904 मामलों में बैंकों ने 35.15 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 6086 मामलों में 30.29 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई थी।

भारतीय वायुसेना के लिए पुराने लड़ाकू विमान

2077. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना के पुराने आयातित लड़ाकू विमानों में सुधार करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गई है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) इस संबंध में समिति ने मुख्य क्या-क्या सिफारिशें पेश की हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) सरकार द्वारा गठित समिति ने भारत में निर्मित युद्धक वायुयानों का दर्जा बढ़ाने की व्यवहार्यता पर विचार किया है। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि युद्धक वायुयानों का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता और लागत प्रभाविता मालूम करने के लिए इस पर और आगे अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी निवेश के लिए कर सम्बन्धी छूट

2078. **डा० लक्ष्मी नारायन पाण्डेय** :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन तथा कुछ अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा, जो सीधे विदेशी पूंजी निवेश के लिए भारत के सक्षम प्रतिस्पर्द्धी हैं, दी गई कर संबंधी रियायतों के अनुरूप भारत में विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में अपनी कर संबंधी नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) कर-नीतियों को तैयार करते समय सरकार द्वारा दूसरे देशों की कर प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की इक्विटी पूंजी में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की भागीदारी

2079. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी पूंजी में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की भागीदारी को अनुमति देने हेतु एक फार्मूला प्रस्तावित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

समाचारपत्र उद्योग के लिए पेंशन योजना

2080. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री 12 अगस्त, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि में अंशदाताओं और समाचारपत्र और अखबारी कागज के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्पलाइज प्रोवीडेंट फंड की सिफारिशें मान ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों पर सरकार को अभी निर्णय लेना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित पेंशन योजना में अधिवर्षिता, सेवानिवृति, स्थायी तौर पर पूर्ण विकलांगता जैसी आकस्मिकता में पेंशन अदायगी की व्यवस्था है।

स्टेट बैंक आफ मैसूर को शेयर देने के वायदे की जांच

2081. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को शेयर देने के वायदे में हुई तथाकथित अनियमितताओं की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि बंगलौर शेयर बाजार ने अगस्त 1992 में एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। बताया जाता है कि उक्त समिति ने मैसर्स सत्य प्रकाश एण्ड कम्पनी और मैसर्स मेगा स्टाक्स नामक दो फर्मों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की थी। अगस्त, 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि मैसर्स सत्य प्रकाश एण्ड कम्पनी ने मद्रास सीमेंट लि० के मैसर्स मेगा स्टाक्स के एक भागीदार श्री नागराज के नाम से धारित 20 इक्विटी शेयरों को, जिनके अन्तरण की मीयाद समाप्त हो गयी थी, स्टेट बैंक आफ मैसूर के

पास गलत ढंग से रिगवी रखा था। आगे की अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के मूल्यांकन के पश्चात् ही की जाएगी।

शेयर बाजार में अनियमितताओं के रोकने हेतु किये जाने वाले उपाय

2082. **श्री रवि राय :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयर बाजार में अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से कुछ सुझाव मिले हैं;

(ख) "सेबी" की ओर से जुलाई, 1991 से प्राप्त ऐसे सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इनमें से प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अधिक महत्वपूर्ण सुझावों एवं उन पर की गयी कार्रवाई को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) "सेबी" ने सुझाव दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज को प्रतिभूतियों में टर्न-ओवर के परिणाम एवम् प्रतिमूतियों में कारोबार की बकाया स्थिति पर "सेबी" को दैनिक रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में जारी किये गए सरकारी अनुदेशों को इन एक्सचेन्जों के द्वारा पूरी तरह से पालन हो।

यह सुझाव मान लिया गया था और तदनुसार बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को अनुदेश जारी कर दिये गए थे कि वे अपेक्षित आंकड़े "सेबी" को उपलब्ध करायें।

(2) "सेबी" ने 31 जनवरी, 1992 के अपने पत्र में इंगित किया था कि यदि मौजूदा सट्टेबाजी गतिविधियां स्टॉक एक्सचेंज में जारी रखी जाती हैं तो ऐसी सम्भावना है कि निकट भविष्य में पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। "सेबी" ने यह सुझाव दिया था कि यह मंत्रालय बम्बई स्ट्रॉक एक्सचेंज के प्रशासन पर गम्भीरता से निगरानी रखे और आवश्यक निर्देश जारी करे।

"सेबी" को दिनांक 4 मार्च, 1992 के पत्र द्वारा यह सलाह दी गयी थी कि वह अपने 30 जनवरी, 1992 के "सेबी" अध्यादेश के प्रख्यापन तथा 21 फरवरी, 1992 को बोर्ड की स्थापना को ध्यान में रखते हुए शेयरों में कारोबार को नियमित करने के लिए समुचित कार्रवाई करे।

(3) "सेबी" के चेयरमैन तथा अन्य स्टाक एक्सचेन्ज के अध्यक्षों के साथ 28 मार्च, 1992 को वित्तमंत्री द्वारा ली गई बैठक के लिए "सेबी" ने निम्नलिखित पदों का सुझाव दिया था :

(क) निगमित सदस्यता

(ख) दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक

(ग) समान और लम्बे कारोबारी (3 घंटे)

(घ) लघुत्तम निपटान अवधि

(ङ) दलालों की किताबों और रिकार्डों का प्रभावी निरीक्षण

(च) निवेशक शिकायतों का शीघ्रता से समाधान

(छ) तुरन्त पंच-फैसला

(ज) इनसाइडर ट्रेडिंग एवं मूल्य की कृत्रिम घट-बढ़ पर रोक लगाना।

बैठक में चर्चा के दौरान, वित्तमंत्री ने प्रमुख स्टाक एक्सचेन्जों के अध्यक्षों को स्टाक एक्सचेन्जों में प्रथाओं और प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधारों को तत्काल आरम्भ करने के लिए कहा। उन्होंने "सेबी" चेयरमैन से स्टाक एक्सचेन्जों में सुधारों के बारे में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में रेशम के डिपो

2083. **श्री छेदी पासवान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम के डिपो स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में रेशम के डिपुओं की कमी है;

(ग) अक्तूबर, 1992 तक बिहार और उत्तर प्रदेश में पृथक-पृथक रूप से रेशम के कितने-कितने डिपो थे; और

(घ) इन राज्यों में रेशम के डिपुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) रेशम उत्पादन राज्य का विषय होने के कारण यार्न की सप्लाई तथा कोसों की खरीदारी करने के लिए रेशम डिपो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड टसर कोसों और यार्न तथा घिचा यार्न के लिए ही चाइबासा (बिहार) में कच्चे माल का बैंक चला रहा है जिसका डिपो नाथनगर (बिहार) में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रेशम डिपो की कोई कमी होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस संबंध में यदि राज्य सरकारें यह महसूस करती है कि रेशम डिपो की संख्या बढ़ानी है तो उसकी कार्रवाई वह स्वयं करेंगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार भी समय-समय पर अपने नीति परक उपायों से हस्तक्षेप करती है ताकि देश में रेशम और रेशम यार्न की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके।

विकलांग व्यक्ति

2084. **श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने विकलांग व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) इनके लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं; और

(घ) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) 1990 और 1991 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरियों में लगाये गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	—	नियुक्ति
1990	—	3939
1991	—	4599

(ग) केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधीन ग्रुप ग और घ के तीन प्रतिशत सिविल पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों—आंख, कान और शारीरिक रूप से - विकलांग प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत, के लिए आरक्षित हैं।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बेंकों आदि के सम्बन्ध में विकलांगों के लिए आरक्षित ग्रुप ग और घ के बेंकलॉग को भरने के लिए तीन विशेष भर्ती अभियान चलाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विशेष भर्ती अभियान चलाकर विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरें।

विवरण

31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर विकलांग व्यक्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या (हजारों में)
1	2	3
राज्य		
1.	**आंध्र प्रदेश**	41.7
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	×

1	2	3
3.	असम	3.5
4.	बिहार	14.6
5.	गोवा	0.4
6.	गुजरात	11.6
7.	हरियाणा	6.7
8.	हिमाचल प्रदेश	3.5
9.	जम्मू और कश्मीर	0.7
10.	कर्नाटक	15.5
11.	केरल	24.7
12.	मध्य प्रदेश	16.4
13.	महाराष्ट्र	21.1
14.	मणिपुर	1.1
15.	मेघालय	0.1
16.	मिजोरम	0.1
17.	नागालैंड	×
18.	उड़ीसा	11.4
19.	पंजाब	8.6
20.	राजस्थान	13.8
21.	सिक्किम*	
22.	तामिलनाडु	40.6
23.	त्रिपुरा	2.0
24.	उत्तर प्रदेश	27.4
25.	पश्चिमी बंगाल	40.9
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2

1	2	3
27.	चंडीगढ़	0.7
28.	दादर और नगर हवेली	×
29.	दिल्ली	5.0
30.	दमन और द्वीव	×
31.	लक्षद्वीप	×
32.	पांडिचेरी	1.1
	योग :	313.4

नोट : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. × 50 से कम आंकड़े ।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़ें योग से मेल न खाएं ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

2085. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अक्तूबर, 1992 तक महाराष्ट्र सरकार से स्वीकृति के लिए कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कोई कार्यक्रम प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने स्वीकृत किये गए हैं, और कितने अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) आई०डी०बी०आई० के अनुसार वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी०एम०एफ०एस०) के अन्तर्गत 31-8-92 की स्थिति अनुसार महाराष्ट्र में 39 मामलों में 216.00 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए और उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 34 मामलों में 142.00 करोड़ रु० वितरित किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करना

2096. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय घाटे को कम करने के साधन के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करने से पहले विचार किए गए विकल्पों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए कर-राजस्व और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में सुधार और अनावश्यक व्यय को सीमित रखने जैसे सभी संभावित विकल्पों की जांच की जाती है। राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना विकासात्मक व्यय के वित्तपोषण के लिए सरकारी क्षेत्र की इक्विटी का अप-निवेश करना एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसाकि वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण (जुलाई, 1991) में बताया गया था, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिताओं का अप-निवेश करना इक्विटी का आधार विस्तृत करेगा, प्रबन्ध में सुधार करेगा और इन उद्यमों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाएगा।

भारत-पाक सीमा पर तस्करी

2087. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री महेश कनोडिया :

प्रो० रीता वर्मा :

डा० लाल बहादुर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से पाकिस्तान को किन-किन वस्तुओं की तस्करी हो रही है तथा पाकिस्तान से भारत को किन-किन वस्तुओं की तस्करी हो रही है;

(ख) भारत पाक-सीमा पर कौन-कौन से स्थानों से तस्करी हो रही है;

(ग) देश से प्रतिवर्ष तस्करी होने वाली वस्तुओं का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) तस्करी को रोकने, विशेष तौर पर तब जबकि तस्करी वाले स्थानों की पहचान कर ली गई है, हेतु अब तक किए गए उपयोग की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत-पाक सीमा पर तस्करी को रोकने हेतु और क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की सीमा तस्करी के लिए बराबर आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए इस सीमा के आर-पार होने वाली तस्करी का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, तस्करी रोधी एजेन्सियों ने जनवरी, 92 से सितम्बर, 92 की अवधि के दौरान भारत-पाक सेक्टर से लगी भू-सीमा में लगभग 18.26 करोड़ रुपए मूल्य का निषिद्ध सामान पकड़ा है।

पाकिस्तान से भारत में की जाने वाली तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुओं में मुख्य रूप से सोना, चांदी तथा स्वापक औषधियां शामिल हैं और भारत से पाकिस्तान को की जाने वाली तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुओं के मुख्य रूप में शराब, बकरियां, गायें, पान की पत्तियां, बीड़ियां आदि शामिल हैं।

उन क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो मौजूदा आसूचना के अनुसार भारत-पाक सीमा पर तस्करी के लिए अपेक्षाकृत अधिक आशंका वाले क्षेत्र हैं :—

जम्मू-कश्मीर सेक्टर में	—	कठुआ और साम्भा ।
अमृतसर सेक्टर में	—	नौसेहरा, ढाला, डोके और भरोपाल ।
जैसलमेर सेक्टर में	—	नचना, रामगढ़ और मोहन नगर तथा साम क्षेत्र ।
बाड़मेर क्षेत्र में	—	चौटन, पंचला और गाघरा रोड ।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं । तथापि, राजस्थान राज्य में सीमा के बहुत से भाग विशाल मरुस्थली भू-भाग होने के कारण तस्करी के लिए प्रवेश-मार्ग का काम देते हैं । सीमा के दोनों तरफ के लोगों के मिलते-जुलते सामान्य रीति-रिवाजों के कारण भी सीमा के एक ओर के लोग चोरी-छिपे तस्करी का धन्धा करने के लिए सीमा के दूसरी तरफ के लोगों के साथ आसानी से मेलजोल बढ़ा लेते हैं जिसके कारण प्रवर्तन एजेन्सियों का काम काफी मुश्किल हो जाता है ।

(ङ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है । इस सीमा के आर-पार तस्करी की रोकथाम करने के लिए केवल तस्करी-रोधी कार्यों से जुड़े सीमा शुल्क उप-समाहर्तालयों का अभी हाल में सृजन किया गया है, जिनके मुख्यालय जोधपुर और अमृतसर में हैं । तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है ।

सोने की बिक्री और भंडारण के संबंध में नई नीति

2088. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा सोने और चांदी की बिक्री और उनके भंडारण के संबंध में कोई नई समिति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह नीति कब तक लागू कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : हम शान्ति चाहते हैं लेकिन वह शान्ति मार्च के लिए जा रहे हैं जिससे शांति भंग होगी । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मिनिस्टर्स जाकर वहां अशांति फैलाएंगे। जहां शांति का आह्वान हो रहा है, अर्जुन सिंह जी वहां जाकर अशांति फैलाएंगे। गृह मन्त्री ने कल सबको शांति के लिए आह्वान किया है और यहां से अर्जुन सिंह जी वहां जाकर अशांति फैलाएंगे। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। मैंने रवि राय जी को बुलाया है।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, बर्मा के अन्दर जो कुछ हो रहा है उस पर इस सदन ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और सरकार ने भी उस पर अपना रवैया बताया था। मैं आज आपके समक्ष और सदन के समक्ष बर्मीज पीस प्राइज विनर श्रीमती आंग सांग सू क्यी के बारे में बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

रंगून में चार वर्ष से घर में नजरबन्द रहने से उनके जीवन को खतरा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सवाल को यहां उठा रहा हूं कि हिन्दुस्तान के अखबारों में सिर्फ दो दिन यह खबर आई जबकि सोमवार से श्रीमती आंग सांग सू क्यी भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने अनिश्चितकाल तक आमरण अनशन किया है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया को और सदन को यह पता है कि 20 जुलाई 1989 को 82% वोट पाकर श्रीमती आंग सांग सूक्यी की पार्टी बर्मा में चुनी गई लेकिन वहां की मिलिट्री जुण्टा ने उनको सरकार में प्रधान मन्त्री बनाने से इन्कार कर दिया। मैं आज आपके समक्ष उनके पति श्री माइकल ऐरिस जो ऑक्सफोर्ड में रहते हैं, वे कहते हैं कि—

[अनुवाद]

वह हर सहायता से इन्कार कर रही हैं। यह भी सम्भावना है कि उनकी मृत्यु हो जाए। मैं जानता हूं कि वह कितनी दृढ़ निश्चय वाली है। उन्होंने इस पर पूर्ण विचार किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, पहले उनके पति को बर्मा जाकर मिलने दिया गया लेकिन सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह उदार बन रहे हैं, मगर उनके अपने पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद उनकी जो हाउस अरेस्ट थी उसको बढ़ा दिया गया और अभी वहां की मिलिट्री रिजीम और स्टेट फॉर लॉ एंड ऑर्डर ने पांच साल तक उनको हाउस अरेस्ट में रखना तय किया है। मैं आज इस सवाल को यहां इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हिन्दुस्तान में आजकल 1942 के आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, श्री शरद पवार, बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सारे सदन का और खासकर भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस मामले में भारत सरकार का कोई कर्तव्य है या नहीं। क्या हम मिसेज औंगसान को ऐसे ही मरने देंगे ? जिस तरह हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी को हम सभी फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उसी तरह औंगसान के पिता वहां "फादर ऑफ द बर्मा" यानी वहां के राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। भारत से सारी दुनिया को शांति का सन्देश समय-समय पर जाता रहा है, इसी नाते मैं आज आशा करूंगा कि भारत इस मामले में पहल करे क्योंकि वहां उनकी जिन्दगी खतरे में है, उन्होंने वहां आमरण अनशन आरम्भ कर दिया है, और इस सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की कोशिश की जाए।

मेरे पास एक खबर है कि स्वीडन आज इस सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा रहा है। क्या हम लोग यह उम्मीद नहीं करेंगे कि भारत सरकार भी उसके साथ अपनी आवाज दे और उनकी रिहाई की मांग करे। इसके साथ-साथ भारत सरकार अपने सारे डिप्लोमैटिक प्रैशर बर्मा की मिलिटरी जुंटा के ऊपर डाले ताकि उनकी जिन्दगी की रक्षा हो सके।

अभी ह्यूमन राइटस कमीशन के प्रोफेसर को जो क्यूटो मिसेज औंगसान से मिलने के लिए कुछ दिन पूर्व गए थे, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अभी फिर वे एक-दो दिन में वहां पहुंचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि प्रोफैसर क्योटो जो वहां की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, उन्हें मिसेस औंगसान से मिलने की इजाजत दी जाए, इस दिशा में पहल करे। मैं भारत सरकार से यह भी मांग करता हूं और इसलिए इस मामले को यहां उठा रहा हूं क्योंकि वहां जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं, बर्मा की मिलिटरी जुंटा उनका पीछा कर रही है ताकि अगले महीने हमारे देश के मिजोरम क्षेत्र में घुसपैठ कर सके और हमारे मिजोरम क्षेत्र में उनके घुसने की पूरी आशंका है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले में रैस्पौंड करे, सारी संसद में और सभी दलों के नेता इस बारे में पहल करें, मांग करें, ताकि उनकी रिहाई तुरन्त हो जाए, इतना ही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं माननीय सदस्य श्री रवि राय द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं। यह अत्यन्त दुखद बात है कि हमारे पड़ोसी देश में निर्वाचित एक नेता जेल में है और वहां जनता की लोकतान्त्रिक राय को नकारा जा रहा है। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुत कम प्रयास किए गए हैं कि कुछ वर्षों पहले बर्मा में जो जनादेश दिया गया था उसे लागू किया जाए और उस देश में जनता के अधिकार दिलाए जाएं।

जैसाकि श्री रवि राय ने विस्तार से बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय आम राय बनाने के लिए इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक देश इस सैन्य शासन जोकि बिल्कुल अवैध सरकार है, के साथ संबंध बनाए हुए हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमने भी इस सैन्य शासन के साथ सम्बन्ध बनाए हुए हैं और, यदि ऐसा है तो हमें तत्काल यह सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए और यह देखना चाहिए कि बर्मा में लोकतन्त्र बहाल हो तथा इस वीर महिला, जोकि बर्मा की जनता की नेता है, का जीवन सुरक्षित हो।

यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है और मैं तत्काल सरकार की इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं भी सभा में उठाई गई इस मांग का समर्थन करता हूं कि भारत सरकार बर्मा के लोगों की महान नेता, आंग-सांग सू क्यी की रिहाई के साथ-साथ बर्मा के सैन्य शासन पर दबाव डालने के लिए प्रभावी और तत्काल कार्यवाही करे कि वह बर्मा के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। पिछले चुनावों में जनता द्वारा अभिव्यक्त राय के अनुरूप, शीघ्रातिशीघ्र लोकतन्त्र की बहाली की जाए।

बर्मा की जनता बहुत दयनीय स्थिति में है और वे इसके लिए हमारी ओर देख रहे हैं। अनेक प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने हमारे यहां राजनीतिक शरण ली है और बे हमें पत्र लिख रहे हैं तथा मांग कर रहे हैं कि नैतिक आधार पर हम हस्तक्षेप करें।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, जिसने शायद अब तक द्विपक्षीय स्तर पर इस मामले को दबी आवाज में उठाया है, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ संयुक्त रूप से प्रभावी हस्तक्षेप के लिए आवाज उठाएं ताकि इस महान महिला का जीवन बचाया जा सके और बर्मा के लोगों को फिर से लोकतन्त्र का लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं भी जो मुद्दा रवि राय जी ने उठाया है, उसका समर्थन करता हूं। मियांमार में जो लोगों का आंदोलन चल रहा है, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको जिस तरह से मिलिट्री जुण्टा सरकार ने बन्द रखा है वह निन्दनीय है और जिस तरह से हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, यह ठीक नहीं है। हमारी सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अफगानिस्तान के मामले में भी हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज वहां पर जो हिन्दू और सिख रहते थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है और जो नयी सरकार आई है, उसने उनको वहां से निकाला है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी के लिए कह देना चाहता हूं कि वहां के लोगों की जो मांग है उनका जो जनांदोलन है, भारत सरकार उसका समर्थन करे और जितना हस्तक्षेप यह सरकार कर सकती है उतना हस्तक्षेप करे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरे सहयोगियों द्वारा उठाई गई मांग का अपने दल की ओर से मैं भी समर्थन करती हूं और अधिक विस्तार में न जाते हुए मैं आशा करती हूं कि सरकार इस मामले की ओर, तत्काल ध्यान देगी। माननीय रक्षा मन्त्री यहां हैं। मुझे आशा है कि वह कुछ कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मन्त्री महोदय को इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दूसरे महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि भारत की सरकार अपनी सीमाओं की हिफाजत के प्रति उदासीन हो रही है। पिछले दो-तीन दिन से जो खबरें आ रही हैं, वे जैसे तमाम भारतीयों के लिए एक चिन्ता का विषय है। कल और परसों से अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रों से यह खबर आई है कि पाकिस्तान ने 7 एटम बम बना रखे हैं और एक बम की हैसियत, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ा गया था, उसके बराबर की है और इसी तरह की खबरें फिर आ रही हैं श्रीमन् कि चीन के मुकाबले में जो हमारी सेनायें सीमा पर खड़ी थीं, लद्दाख और नेफा में दोनों ही सीमाओं से हमारी सरकार के आदेश से 35 हजार सैनिकों को लद्दाख से हटाया जा रहा है और नेफा में जो हमारी टैंकों की फ्लीट थी, उसको वापस बुलाने की खबर अखबारों में छप रही है।

ऐसे समय में युद्धोन्माद पैदा करना, इस देश में, मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान एक सच्चे और अच्छे मित्र की तरह रहना सीख जाएं, लेकिन जब तक यह सच्चाई और ईमानदारी पैदा नहीं होती है तब तक भारत की सरकार की सामाओं की हिफाजत करना भी हमारी सरकार का बुनियादी फर्ज और कर्त्तव्य हो गया है और ऐसी हालत में, श्रीमान् जब रूस का विघटन होने के बाद, एक अच्छा मित्र अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, जो एक शक्तिशाली मित्र था, उसके कमजोर होने के बाद, हम दुनिया के पैमाने पर एक शक्तिशाली मित्र के अभाव में अपने पैरों पर अपनी ताकत के साथ अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए जिम्मेदार हो गये हैं और ऐसी हालत में श्रीमन् जब ईरान भी एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है और जिसकी पूरी मदद से पाकिस्तान ने अपनी सामरिक और हथियारी ताकत को मजबूत बना रखा है, ऐसी हालात में भारत सरकार क्या करने जा रही है?

अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर किन ताकतों की तलाश भारत सरकार को है और इस तरह की जो सामरिक उदासीनता दिखलाई पड़ रही है, इसके क्या कारण हैं इसका भी एक निश्चित वक्तव्य भारत सरकार की ओर से सदन के सामने आना चाहिए और इस गौरवशाली भारत को जिसके अन्दर यह चिन्ता व्याप्त हो रही है, इस सरकार को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि हमारी सीमाओं के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, हमारी सरकार सीमाओं की हिफाजत के लिए क्या कर रही है? इस सम्बन्ध में सरकार इस सदन के सामने वक्तव्य दे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर सुधीर गिरी।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक विषय पर एक माननीय सदस्य बोलेगा ताकि सभी विषयों पर माननीय सदस्य बोल सके।

(**व्यवधान**)

प्रो० रासासिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नाम दिया है, इसी विषय पर मैं बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे समय दीजिए। मान्यवर आज देश की सुरक्षा ख़तरे में है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप घबराइए नहीं। सब ठीक हो जाएगा।

प्रो० रासासिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सूक्ष्मरूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा···
(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)*

श्री सुधीर गिरी (कोन्टई) : महोदय, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि 500 बिस्तर वाला एक अस्पताल स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वह यह अस्पताल स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को निःशुल्क भूमि प्रदान करे। लेकिन यह अस्पताल स्थापित करने और पीड़ितों की डाक्टरी जांच करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश भी दिया था कि मामलों का निपटान करने के लिए 440 दावा आयुक्तों की नियुक्ति करनी होगी। लेकिन अभी तक ऐसे केवल 17 आयुक्त ही कार्य कर रहे हैं। अभी तक कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी गई है। चार हजार लोगों की मृत्यु हुई थी और अभी तक केवल 740 मामले ही निपटाए गए हैं। अधिकांश मामले लंबित पड़े हैं जिनका अभी निपटान किया जाना है।

अतः, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह तत्काल कदम उठाए ताकि क्षतिपूर्ति दी जा सके, अस्पताल स्थापित किया जाए और दावा आयुक्तों को वहां कार्य करने का निदेश दिया जाए।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, श्री सी० टी० सुकुमारन, आई० ए० एस० अधिकारी जिनका 27 सितम्बर, 1992 को मद्रास में निधन हुआ था, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के, अध्यक्ष थे। वह सरकारी कार्य के लिए बिल्डिंग नं० 7, एंटनी स्ट्रीट, 2 फ्लोर, रोयापेट्ट, मद्रास जा रहे थे।

महोदय, मद्रास पुलिस अधिकारी इसे आत्महत्या का मामला मान रहे हैं। मद्रास के समाचार पत्रों में भवन के चार्ट और जहां उनका शव रखा था, उस स्थान की तस्वीर के साथ उनकी मृत्यु का समाचार प्रकाशित किया गया है। यह भवन की छत पर पड़ा था जिसकी मुंडेर उनकी छाती तक ऊंची थी।

स्वर्गीय श्री सुकुमारन अनुसूचित जाति के सदस्य थे और उन्होंने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अनेक संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। इस काल में उन्होंने अपनी कुशलता और ईमानदारी का सबूत दिया। श्री सुकुमारन को कुशलता से अपना कार्य करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार से अनेक पुरस्कार मिले थे।

श्री सी० टी० सुकुमारन ने न तो आत्महत्या की है और न ही यह उनकी स्वभाविक मृत्यु है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुए, जिनसे पता चले कि उन्होंने आत्महत्या की थी।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसे मामलों पर सभा में कैसे चर्चा कर सकते हैं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह सोचकर अनुमति दी कि आप कोई और मुद्दा उठाएंगे। क्या इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई तंत्र है ? इन मामलों की पुलिस और न्यायालय द्वारा जांच की जाती है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : नहीं महोदय, मैं सी० बी० आई० जांच की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। अन्यथा, हमें सभी हत्या के मामलों की जांच करनी होगी।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करना सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री पासवान।

मंडल आयोग पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। 16 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के संबंध में फैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने निर्देश दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए।

12.18. म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था वह पिछड़ी जाती से संबंधित था, मंडल कमीशन से संबंधित था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो बहस चली, उसमें कहीं शेडयूल कास्ट के किसी प्रतिनिधि या पक्ष को सुनने का काम नहीं किया गया। यहां तक कि उसमें शेडयूल कास्ट के जज भी नहीं रखे गए। हमको इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट सिर्फ पिछड़ी जाति के लिए, ओ० बी० सी० से संबंधित है। इस नोटीफिकेशन में, चाहे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का हो या श्री नरसिंह राव की सरकार का उसमें संशोधन हो, कहीं प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जरवेशन दिया, ठीक है। हमको इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि उस ऑब्जरवेशन के आधार पर शेडयूल कास्ट, शेडयूल ट्राईब्स के कर्मचारियों का विक्टीमाईजेशन शुरू हो गया है विभिन्न राज्यों में और यहां तक कि भारत सरकार के कुछ विभागों में भी यह साजिश चल रही है। उसका आधार लेकर शेडयूल कास्ट, शेडयूल ट्राईब्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मुद्दा रहा है उसको खत्म किया जा रहा है।

अभी तत्काल पंजाब की सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि 16 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, उसके तहत शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की प्रमोशन्स में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाये। गुलाम नबी आजाद जी, यह दिसम्बर का महीना है और इस महीने में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठती है। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स

पार्लियामेंटरी फोरम जिसमें हर पार्टी के सदस्य हैं, परसों मिला था और हमने प्रधात मंत्री जी से समय भी मांगा है। हमने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है और फैसला किया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिससे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरस्ट्स को धक्का लगे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो जजमेंट अभी हुआ है, वह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरस्ट्स पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा कोई आश्वासन हमें सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जी यहां बैठे हुए हैं। वह हमें आश्वासन दें कि यदि कोई खतरा उत्पन्न होगा तो सरकार तुरन्त समस्या का निदान निकालेगी। ऐसा सर्कुलर तमाम राज्य सरकार को जारी करने का आप काम करें और भारत सरकार के अधिकारियों को निर्देश देने का काम करें··· (**व्यवधान**)···यह कोई सिम्पल इशू नहीं है।

श्री कालका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ओ० बी० सीज० की आरक्षण देने के विरोधी नहीं हैं। हम उसके समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की प्रमोशन्स के संबंध में जिस तरह का फैसला दिया है, उससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग यह सोचने लगे हैं कि इस फैसले से प्रमोशनों में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। सरकार इसको क्लीयर करे और बताये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोशन्स में जो रिजर्वेशन है, वह जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नया मामला शुरू हो जायेगा। इस पर सफाई भी दी जाये और उनकी सुरक्षा भी की जाये।

श्री रति लाल वर्मा (धन्धुका) : पासवान जी ने अभी जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। इसके परिणामस्वरूप गुजरात में विक्टेमाइजेशन हो रहा है। वहां एक गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में असंतोष इससे उत्पन्न हो रहा है। केन्द्र सरकार जल्द से जल्दी इसको क्लैरिफाई करे। नहीं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परेशानियां डे-बाई-डे बढ़ जायेंगी। सरकार यह क्लैरिफिकेशन दे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रमोशन्स पर कोई आंच नहीं आयेगी।

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बहुत से सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि मंडल आयोग पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। हमारे विचार में सदस्यों को इस मामले पर बिचार करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो कुछ अधिकार पहले से ही उनके पास हैं और जिनका वे उपयोग कर रहे हैं, उन्हें छीना गया है अथवा नहीं। यही शंका यहां व्यक्त की जा रही है। अतः सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए ताकि किसी को शंका न रहे। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को विरोधाभासी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इसे इस तरीके से किया जाना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो और स्थिति स्पष्ट हो।

[**हिन्दी**]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मेरा निवेदन यह है कि यह फैसला पूरी तरह से मंडल से वास्ता रखता था। बैकवर्ड क्लासिज और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत अन्तर है। बैकवर्ड क्लास के लोग उतने ज्यादा पीड़ित और सताये हुए लोग नहीं हैं। हमारे नोटिफिकेशन में कहीं प्रमोशन का जिक्र नहीं था लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया है, उससे विवाद और कन्फ्यूजन पैदा होता है।

जो सदियों से कमजोर तबका है, उसको मिले अधिकार को छीनने का का बाकायदा दाव-पेच चला हुआ है।

इस बात को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए और तत्काल आज ही इस बात का नोटिस लेकर इसे करना चाहिए। इसका वास्ता सिर्फ बैकवर्ड क्लॉस के कमीशन से था, उस पर फैसला था। यह एक अधिकार मिला और दूसरा अधिकार मिला हुआ छीनने का काम चल रहा है तो निश्चित तौर पर उनका प्रमोशन जिंदगी भर नहीं होगा। उनका कोटा पूरा नहीं हुआ तो प्रमोशन कैसे होगा? बड़ी कठिनाई से एक अधिकार उनको मिला हुआ है, यह अधिकार नहीं छिनना चाहिए। यदि यह बात होगी तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। आप एक हाथ में अधिकार देते हो और दूसरे हाथ से चालाकी से लेने का काम करते हो। पूरे देश में इन तबकों के कोई लोग बड़ी जगहों पर नहीं हैं। प्रचार के तंत्र में भी वह कम हैं। अब उन्होंने इस तरह के दांव पेंच करना शुरू किया है कि यह गरीब लोगों का अधिकार छीनने के लिए पूरी योजनाएं बना रहे हैं, यह काम नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर तत्काल ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिनसे आशंकाएं तत्काल दूर हों। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सबसे पहले श्री रवि राय द्वारा एक मामला उठाया गया था और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी श्री रवि राय द्वारा उठाये गए मामले में सहयोग किया। माननीय नेताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इसे विदेश मंत्री के नोटिस में लाऊंगा। इस वक्त मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि यही उचित होगा कि विदेश मंत्रालय इस मामले पर ध्यान दे। (**व्यवधान**)

श्री रवि राय : फिर तो हम आश्वस्त हो जाएं कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : पहले मुझे विदेश मंत्री के साथ इस पर विचार-विमर्श करने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान ने दूसरा प्रश्न उठाया है। वह जानते हैं कि देश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में यह सम्पूर्ण सभा सबसे अधिक चिंतित है। इसी वजह से पूर्व सरकार तथा उत्तरोत्तर सभी सरकारों ने आरक्षण की नीति को अपनाया है। इसके साथ ही ऊंची जातियों में निर्धन लोगों के बारे में भी हम चिंतित हैं और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सिफारिश की है कि आरक्षण··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राजेश कुमार (गया) : मामला शैड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन का है···

श्री कालका दास (करोल बाग) : यह मंडल का मामला नहीं है। जो ओ० बी० सी० में किया है, उससे अब शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इसी आधार पर कन्फ्यूजन हो रहा है। एस०सी०, एस० टी० के ऊपर जुल्म हो रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : सुनेंगे, तब न। मैं दोनों कवर कर रहा हूं, आप सुनने देंगे तभी न? (**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार : अब एस० सी०, एस० टी० का प्रमोशन खत्म होने जा रहा है क्या? यह आशंका बनी हुई है। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : तभी आप पूरा बोलने देंगे न मुझे ?··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ों और अन्य जातियों के निर्धन लोगों के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार उन लोगों के बारे में चिंतित है, जो गरीब हैं। जैसाकि आप जानते हैं और सभा को भी भली-भांति मालूम है कि अभी हाल ही में उच्चतम-न्यायालय ने निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। (**व्यवधान**) स्वभावतः यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कालिका दास : हम यह चाहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन रखा हुआ है, यह पूरा होना चाहिए, इसको आप क्लैरीफाई करिए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री गुलाम नबी आजाद : उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति के बारे में भी निर्णय दिया है और मैं वही बता रहा हूं (**व्यवधान**) उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति के बारे में भी निर्णय दिया है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कालका दास : क्योंकि, यह जो जजमेंट है, यह ओ० बी० सी० के बारे में है लेकिन उसे कन्फ्यूज करके एस०सी०, एस० टी० के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रोका जा रहा है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री गुलाम नबी आजाद : इस समय यह उचित नहीं होगा कि मैं इस पर टीका-टिप्पणी करूं। मैं इसे संबंधित मंत्री के नोटिस में लाऊंगा। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के बारे में बहुत चिंतित हैं। जब तक हम निर्णय पढ़ न लें तब तक मेरे लिए उस पर टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इसे पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति का संबंध है, वह इसे संबंधित मंत्री के नोटिस में लायेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मामले को कन्फ्यूज किया है। सरकार का कन्सर्न है, लेकिन मानता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड को यह फैसिलिटीज पहले से है। सारे देश में एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही कि··· (**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उससे भ्रान्ति उत्पन्न होगी। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने कोई भ्रान्ति उत्पन्न नहीं की है। मैंने यही कहा है कि इस समय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है और मैं इस फैसले पर कोई टीका-टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। जजमेंट पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि वे संबंधित मंत्री से बात करेंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी है।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : एक तरफ उनका कहना है कि उन्हें निर्णय जानने के लिए उसे पढ़ना है। यह तो एकतरफा वक्तव्य है। लेकिन इस दौरान जब तक आप स्पष्ट नहीं करते तब तक विभाग किस प्रकार कार्यवाही करेगा। अतः जब आप निर्णय को स्पष्ट नहीं करते तब तक यथास्थिति बनाये रखी जानी चाहिए। केवल यही बात है यही आश्वासन आपको देना चाहिए।

आपको आश्वासन देना होगा कि जब तक आप निर्णय के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते तब तक स्थिति यथापूर्वक रहेगी। इस प्रकार का आश्वासन आपसे मिलना चाहिए। इसी की हमें आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट यह है, मंत्री जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन के सम्बन्ध में मंडल कमीशन की समस्या तो ओबीसी के लिए है। मंडल कमीशन के सम्बन्ध में मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि 27 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा और इन-इन विभागों में रिजर्वेशन नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि यह मामला मंडल कमीशन से ओबीसी से सम्बन्धित था, लेकिन उसकी आड़ में, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रमोशन में रिजर्वेशन आलरैडी चल रहा था 45 सालों से, उसको खत्म किया जा रहा है। हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर कहे, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कान्स्टीचूशनल राइट्स है, जो प्रमोशन में उनका रिजर्वेशन चलता आ रहा है, वह चलता रहेगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। बस इतना ही मामला है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, माननीय सदस्य जी वही मैंने कहा था कि हम हमेशा से चाहते थे एस० सी० और एस० टी० का आगे बढ़े। आप भी चाहते थे और पूरा यह सदन चाहता था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इसलिए मेरे लिए उचित नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में कुछ कहूं। **(व्यवधान)** सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसी में तो एस० सी० और एस० टी० की प्रमोशन का भी है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : वे प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं करते। **(व्यवधान)** यह कोई तरीका नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक मामला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से सम्बन्धित है, तो उन्होंने जो हुक्म दिया है, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन का मामला है, खाली एस० सी० और एस० टी० की बात है, प्रमोशन की बात है।

प्रमोशन की बात है या एस० सी०, एस० टी० की तो मैंने पहले आपसे हल्ले-गुल्ले में उसको बोल दिया। मैंने पहले ही बता दिया था जिसका आपने इधर जिक्र किया कि मैं इसको जो कंसरनड मिनिस्ट्री है उससे बात करूंगा, लेकिन यदि आप इसी वक्त मुझ से कहेंगे कि मैं इसका उत्तर दूं तो नामुमकिन होगा। मैं कंसरनड मिनिस्ट्री से बात करके इसका उत्तर दे दूंगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमें केवल 25 मिनट का समय मिला है। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। इसलिए, आप मेरे साथ सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपनी शिकायतें पेश कर सकें। अब मैं सूची के अनुसार चलूंगा। अब मैं श्री मृत्युंजय नायक को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न करें। मैं सूची के मुताबिक चलूंगा और मुझसे सहयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप किसी नये विषय पर नहीं बल्कि मंडल आयोग पर ही बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। भ्रांति में न रहिए। मैं निश्चित रूप से आपको बुलाऊंगा। चिंता मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, दक्षिणी उड़ीसा की उपेक्षा की गई है और इसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1989 में बाढ़ के कारण आस्का पुल ऋषिकुल्य नदी पर गिरा था। ऋषिकुल्य नदी पर जो गन्जम, फूलबनी, बोलंगीर और कालाहान्डी जैसे चार जिलों को आपस में जोड़ती है। दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप इन जिलों में खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचाई जा सकती। महोदय, यह रायपुर को भी जोड़ती है। अतः मैं भूतल परिवहन मंत्रालय से बहरामपुर से बोलंगीर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप से राज्य, राजमार्ग बनाने की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। इस क्षेत्र में पिछड़े जिले भी शामिल हैं। अतः मैं सरकार से इस मामले पर तत्काल ध्यान दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिए हैं और दूसरी ओर हमारे देश की आर्डीनेंस फैक्ट्री में धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है। पिछले वर्ष जबलपुर की आर्डीनेंस फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी, इस वर्ष 27 नवम्बर को मध्य प्रदेश के इटारसी नगर में स्थित आर्डीनेंस फैक्ट्री में आग लग गई तथा धमाके हुए जिसके कारण दो लोगों के चिथड़े-चिथड़े वहीं उड़ गए तथा तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हुए।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस दुर्घटना की जांच कराए, कहीं यह दुर्घटना अन्तरर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। इसके लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। अभी तक मृतक के परिवारों को केवल 8500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है, मृतकों के परिवारों को कम से कम एक लाख रुपए की सहायता तथा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की व्यवस्था की जाए तथा घायलों को भी पर्याप्त सहायता दी जाए और उनके इलाज की व्यवस्था की जाए।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इसी सदन में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात पर बोल रहे थे। बिहार के जमशेदपुर में 30 तारीख से कल तक लगातार यहां एक गतरा ग्रामीण संघर्ष समिति है, उस समिति के माध्यम से जब वहां के आदिवासी और हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग पानी और बिजली की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने उनको बुरी तरह से पीटा। एक आदमी मर गया, कितनी ही महिलाएं घायल हो गईं, 40-50 आदमी डी० एम० एच० अस्पताल में भर्ती हैं, 150 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, गर्भवती महिलाओं के साथ पुलिस ने घर में घुसकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने का काम किया। सीमेंट कारखाने के लिए जो रेलवे लाईन जानी है, उसके बनने से इस बस्ती के लोगों का पानी, बिजली बन्द हो जाएगा, इस वजह से यहां के हरिजन-आदिवासी मांग कर रहे थे। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जहां पर हरिजन और आदिवासी पानी और बिजली की मांग करते हैं, वहां पर उनके साथ जो पुलिस द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया है, यह फोटो आप देख सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फोटो आदि दिखाने की अनुमति नहीं है। कृपया ऐसा मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : पुलिस ने किस तरह से घसीट कर लोगों को मारा है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बल्कि गोविन्दपुर थाने के इन्चार्ज दरोगा ने पुलिस से रायफल छीनकर गोली चलाई, जिसकी वजह से एक आदमी मर गया और अनेकों लोग घायल अस्पताल में पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर भी है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां की स्थिति की जांच करें और वहां के आदिवासी हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनको सरकार इंसाफ दिलाए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, हजारीबाग के पास रामगढ़ कैंट है जहां पर सेना रहती है और पेयजल संकट होने के कारण लाखों की तादाद में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई बार रक्षा मंत्री श्री पवार जी से हम लोग मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 72 लाख रुपए की आपूर्ति कर दी जाएगी, परन्तु अभी तक इसकी आपूर्ति नहीं की गई है, जिसकी वजह से रामगढ़ कैंट में लोग पेयजल के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अभी अकाल का समय है और अभी से वहां पर कुएं सूखने शुरू हो गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से और रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि 72 लाख रुपए की राशि शीघ्र वहां पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी के टैंक का काम पूरा हो सके और रामगढ़ के लोगों को पानी की सप्लाई की जा सके।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, अरक गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। शराब पीने की आदत लोगों के मन में काफी गहराई तक उतर चुकी है जो कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तबाह कर रही है। शराब समाज में हिंसा, बलात्कार, डकैती, हत्या जैसी तमाम बुराईयों और यहां तक की आतंकवाद की उत्प्रेरक है। शराब अन्यश्र-वासिता, कर्ज और औद्योगिक अशान्ति की जड़ है और इसके साथ-साथ इसके कारण राष्ट्रीय उत्पादन में भी कमी आ रही है। आन्ध्र-प्रदेश के लोग अरक के कु-प्रभावों से काफी प्रभावित हुए हैं।

आन्ध्र-प्रदेश में चलाया गया अरक-विरोधी आन्दोलन राज्य के कौने-कौने में काफी व्यापक तौर पर फैल रहा है जिसे कि गांधीवादी नई सामाजिक क्रान्ति की संज्ञा दी जा सकती है। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अपने किस्म का पहला आंदोलन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर आन्दोलन करके नशाबन्दी अधिनियम पारित किये जाने की भावना पैदा की जा रही है। इस बारे में प्रसन्नता की बात यह है कि महिलाओं ने इस आन्दोलन को शुरू किया है और महिलायें ही इस आंदोलन का मोर्चा सम्भाल रही हैं और इसे नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। अरक की बिक्री और नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाने वाला आन्दोलन एक नैसर्गिक आन्दोलन है और इस आंदोलन से नेल्लोर जिले के अन्तवर्ती गांव दुबागुन्टा में प्रौढ़ साक्षरता अभियान की एक उपशाखा शुरू हो गयी है। पूरे जिले के गांव-गांव में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया है। इससे लगभग

500 गांवों की महिलाएं उत्तेजित हुई हैं जिन्होंने आपस में मिल बैठकर नशाबंदी लागू करने के संकल्प पारित किये है और इन संकल्पों को जिलाधीश के पास भेजा है। नेल्लोर जिले में अरक की नीलामी 17 बार स्थगित करनी पड़ी। नेल्लोर जिले में चला आन्दोलन धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल गया और अब प्रत्येक गांव और प्रत्येक जिले के लोग अरक की बिक्री पर पाबन्दी लगाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। बी० जे० पी०, टी० डी० पी०, सी० पी० आई० (एम०), सी० पी० आई०, जनता दल और यहां तक कि कुछ उग्रवादी संगठन भी इस आन्दोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस आन्दोलन के शुरू होने के तत्काल बाद एक अग्रणी समाचार पत्र तेलुगु दैनिक, इनाडु ने महिलाओं के इस आन्दोलन का पूरा समर्थन किया है। यहां तक कि राज्य में बहुत से विधायकों और मंत्रियों ने भी आन्दोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। राज्य की सभी महिला विधायक अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आन्दोलन का खुला समर्थन कर रही हैं। यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेजीडेन्ट ने भी आन्दोलन के प्रति अपना समर्थन बतलाया है। राज्यपाल महोदय ने भी आन्दोलन के प्रति आशिर्वचन कहे हैं और राज्यपाल महोदय की पत्नी ने भी धरने में भाग लिया है।

विभिन्न संगठन इस आन्दोलन को विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से दोनों तरह से चला रहे हैं। कतिपय स्थानों पर महिलाओं ने अरक की दुकानों को नष्ट कर डाला है। कुछेक स्थानों पर इन दुकानों को आग लगा दी गई है। कई स्थानों पर अरक की दुकानों को बल-पूर्वक बन्द करवा दिया गया है। अरक की बिक्री काफी हद तक कम हो गई है। कई स्थलों पर तो लोगों ने अरक की दुकानों पर हमले तक किये हैं। कई स्थानों पर अरक के ठेकेदारों ने आन्दोलन-कर्ताओं विशेषकर महिला आन्दोलन कर्ताओं पर भी हमले किये हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस विभाग बजाए दंगाइयों के, महिलाओं तथा अन्य आन्दोलनकर्ताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर रही है। माननीय मंत्री श्री सीताराम केसरी जी ने हैदराबाद आकर वक्तव्य दिया था कि 50 प्रतिशत राजस्व हानि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, रविवार की शाम को ग्रेटर-कैलाश-II, ए-ब्लाक मार्किट में 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के दो युवाओं की नृशंस हत्या करने के बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। स्थानीय पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह इस मामले में तेजी से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि हत्यारों में से एक व्यक्ति किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र है है और इससे स्थिति और भड़क उठी है। मृतकों में श्री संदीप नाम के युवक का मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दूसरे युवक श्री हरीश ने बत्रा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। यद्यपि ये हत्यायें रविवार को गई थीं फिर भी चितरंजन पार्क पुलिस स्टेशन की टुकड़ी ने सोमवार को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों युवकों की मृत्यु के कुछ घन्टों के बाद जब उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी करा दी गई तो तब पुलिस ने इस मामले में रूचि लेना आरम्भ किया। वहां पर जो कानून-हीनता की स्थिति बनी हुई है और छोटे-छोटे अपराधों की वजह

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

से काफी पैमाने पर गोली बारी की घटनाओं ने लोगों को अपने मकानों में बन्द रहने के लिए विवश कर दिया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दिल्ली पुलिस को अधिक सजग और सतर्क रहने के आदेश दिये जायें और कानून और व्यवस्था की स्थिति को कड़ाई से लागू किया जाए। जिन पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में इस तरह की घटनायें घटती हैं, उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। हमने यह निर्णय लिया है कि हमें जो नाम उपलब्ध कराये गये हैं, हमने उसी के अनुसार ही चलना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिजली की आपूर्ति बन्द करने से उड़ीसा में झारसुगुड़ा में भास्कर कपड़ा मिल और तलचर में उर्वरक संयंत्र बंद हो गया है। मिलों के ऐसे बंद करने से गम्भीर परिणाम निकलते हैं जोकि उनके कर्मचारियों के, उस क्षेत्र के लोगों के और पूरे राज्य के हितों के विपरीत होते हैं। आज जबकि देश में रसायनिक उर्वरकों की भारी मांग है, ऐसी स्थिति में यूरिया बनाने वाले तलचर संयंत्र का बंद हो जाना वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। यद्यपि यह एक रुग्ण इकाई थी परन्तु आजकल प्रबन्धकों और श्रमिकों दोनों के भरसक प्रयासों के कारण अच्छा कार्य कर रही है। बिजली की आपूर्ति न करने से इस संयंत्र का बन्द हो जाना बहुत ही बुरी बात है। इसलिए मैं उर्वरक मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि उड़ीसा की सरकार से सम्पर्क बनाए रखा जाये और इसे एक विशेष मामला मानकर एक समझौते के अन्तर्गत कि यह संयंत्र बिजली की बकाया राशि का किश्तों में भुगतान कर देगा, इस संयंत्र को बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये।

महोदय, इसी प्रकार भास्कर कपड़ा मिल जोकि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आती है, जो भी शीघ्र अति शीघ्र बिजली की पुनः आपूर्ति की जानी चाहिए। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उड़ीसा सरकार इस संयंत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है न कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : स्पष्ट है कि ऐसा एक षडयंत्र रचा जा रहा है कि इस संयंत्र को किन्हीं उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया जाए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में तो सरकार यह प्रस्ताव बना रही है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिये इन्हें श्रमिकों के हाथों में सौंप दिया जाए जबकि सरकार इस बारे में अच्छी तरह से जानती है कि यह एक अव्यवहार्य प्रस्ताव है जोकि श्रमिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिल के कर्मचारी सरकार से बार-बार यही मांग कर रहे हैं कि इसे सीधे एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में चलाया जाए और इसमें आवश्यक सुधार किये जायें। कपड़ा मंत्रालय को राज्य सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि यह कपड़ा मिल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में उचित से कार्य कर सके।

अध्यक्ष महोदय : मैथ्यू जी, यह मामला राज्य सूची के अन्तर्गत आता है और अधिक नामों के वितरण के बारे में है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, कृषि अधिवासियों को अधिकार-नामा दिये जाने की महत्वपूर्ण समस्या धीरे-धीरे भयावह रूप धारण करती जा रही है। केन्द्र सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों अथवा विभागों की ओर से अनिच्छुकता के कारण कृषि अधिवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं। वे उन्हें इसके लिए स्वीकृति नहीं देते हैं।

कृषि अधिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में बस गए हैं ताकि खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन कर सकें और उत्पादकता को बढ़ा सकें। यह सब समय-समय पर अकाल के दिनों में राज्य सरकार के आह्वान पर किया गया है। अब वे बिल्कुल तबाह किये जा रहे हैं।

केरल राज्य की सरकार, वहां के मुख्य मन्त्री अनेक संसद सदस्यों तथा केरल राज्य के सभी राजनैतिक दलों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अधिकार-नामा दिया जाए ताकि उससे अधिवासी ऋण व अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अतः मैं पर्यावरण और वन मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें और शीघ्र-अति-शीघ्र इस बारे में स्वीकृति प्रदान करें। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा गम्भीर संकट में पड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने सात अणु-बम बना लिए हैं। अमेरिका की एन०बी०सी० ने समाचार दिया है कि पाकिस्तान ने बहुत पहले ही इस प्रकार की तैयारियां कर ली थी और पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपने देश के नागरिकों को कहा कि भारत की यात्रा पर नहीं जाएं। इसके अलावा सीमा पर तनाव का वातावरण पैदा किया जा रहा है और घुसपैठियों को हिन्दुस्तान में घुसाया जा रहा है और हमारे विपरीत दूसरी क्रियाएं हो रही हैं, उनसे साबित होता है कि पाकिस्तान कभी भी हमारे देश के ऊपर इस प्रकार अणु-बम से आक्रमण कर सकता है। हमें अपना अणु-बम बनाने के कार्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए और अविलम्ब स्वदेशी अणु-बम का निर्माण करना चाहिए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे असम राज्य में बहुत से जिलों, उप-मंडल मुख्यालयों तथा छोटे कस्बों को अभी तक भी एस०टी०डी० सुविधा से नहीं जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय डाकघरों में पी०सी०ओ० की सुविधा दी गई है और पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन लगाये गए हैं परन्तु ये टेलीफोन सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। इन टेलीफोनों तक पहुंचने वाली टेलीफोन लाइनों को प्राकृतिक आपदाओं और चोरी आदि के कारण क्षति की संभावना रहती है जिसके परिणामस्वरूप ये टेलीफोन अनिश्चितकाल तक खराब पड़े रहते हैं। इसलिए ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली को एस०टी०डी० अथवा एन०एस०टी० सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए और मैं यह महसूस करता हूं कि इस समय असम राज्य में जो टेलीफोन व्यवस्था है, वह देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अब मैं संबंधित मन्त्रालय से आग्रह करता हूं कि इस मामले की ओर उचित ध्यान दिया जाये ताकि समूचे असम राज्य में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली में शीघ्रातिशीघ्र सुधार लाया जा सके और इसे एस०टी०डी० अथवा एन०एस०डी० सुविधा जोड़ा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल जी। कानून और व्यवस्था राज्य से सम्बन्धित विषय है।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी देश में 85 करोड़ में से आधे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और वे रेलवे के प्लेटफार्म पर सोये रहते हैं और जो बचे हुए हैं वे देहातों में सड़कों पर रहते हैं। उनको रहने के लिए मकान नहीं है। जो राज्य सरकारों की जमीनें हैं वे लठैतों के कब्जे में पड़ी हुई है। कुछ राज्यों में गरीबों को जमीन दी गई हैं और कुछ राज्यों में जमीन नहीं दी गई है। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया जाए कि वे तीन महीने के अन्दर राज्य सरकार को तमाम जमीनों को भूमिहीनों और गरीबों में बांट दे और सरकार की तरफ से इनको मकान बनाने के लिए रुपया दिया जाए और साथ ही साथ हदबन्दी फाजिल जमीन का भी गरीबों में बंटवारा करें, यह हमारी मांग है। (**व्यवधान**)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने से लगातार 18 से अधिक लोगों का अपहरण हो चुका है और कई लोगों की हत्या कर दी गई है। मुंगेर में एक व्यक्ति, जिसका अपहरण किया गया था तो पुलिस उसको बरामद कर पाई है।···(**व्यवधान**)···इसलिए हम भारत सरकार के गृह मन्त्री से मांग करते हैं कि राज्य सरकार से बातचीत करके विधिव्यवस्था पर काबू पायें। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1992 और 93 के लिए पूरे देश में भूमि सुधार कानून के बारे में कहा था कि इसको लागू किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया···

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ ये कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

(**व्यवधान**)***

[**हिन्दी**]

श्री काशी राम राणा (सूरत) : सूरत शहर में एक लाख हाउसेज और साठ उद्योगों को गैस कनेक्शन देने के लिए ओ०एन०जी०सी० ने तीन लाख क्यूबिक मीटर गैस एलाट की थी और वादा किया था कि इसके अलावा सात लाख क्यूबिक मीटर गैस देंगे। इसके मुताबिक गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड ने सूरत शहर में एक लाख हाउसेज और साठ उद्योगों को गैस देने के लिए पूरा प्रावधान किया और पाइप लाइन डाल दी और काम शुरू कर दिया, लेकिन अब तक 1200 लोगों को और 16 इंडस्ट्रीज को गैस दी जा रही है जिसमें दो लाख क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल होती है। जबकि बाकी लोगों को गैस सप्लाई की जानी है और इसके लिए सात लाख क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता है। इसके लिए गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड ने पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से भी कहा है···

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ ये कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

(**व्यवधान**)***

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल सुबह-सुबह हो वकीलों के 300 से अधिक चेम्बर्स गिरा दिये गए। नियमों के अनुसार किसी निर्णय को सूर्योदय से पहले ढहाने की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। परन्तु ऐसा किया गया है।

यह आश्चर्यजनक बात है कि उच्चतम न्यायालय की नाक के नीचे ही सामने गैर-कानूनी निर्माण किये जा सकते हैं। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सभी अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब कैसे हुआ ?

उच्च न्यायालय के परिसर में अप्राधिकृत निर्माण कैसे जारी रह सकता है और इन्हें कैसे ढहाया गया है ? उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब निर्माण कार्य चल रहा था ?

अतः मैं मांग करता हूं कि वहां पर जो विधि मन्त्री और गृह मन्त्री के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य दें ताकि वकीलों के साथ न्याय किया जा सके।

उच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। अतः न्यायालय काम आगे जारी करता है। और इसके लिए यह विधि मन्त्री और गृह मन्त्री सदन में एक संयुक्त वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय आरक्षी सेवा के प्रशिक्षित पदाधिकारी स्व० विजय शंकर आई०पी०एस० 1990 बैच दिल्ली (यू०टी०) कैडर में था। अचानक रहस्यमय ढंग से उसकी मृत्यु दिनांक 10-11-92 को पी०टी०सी० फिल्लौर जालंधर (पंजाब) में हुई। इस सम्बन्ध में उनके पिता श्री विन्देश्वर प्रसार सिन्हा ने स्व० विजय शंकर की मृत्यु पर शंका जाहिर की है कि उसे मार दिया गया है। वह श्री सिन्हा के इकलौते पुत्र थे और बिहार के ग्राम फतेपुर, पो० मोतीपुर, थाना रोसेड़ा जिला समस्तीपुर के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु पर सन्देह होना स्वाभाविक है। जो इस प्रकार है कि हैदराबाद का स्वीमिंग पूल की गहराई 23 फीट है जहां ट्रेनिंग के दौरान तैरने एवं गोता लगाने में सफल रहे और मात्र 6 फीट गहरे स्वीमिंग पुल में डूबना और मर जाना रहस्यमय ही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनके पिता को अभी तक नहीं मिली है। इनके पिता ने सी०बी०आई० से शीघ्र जांच कराने एवं पांच लाख मुआवजा एवं लड़कियों को नौकरी एवं पढ़ाई का खर्च वहन करने की मांग की है। इसकी व्यवस्था शीघ्र कराई जाए।

[अनुवाद]

13.00 म०प०

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कयामकुलम अलेप्पी रेलवे लाइन चालू किये जाने के बावजूद इस लाइन के लिए कोई महत्वपूर्ण ट्रेन निर्धारित नहीं की गई है। फिलहाल इस लाइन पर केवल पैसेंजर गाड़ियां ही चल रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ ऐसी लम्बी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाएं जो त्रिवेन्द्रम से इस रेल मार्ग से सारी गुजरें जैसाकि कोचीन से कई गाड़ियां चलती हैं। उन ट्रेनों को

अलेप्पी या कयामकुलम तक चलाया जाय। जब तक सरकार ऐसे कदम नहीं उठाती है तब तक कयामकुलम-अलेप्पी रेलवे लाइन की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं होगी।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह अपने इस वायदे पर अमल करे कि नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच एक नई ट्रेन चलाई जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० महादीपक सिंह शाक्य। कृपया पढ़िए नहीं। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अधिक समय ले लेंगे। केवल तथ्य बताइए।

[**हिन्दी**]

डा० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान ऋण राहत योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछला ऋण जो किसानों का माफ किया गया उसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का भाग था। अभी केन्द्रीय सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार का 166.872 करोड़ रुपया बकाया है, वह देय रकम का भुगतान शीघ्र ही कराया जाये ताकि उत्तर-प्रदेश के सभी कार्य अच्छे ढंग से चल सकें।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक 32 में से केवल 20 वक्ता ही बोल पाए हैं। अब शून्यकाल समाप्त होने वाला है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आपने मुझे बुलाया। मुझे पुकारे जाने पर भी आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में नहीं था। मैंने आपका नाम पुकारा संभवतया आप मण्डल आयोग के संबंध में अपनी राय देना चाहते हैं क्योंकि आप एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैंने आपका नाम पुकारा था। सदन में हमारे कुछ सामान्य नियम होने चाहिए। मैंने केवल सूची के अनुसार पुकारा है। यदि पूर्व वक्ता अपने भाषण छोटे करते तो छह-सात लोग और इस वाद-विवाद में भाग ले पाते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इसके लिए समय 15 मिनट और बढ़ा दीजिए। आप प्रत्येक व्यक्ति को एक मिनट का समय दीजिए। आपने मुझे नहीं बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सूची को आपके पास भेजूंगा ताकि आप इसकी जांच कर सकें।

अब संसदीय कार्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद वक्तव्य देंगे।

———

1.02 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 7 दिसम्बर से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रति स्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

   (क) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1992 ।

   (ख) दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1992 ।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1992 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और गृहीत करना ।

4. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना ।

   (क) माल का बहुआयामी परिवहन अध्यादेश, 1992 ।

   (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1992 ।

   (ग) दंत चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1992 ।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

   (क) रूग्ण उद्योग कम्पनियों (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1992 ।

   (ख) दक्षेस, सम्मेलन (आतंकवाद का दमन) विधेयक, 1992 ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची मदों को शामिल किया जाए :—

(1) नई शिक्षा नीति के तहत कारंवाई कार्यक्रम के साथ गुजराल समिति, अली अहमद सुरोट समिति अली सरदार जाफरी समिति की रिपोर्टों की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, प्रशासन और जनसंचार में उर्दू के दर्जे पर चर्चा ।

(2) देश में वक्फ और वक्फ प्रशासन के दर्जे पर चर्चा विशेषत: रूप से वक्फ अधिनियम 1954 में संशोधन करने के प्रस्तावों के संदर्भ में।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :—

(1) सदन को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि भूत-पूर्व सैनिकों की पेंशन में एकमुश्त वृद्धि करने संबंधी कार्यान्वियन में जो विसंगतियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए।

(2) सदन को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चालीगर-तलाई में छिद्रण कार्य क्यों रोक दिया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़े जाएं :

1. बेतवा देश की पवित्रतम नदियों में से एक है। मंडीदीप और विदिशा के कारखानों से निकलने वाले पानी के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो गई है। गंगा, यमुना की तरह बेतवा को भी प्रदूषण मुक्त करने की योजना पर विचार किया जाए।

2. मध्य प्रदेश में वनभूमि पर अनेक वर्षों से खेती कर रहे गरीब आदिवासियों को उक्त भूमि के पट्टे देने पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :—

(1) आई०आई०एस०सी०ओ० का आधुनिकीकरण जो बहुत लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है।

(2) वर्धमान और आसनसोल तथा आसनसोल और पुरुलिया के बीच ई०एम०यू० सवारी डिब्बे चालू करना।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदो को शामिल किया जाए :—

(1) दक्षिणपूर्व रेलवे के अन्तर्गत मिदनापुर जिले में दीघा से जमलुक तक नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य अगले दो वर्ष के अन्तर्गत पूरा किया जाए। इस पर सदन में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

(2) पाकिस्तान के पास लक्षों पर प्रहार करने के लिए सात परमाणु बम होने की बात पर सदन में तत्काल चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :—

1. राजस्थान की विद्युत परियोजनाओं को जो केन्द्र के सामने विचाराधीन है, शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

2. राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय ऐयरोड्रोम बनाया जाए और इसके लिय धनराशि स्वीकृति की जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न-लिखित मदों को शामिल किया जाए :—

(1) मूल्य वृद्धि—आप लोगों के सामने कठिनाई का सामना किया जाना।

(2) जूट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा संसाधनों की गंभीर कमी का सामना किया जाना।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को आगामी सप्ताह सूची में सम्मिलित किया जाए :—

1. सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुईनुउद्दीन चिश्ती की याद में बनी दरगाह शरीफ अजमेर के उत्तर प्रबंधन हेतु 40 वष पुराने दरगाह एक्ट में समुचित संशोधन की आवश्यकता।

2. दरगाह ऐक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित दरगाह कमेटी में राजस्थान सरकार तथा अजमेर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न-लिखित मदों को शामिल किया जाए :—

(1) पलामू और अन्य स्थानों पर कथित भुखमरी के कारण हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति।

(2) प्रावन परियोजना के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए चिल्का बचाओ आन्दोलन के आवेदकों द्वारा शुरू किए गए प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई स्थिति।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल किया जाए :—

(1) विभिन्न राज्यों में विशेप रूप से उड़ीसा में, बिजली की अत्यधिक कटौती के कारण उत्पन्न स्थिति और किए गए उपचारात्मक उपाय।

(2) उड़ीसा में विशेप रूप से पश्चिमी क्षेत्र में सूखे की उत्पन्न गंभीर स्थिति, और लोगों के दुःखों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय।

1.09 म०प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नये भाग 9 का अन्तःस्थापन)

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

और

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(नये भाग 9क का अन्तःस्थापन)

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

विधेयकों पर वाद-विवाद पुनः आरम्भ किए जाने के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं, श्री गुलाम नबी आज़ाद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 और संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991, संयुक्त समितियों द्वारा यथाप्रतिवेदित जिन्हें 3 दिसम्बर, 1992 को स्थगित किया गया था, पर विचार और पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर वाद-विवाद अब पुनः शुरू किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 और संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991, संयुक्त समितियों द्वारा यथाप्रतिवेदित, जिन्हें 3 दिसम्बर, 1992 को स्थगित किया गया था, पर विचार और पारित करने संबंधी प्रस्तावों पर वाद-विवाद अब पुनः शुरू किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1·10 म०प०

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

———

2.22 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2.22 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदत्र ।

(तीन) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-2821/92]

(2) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-2822/92]

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-2823/92]

वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम 1958, मोटरयान अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं तथा मारमुगांव डाक श्रम बोर्ड का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री जगदीश टाइटलर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435घ और 435ङ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 720 (अ), जो 7 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसके

द्वारा 7 अक्तूबर, 1988 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 865 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-2824/92]

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चन्डीगढ़ मोटरयान नियम, 1990, जो 8 फरवरी, 1990 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/1/3390-एच II (2)/2430 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2825/92]

(4) (एक) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अन्तर्गत मारमुगाव डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगांव डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-2826/92]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1992, आयकर अधिनियम, 1961 आदि के अंतर्गत जारी अधिसूचना।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(एक) सा०का०नि० 717(अ) तथा सा०का०नि० 718(अ) जो 7 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, तथा जिसका आशय आयातित कॉपर वायर वार्स, कापर कैथोड्स और भारत से बाहर भेजे गये कापर कन्सस्ट्रेट्स में से निर्मित कापर वायर राड्स पर 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है जिसकी संगणना ऐसी तांबे की वस्तुओं के कापर कन्सस्ट्रेट्स के संपरिवर्तन की लागत पर की जाती है तथा संपरिवर्तन लागत पर ऐसी कापर की मदों पर 45 प्रतिशत उपषंगी शुल्क निर्धारित करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 726(अ) तथा सा०का०नि० 727(अ) जो 12 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसका आशय माल की सूची और अधिसूचना द्वारा कवर होने वाले विभिन्न कार्य केन्द्रों की सूचियां बनाने

के कार्य के सत्यापन के साथ रक्षा मंत्रालय के इंटिग्रेटिड गाइडिड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मशीनरी, उपकरणों, उपस्करों, संघटकों, जिगों, फिक्सचरों, डाइयों, औजारों, कच्ची सामग्री, उपसाधनों और अतिरिक्त पुर्जों को जब उनका भारत में उक्त कार्यक्रम के प्राधिकृत संकर्म केन्द्रों द्वारा आयात किया जाये तो उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क, अतिरिक्त तथा अनुषंगी सीमा-शुल्क से देय होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 732(अ) जो 24 अगस्त, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसका आशय कांच फाईबर सिलाई धागे और कांच फाईबर फिल्टर कपड़े पर उस स्थिति में 5.75 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त सीमा-शुल्क की रियायती दर से निर्धारित करना है जब कतिपय शर्तों के अध्यधीन इसका भारत में आयात प्रदूषण नियंत्रण प्रयोजन के लिए अभिप्रेत माल के निर्माण के लिये किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 751(अ) तथा सा०का०नि० 752(अ) जो 3 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त तथा अनुषंगी सम्पूर्ण सीमाशुल्क के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 755(अ) जो 7 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45/79-सीशु में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 756(अ) जो 7 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिसके द्वारा 12 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना संख्या 252/90-सीशु में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 764(अ) जो 16 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 189/92-सीशु में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 765(अ) तथा सा०का०नि० 766(अ) जो 16 सितम्बर 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1992-97 के लिए निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत स्वर्ण और रजत आभूषण

और वस्तु निर्यात संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति स्कीम के अंतर्गत सप्लाई करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक या खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा या उनकी ओर से आयात किए जाने वाले सोने को मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०का०नि० 773(अ) जो 23 सितम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 72/85-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०का०नि० 774(अ) तथा सा०का०नि० 775(अ) जो 23 सितम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमा-शुल्क तथा अनुषंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा०का०नि० 776(अ) जो 24 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय स्वर्ण उपस्करों के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन 25 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा०का०नि० 777(अ) सा०का०नि० 778(अ) जो 24 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उस दिशा में कतिपय शर्तों के अध्यधीन सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा अनुषंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है जब उनका आयात पैट्रोलियम कार्यों के लिए भारतीय तेल कम्पनी द्वारा किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा०का०नि० 776(अ) जो 24 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एरीथ्रोमाइसिन थीयोसाइनेट पर मूल्यानुसार 15% की दर से मूल सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा०का०नि० 798(अ) तथा सा०का०नि० 799(अ) जो 7 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा अनुषांगिक सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-2827/92]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 2545, जो 10 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत 'दि नेब लाइन्स होम फार एजिंग ब्लाइंड, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिये छूट के बारे में है।

(दो) का० आ० 2546, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 2548, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'भारतीय विद्या भवन, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 2547, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 1991 की अधिसूचना संख्या 8872 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) का०आ० 2549, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'मैसूर पुनर्वास तथा विकास अभिकरण, बंगलौर' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट के बारे में हैं।

(छह) का०आ० 2550, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का०आ० 2551, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'चिकित्सा अनुसंधान प्रतिष्ठा, मद्रास' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के लिये छूट के बारे में है।

(आठ) का०आ० 2556, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-

निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 2552, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 8943 में कतिपय संशोधन किये गये है।

(दस) का०आ० 2555, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 2554, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 2553, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'दक्षिण भारत के वन्य जीव संस्थान बंगलौर' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 2557, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'कन्ज़ूमर गुड्स सोसाइटी आफ इंडिया' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 2558, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 2559, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'होमी भाभा फैलोशिप काउंसिल, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 2560, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 2561, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'यूसुफ मेहर अली सेंटर, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का०आ० 2562, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'झारग्राम कुष्ठरोग परियोजना, कलकत्ता' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 2563, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'लोक सहायता संस्थान, गोधा' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 2564, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'श्री गडगे महाराज मिशन, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 2565, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज आफ इंडिया, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का०अ० 2566, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'सर्वेन्ट्स आफ इंडिया, पुणे' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का०आ० 2567, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'दि रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार दि ब्लाइंड, मुम्बई' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 2568, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'ग्रामीण विकास संगठन, अरूवनकडु, नीलगिरि' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 2569, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'पंजाब स्त्री सभा राहत ट्रस्ट' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 2570, जो 10 अक्तूबर 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम, वर्धा' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का०आ० 2571, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'एसोसिएशन आफ दि फिजीकली हेंडीकैप्ड, बंगलौर' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का०आ० 2572, जो 10 अक्तूबर 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'बाल कल्याण के लिये पश्चिम बंगाल परिषद, कलकत्ता' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 2573, जो 10 अक्तूबर 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'मोतीलाल मैमोरियल सोसाइटी, लखनऊ' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का०आ० 2574, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के

अन्तर्गत 'दि सी०पी० रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन, मद्रास' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकत्तीस) का०आ० 2575, जो 10 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाउंडेशन' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2828/92]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 767(अ) जो 16 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार रक्षा मंत्रालय या इसकी परियोजनाओं को सप्लाई किए गए जाने वाले अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए उत्पादन कारखाने में निर्मित सभी शुल्क्य माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2829/92]

सामान्य केन्द्रीय सेवा वरिष्ठ निजी सहायक वर्ग 'ख' (राजपत्रित) भर्ती नियम 1992

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (11) मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी किए गए सामान्य केन्द्रीय सेवा वरिष्ट निजी सहायक, वर्ग 'ख' (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1992 जो 17 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 471 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2830/92]

जीवन बीमा निगम विनियमन, 1992—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(12) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (पहला संशोधन) विनियम, 1992 जो 3 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल०आर०पी०/460क में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2831/92]

(13) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :—

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2832/92]

(एक) मराठवाडा ग्रामीण बैंक, नानदेड (महाराष्ट्र)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी 2833/92]

(दो) झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झबुआ (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2834/92]

(तीन) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहडोल (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2835/92]

(चार) बुलडाना ग्रामीण बैंक, बुलडाना (महाराष्ट्र)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2836/92]

(पांच) मारवाड ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2837/92]

(छह) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी 2838/92]

(सात) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2839/92]

(आठ) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2840/92]

(नौ) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2841/92]

(दस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2842/92]

(ग्यारह) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2843/93]

(बारह) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नौर (केरल)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2844/92]

(तेरह) दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक, राजनन्द गांव (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2845/92]

(चौदह) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्या बैंक, बोलनगीर (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2846/92]

(पन्द्रह) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2846/92]

(सोलह) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2847/92]

(सत्रह) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्री गंगानगर (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2848/92]

(अठारह) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2850/92]

(उन्नीस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोण्डा (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2851/92]

(बीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2852/92]

(इक्कीस) मांडला बाल घाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2853/92]

(बाईस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2854/92]

(तेईस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2855/92]

(चौबीस) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2856/92]

(पच्चीस) कोकठिया ग्रामीण बैंक, वारांगल (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2857/92]

(छब्बीस) वल्लालर ग्रामा बैंक, कुडडालोर (तमिलनाडु)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2858/92]

(सत्ताईस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर (पंजाब)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2859/92]

(अट्ठाईस) छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2860/92]

(उनतीस) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2861/92]

(तीस) कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक, भवानीपटना (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2862/92]

(इकतीस) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बाकुरा (पश्चिमी बंगाल)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2863/63]

(बत्तीस) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोरेना (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2864/92]

(तैंतीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2865/92]

(चौंतीस) लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक, दीफू (असम)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2866/92]

(पैंतीस) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, वेतलरी (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2867/92]

(छत्तीस) मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2868/92]

(सैंतीस) डुंगरपुर बासवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डुंगरपुर (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2869/92]

(अड़तीस) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौडी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2870/92]

(उनतालीस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2871/92]

(चालीस) सिंहभूमि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चायबासा (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2872/92]

(इकतालीस) कलपतरू ग्रामीण बैंक, तुमकुर (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2873/92]

(बयालीस) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2874/92]

(तैंतालीस) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2875/92]

(चवालीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2876/92]

(पैंतालीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक भरतपुर (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2877/92]

(छियालीस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज (गुजरात)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2878/92]

(सैंतालीस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2879/92]

(अड़तालीस) अधियामन ग्रामा बैंक, धर्मापुरी (तमिलनाडु)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2880/92]

(उनचास) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहार शरीफ (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2881/92]

(पचास) ऋषिकुल्या ग्राम्या बैंक, बहरामपुर (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2882/92]

(इक्यावन) चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2883/92]

(बावन) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2884/92]

(तिरपन) लखीमी गौंवालिया बैंक, गोलहाट (असम)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2885/92]

(चौवन) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2886/92]

(पचपन) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2887/92]

(छप्पन) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2888/92]

(सत्तावन) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2889/92]

(अठावन) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2890/92]

(उनसठ) ढेनकनाल ग्राम्या बैंक, ढेनकनाल (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2891/92]

(साठ) फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा (पंजाब)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2892/92]

(इकसठ) गौढ़ ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2893/92]

(बासठ) प्रयागज्योतिष गांवलिया बैंक, नलवाड़ी (असम)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2894/92]

(तिरसठ) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2895/92]

(चौसठ) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2896/92]

(पैंसठ) भन्डारा ग्रामीण बैंक, भन्डारा (महाराष्ट्र)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2897/92]

(छियासठ) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2898/92]

(सड़सठ) कृष्ण ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी 2899/92]

(अड़सठ) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2900/92]

(उनहत्तर) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2901/92]

(सत्तर) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, मेहबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2902/92]

(इकहत्तर) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2903/92]

(बहत्तर) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी 2904/92]

(तिहत्तर) सुरेन्द्र नगर भाव नगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2905/92]

(चौहत्तर) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीक नेर (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2906/92]

(पचहत्तर) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2907/92]

(छिहत्तर) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मान्डया (कर्नाटक)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2908/92]

(सतहत्तर) पुरी ग्रामीण बैंक, पीपली (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2909/93]

(अठहत्तर) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2910/92]

(उन्नासी) संयुक्त ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2911/92]

(अस्सी) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2912/92]

(इक्यासी) मार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2913/92]

(बयासी) बैतरणी ग्राम्या बैंक, मयूरभंज (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2914/92]

(तिरासी) कनक दुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडीवाडा (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2915/92]

(चौरासी) महा कौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2916/92]

(पिचासी) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2917/92]

(छियासी) फारूकाबाद ग्रामीण बैंक, फारूकाबाद (उत्तर प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2918/92]

(सत्तासी) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2919/92]

(अठासी) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2920/92]

(नवासी) कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक जयपौर, कोरापुट (उड़ीसा)
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2921/92]

2.23 म०प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक
(नये भाग 9क का अंतःस्थापन)
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

और

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक
(नये भाग 9 का अंतःस्थापना)
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, परसों मैंने स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनावों के लाभ के बारे में उल्लेख किया था। इस प्रत्यक्ष चुनाव के फलस्वरूप जनता द्वारा निर्वाचित निकाय की निरन्तरता बनी रहती है क्योंकि पीठासीन अधिकारी अपने पद पर

केवल निकाय के सदस्यों के सदभाव की बदौलत ही नहीं वो आसीन नहीं होते हैं बल्कि उस गांव या किसी मध्यवर्ती स्तर संगठन के समस्त निर्वाचक वर्ग या पूरे जिले के निर्वाचक वर्ग द्वारा उस पीठासीन अधिकारी का चुनाव होता है। वह विभिन्न स्तरों के निकायों के अपने सदस्यों तथा अधिकारियों का सम्मान पाता है जिससे अच्छा समन्वय व सहयोग मिलता है।

मूल विधेयक में भी, मध्यवर्ती स्तर तक प्रत्यक्ष चुनाव कराने का प्रस्ताव किया गया था। किन्तु प्रवर समिति के प्रतिवेदन में केवल ग्राम स्तर तक प्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्ताव किया गया है जबकि मध्यवर्ती तथा जिला स्तर तक के लिए परोक्ष चुनावों के लिए प्रस्ताव किया गया है। समिति ने अपने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन वे पृष्ठ-6 में कही गई बात के विपरीत है :

"समिति यह नोट करती है कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनावों से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।"

समिति ने इस तथ्य को स्वीकार किया है।

"सीधे चुने जाने के कारण चुने गए व्यक्तियों में एक अर्न्तनिहित शक्ति होती है इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष चुनाव विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियां करने को बढ़ावा देती है इसलिए समिति की राय है कि निचले स्तर से ही लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायत में सभी सीटों के लिए, प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए।"

प्रवर समिति द्वारा अपने पूर्व के निष्कर्षों में व्यक्त किए गए इस विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूं।

यह बात सबको मालूम है कि पहले जब अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, तो पंचायती राज समिति के अध्यक्ष या ग्राम के सरपंच या म्युनिसिपल काउंसिल के चैयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखे जाते थे और इससे दल-बदल तथा सौदेबाजियां होती थी और फिर वे अविश्वास प्रस्ताव वापिस ले लिए जाते थे। फलतः प्रशासनिक कार्यकारण पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

अतः इस माननीय सभा से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी स्तर के स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनावों की पद्धति को स्वीकृति दी जाए और इसे अपनाया जाए।

जहां तक नगर निगमों की बात है हैदराबाद को छोड़कर विजयवाड़ा और विशाखापटनम निगमों के लिए भी, प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे और निःसंदेह हमारे विजयवाड़ा में मेयर के पद या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी श्री जनभामाला शंकर चुने गए थे, और विशाखापटनम में डा० सुब्बा राव, हमारी टी०डी०पी० पार्टी से चुने गए थे। पांच वर्षों से, कोई बाधा नहीं आई थी और सरकार ने भी स्थानीय निकायों जिसमें म्युनिसिपल कारपोरेशन भी शामिल है को अच्छा सहयोग दिया। पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कहीं भी नगरपालिका को अस्थिर नहीं किया, अतः मेरा सुझाव है कि अप्रत्यक्ष चुनावों के बजाय प्रत्यक्ष चुनावों के अधिक लाभ होगें। मध्यवर्ती स्तर के निकायों के गठन के संबंध में निम्न स्तर के निकाय के अध्यक्ष को मध्यवर्ती स्तर के निकायों का सदस्य होना चाहिए और मध्यवर्ती स्तर के निकाय के अध्यक्ष को जिला-स्तर पंचायत का सदस्य होना चाहिए और विधान सभा के सदस्य तथा जिला स्तर के पंचायतों के सदस्य निश्चय ही विधान सभा, लोक सभा तथा राज्य सभा में जनता के

प्रतिनिधियों की मदद करेंगे ताकि वे जान सकें कि कैसे सब कार्य हो रहे हैं, जिला परिषद, नगर पालिका अथवा नगर निगम क्या कर रही हैं, वे किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं, वे कैसे और किस सीमा तक इन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं। इन कार्मक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् वे योजना तथा कार्यान्वियन में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित कर सकते हैं और वे इन स्व-नियोजित स्थानीय निकायों के और आगे प्रभावपूर्ण कार्य के लिए उनकी मदद कर सकते हैं तथा उन स्थानीय लोगों की जरूरते पूरी कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है।

जहां तक आरक्षण का संबंध है, हम माननीय मंत्री के प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अमुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या की तुलना में आरक्षण का प्रस्ताव भी है। यह अनेक राज्यों में पहले से ही लागू है। यहां भी यह प्रावधान है। यह एक अच्छी बात है।

महिलाओं को एक तिहाई स्थान प्रदान करने का सरकार का निर्णय काफी प्रशंसनीय है। काफी समय के बाद महिलाओं को इन स्थानीय स्वशासी निकायों के प्रशासन में यथोचित स्थान दिया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा तेलगु देशम दल के अध्यक्ष श्री एन०टी० रामाराव ने पहली बार महिलाओं के लिए 9 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हैं। वहां मंडल प्रजा परिषद की अध्यक्ष महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। केवल उनके महिला होने के कारण हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि के पूरे कार्य का प्रबंध नहीं कर पायेंगी। आखिरकार इस राष्ट्र का संचालन श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में था और उन्हें न केवल इस देश के लोगों से ही ख्याति प्राप्त हुई बल्कि अन्य देशों की जनता से भी उन्हें ख्याति मिली। कर्नाटक में 25 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। यह एक प्रशंसनीय कदम है। मेरा सुझाव यह है कि पर्याप्त संख्या में महिलाओं के उपलब्ध न होने पर अन्य लोगों को इन स्थानों पर निर्वाचित किया जाना चाहिए।

जहां तक पिछड़े वर्गों का संबंध है, आपने इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ा हुआ है। मेरी राय में उनके लिए भी केन्द्र सरकार को प्रावधान करने चाहिए थे। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश में, श्री एन०टी० रामाराव की अध्यक्षता में पहली बार सभी स्थानीय निकायों जैसे मंडल प्रजा परिषद, जिला परिषद तथा नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को भी प्रजा परिषद, जिला परिषद तथा नगर पालिकाओं में भाग लेने का अवसर दिया गया था। हर जगह, अल्पसंख्यकों को अवसर प्रदान किए गए थे। मेरा सरकार को यह विनम्र सुझाव है कि उन्हें अल्पसंख्यकों को भी स्थानीय निकाय के प्रशासन में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिएं।

एक अन्य सुझाव आरक्षित पदों के चक्रानुक्रम के विषय में है। इस मुद्दे पर भी निर्णय लेने का अधिकार आपने राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। यदि किसी स्थान पर एक ही तरह के पदों को विधान सभाओं और संसद की तरह आरक्षित किया जाता है तो कोई चक्रानुक्रम नहीं होगा। कुछ समय पूर्व अनेक सदस्यों ने पार्टी के बंधनों को तोड़ते हुए यह सुझाव दिया था कि चक्रानुक्रम होना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि अधिक क्षेत्रों को आरक्षण का अवसर देने के लिए चक्रानुक्रम होना चाहिए और जो लोग आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हैं उन्हें भी प्रशासन में भाग लेना चाहिए।

जहां तक कि अधिकारों और कर्त्तव्यों का संबंध है यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं श्री के०पी० सिंह देव की अध्यक्षता में गणित संयुक्त चयन समिति को बधाई देता हूं। 72वें संविधान संशोधन विधेयक के मामले में चयन समिति की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के मामले में चयन समिति की रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा है कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति होनी चाहिए। जिले की योजनाएं तैयार करने के लिए बनाई गई यह समिति पंचायतों और नगर पालिकाओं सहित पूरे जिले के लिए बनाई गई विकासशील योजनाओं में समन्वय स्थापित करेगी। मैं वास्तव में इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं। काफी लम्बे समय से इसकी आवश्यकता थी। यह उसी तर्ज पर है जोकि महात्मा गांधी ने इस राष्ट्र को बताई थी, जो काफी समय पहले महात्मा गांधी चाहते थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि ग्रामवासियों को अपने भविष्य को सुधारने के लिए उपयुक्त अधिकार दिए जाने चाहिएं। ग्राम पंचायतों का गठन सन् 1959 से प्रारम्भ किया गया है। कुछ कमियों के कारण वे वास्तव में जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकें जिसके परिणामस्वरूप वह धीरे-धीरे अपना महत्व खो बैठें। धन के अभाव के कारण और राज्य सरकार द्वारा इन पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं के समाप्त हो जाने के कारण तथा चुनाव न कराए जाने के कारण उन्होने जनता के बीच धीरे-धीरे अपना महत्व तथा उत्साह खो दिया। लेकिन 72वें संविधान संशोधन विधेयक तथा 73वें संविधान संविधान संशोधन विधेयक द्वारा उनकी यह छवि वापस लाई जा रही है तथा स्थानीय स्वशासी निकायों की क्षमता तथा ओज वापस लाया जा रहा है। ग्यारहवीं तथा बारहवीं अनुसूची में आपने जिन मदों का प्रस्ताव रखा है वे सही हैं। मैं उन मदों से पूर्णतः सहमत हूं।

जहां तक धन का संबंध है, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पर्याप्त धन के अभाव के कारण ये संगठन स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में जनता की आकांक्षाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर सके। आपने इस संबंध में यह सुझाव दिया है कि इन साधनों को अधिक धन सौंपने के पहलू की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर एक दिन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार के स्तर पर चयन समिति ने 73वें संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है। केन्द्रीय वित्त आयोग को अब हम स्थानीय निकायों को नियमित चुनाव कराने का एक कानूनी आदेश तथा अधिकार दे रहे हैं और कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत वे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें और इस राष्ट्र का विकास कर सकें। इसके लिए उन्हें आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस समय राज्य सरकार के पास धन का अभाव है। कुछ समय से केन्द्र ने धीरे-धीरे अधिक अधिकार छीन लिए हैं और राज्य सरकारें इन स्थानीय निकायों की मदद नहीं कर पा रही हैं।

इसलिए संविधान के इस अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानीय निकायों को किस तरह अधिक राशि उपलब्ध कराई जा सकती है चाहे वह पंचायतें हों अथवा नगर पालिकाएं हों। यह राशि केवल राज्य सरकार की निधि से ही उपलब्ध नहीं करवायी जानी चाहिए बल्कि केन्द्र सरकार की निधि से भी उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि काफी पहले सन् 1972 में तत्कालीन केन्द्रीय योजना

मंत्री श्री डी०पी० धर ने 23 अगस्त, 1972 को संसद में यह स्वीकार किया था और जिसे मैं यहां उद्धरित कर रहा हूं :

"भारत में योजना की असफलता का एक कारण यह था कि नेतृत्व को योजना बनाने तथा उसके कार्यान्वियन की प्रक्रिया में निचले स्तर पर जनता को शामिल करने में सफलता नहीं मिली।"

इसलिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले भी सन् 1951 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय वित्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय सूची से एक विशिष्ट कर की सिफारिश की है जोकि रेलवे, नौवहन तथा हवाई जहाजों से ले जाये जाने वाले सामान अथवा सवारियों पर लगने वाले टर्मिनल कर तथा राज्य सूची से 12 अन्य करों के संबंध में है, जो कि इन स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग करने के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्य को व्यापक जिम्मेवारी के साथ इन स्थानीय निकायों में निवेश करते हुए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने पास पर्याप्त धन भी रखना चाहिए। श्री जॉन मथाई की अध्यक्षता में सन् 1953-54 में करों के संबंध में गठित जांच आयोग ने इन स्थानीय निकायों के विशिष्ट उपयोग के लिए कुछ मदों की सिफारिश की थी। इसलिए तीन दशक पहले उन्होंने यह सुझाव दिया है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार वित्त आयोग को इन पहलुओं की जांच का कार्य सौंप कर तथा इन स्थानीय निकायों को अधिक धन देकर संविधान के इस अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत पर्याप्त कदम उठाएगी।

महोदय, एक अन्य मुद्दा अपने प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने के अधिकार के संबंध में है। स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण अपने प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने के अधिकार की वकालात किया करते थे ताकि जनतंत्र को मजबूत बनाया जा सके और जनता को यह अधिकार दिया जा सके जोकि हमें इस स्थान पर बिठाने के लिए जिम्मेवार हैं चाहे वह आप हैं अथवा मैं और जब जनता हमारे कार्य से सन्तुष्ट नहीं है और जब वे यह महसूस करते हैं कि हम उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, जब वे यह मान लेते हैं कि जनता के प्रतिनिधि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त कर सके। मुझे उम्मीद है कि इस पंचायती राज 72वें तथा 73वें संशोधन विधेयक द्वारा आवश्यक संशोधन किये जाएंगे ताकि कम से कम ग्राम सभाओं को वे अधिकार दिए जा सकें।

ग्राम सभा को निर्वाचित करने वाले जब यह महसूस करते हैं कि ग्राम सभा के सरपंच और सदस्य वास्तव में अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं और वे उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब निर्धारित तारीख की बैठक होती है और जब निर्वाचक गण के दो-तिहाई लोग आकर सरपंच तथा पंचायत के सदस्यों के प्रति अपना अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। इस प्रकार अपने प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार भी जनता को दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं नगर पालिकाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस समय नगर पालिकाओं और निगमों के पास धन का काफी अभाव है।

पंचायतों के मामलों में भी ऐसा ही है। जनता दल के शासनकाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ हुआ था। उससे कुछ हद तक ग्रामीण विकास—सड़क निर्माण, पेयजल योजनाओं

आदि को सहायता मिली थी। बाद में, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा आर०एल०ई०जी०पी० योजनाएं शुरू हुईं। इन योजनाओं से भी कुछ हद तक सहायता मिली। हालांकि काफी अपव्यय भी हुआ है। यहां तक कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी सभा में यह स्वीकार किया था कि—मैं आठवीं लोक सभा में था—मात्र 25 प्रतिशत राशि लक्षित वर्गों को नहीं पहुंच रही है। इसके बावजूद भी कुछ कार्य किया गया।

रा०ग्रा०रो० कार्यक्रम तथा आर०एल०ई०जी०पी० के बाद अब आपने रोजगार योजना आरम्भ की है। इससे ग्राम पंचायतों को कुछ हद तक सहायता मिली है। अन्यथा ग्राम पंचायतों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अत: सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि इन नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों के लिए अपेक्षित मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की जाए क्योंकि ऐसा न होने पर इस विधेयक को पारित करने अथवा अन्य कोई उपाय करने से स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विशेष पहलू पर ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय स्वशासन निकाय, विभिन्न स्तरों पर प्रभावशाली ढंग से काम करे और जनता की आवश्यकताएं पूरी करें। आज ग्रामीण क्षेत्र सही माने में रहने योग्य नहीं है। कई लोग गांवों से निकलकर समीप के उप नगरीय क्षेत्रों में बस रहे हैं। इस सभा का हर सदस्य यह जानता है। गांवों को रहने योग्य बनाएं। पेयजल, सड़क आदि निम्नतम सुविधाओं को उपलब्ध कराएं।

मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्वी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (बहत्तरवां तथा तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद हम अपने संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन करने जा रहे हैं। समय पर यह व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में माननीय शहरी विकास मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

पहले के वाद-विवाद के दौरान हुए व्यवधानों से ऐसा लगता है कि जब सभा के इस ओर के माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी जी का नाम लेते हैं तो उस ओर के माननीय सदस्यों को अच्छा नहीं लगता है। परन्तु आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम श्री राजीव गांधी का नाम केवल इसलिए नहीं लेते हैं कि वे हमारे नेता थे बल्कि उनके योगदान के लिए भी उनका नाम लेते हैं। इन ऐतिहासिक विधेयकों के पारित होने के पीछे मुख्य रूप से इनका योगदान था और वे इन विधेयकों के जनक थे। मैं प्रो० रंगा की टिप्पणियों को, जोकि उन्होंने 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत करने के बाद, उसी विधेयक पर बहस आरम्भ करते हुए की थी, को उद्धृत करना चाहता हूं और वह यह है—

> "यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच ऐसे युवा प्रधान मंत्री हैं जिनमें पूर्वग्रह एवं पक्षपात नहीं है और गत दो वर्षों से भी अधिक समय से देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गन्दी बस्ती से दूसरी गन्दी बस्ती, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा जाकर उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि हम अपने देश में किस हालत में रह रहे हैं।"

आज एक अन्य नेता ने भी भारत की खोज की है। प्रो० रंगा ने यह टिप्पटणी की थी। अतः हमें इस ऐतिहासिक दिन, हमारे नेता श्री राजीव गांधी को याद करना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करते हुए कहा था कि यह विधेयक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगा। यह निश्चित ही राम राज्य की ओर एक कदम है।

परन्तु मुझे इन विधेयकों में कुछ खामियां भी नजर आई हैं। फिर भी, इस समय, मैं उन खामियों के विषय में बात नहीं करूंगा क्योंकि विधेयक संयुक्त समिति से वापस आ गए हैं और इन संयुक्त समितियों में, हमारे दल के साथ मुख्य राजनैतिक दलों के सदस्य भी शामिल हैं। इसलिये खामियों की बात करने की अपेक्षा मैं माननीय सदस्यों से, जिन्होंने संशोधनों की सूचना दी है, यह नम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस ले लें। हम इससे ही शुरूआत करेंगे और यदि हमें कठिनाइयां महसूस होंगी तो हमें अवश्य ही इन कठिनाइयों को उपयुक्त समय में दूर करना होगा। चूंकि मैं इन खामियों की चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं माननीय मंत्री से केवल इतना ही कहूंगा कि आज इन विधेयकों के पारित हो जाने के बाद हमारी मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयक के प्रावधानों को उसकी भावना के अनुरूप लागू किया जाये। जब हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तब हमें पंचायतों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने होंगे। जब तक सरकार पर्याप्त धन नहीं देगी, तब तक पंचायतें तथा नगर पालिकाए कभी भी हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगी।

हम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को राज्य सरकारों की दया पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास राज्य सरकारों ने जो कुछ किया, उसके तैंतीस वर्षों का कड़वा अनुभव है। इसके अलावा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धन भी नहीं है। विशेषकर अरुणाचल प्रदेश जैसे निर्धन और छोटे राज्यों में हम पंचायतों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे कुछ स्मरणीय कार्य करें। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उनको पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराएं।

मैंने इस सम्माननीय सभा में पंचायत सदस्य के रूप में प्रवेश किया था। इस सभा में आने से पहले मैं, सात वर्षों तक पंचायत में था। मैं वहां की कठिनाइयों को जानता हूं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही छोटा राज्य है, लोग इसको मुश्किल से जानते हैं फिर भी वहां की पंचायत प्रणाली श्रेष्ठतम है। इसके बावजूद भी पंचायतों के पास पर्याप्त धन नहीं है। हालांकि हम अधिक कुछ न कर पायें। इसलिए तो मैं केवल यह बात दोहराता हूं कि माननीय मंत्री यह ध्यान दें कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को पर्याप्त धन मिले।

केन्द्र सरकार की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना आदि गरीबी उन्मूलन योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से निचले स्तर पर लागू किया जा रहा है। पंचायत सदस्य इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसलिए हमें भी इसी के अनुसार सोचना चाहिए और धन भी उपलब्ध करना चाहिए। मैं इस सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री से यह नम्र निवेदन करता हूं कि जब विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री तथा मंत्री, समस्याओं पर चर्चा के लिए सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भाग लेते हैं तब उनको यह भी आश्वासन देना चाहिए कि भले ही पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सभी सदस्य न सही—कम से कम जिला

परिषदों के प्रमुख तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष समय-समय पर इनमें भाग लेंगे ताकि वे मुश्किलों के बारे में विचार-विमर्श कर सकें। वे जान सकते हैं कि उनसे कहां पर गलती हुई है। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के सपने साकार होंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 72वें और 73वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ ही इस विधेयक की कुछ कमियों की तरफ मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पंचायत की व्यवस्था हमारे देश में कोई नई व्यवस्था नहीं है, सदियों पहले से पंचायत की व्यवस्था हमारे देश में चलती रही है और मैं समझता हूं कि उस समय प्रचीन भारत में पंचायतों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य हुआ करता था कि गांवों के लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना। पंचायत गांव के चौपाल में ही पंच बैठते थे और गांव के लोग छोटे-मोटे विवाद, झगड़े आपस में चर्चा के द्वारा निपटाया करते थे और पंच बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पंच को उस समय परमेश्वर कहा जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि गांवों के छोटे-मोटे झगड़े छोटी-मोटी बातों को लेकर के अब फैसले गांव में नहीं होते अदालतों में होते हैं। यह जो अदालत की अवधारणा है यह भी पश्चिम से ली गई अवधारणा है। यह मैं मानता हूं कि गांवों के लोगों को छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करने के लिए बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकीलों के जाल में उलझना पड़ता है और इस कारण ऐसे कई मामले जो सरलता से गांव में हल हो सकते हैं उनके लिए कई बार जिन्दगी भर तक लोगों को इन्तजार करना पड़ता है और कई बार तो जिन्दगी भर न्याय नहीं मिलता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामले बातचीत करके हल हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयोग किया गया, लोक अदालतों के माध्यम से जो मामले बात-चीत करके, समझौते करके निपटाए जा सकते हैं वहां निपटाने का प्रयास हो रहा है और इसलिए इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे गांव के छोटे-मोटे झगड़े पंचायतों के माध्यम से ही सुलझ सकें, निपट सकें। मैं समझता हूं कि इससे सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय ग्रामीणों को मिल सकेगा, गांव की जनता को मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं गांव पंचायतों के क्षेत्र के निर्धारण के मामले में मैंने देखा है और अपने अनुभव के कारण से आपसे कह रहा हूं कि कई बार ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का निर्धारण जब पंचायतों में होता था तो प्रभावशाली लोग विशेषकर सत्ता-धारी पार्टी के लोग अपनी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तीन-तीन, चार-चार गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती थी तो अगर कोई पंचायत में कोई गांव हमें नुकसान दे सकता है, वोटों की दृष्टि से तो उसको दूसरी पंचायत में मिला दो और कई गांव बेचारे एक साल इस पंचायत में, दूसरे साल दूसरी पंचायत में और तीसरे साल तीसरी पंचायत में, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए ग्राम पंचायत के क्षेत्र के निर्धारण का भी एक सुनिश्चित, स्पष्ट कोई मापदण्ड होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में यह प्रयोग किया गया वहां पटवारी हलके को ही इकाई मान लिया गया है इसलिए सत्ताधारी लोग भी और प्रभावशाली लोग भी अपनी विजय क संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र को इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए इस विधेयक में भी स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख करके कोई पंचायतों के क्षेत्र को मनमाने ढंग से परिवर्तन न कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रत्यक्ष निर्वाचन का सवाल है सरपंच का या पंचायत के अध्यक्ष का उसका मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं।

हमने देखा है कि जब पंचों के माध्यम से सरपंच का चुनाव होता है, उस समय सरपंच बनने के लिए हर एक हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है। पंचों की खरीद-फरोख्त होती है, धन-बल और बाहुबल का उपयोग किया जाता है, कई बार तो भावी सरपंच, पंचों को चारों धाम की यात्रा करवा देते हैं, प्रयाग तीर्थ की यात्रा करवा देते हैं, सब जगह घुमा देते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए सरपंच का सीधा निर्वाचन होगा तो इस तरह की जो विकृतियां हैं, उनको दूर करने में मदद मिलेगी।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। मध्यवर्ती, जिसको मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएं। यह आवश्यक नहीं है कि अलग से जनपद क्षेत्र बनाए जाएं, अलग से जिला परिषद के सदस्य चुने जाएं, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुनें, इसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। ग्राम पंचायतें जनपद पंचायतों से जुड़ी होती हैं और जनपद पंचायतें जिला पंचायतों से जुड़ी होती हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष और सरपंच, जनपद पंचायतों के पदेन सदस्य होने चाहिए और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायतों के पदेन सदस्य होने चाहिए। इसके लिए किसी अलग से निर्वाचन की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। आरक्षण के मामले में 243 डी (1) में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में आरक्षण होगा, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन यह कहा गया है कि आरक्षित पद उन पंचायतों को क्रमवार आवंटित किए जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पचायतों के वार्ड बहुत छोटे होते हैं, कई बार तो ऐसे वार्ड भी होते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधु निवास ही नहीं करते। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से देखा जा सकता है जहां ऐसे बंधुओं की जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पर आरक्षित स्थानों को आवंटित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इनके लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, इनमें भी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षित पदों को आवंटित किया जाये, जिन स्थानों पर अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या अधिक हो, वहां पर इन पदों को आरक्षित किया जाना चाहिए।

एक बात और हमने अनुभव की है कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जो कार्य करवाया जाता

है, उसका मूल्यांकन बी०डी०ओ० सब इंजीनियर द्वारा करवाता है। यदि सब इंजीनियर से सरपंच की सैटिंग हो जाए तो 10000 के काम को भी 20 00 का मूल्यांकित कर दिया जाता है और यदि सैटिंग न हो तो कितना ही अच्छा काम करवाया गया हो, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। इस तरह से ईमानदार सरपंच मूल्यांकन के लिए भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मूल्यांकन न होने से आगे जो राशि उस पंचायत को मिलनी चाहिए, वह समय पर नहीं मिल पाती। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, जो भ्रष्टाचार हर ग्राम पंचायत में मुझे लगता है कि भारी पैमाने पर होता है।

इसी तरह से ग्राम पंचायतों द्वारा कई बार घटिया स्तर का काम करवा दिया जाता है, भले ही वे निर्वाचित प्रतिनिधि क्यों न हों, पैसा बचाकर काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने देखा है कि 1985 से लेकर 1988 तक मध्यप्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में इतने घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाया गया है कि लात मारें तो गिर जाएं। कई स्कूल और पंचायत भवन उद्घाटन के पूर्व ही गिर गये। रिकवरी का नोटिस दिया गया तो कोर्ट से स्टे ले आये और ऐसे केसेस में उस ग्राम पंचायत का विकास लगभग ठप्प हो जाता है, क्योंकि नए काम नहीं मिल पाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे सरपंचों और जनपद अध्यक्षों, जिला पंचायत के अध्यक्षों, जोकि दी गई राशि का दुरुपयोग करते हैं, के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे इनको सजा दिलवाई जा सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

3.00 म०प०

अपनियोजन नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अपनियोजन नीति की समीक्षा संबंधी संकल्प को लेंगे। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जिन्हें भाषण जारी रखना था, उपस्थित नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि जब हम एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, सही माने में उपयुक्त विचार-विमर्श के लिए गंभीरता दिखाई गई। मुझे श्री रूपचन्द पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया जिसका सम्बन्ध एक ऐसे गम्भीर मामले से है जिसका सामना हमारी अर्थ-व्यवस्था कर रही है अर्थात इस देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपनियोजन संबंधी नीति।

इस देश में, हम मन्दिर, मस्जिद और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कई घण्टे लगा देते हैं। परन्तु जब देश एक गम्भीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जब इस देश की नीति अनेकों प्रयोगों के पश्चात् पंडित जवाहर लाल नेहरु और उनके समर्थ सहयोगियों द्वारा तय की गई थी,

हमारी आर्थिक नीति के सन्दर्भ में इसने एक नया मोड़ ले लिया है जो पहले की नीति से बिलकुल विपरीत है।

आज यह केवल अर्थहीन मामला नहीं रहा। परन्तु हम यह देखते हैं कि आज हमारे संविधान, देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचारों की अपेक्षा कुछ मुट्ठी भर लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि हैं, के विचारों की अधिक महत्ता है। आज संसद द्वारा देश की आर्थिक नीति का निर्धारण नहीं किया जाता क्योंकि चर्चा करने के लिए ऐसा अवसर नहीं दिया जा रहा है। हम कार्योत्तर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। प्रायः निर्णय नॉर्थ ब्लाक की परिधियों से भी बाहर लिए गए हैं। निर्णय कहीं और लिए जा रहे हैं और देश ने कुछ मिलियन अथवा बिलियन डालरों के लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, सोचने की प्रक्रिया का सौदा कर लिया है और अवश्य ही मैं नहीं जानता कि कितना ऋण लिया गया है।

इस बारे में गम्भीर सोच विचार की प्रक्रिता जारी है। किसी भी बात को मात्र हमारी आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में है—जैसी बातों अथवा कुछ खोखले नारों की वजह से, जोकि आजकल हम सुन रहे है, टाला नहीं जा सकता अथवा उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। हमारे देश की आर्थिक नीति को कौन निर्धारित करेगा ? वर्तमान सरकार हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करना चाहती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति मूल वचनबद्धता को भूल भी जाए तो क्या आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के प्रति अब हमारी आस्था नही रहीं है ? मैं आशा करता हूं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेकर मंत्री महोदय ने स्वयं को दूषित नहीं किया होगा। उन्हें सिर्फ निर्णयों का पालन करना है। और मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही है।

3.05 म०प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

उन्होंने इस नीति को कुछ सामन्तवादी ऐजेन्सियों के आदेश के रूप में स्वीकार किया है। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अब विश्वास करते हैं। मैं बहुत ही जोर दे कर यह प्रश्न करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। क्या हम अब आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं ? हम विश्व स्पर्धा की बात करते हैं। मुझे इस बात से बहुत ही खुशी होगी यदि भारत अपने तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार में मुकाबला कर सके। क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वे मुझे इस मुद्दे के बारे में बतायें। हमें निर्यात पर विचार करना चाहिए। सरकार निर्यात पर बहुत ही अधिक जोर दे रही है। निर्यात के किस क्षेत्र में अथवा किस वस्तु को लेकर हम विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में उतर सकते हैं ? हमें यह बताया गया था कि पटसन और चाय के मामले में हमें मूल रूप से लाभ मिला है परन्तु इस क्षेक्ष में भी हमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और सिंथेटिक कपड़े बाजार में आ गये तथा वे पटसन की जगह ले रहे हैं। चाय के क्षेत्र में भी हमारे प्रतियोगी हैं। विश्व स्तर पर किस क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे ? हर कीमत पर निर्यात की यह बाध्यता आत्मा-निर्भरता के मौलिक सिद्धान्त को भी खतरा है। भारत एक बहुत ही बड़ा बाजार है और यह एक बहुत ही बड़ा बाजार प्रदान कर सकता है। हम अपने करोड़ों लोगों को कुछ क्रय शक्ति देने की व्यवस्था कर सकते हैं। यह हम कुछ विदेशियों के साथ क्यों करें ? इसका

कोई उत्तर नहीं मिला है। सिर्फ माननीय वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह जी को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से जवाब मिलना है। यह बात वे अपने सपनों में देखते हैं। हमें बंगलौर और दिल्ली आदि में नये प्रयोगों के बारे में हो रही वार्ता को दूरदर्शन द्वारा दिखाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि अनेक बार मैंने सुना है कि डा० मनमोहन सिंह अपने प्रथम बजट भाषण से दो दिन पूर्व तक समान शब्दों को सतत रूप से दुहरा रहे हैं। वे एक ही बात कहते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि किस क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और किस क्षेत्र में भारत इस प्रकार का बाजार उपलब्ध कर रहा है। कुछ विदेशी कम्पनियां इसमें रुचि ले रही हैं और वे उपभोक्ता सामग्री जैसे कोकाकोला, फ्रंच, पोटाटोचिप्स में अधिक रुचि ले रही हैं तथा वे कुछ 'पापड़डम्स' शीतल पेय, साम्बर पाउडर आदि बना रहे हैं। उनकी रुचि सिर्फ इसी में है क्योंकि वे भारतीय बाजार का उपयोग करना चाहते हैं। शायद वे अपने उत्पाद को अपने देश में या अन्य देशों में नहीं बेच सकते हैं। भारत के औद्योगिक आधार को सुदृढ बनाने में उनकी रुचि नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि विदेशी निवेश अथवा विदेशी निवेशकर्ता भारत के औद्योगिक आधार को सुदृढ बनाने, करने अथवा इस देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने की उनकी इच्छा से प्रेरित होंगे अथवा अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होंगे। अब हमें अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे थाईलैंड, इन्डोनेशिया और मलेशिया द्वारा अपनायी गयी उदार नीति के सम्बन्ध में बताया जा रहा है। हमसे कहा गया है कि जब मलेशिया उन्नति कर चुका है तो भारत क्यों नहीं कर सकता ? निश्चित रूप से उन्होंने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता खो दी है। लेकिन महोदय, विदेशी निवेशकर्ता इस बात पर ध्यान देंगे कि उन्हें श्री पुंगन या डा० मनमोहन सिंह अथवा थाईलैंड के वित्त मंत्री के कथनानुसार उनके देश में निवेश करना चाहिए। वे आपके चेहरे को नहीं देखेंगे अथवा ताज पैलेस या हैदराबाद हाउस में रात्रि भोज से आकर्षित नहीं होंगे। वे हिसाब लगाएंगे कि कहां सर्वाधिक मुनाफा प्राप्त होगा। अतः वे सिर्फ अपने हितों के सम्बन्ध में ही रुचि दिखायेंगे। एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात का दुःख है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेशों में इन बड़े देशों में उनसे अनुरोध करने के लिए जाना पड़ा और करीब-करीब हाथ जोड़ कर उन्हें भारत आने का और यहां निवेश करने का आमंत्रण देना पड़ा। वे जर्मनी, फ्रांस और जापान गये थे। इन देशों से क्या जवाब आया है ? मैं यह जानना चाहूंगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह अपनिवेशन ही उनकी आर्थिक नीति के मुख्य आधार में से एक है। इससे मैं यह जानना चाहूंगा कि इन विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा क्या उत्तर दिया गया है। आप कितने नये उद्योग लगा पाए हैं ? आपने उनको सभी सुविधाओं और लाभ प्रदान किया है। इस देश के औद्योगिकरण की बात कहां गयी ? किस प्रकार आप अधिक निर्यात कर सकते हैं ? किस क्षेत्र में आप अधिक निर्यात करने जा रहे हैं ? यह कहा गया है कि ऐसा किया जाएगा और इस बात की बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। दूसरे दिन मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को यही बात दूरदर्शन पर कहते सुना। मैंने इसे बन्द कर देना चाहा लेकिन मैं बंगलौर और दिल्ली के नए प्रयोगों को देखना चाहता था और मैं यह देखना चाहता था कि किस प्रकार इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

महोदय, विगत 1० महीनों से यही बात बार-बार कही जा रही है। वे यह कहते रहे हैं "यदि हम ऐसा करें, और यदि हम वैसा करें तो कुछ होगा और सभी कुछ हो जाएगा।" मुझे विश्वास है कि जब अयोध्या जैसे मुद्दे उठते हैं तब यह सरकार कभी-कभी बहुत खुश होती है। और शायद कभी-कभी ये प्राकृतिक विपदाओं को भी हल्के तौर पर लेते हैं क्योंकि इससे लोगों का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हट जाता है। महोदय, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। भारत के युवाओं का क्या

अपराध है? उन्हें किसी दोष के जीविकोपार्जन के किसी स्रोत के बगैर ही समाज पर बोझ बनकर बेरोजगार ही रहना है। उनका दोष यही है कि उन्होंने भारत में कांग्रेस शासन में जन्म लिया है। और क्या किया जा रहा है? आप छंटनी नीति, वी०आर० स्कीम, युक्तिकरण आदि की प्रशंसा कर रहे हैं। किसके लाभ के लिए? क्या इस सरकार का इस देश के युवाओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? ये युवा कार्य करना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वे समाज विरोधी नहीं हैं और न ही उनमें आपकी नई नीति के अन्तर्गत शहीद होने की चाह है। उनके माता-पिता का एक सपना है कि उनके बच्चे बड़े होंगे और एक अच्छी जिन्दगी व्यतीत करेंगे। वे जीविकोपार्जन करेंगे और एक अपने माता-पिता का ध्यान रखेंगे। हर कोई एक महाराजा या केन्द्र सरकार में मंत्री बनना नहीं चाहता है। वे एक सभ्य तरीके से शान्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। क्या यह उनका दोष है यदि वे कोई उन्हें रोजगार नहीं मिलता है?

अब लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने की बात भी त्याग दी गयी है। दो या तीन करोड़ रुपए निवेश किए गए उद्योग की भी लघु उद्योग समझा जा सकता है। यह एक मजाक है। लघु उद्योग को कुछ सहायता देने के नाम पर वह व्यक्ति जो दो या तीन करोड़ रुपए निवेश कर सकता है लाभ उठा लेगा। इनकी धनराशि कितने लोग निवेश कर सकते हैं? हम अनेक लोगों से मिल रहे हैं। अनेक व्यक्ति, अभियंता, तकनीशियन विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमाधारी व्यक्ति हमारे निर्वाचन क्षेत्र और अन्य जगहों से भी हमारे पास आते हैं। उनके पास एक योजना है। वे देश के लिए कुछ लाभ-दायक कार्य करना चाहते हैं। वे देश के लिए संसाधन जुटाना चाहते हैं जिसके लिए वे कुछ ऋण या कुछ अग्रिम राशि की सहायता चाहते हैं। लेकिन कौन उनका ध्यान रख रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा युवा उद्यमियों को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है, उन्होंने किस प्रकार अपनी धनराशि निवेशित की, उन्होंने कितने उद्योग लगाए और किस प्रकार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप यह बात जानते हैं कि अनेक बड़ी इकाइयों के यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी लघु उद्योग की स्थापना की है। अब खुले सहयोग की भी अनुमति दी गयी है। मुझे विश्वास है कि 25 प्रतिशत शेयर खुलेआम दिए जा रहे हैं। पहले यह बिल्कुल ही 'बेनामी' था परन्तु अब वे इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लघु उद्योग के नाम पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं।

मुझे एक बार उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप प्रतिभूति बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उनसे पूछ कर देखिए जो प्रतिभूति दे सकते हैं। वर्षों से हम यहां और बाहर चिल्ला रहे हैं लेकिन वे बढ़ते ही जा रहे हैं। युवा लोग निराश हो रहे हैं। यदि वे तकनीकी शिक्षा का उपयोग ही न कर पाएं तो वे उसे प्राप्त ही क्यों करें। यही कारण है कि यदि वे जा सकते हैं तो वे विदेश जा रहे हैं। यदि संभव हुआ तो वे पहली उड़ान से ही चले जायेंगे। यदि देश किस दिशा में जा रहा है? यह देश किनके फायदे के लिए है? क्या आप भूल सकते हैं कि लोग विद्यालयों, महा-विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से बड़ी-बड़ी आशाएं लेकर निकलते हैं जोकि चकनाचूर हो रही हैं? और यदि उन्हें गलत तरीकों से अपना जीविकोपार्जन करना पड़ा तो आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

इस प्रकार हम यह कह रहे हैं कि चुनावी घोषणापत्र में आशायें बांधना बहुत आसान है परन्तु क्या आपकी नीति द्वारा इस देश के विकास में देश के औद्योगिक आधार को दृढ़ता प्रदान करने में, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने में, आदि में मदद मिली है? ऐसा नहीं है। आज आर्थिक

नीति का एक आधार निजीकरण के वास्तविक उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में अपनियोजन है, जिसे वे खुलकर नहीं कह सकते हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, "नहीं मैं इसका निजिकरण करना नहीं चाहता।" मैं नहीं जानता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है।

ऐसा कहा गया था कि राष्ट्रीय बैंकों, म्युचुअल फंड निकायों तथा बड़े सार्वजनिक निगमों आदि को ये शेयर बेचे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ ? कुछ बैंकों ने इसे खरीदा और शेयर प्राप्त होने से पूर्व ही उन्होंने आम लोगों को इसके मूल्य के बीस गुणा अधिक मूल्य पर बेच दिया। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पैसा प्राप्त ही नहीं हुआ। अब बैंकों को उनकी ईमानदारी दिखाती है। अब दायित्व बदल गया है तथा संयुक्त संसदीय समिति घण्टों इस पर विचार कर रही है। मुझे यह बताया गया है कि इस घोटाले के आकार के कारण उन्हें और चार महीने लगेंगे।

श्री थुंगन जी, यह उनसे यही सहयोग प्राप्त हुआ था। भारत को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। हमने 'गिनीज बुक आफ रिकार्ड्स' में विश्व के किसी भी देश में होने वाले सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की घटना के कारण अपना नाम स्थायी रूप से दर्ज करा लिया है। यही हमारी उपलब्धि है। हम जानते हैं कि ओलमपिक में हमारा प्रदर्शन क्या रहता है और हमने यह उपलब्धि हासिल कर ली है।

महोदय, हमारा आरोप यह है कि जब इरादा अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का था तो एक गाने के लिए भी शेयर जारी करते थे। इनकी प्रथम बिक्री में जान बूझ कर जनता को छोड़ दिया गया था। ऐसा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हमने जानकीरमण समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने सरकारी आदेश का उल्लंघन करके ऐसा किया था। 'पोर्टफोलियो' निवेश के अन्तर्गत की एक व्यवस्था भी जिसमें शेयर का एक हिस्सा बेचा जाना था। लेकिन, उन्हें किसी प्राधिकार के बिना, स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए बिना ही बेच दिया गया।

महोदय, जहां तक बिक्री के दूसरे 'ग्रुप' का संबंध है, उन्होंने कहा कि वे अब चाहते हैं कि आम लोग इसमें भाग लें। सरकार ने यही कहा था। उन्होंने क्या शर्तें निर्धारित की थीं ? उन्होंने कहा कि कम-से-कम बोली 2 5 करोड़ रुपये की हो। केवल आपके विशेष मित्र ही ऐसा कर सकते हैं।

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग ओर सरकारी उपक्रम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : इसमें कमी कर दी गयी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : थुंगन जी, केवल आपके विशिष्ट और प्रिय मित्र ही यह धनराशि दे सकते हैं, साधारण लोग नहीं। उनके मुताबिक 2 5 करोड़ रुपए साधारण लोगों के लिए हैं जिसे निवेशक अदा नहीं कर सकते।

हमें बताया गया है कि व्यवस्था विफल रही है—कम-से-कम अंग्रेजी भाषा में अनेक त्रुटियां और बचाव के तरीके दिए गए हैं। उन्होंने 'व्यवस्था विफलता' जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग किया है। धनराशि के दुरुपयोग हेतु कहा गया है कि यह व्यवस्था की विफलता है।

महोदय, मुझे आशा है कि संयुक्त संसदीय समिति सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के कुछ चुने हुए लाभार्थियों के पक्ष में जानबूझ कर किए जा रहे हैं इस प्रयास का मैं विरोध करता हूं। उन्हें कुछ विशेष लाभ देने की योजना है क्योंकि केवल उन्हीं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के शेयर बेचे जाएंगे जो लाभ में चल रहे हैं। कितने प्रतिशत शेयर बेचे जाएंगे ? अगर ये लोग कुल शेयरों पर नियंत्रण करने में सफल हो गए तो सरकारी क्षेत्र का स्वरूप और दर्जा ही समाप्त हो

जाएगा। कुछ दिन पूर्व क्या प्रयास किए जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या वह प्रयास अब छोड़ दिया गया है। बी०एच०ई०एल० के शेयर और पूरी कम्पनी हो एक विदेशी कम्पनी अधिग्रहीत करने वाली थी। हमें ऐसे उद्योगों पर गर्व था। आजादी के बाद जब कोई भी भारतीय उद्योगों में निवेश नहीं कर रहा था तब इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारण हमने कोयला, इस्पात, तेल, प्राकृतिक गैस, जहाजरानी इत्यादि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इन क्षेत्रों में निवेश हेतु कोई भी विदेशी निवेशक, बहुराष्ट्रीय कम्पनी, भारतीय उद्योगपति आगे नहीं आए। हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारण ऐसा कर सके हैं। इसके योगदान को पूर्णतया भुला दिया गया है क्योंकि यह सरकार स्वयं ही बिकी हुई है; उन्होंने इस देश को बेच दिया है और हमें बताया गया है कि अब हम भुगतान संतुलन के मामले में अच्छी स्थिति में हैं। हम इस बारे में अच्छी स्थिति में कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा निर्यात बढ़ने के करण हुआ है? निर्यात में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय इससे इन्कार करें। मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं कहता हूं कि इस थोक मूल्य सूचकांक में गड़बड़ी की गई है। यह मेरा आरोप है। इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों से लोगों को यह बताने के लिए कि मूल्य कम हुए हैं इस प्रकार की गड़बड़ी की गई है। वह खुदरा मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इत्यादि पर ऐसा नहीं कह पा रहे। मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। नौकरी या रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। भारतीय उद्योग का विस्तार नहीं हो रहा। कृषि क्षेत्र में स्थिरता है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता है। लघु उद्योग पहले संतोषजनक तरीके से बढ़ रहे थे लेकिन इस सरकार की नीतियों के कारण उनके विकास में भी गतिरोध आया है।

आप यह पता लगाने में बहुत व्यस्त हैं कि आप कब पूर्ण परिवर्तनीयता लाएंगे। लेकिन जब तक हम पूर्ण परिवर्तनीयता लाएंगे और वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य मालिकों से शाबाशी लेंगे तब तक तो देश औद्योगिक रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर विदेशी निवेशक यहां आए तो हमारा उनके तथा बड़े एकाधिकार घरानों द्वारा शोषण के लिए उपयोग होगा।

इसलिए हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर अंधाधुंध तरीके से उन लोगों, निकायों या संगठनों को बेचने पर आपत्ति है जो दिल से इस देश का हित नहीं चाहते। विदेशियों का हित तो आय में, आय की दर या मात्रा में ही हो सकता है। साधारण लोगों को शेयर खरीदने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा। अगर मैं शेयर खरीदना चाहूं तो मैं इन बड़े उपक्रमों में से किसी के भी 10 शेयर भी नहीं खरीद सकता। वे कम से 2.5 करोड़ रुपए की न्यूनतम बोली के शेयर बेच रहे हैं; उनकी पुनः बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इस सरकार की यह राष्ट्र विरोधी कार्यवाही है। मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि यह सरकार आने वाले हालात को समझे। मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष में मेरे कई मित्र यह महसूस कर रहे हैं उन्हें जो कुछ हुआ है उस पर उन्हें क्षोभ है। यह देश किस दिशा में जा रहा है? इस देश को कौन चला रहा है?

जब हमने यह मामला उठाया तो प्रधान मंत्री ने कहा, हां मैं इस पर चर्चा के लिए तैयार हूं। इसे किसी भी तरह कीजिए। कुछ दिन पूर्व बोट क्लब पर दस लाख से भी अधिक श्रमिक एकत्र हुए थे। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि क्या आप उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे हैं या क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी कुछ कहना है? वे यहां पर क्या एकत्र हुए हैं? क्या वे यहां पर आमोद-प्रमोद करने आए हैं? पूरे देश भर से दस लाख से भी अधिक श्रमिक थे। निःसन्देह हमें यह अपेक्षा नहीं है कि

मंत्री महोदय वहां जाएं और उन्हें सम्बोधित करें, लेकिन, कम से कम वह उनके प्रतिनिधियों से तो मिलें। उनकी क्या भावनाएं हैं ? केन्द्रीय मजदूर संघों से परामर्श किए बिना ही महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जा रही हैं। वे निजीकरण में व्यस्त हैं; वे बन्द करने में, निकास नीति लागू करने में व्यस्त हैं।

हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष उन्हें पुनः प्रशिक्षण देगा और पुनः नौकरी देगा। पी०के० थुंगन जी, आप हमें बताएं कि कितने लोगों को पुनः लगाया गया या पुनः प्रशिक्षण दिया गया है और किस क्षेत्र में ? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक इलैक्ट्रानिक फैक्ट्री में कार्यरत है। हम बी०एच०ई०एल० लेते हैं। आप उस व्यक्ति को किस क्षेत्र के लिए पुनः प्रशिक्षण दे रहे हैं ? क्या आप इस व्यक्ति को पुनः प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी देंगे ?

श्री पी०के० थुंगन : यह रुग्ण नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बी०एच०ई०एल० रुग्ण नहीं है। बहुत दुख हुआ। बहुत अफसोस है कि बी०एच०ई०एल० अभी रुग्ण नहीं है। हमने यह रुग्णता देखी है। हम प्रधानमंत्री से मिले। हमें बताया गया कि हमारे प्रिय मित्र श्री पी०ए० संगमा हमारे साथ बैठेंगे और इकाई-वार चर्चा करेंगे। फिर, हम पाते हैं कि कानून बदल गया है। इन सबको एकमुश्त बी०आई०एफ०आर० के पास भेज दिया गया। फिर बन्द करने की सिफारिशें आईं और इकाइ-वार समीक्षा समाप्त हो गई; इसे छोड़ दिया गया। अब वित्त मंत्री कहते हैं कि बजट में से किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा।

मजदूरी नहीं दी जा रही, वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनको चलाने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए भी कोई धनराशि नहीं है। राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम सबसे बड़ा उपक्रम था। उन्हें नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिल रही है। वहां कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि पटसन के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु कोई धनराशि नहीं है। अनेक उपक्रमों, सरकारी उपक्रमों में वेतन नहीं दिया जा रहा। तब क्या उद्देश्य है ? क्या आप चाहते हैं कि ये उपक्रम समाप्त हो जाएं ? क्या आप चाहते हैं कि लाभकारी उपक्रमों का हस्तांतरण हो जाए ? कोई भी व्यक्ति गैर लाभकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर नहीं खरीदेगा।

वे लाभकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर खरीदेंगे और आप इस प्रक्रिया द्वारा यह चाहते है कि बी०आई०एफ०आर० या अन्य तरीकों से ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम समाप्त हो जाएं। ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए। इसके बाद आप अन्य लाभकारी कम्पनियों के शेयर विदेशियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सस्ते में देना चाहते हैं।

हम इस पर आपत्ति करते रहेंगे। इस देश में श्रमजीवी वर्ग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं यहां पर अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि वे आग से खेल रहे हैं। अगर वे इसे जारी रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस नीति के खिलाफ सभा के अन्दर और बाहर, फैक्ट्रियों के अन्दर और बाहर तथा देश की गलियों में भी लड़ेंगे। इस देश के श्रमजीवी वर्ग और आमलोग जो इस देश का हित चाहते हैं। तब तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार इसे समझ न जाए और अपनी राष्ट्र विरोधी नीति को बदल दे।

मैं उन पर राष्ट्र-विरोधी गतितिधियों का आरोप पुनः लगाता हूं। यह खतरनाक है। उन्हें इसे रोकना चाहिए। वे इस मामले पर उचित चर्चा करें और प्रत्येक को विश्वास में लें। जहां तक देश का संबंध है, वे इस नीति को लाएं और इन खतरनाक नीतियों को जारी रखें उससे पहले संसद को विश्वास में लें।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में देश की जो पूंजी लगी है, उस पर जितना रिटर्न मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, प्राइवेट सैक्टर की तुलना में वह लाभ बहुत कम है और अधिकतर अंडरटेकिंग्स हानि देने वाली हैं। इस कारण हमारी पार्टी ऐसा महसूस करती है कि जो पब्लिक सैक्टर यूनिटस ठीक नहीं चल रहे हैं, उनमें सुधार लाने की दृष्टि से, उनका प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके चलाया जाए ताकि कुछ लाभ मिले, हमें उस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन आज तक समाचारपत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली हैं और जैसे अभी मुझसे पूर्व, माननीय सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि जितने घाटे में चलने वाले यूनिटस सरकार के पास हैं, या तो वे बंद हो रहे हैं और जो लाभप्रद हैं, जिनमें लाभ मिल सकता था, उनके शेयर सरकार बेचती जा रही है। सचाचारपत्रों में ऐसे कुछ यूनिटस के नाम भी दिये गए हैं। जो शेयर 750 करोड़ रुपये में बिक सकते थे, आपने उनको 250 करोड़ रुपये में बेच दिया और साधारण नागरिकों को उनके शेयर लेने से वंचित रखा। यदि आप ढाई करोड़ की कम से कम राशि सीमा निश्चित करके शेयर बेचना चाहते हैं तो कौन लोग उन शेयरों को खरीदेंगे, कौन लोग मार्केट में आएंगे, इसका अन्दाजा आप, अपने आप लगा सकते हैं।

वास्तव में सरकार ने अपनी आर्थिक नीति को स्वदेशी और स्वावलम्बन की भावना देनी चाहिए थी। भारतवर्ष की समस्याओं का हल भारत की भूमि पर, भारत के लोगों को ही ढूंढ़ना है, इस बात को भूल कर, विदेशी ऋणों की ओर झुक कर, और फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या विश्व-बैंक आपको कुछ कहे, उसके अनुसार ही आप कहें कि हम इन यूनिट्स के शेयरों को बेचना चाहते हैं, इसी कारण से यह सारा उलझाव आया है। उनके कहने पर अगर आपने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का धन कम करना था, उनके शेयर बेचने थे तो उन अंडरटेकिंग्स के घाटे में जाने के कौन से मुख्य कारण थे, उनके बारे में भी तो खोज होनी चाहिये थी। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि अधिकतर पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स इस कारण घाटे में गए जहां पर आपने या तो हारे हुए राजनीतिज्ञों को चेयरमैन बनाया या ऐसे ब्यूरोक्रेटस को उनमें भेजा जो केवल लाभ उठाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए वहां गये, जब ऐसे लोगों को आपने चेयरमैन बना दिया··· (**व्यवधान**)

कहिये, क्या कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : कुछ नहीं।

प्रो० प्रेम कुमल : आप अर्जुन सिंह जी की तरफ से बोल रहे हैं या नरसिंह राव जी की तरफ से।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने कहा कि आप किस लाइन पर बोल रहे हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : जिस लाइन पर आप सुन रहे हैं। (**व्यवधान**)

आपकी तरफ दो लाइनें हो गई हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय, जहां मैनेजमेंट में सुधार करने की आवश्यकता थी, वह प्रयत्न नहीं किया गया। जो दक्षता किसी उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक होती है, उस प्रकार के व्यक्तियों की

नियुक्ति की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब प्रमुख स्थानों पर नियुक्तियां की गई तो इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया। जब एक ही प्रकार के उद्योग को अगर निजी व्यक्ति मुनाफे में चला रहा है, तो सरकार के उसी उद्योग में घाटा होने का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है, किन्तु सरकार ने उस उद्योग में के प्रबन्धन में कुशल और दक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति प्रमुख स्थानों पर नहीं की बल्कि ऐसे लोगों की नियुक्तियां की गईं जिन्होंने न तो अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति समझी और न उद्योगों तथा सरकार के प्रति। सरकार ने प्रमुख स्थानों पर नियुक्तियों में राजनीतिक दृष्टि अथवा इसको यों कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का सहारा लिया जैसाकि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है।

सभापति महोदय, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, जो भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में एक अच्छा उद्योग था जिसको देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से माल सप्लाई करने के आर्डर मिल रहे थे, उसकी हालत आज सरकार की नीतियों के चलते ऐसी हो गई है कि विदेशी लोग तो क्या देश के लोग और सरकार भी अब उसे आर्डर देने और माल लेने में कतराती है। यह चर्चा भी सुनने में आ रही है कि उसके शेयर भी बेचने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस सम्बन्ध में पूछना यह है कि आखिर विदेशी ऋण, विदेशी सहायता और विदेशी सहयोग से आप इस देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, अभी सुनने में आया कि सरकार का एक राज्य मंत्री कलकत्ता में जाता है और वहां घोषणा करता है कि 3 करोड़ रुपये की लागत वाले उद्योग को लघु उद्योगों की श्रेणी में गिना जाएगा और उसको लघु उद्योग की सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरा इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन यह है कि जो गरीब नौजवान बेरोजगार है और अपना उद्योग कुछ हजार या एक लाख रुपये से शुरू करने वाला है, उसके उद्योग को लघु उद्योग की सीमा में रखा जाता है, तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन करोड़पति आसामी, जो पहले से ही करोड़पति है, जिसके पहले से ही उद्योग चल रहे हैं, वही इस स्थिति में होगा, जो 3 करोड़ रुपये की लागत का उद्योग लगाएगा, और उसको भी यदि लघु उद्योग की सुविधाएं दी जाएंगी, तो वह बेचारा गरीब नौजवान, जो बेरोजगार है, वह बड़े उद्योग की तुलना में क्या टिक पाएगा और कैसे मुकाबला कर पाएगा ? बल्कि होगा यह कि गरीब और बेरोजगारों को जो सुविधा लघु उद्योग के रूप में मिलनी थी वह सुविधा अब इन करोड़पतियों को लघु उद्योग के नाम पर मिल जाएगी और वह गरीब बेचारा नौजवान देखता ही रह जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यह पार्टी अपने चुनाव घोषणापत्र में जनता से यह वादा करके कि हर वर्ष हम एक करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, सरकार में आई है और जिन नीतियों को आप अपना रहे हैं, उन नीतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार तो पैदा नहीं होगा, बल्कि जो छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं और उन में जो लोग काम कर रहे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि इन सारी नीतियों पर, फिर से विचार कीजिए और जहां दूसरे के धन की, सहायता की और निजीकरण की आवश्यकता है, वहां तो आप उन उद्योगों को निजी क्षेत्र में निजी लोगों कोइन्वेरट करने दीजिए, लेकिन जो अच्छे उद्योग चल रहे हैं, जो आपको मुनाफा कमा कर दे रहे हैं, उनको आप मत बेचिए। यदि आप उन उद्योगों को बेच देंगे, तो जो सिक यूनिट हैं, जैसाकि आज प्रश्नकाल में भी जवाब दिया गया कि 5-6 यूनिट्स को बन्द कर दिया गया है और यूनिटों को बन्द करने वाले हैं क्योंकि उनको आप चला ही नहीं सकते, तो ऐसे यूनिटों को आप निजी लोगों को दें या उनमें विशेषज्ञों की सलाह लें जिससे वे यूनिट चलें, देश को लाभ हो, यूनिट के लोगों को लाभ होगा, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय, यह सरकार तो बजाय बीमार उद्योगों को निजी लोगों के हाथ में देने के, जो अच्छे उद्योग चल रहे हैं जिनसे देश को लाभ हो रहा है, जो मुनाफे में चल रहे हैं उनके शेयर बेचकर, उनका निजीकरण करके एक बड़ी विचित्र स्थिति देश में पैदा कर रही है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और देश अवनति की तरफ जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां सिलैक्टिव एप्रोच की आवश्यकता है। आप उन उद्योगों को चुनें और जहां और जिन उद्योगों को सहायता देने की आवश्यकता है, उनको सहायता दें और जो अच्छे चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए।

सभापति महोदय, जो मुख्य उद्योग हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग दिया है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ने में सहयोग दिया है और जिनमें प्रारम्भ में कोई भी इन्वेस्टर इन्वैस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, तब इनको सरकार के हाथ में दिया गया और लोक उपक्रम के रूप में चलाया गया, तो अब इन उद्योगों का निजीकरण करना कतई उचित नहीं है। इन बातों को सरकार को नहीं भूलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, इस विषय पर अनेक वक्ता हैं। क्या मैं प्रस्ताव कर सकता हूं कि इस संकल्प के लिए अवधि दो घंटे और बढ़ा दी जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : इसका समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है। श्री मोहन सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव इसी सदन के सामने गैर-सरकारी प्रस्ताव की शक्ल में रखा है। भारत सरकार की जो नई नीति चल रही है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी निवेश को बन्द करने या हतोत्साहित करने की, उसकी हम तीव्र शब्दों में भर्त्सना करना चाहते हैं। भारत में आजादी के तत्काल बाद 1956 की औद्योगिक नीति निर्धारित की गई। कांग्रेस के अवाडी सम्मेलन के बाद जब लोकतांत्रिक समाजवाद का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उस समय नई आजाद भारत की औद्योगिक नीति का संकल्प इसी सदन में पास हुआ था। उसके तहत जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लोग पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं थे, बहुत ही उचित ढंग से भारत सरकार ने पूंजी विनियोजन का कार्य उसमें प्रारम्भ किया। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के बड़े इस्पात कारखाने इसी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किए गए और एक नया प्रयोग लोकतन्त्र में भी अर्थ के ऊपर, आर्थिक तन्त्र के ऊपर, सोशल कंट्रोल या कंट्रोल्ड इकोनोमी जिसको कहते हैं, दुनिया के पैमाने पर शुरू किया गया।

1959 में स्वतन्त्र पार्टी नाम से एक पार्टी स्थापित हुई थी जिसका लक्ष्य इस देश में स्वतन्त्र व्यापार था, जिसका उद्देश्य था कि यहां के टाटा और बिरला को रेलवे दे दिया जाना चाहिए, भिलाई

और दुर्गापुर का कारखाना दे दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्रों में ही सब कुछ होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं। स्वर्गीय राजगोपालाचारी की आत्मा जहां कहीं भी होगी श्री नरसिंह राव को आशीर्वाद दे रही होगी कि जवाहरलालजी की बंशावली में नहीं लेकिन हमारी वंशावली में एक नया प्रधानमन्त्री हुआ जो हमारी सारी विचारधारा को, जिसको हम पूरा करना चाहते थे, नहीं कर पाए, कर रहा है।

मैं अपने मित्र और नेता, जिनकी परवरिश समाजवादी आन्दोलन में हुई है, जिनमें श्री कल्पनाथ राय जी भी हैं और यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़कर कहा कि श्रीमन्, आपकी सारी आज्ञाओं का पालन हमारे विभाग ने कर दिया और जो दिशा-निर्देश और नीति-निर्धारण आपने हमको बताया उसको पूरा-पूरा हूबहू हमने लागू कर दिया है, ऐसा समाचारपत्रों में पढ़ने को मिला है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी हो तो बताइए, उसे आगे भी हम पूरा करने को तैयार हैं।··· **(व्यवधान)**

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं अपने मित्र श्री मोहन सिंह को कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने यह कहा कि जो विश्व बैंक ने कंडीशैंनीलीटीज रखी है वह कंडीशैंनीलीटीज तो हमारी होनी चाहिएं। उनका क्या है जो कंडीशैंनीलीटीज की बात कर रहे हैं। जैसे वे कहते हैं कि उन स्टेट्स में और प्लांट नहीं लगेगा जो घाटे में हैं। यह तो हमारी कंडीशैंनीलीटीज है कि जो घाटे में होंगे वहां पर हम नया प्रोजेक्ट नहीं लगायेंगे। इसको अगर कोई अखबार उल्टा छापे तो आप ऐसा मत मानिए। हम आपके विचारों से सहमत हैं।

श्री मोहन सिंह : धन्यवाद। मैंने इसी सफाई के लिए इस बात को छेड़ा क्योंकि मुझे अन्दर से विश्वास था कि आप जैसे समाजवादी व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष से ऐसी बात कह ही नहीं सकते। समाचारों ने उसको मिसकोट कर दिया। आपने इसकी सफाई दे दी इससे आपके व्यक्तित्व की रक्षा हो गई।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती मार्गरेट थेचर ने एक नया सिद्धान्त दुनिया में, खासतौर से ब्रिटेन में प्रतिपादित किया। उनके सिद्धान्त का ही मानक बनाकर विश्व बैंक ने समूची दुनिया में उसको फैलाया। लेकिन आज ब्रिटेन की स्थिति क्या हो रही है। अभी वहां के ट्रेजरी के चांसलर लैमंट ने प्री-ऑटम डिक्लेरेशन किया और उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की वर्कफोर्स का ग्यारह फीसदी आज बेकार हो गया। चार फीसदी मुद्रास्फीति उनके देश में हो गई। जिस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, श्रीमती थैचर के इस सिद्धांत के आने के बाद, वहां का अर्थतंत्र इतना चरमरा गया कि सारे कल-कारखाने उनके बंद हो रहे हैं। अभी ब्रिटिश कन्फडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स की जो कान्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास करके कहा है कि ब्रिटेन की सरकार वेज फ्रीज करे वरना हम अपने कारखाने चलाने की स्थिति में नहीं हैं। आज यूरोपियन कामन मार्किट के देश ब्रिटेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्रिटेन के साझा बाजार के जो विकास के मद हैं, उसका अकेले ब्रिटेन 40 फीसदी खर्च करता चला जा रहा है। यह ब्रिटेन के ऊपर यूरोपीय साझा बाजार के अन्य देशों का आरोप है। स्वयं ब्रिटेन अपने आर्थिक जंजाल में श्रीमती थैचर की नीतियों के चलते इतना फंस गया है कि उसका आर्थिक विकास निरन्तर रुकता जा रहा है। 30 लाख लोग वहां आज बेकार हैं। नवम्बर में ब्रिटेन की सरकार के लेबर विभाग की घोषित नीति और घोषित आंकड़ों में इन सबका उल्लेख है। स्वयं जो देश अपनी नीतियों से परेशान होकर अपने ही दबाव में मारा जा रहा है, उसके बारे में सारे देश स्वीकार कर लें और खासतौर से ऐसे देश जो अभी औद्योगिक दृष्टि से

विकासमान है, जहां विकास की अधिकतम सम्भावनायें हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत उचित दृष्टि नहीं है। ब्रिटेन की अपने देश में जो सारी योजनायें थीं, सामाजिक सुरक्षा की, अनएम्पलायमेंट डोल वहां पर था, सोशल सिक्योरिटी डोल था, बुजुर्ग लोगों को मिलने वाली सहायता थी, ये सारी उपनिवेशिक लूट के आधार पर स्थापित चीजें थीं। धीरे-धीरे जब उनका उपनिवेशवाद खत्म हो गया तो एक नई विचारधारा दुनिया में पल्लवित हो रही थी कि अब सेना के जरिये, दुनिया के किसी देश पर कब्जा करना, वहां राज स्थापित करना और उसको लूटना असम्भव हो रहा है, इसलिए एक आर्थिक उपनिवेश कायम करके नई नीति का प्रतिस्थापन दुनिया के समृद्ध देश कर रहे हैं। लेकिन हमारी विडम्बना क्या है, आज बुश की सरकार बदल गई। उसके पीछे कारण थे। अमेरिका में बढ़ता हुआ आर्थिक दवाव और तनाव। इस देश में भी इनफ्लेशन बढ़ रहा है। ब्रिटेन में चार परसेंट है और उनके यहां साढ़े तीन परसेंट। उनके लिए शायद तीन परसेंट काफी है और हमारे देश में 11 परसेंट से 9 परसेंट हो जाता है तो वित्त मंत्री कहते हैं कि सिंगल डिजिट में इनफ्लेशन हो गया। दुनिया के बहुत से देश, इटली को छोड़कर, एक और छोटे से देश को छोड़ कर, किसी भी देश में सिंगल डिजिट से नीचे 4 परसेंट तीन परसेंट इनफ्लेशन होने पर वहां की जनता सरकारें गिरा देती हैं और हमारे यहां 11 से 9 हो जाता है तो सरकार कहती है कि हमारी औद्योगिक और आर्थिक नीतियां खराब नहीं हैं, हमने अपने देश में इनफ्लेशन को साढ़े नौ फीसदी कर दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता है। भारत दुनिया से उधार लिए हुए आर्थिक तंत्र के ऊपर कभी तरक्की नहीं कर सकता है, अपने देश के नौजवानों को कभी रोजगार मुहैय्या नहीं कर सकता है। आयातित विचारधारा के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर इस देश के विकास की बात को सोचना चाहिए।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने की बात सरकार करती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार के विचार शुभ नहीं हैं क्योंकि सरकार ने स्वयं ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लाने का काम किया जो पहले से ही बीमार थे। नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की मिलें कौन सी हैं। 80-85 साल पहले निजी क्षेत्र में चलने वाली कताई की मिलें जब स्वयं बीमार थीं, उद्योगपति उनको चलाने की स्थिति में नहीं थे, उसमें नया आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं चलाया था, उनकी सारी मशीनें पुरानी थीं, उनको सरकार ने लिया। सामाजिक उद्देश्य सरकारों का होता है। एक तरफ सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का काम देश में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने का होता है। वहां दूसरी तरफ जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है, इस देश के नौजवानों को रोजगार देना और सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देना, उस योगदान को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने इस देश में सबसे अधिक दिया है। सामाजिक परिवर्तन की इस देश को आवश्यकता थी। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने सबसे बड़ा योगदान किया। लेकिन आपने 80-85 साल पुरानी मिलों को सरकार के हाथ में लिया। चीनी मिलों को सरकार के हाथ में लिया। पुराने उद्योगपतियों की मिलें थीं, 1905 की बनी हुई मिल सरकार ने अपने हाथ में ली 1965 में और उसमें कोई नया कार्यक्रम किए बिना सरकार स्वयं आलोचना करती है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तो पतित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, इनमें उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बीमार हैं इसलिए अब इसको हम नये क्षेत्र में करेंगे। डीइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया। डीइन्वेस्टमेंट का मतलब इन्होंने बताया कि 20 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक पूंजी निवेश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में से हम कम कर देंगे, निजी हाथों में दे देंगे, यह सार्वजनिक प्रतिष्ठान अपने आप ही बन्द हो जायेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, रेल हमारे देश का प्रतिष्ठान है, उसकी कितनी प्रतिष्ठा थी। हमारे देश की रेलवे ने छोटे-छोटे देशों में जाकर

रेल का विस्तार करने का काम किया। हमारे देश के सेतु निर्माण निगम ने, निर्माण निगम ने सारे अरब देशों में जाकर अच्छे से अच्छे सेतु और अच्छे से अच्छे भवन बनाने का काम किया, उस पर उन देशों के लोगों ने उन्हें पुरस्कृत किया लेकिन आप यहां बैठकर केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कोसते हैं और भला बुरा कहने का काम करते हैं, यह शोभनीय बात नहीं है।

एच०एम०टी० का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, अभी तीन दिन पहले, थुंगन साहब यहां बैठे हैं, इन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एच०एम०टी० की बनी हुई घड़ी भेंट की और उसे दूरदर्शन में दिखला रहे हैं। अच्छा काम एच०एम०टी० करे तो उसको दूरदर्शन में दिखलाते हैं लेकिन फिर जब उसको पूंजी देकर उसके विस्तार की बात आती है, अभी बजट में इन्होंने प्रावधान किया, एन०टी०सी० की मिलों का। हमने अपने बजट में इस बात का प्रावधान किया कि नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन के लिए 26.50 करोड़ रुपये इस बजट में दिए जायेंगे लेकिन अभी तक केवल 2.30 करोड़ रुपया इन्होंने 6-7 महीने में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन को दिए हैं। आपने फैसला किया, हमने बजट में आपको अधिकार दिया, जूट कारपोरेशन के लिए। उस 48 करोड़ रुपये का जिससे जितनी हमारी जूट मिलें हैं, बीमार होकर जो बर्बाद हो रही हैं, हजारों मजदूर सड़कों पर आने वाले हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 48 करोड़ रुपया इस वार्षिक बजट में इस सदन ने इस सरकार को दिया लेकिन अभी तक 8 महीनों में इन मिलों के उद्धार के लिए, जार्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए एक नया पैसा भी वित्त मंत्रालय ने जूट कारपोरेशन को नहीं दिया है, यह मेरा कहना है।

इसी तरह 54 करोड़ रुपया नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की मिलों का आधुनिककीकरण करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि जो 80 हजार से अधिक नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी जिन्दगी अरक्षित न हो, इन मिलों का आधुनिकीकरण हो, इसके लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है लेकिन आज की तारीख में एक नया पैसा भी वित्त मंत्रालय ने इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए इस सदन से पूरा विश्वास लेने और प्राप्त करने के बावजूद भी देने का काम नहीं किया। 6 और 8 महीने में कानपुर की नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की 6 मिलें बन्द हैं, केवल वेतन देने का काम हो रहा है लेकिन उन मिलों को चलाने के लिए वित्तीय समर्थन देने के नाम पर वित्त मंत्रालय और भारत सरकार ने बजट में हमसे पैसा लिया, उस पैसे को भी नहीं दिया।

गोरखपुर फर्टिलाइजर कारपोरेशन की यूनिट, गोरखपुर का खाद का कारखाना बन्द है और पिछले दो साल से बन्द है। पूरा उत्पादन बन्द है, 50 लाख रुपया माहवार केवल वेतन में दिया जा रहा है, दो वर्ष से लेकिन उसका उत्पादन फिर से शुरू हो जाए, इसके लिए वित्तीय समर्थन देने की आवश्यकता है, वित्त मंत्रालय उसको देने को तैयार नहीं है। हमारे तमाम कारखाने केवल वित्तीय समर्थन के अभाव में हैं, इस सदन से मिले हुए पैसे को भी भारत सरकार और वित्त मंत्रालय इन कारखानों को देने को तैयार नहीं हैं और ये कारखाने आज बन्द होने की स्थिति में हो गए हैं, उत्पादन ठप्प हो रहा है, इस देश का। सोमनाथ चटर्जी जी ने ठीक कहा कि निर्यात भी बन्द हो रहा है, 30 फीसदी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चाय का निर्यात इस देश में कम हो गया, इस्पात का निर्यात बन्द हो गया, स्टील का निर्यात कम होता चला जा रहा है। लैदर गुड्स का निर्यात 22 फीसदी कम

हुआ है, इस साल, राज्य सभा में वाणिज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि 148 ऐसे लाइसेंस होल्डर, जिनको लाइसेंस दिए गए थे इस बात के लिए कि वह निर्यात करें दुनिया के बाजार में निर्यात के लिए उन्हें कोई देश नहीं मिल रहा है इसलिए वह कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर वाणिज्य मंत्रालय विचार कर रहा है। आपका निर्यात निरन्तर बन्द हो रहा है।

आपने सोचा था कि बाहर की पूंजी लायेंगे, हम दुनिया के लिए दरवाजे खोल देंगे, बाहर के लोग आयेंगे, यहां कारखाने खोलेंगे। काफी तामझाम के साथ उड़ीसा के हमारे ही मुख्य मंत्री ने एक इस्पात कारखाने का शिलान्यास एक बहुत स्वनामधन्य स्वराज पाल जी, एन०आर०आई० से करवाया। उनका नाम रह रहकर आता है। हिन्दुस्तान में 5-7 साल के बाद जो भी सरकार आती है, उसके मन पर उनका एक विशेष प्रभाव पैदा होता है और उनको बुलाकर यहां शिलान्यास कराया जाता है। उसका शिलान्यास कराने के बाद 4 महीने हो गए, एक नए पैसे की भी पूंजी उस इस्पात के कारखाने को लगाने के लिए नहीं लगी। उड़ीसा के गरीब किसानों की जमीन लेकर उड़ीसा सरकार ने मुहैया कराई और वह कारखाना लगाने की स्थिति में नहीं है, यहां लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हालत दुनियां के पैमाने पर कमजोर हो रही है।

स्वयं अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन मोहताज है और ब्रिटेन में अभी जाकर रूस के राष्ट्रपति येल्तसिन अपने देश का विकास योजनाओं के लिए उससे पैसा मांग रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार उन्हें देने की स्थिति में नहीं है। वहां के स्टॉक एक्सचेंज में स्वयं येल्तसिन गए और उन्होंने कहा कि हमारे देश में आजकल कंगाली की स्थिति है, आप लोग हमारे देश में आकर कलकारखाने लगाइए। वहां के स्टॉक एक्सचेंज के उद्योगपतियों ने उनको साफ तौर पर कहा कि हम अपने ही देश में अपने उद्योगों को चलाने की स्थिति में नहीं हैं, आपके देश में आकर हम अपने उद्योग और कारखाने लगाने के लिए कतई तैयार नहीं हैं अभी स्थिति क्या है ? ब्रिटेन अमेरिका से भीख मांग रहा है, रूस ब्रिटेन से भीख मांग रहा है और हिन्दुस्तान उस रूस से भीख मांग रहा है। 2500 करोड़ रुपये का अभी भारत सरकार ने रूस से अनुबन्ध किया है, वहां से आणविक और आयुध सामग्रियां मंगाने के लिए। दुनिया के दरिद्र देशों में भी और दुनिया के भिखमंगों में भी भिखमंगों की गिनती हमारे देश की होती चली जा रही है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने लाल किले पर से बहुत अच्छी बात कही, 15 अगस्त को कहा कि दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। किस बात की तारीफ कर रही है, आपके यहां औद्योगिक तरक्की हो गई, इस बात की नहीं, आपके यहां आर्थिक विकास हो गया, इस बात की नहीं, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि हिन्दुस्तान ही एक ऐसा भिखमंगा देश है जो कर्ज लेने के बाद समय से अदा कर रहा है। क्या हमारे देश के लिए कोई प्रशंसा की बात है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि अपने देश के अर्थ तंत्र को सही ढंग से सुधारना है तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने की नीति और जो भावना है, इसको छोड़ना होगा और इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत और पुख्ता बनाना होगा तभी हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन का काम, आर्थिक तरक्की का काम और इस देश में जो बेकारी फैल रही है, उसको रोकने का काम कर सकेंगे।

इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि अपने डेढ़ वर्ष के अनुभव के बाद अपनी इस नीति में परिवर्तन का कोई संकेत दे तभी मैं समझता हूं कि इस बहस का और इस सम्पूर्ण तर्क वितर्क का एक अर्थ निकलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया।

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस गैर-सरकारी बिल का समर्थन करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी योजनाएं बनाई गई, यह योजनाएं बनने के बाद भारत सरकार के मंत्रियों ने बहुत जगह पर शिलान्यास किये, आम जनता में रुपए की घोषणा की कि इतने रुपए का मैं बिजली का पावर हाउस बनवाऊंगा लेकिन मैं देखता हूं कि इस देश में पता नहीं कितनी जगहों पर शिलान्यास हुआ लेकिन आज तक उसमें रुपया खर्च नहीं हुआ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार के मंत्री के द्वारा 4,85,35,000 रुपये का बिजली का पावर ग्रिड बैठाने का एलान किया, शिलान्यास भी किया, 6 लाख रुपया भी गया लेकिन और कुछ नहीं हुआ। आज तक मैंने कई बार 377 दिया, भारत सरकार से कई बार इस बात के लिए पत्राचार भी किया लेकिन आज तक भारत सरकार 4 करोड़ 85 लाख 35 हजार रुपया नहीं भेज रही है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत सरकार के पास रुपया नहीं है, भारत सरकार के पास रुपया है लेकिन भारत सरकार का रुपया बिजली का पावर हाउस बनवाने के लिए नहीं है। भारत सरकार का रुपया बेकार नौजवानों को काम देने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं है। भारत सरकार का रुपया खाद पैदा करने वाली फैक्ट्री को चलाने के लिए नहीं है। मैं समझता हूं, भारत सरकार का रुपया उन लोगों के लिए है, जो लोग उससे अपना व्यक्तिगत व्यापार करते हैं।

4.00 म० प०

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि उसने जो वायदा किया है, उसे पूरा करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि देश में जो बेकारी है, उस बेकारी को दूर करने के लिए जितनी भी फैक्ट्रियां हमारे यहां बीमार पड़ी हैं, उन तमाम फैक्ट्रियों को खोलने का काम करे। सरकार इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि देश में बेकारी बरकरार रहे। अगर बेकार नौजवान रहेंगे तो सरकार को चुनाव में कई बहाने करने को मिल जायेंगे और कुछ प्रैशर भी देने को मिलेगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेकार नौजवानों को काम देंगे। इसका एलान उसको करने को मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि बेकार नौजवानों को काम देने के लिए वह फैक्ट्रियों को चलाए। सरकार को चाहिए कि जो हमारी बीमार फैक्ट्रियां हैं, उन तमाम फैक्ट्रियों को चालू करे, जिससे देश में बेकारी समाप्त हो सके। साथ ही साथ अगर इस देश में उत्पादन बढ़ेगा, तो देश की महंगाई भी घटेगी। लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर नहीं रही है। सरकार यह सोचती है कि देश में उत्पादन बढ़ेगा, खेती का अधिक उत्पादन होगा और किसान खेत में अधिक खाद डालेंगे, तो किसानों को अधिक पैदा होगी और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस देश के भिखमंगे बने रहें, जिसके चलते हमारे देश के किसान मोहताज रहेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार के इस तरह के सोच विचार से काम चलने वाला नहीं है। 45 वर्षों की आजादी के बाद इस देश के तमाम लोगों में कुछ सोचने-समझने की ताकत आ गई है। अगर इस तरह से आप अधिक दिनों तक करते रहिएगा, तो अब तो जनता इस बात को बर्दाश्त करती रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां के किसान जरूर उठेंगे, यहां का नौजवान जरूर उठेगा और उसका नतीजा

यह होगा कि आप की संख्या पहले लोक सभा में 425 थी और अब आप किसी तरह से बहुमत जुटाने में पड़े हुए हैं और आगे यह भी स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो आपने पैसा देने का वायदा किया है, जो पैसा एलाट किया है, उस पैसे को जल्दी से जल्दी भेजिए, जिससे किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो सके। किसानों के लिए जो पैसा आपने एलाट किया है, उस रुपए को भेजिए, जिससे कल-कारखाने चलाए जा सकें। पावर-ग्रिड के लिए जो रुपया एलाट किया है, उस पावर ग्रिड के लिए रुपया भेजिए, जिससे बिजली का उत्पादन हो सके। एक समस्या यह भी होती है कि शहर में तो बिजली का दुरुपयोग करने के लिए बिजली मिल जाती है, लेकिन देहात में बिजली आंख से भी देखने को मिल नहीं पाती है। बिहार सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। बिहार में बिजली भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते बिजली दो-चार दिनों तक ही मिलती है। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन होगा, तो देश का विकास होगा। इसलिए बिहार के लिए जो भी रुपया आपने बिजली देने के लिए एलाट किया है, उस रुपए को जल्दी से जल्दी भेजिए, जिससे बिहार में बिजली का विकास हो सके।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी रुपया पब्लिक सैक्टर में खर्च करने के लिए एलान किया है, उस रुपए को जल्दी से जल्दी भिजवाया जाए, जिससे वहां पब्लिक सैक्टर को बाहुल्य हो सके। एक ऐसी परम्परा सी बन गई है कि पब्लिक सैक्टर बीमार हो गया है, तो उसको प्राइवेट सैक्टर में बदल दिया जाए। मैं यह समझता हूं कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो उसको दवा कराई जाती है। यह इस देश की परम्परा भी रही है, अगर कोई बीमार होता है, तो उसकी दवा कराई जाती है। अब स्थिति यह हो रही है कि अगर कोई बीमार पड़े तो उसको बन्द कर दिया जाए। सरकार का नियम यह हो गया है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर कोई पब्लिक सैक्टर आपके दिमाग में खेल करता है और उसमें कोई डिफैक्टस हैं, तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि उसको किसी के हवाले मत कीजिए। यदि आप इस तरह से काम कीजिएगा, तो आपकी सरकार को भी किसी दूसरे के हाथों में देना पड़ेगा, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक सैक्टर को ठेके पर दे रहे हैं और आप यह समझते है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार वह दिन भी आ सकता है, आप की सरकार भी कभी न कभी ठेके पर चल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी रुपया आपने एलाट किया है, जो रुपए का प्रोग्राम बना है, उस रुपए को पब्लिक सैक्टर में खर्च करने के लिए भेजें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मैं इस रिजोल्यूशन के संबंध में बोलना चाहता हूं। अभी जो हमारी सरकार की नीति है, उसमें जो सबसे पहले हमारे देश की गरिमा है, वह लुप्त होती जा रही है। हम लोग एक बहुत बड़े देश के नागरिक हैं, इसलिए इस देश की सुख-सुविधा के लिए जनता के सोचने और समझने के विचार को सामने रखकर ही नीतियां बनाई जाती हैं। उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने देश को अपने-बुद्धि-ज्ञान से नहीं चला सकते हैं। हम लोग को अपने आर्थिक उद्धार के लिए विदेश की नीतियों और उनकी बुद्धि पर ही चलना पड़ेगा। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधान मंत्री से लेकर हमारे जितने भी मंत्रिमंडल हैं, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हमारे देश की आर्थिक नीति किस तरफ जाएगी। इसलिए दूसरों की सलाह लेनी

16.05 म० प०

[**श्री पीटर जी० मरबिआण पीठासीन हुए**] जरूरी हो गई है। हर बात में हम लोगों को

ताज्जुब होता है कि हम बाहर के विचारों पर निर्भर हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन भी उठ गया है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जहां जिस को जगह चाहिए, यह भी अब सरकार के हाथ में नहीं है। जहां जो वे चाहेंगे, वही होगा। ऐसी स्थिति में इकोनोमिक इम्बैलेंस हो रहा है। विदेशियों को, मल्टिनेशनल्स को जहां भी चाहें और जिस जगह पर भी चाहें, कल कारखाने खोलने की पूरी छूट है। ऐसी स्थिति में नतीजा यह हो रहा है कि मन चाही जगह उनको मिल रही है और वे राजस्थान में या पहाड़ी इलाकों में तो जगह नहीं चाहेंगे, जहां उनकी सुविधा होगी, वहीं पर वे जगह चाहेंगे। उनकी हर सुख-सुविधा, के लिए सरकार काम कर रही है। एयर-कन्डिशन की सुविधा, खाने-पीने की सुविधा, उनके रहने की सुविधा, उनको नाच दिखाने की सुविधा तथा सभी चीजों की सुविधा होगी और इनमें हमारा रुपया खर्च होगा। इन सबके बावजूद भी अगर उनका मन चाहेगा तो वे हमारे आदमियों की छटाई भी करेंगे। यदि उनका मन चाहेगा कि वे चलाना चाहते नहीं है, तो उसको वे चलायेंगे भी नहीं। उनको नष्ट करने का भी पूरा अधिकार है। यह ऐसी स्थिति है, आजादी से पहले जिस प्रकार अंग्रेज हमारे देश में आए और हम लोगों को दो सौ वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। उनकी नीति डिवाइड एण्ड रूल की थी। हम लोगों को यह याद होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत विभेदों में एकता है और विभेदों की एकता में ही हिन्दुस्तान बंटा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आप यह मत सोचिए कि ये लोग हमारे देश की उन्नति करने के लिए यहां पर कल-कारखाने लगा रहे हैं, ये लोग तो अपने खुद के लाभ के लिए यहां आ रहे हैं। हमारे विभेदों में साथ देना तो बहुत दूर की बात है, ये हम को गुलामी की बेड़ियों में नहीं फेंकेंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। हम लोग खजूर की छाया में रहने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमें खजूर की छाया पर विश्वास रहीं करना चाहिए। प्रतिदिन खजूर की छांया बदलती है और आप फिर धूप में ही रहिएगा। इसलिए पहले देश की गरिमा है, इस पार्लियामेंट की गरिमा है और हमारा देश गरीब हो सकता है, लेकिन हम गरीव देश के आदमी नहीं है, हमारे पास अभी-अभी बहुत सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। ये मल्टीनेशनल्स हमारे देश में किस लिए आ रहे हैं? हमारे देश में ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि हमारे यहां लेबर सस्ती है और इतनी कम मजदूरी देने में भी इनको तकलीफ हो रही है। यहां पर तो बच्चे बिकते हैं, सेठ लोग और बड़े-बड़े मौलाओं के लिए औरतें विक रही हैं, बच्चे बिक्री हो रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने पब्लिक सैक्टर में कल-कारखाने खोलने के खिए शेयर की बिक्री के लिए काम किया है। ऐसी शर्मनाक स्थिति है और हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो नीतियां अपनाई हैं, उनकी निन्दा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। हमारे देश में तीन करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। फिर भी कहते हैं कि मल्टीनेशनल्स को बुलायेंगे, मैं पूछता हूं, मल्टीनेशनल्स को किस लिए बुला रहे हैं। उन पर यदि भरोसा होता और यदि वे कहते कि यहां पर जितने भी बेकार हैं, दो-तीन बरस में सबको एम्पलायमेंट देंगे और दो तीन बरस की वे गारन्टी देते, तो कुछ बात बन सकती है। तीन-चार बरसों में हम लोगों के ऋण को सुधारने का कोई प्रोमिस करते, तो दूसरी बात होती। इन लोगों को आप कहें, सब मानने के लिए तैयार हैं। रुपया कमती करते, तो रुपया भी कमती कर दिया। कहिए कि अमरीकन खाना नहीं चलेगा, तो वह भी खाना ही पड़ेगा। इसलिए इतना ज्यादा ये लोग हमारे देश के गौरव को खत्म कर रहे हैं, हमारी जनता को बिक्री कर रहे हैं और हमारे नौजवानों का जो भविष्य था उसके लिए क्या कर रहे हैं—गांव-गांव में दारू की दुकान लगा रहे हैं। इसलिए ये अच्छे तो बनेंगे नहीं, खराब

रास्ते में जाएंगे और मल्टीनेशनल आएंगे, बाहर से लोग आएंगे। विलायत से लोग आएंगे और वे लोग लेक्चर देंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो लाभ किस का होगा ? यह भी कभी आपने सोचा है।

आज जितने बड़े-बड़े लोग हैं इनकी हालत देखिए। आपको मालूम है कि कितना रुपया-पैसा, करोड़ों रुपया बाहर चला गया है। यदि कुछ गोल-माल हुआ तो कोई इटेलियन नागरिक बनेगा, कोई अमेरिकन नागरिक बनेगा, कोई जर्मनी, कोई जापानी बनेगा, लेकिन रहेंगे तो आप और हम। इस समय तो सब कुछ चला गया। (**व्यवधान**) आज जितने कर्मचारी हैं उनकी आज अपने-अपने घर समस्या है तो क्या ये कर्मचारी आपके घर का या मैं जाकर के इस समस्या को सुधार सकता हूं। न खुद आप कुछ करोगे, क्या एक विलायती आदमी सुधार करेगा वह तो उल्टे लूटकर ले जाएगा तो इस किस्म से सरकार क्या सोचती है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक साधारण आदमी भी जो एक झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है तो उसे दूसरा कोई आदमी घर की हालत सुधारने के लिए नहीं देता है और यदि देगा तो उससे कुछ लेगा तभी तो देगा। यह सरकार इतनी छोटी सी बात को नहीं समझती है। मुझे बहुत दुख होता है एक साधारण आदमी जो समझता है उसको सरकार नहीं समझती है। इसलिए मेरे कहने का विचार है कि आप जल्दी से सब पार्टी के दलों के नेताओं को बुलाइए और इसके संबंध में पूर्ण विचार करिए। आज जिस कठिनाई में भी हिन्दुस्तान बाहर निकला है हिन्दुस्तान इसमें अपने आप सोच सकता है, अपनी गाड़ी खुद चला सकता है इसके लिए हिन्दुस्तान के लोग आपको सहायता देंगे बाहर का आदमी सहायता नहीं देगा। आप कभी उन पर विश्वास मत करिए। ये लुटेरे हैं और वे जो भी है उसको भी लूटकर ले जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[**अनुवाद**]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प पर हुई बहस में भाग लिया है। इस बहस में लगभग 25 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बहस के दौरान अपना मूल्यवान सुझाव दिया है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार के विरुद्ध जो कुछ आरोप लगाये गये हैं वे उचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्रबुद्ध माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि सरकार देश विरोधी कार्य कर रही है। मैं इस आरोप का बलपूर्वक खण्डन करता हूं।

हमने नई औद्योगिक नीति तैयार की है जिस पर पहले भी बहस हुई है तथा मैं इस नई औद्योगिक नीति के बारे में और विस्तार में जाना नहीं चाहता। चूंकि यह संकल्प अपनिवेशन नीति तक ही सीमित है, मैं केवल अपनिवेशन नीति से संबंधित मुद्दों पर ही ध्यान देना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि नई औद्योगिक नीति सहायक सिद्ध नहीं होगी तथा इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आरोप गलत है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि हमें अपने उद्योगों की स्थिति में सुधार करना चाहिए तथा और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए। हमारी नई औद्योगिक नीति का भी यही आदर्श एवं उद्देश्य है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हमारी नई औद्योगिक नीति का भी यही उद्देश्य रहा है और रहेगा।

जहां तक इस आरोप का संबंध है कि हमने आत्मनिर्भरता की नीति छोड़ दी है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सभा में इस विषय पर एक अल्पकालीन बहस हुई थी। वहां मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है तथा मुझसे पहले हमारे प्रधान मंत्री भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि रुग्ण एवं जीव्यक्षम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम बजट सहायता दी जाएगी ताकि इनमें और सुधार हो सके व इनको फिर से चालू किया जा सके। वे उद्योगों को फिर से चालू कर सकते हैं। यह बात भी स्पष्ट रूप से कही गई थी कि भविष्य में इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस नई औद्योगिक नीति के निरूपण से पहले—हम जिस नीति का भी अनुसरण कर रहे थे—हमारे पास एक तरह की बंद आर्थिक नीति है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य को दिमाग में रखें कि बंद अर्थव्यवस्था या बंद औद्योगिक नीति के भूतपूर्व सोवियत संघ में क्या परिणाम रहे। हमारी नीति निरूपण से यह स्पष्ट हुआ है कि हम सर्वप्रथम आत्मनिर्भरता पर ध्यान देंगे, वह नीति, जो पंडित जवाहर लाल जैसे हमारे पूर्वजों ने आरम्भ अथवा निरूपण की थी, जारी रहेगी और यह नीति हमारी नई औद्योगिक नीति के मानदंडों के अन्तर्गत ही...

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात जानना चाहती हूं। मंत्री जी ने बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी जिसे मैं समझ नहीं सकी। क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : हमने अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने की व्यवस्था की है तथा हम यह चाहते हैं कि इसका सम्बन्ध पूरे बिश्व से हो ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को सब समझ सकें तथा और खुलापन आ सके और तब हम और अधिक धन राशि, संसाधन और प्रौद्योगिकी को आमन्त्रित कर सकेंगे। यदि द्वार बंद कर दिए जाएंगे और यदि धनराशि के बहाव को रोका जाएगा तब स्पष्ट है कि वह बंद अर्थव्यवस्था है।

यदि अपनिवेशन की बात लें, हमने सरकारी क्षेत्र के तीस उपक्रमों से 2500 करोड़ रुपयों के बजट के बदले में 3038 करोड़ रुपयों तक का अपनिवेशन किया। इस सन्दर्भ में यह प्रश्न समय-समय पर उछाला गया था कि यह अपनिवेशन बहुत कम मूल्य पर किया गया। श्री रूपचन्द पाल ने भी एक सन्दर्भ में ऐसा भी कहा था, यदि आपको याद है यह समाचारपत्रों में छापा गया था और कहा गया था मानो कि जब हमने अपनी प्रथम अपनिवेशन प्रक्रिया को शुरू किया था तब हम वित्तीय संस्थाओं और अन्य म्युच्वल फंडों को और अधिक मूल्य देने के लिए मजबूर कर रहे थे। परन्तु बाद में जैसे-जैसे समय बीतता गया कुछ वर्ग के लोगों के विचार बदलते गये। हम पर यह आरोप लगाया गया था कि हमने यह अपनिवेशन बहुत कम मूल्य पर किया है। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही और श्री रूपचन्द पाल ने भी ऐसा ही कहा था। वास्तव में, उपलब्ध समय सीमा तथा देश में पहली बार शुरू किए गए कार्य की अद्वितीयता को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि वर्ष 1991-92 के अपनिवेशन के रिकार्ड को विफल या त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। अब हमने एक नया तरीका अपनाया है जिसके अन्तर्गत हम म्यूच्वल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अपनिवेशन का काम कर रहे हैं। ये काम हम पूंजी निर्गम नियंत्रक (कंट्रोलर आफ केपिटल इश्यूज) वह संस्था जिसने उस समय

भूमिका निभायी थी, द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर कर रहे हैं। मैं गत वर्ष के मामले की बात कर रहा हूं जब पूंजी निर्गम नियंत्रक (सी० सी० आई०) अस्तित्व में थी। हमने कुछ परामर्शदाता भी नियुक्त किये हैं। यह सारा काम करने के पश्चात् नवम्बर/दिसम्बर 1991 में हमने कुछ शेयर बेचे हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमें प्रति शेयर पर लगभग 27.65 रुपये प्राप्त हुए। वह प्रथम चरण में हुआ था। द्वितीय चरण में जब हमने फरवरी, 1992 में अपनिवेशन किया तब हमें प्रति शेयर पर 45.25 रुपये प्राप्त हुए। हमें जनता के पास सीधे नहीं जाना चाहिए था। यहां पर ध्यान देने योग्य दो कारण हैं, एक तो है ऐसा कार्य करने में अधिक समय लगना और दूसरा इसके परिणामस्वरूप मूल्यों को नियंत्रण करने में हमारी असमर्थता। हमने म्युच्वल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं का मार्ग इसलिए अपनाया क्योंकि उनके पास शेयर खरीदने के लिए काफी मात्रा में धन उपलब्ध था। वे शेयरों को अपने पास नहीं रख सकते तथा जब उन्होंने बाजार में इन शेयरों को लाभ पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया तो इस प्रकार का लाभ देश की उस जनता को मिलेगा जिन्होंने म्यूच्वल फंडों एवं वित्तीय संस्थाओं में अपना धन निवेश किया है।

हमें अनुभव प्राप्त होता जा रहा है तथा हम सुधार के प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य आवेदक में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने धन को लम्बे समय तक शेयरों में रोके रखे। वर्ष 1992-93 के दौरान अपनिवेशन की राशि 3500 करोड़ रु० रही है। वर्ष 1992-93 में, 1991-92 में किए अपनिवेशन से प्राप्त अनुभव के आधार पर हमने एक नया तरीका अपनाया है। हमने उन माननीय सदस्यों के विचारों को भी ध्यान में रखा था जो इस बात के इच्छुक थे कि सरकार म्यूच्वल फंडों एवं बैंकों की अपेक्षा अपने शेयरों को बिक्री के लिए सीधे प्रस्तुत करे। हमने समाचार-पत्रों में शेयरों की बिक्री के लिए निविदाओं को आमन्त्रित करते हुए विज्ञापन दिए। बैंक संस्थाएं म्यूच्वल फंड, पंजीकृत दलाल अथवा वैधानिक मान्यता अथवा वह व्यक्ति जो अकेले अथवा संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है, जिनको भारत में शेयर खरीदने, रखने और बेचने की अनुमति दी गई है, उन्हें आठ कम्पनियों के शेयरों को खरीदने का अधिकार दिया गया है। मैं सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं कि हमने दिए गए इस कार्य के लिए विशेषरूप से चुने गये प्राइवेट व्यक्तियों की सलाह मानी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे सलाहकार कौन हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : वे हैं आई०सी०आई०सी०आई०, स्टेट बैंक तथा अन्य।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये सब घोटाले में फंसे हुए हैं। अतः ये घोटाला करने वाले आपके सलाहकार हैं।

श्री पी०के० थुंगन : हम उन मान्यताप्राप्त सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं जिनको इसमें अनुभव है। यहां पर यह बात भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि हमने कुछ कम्पनियों के शेयरों को एकत्रित करने के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया, जैसाकि 1991-92 में किया गया था। यह भी याद रखना होगा कि इस संकल्पना के बारे में विभिन्न मत व्यक्त किए गए थे। उस समय, नया कार्य होने के कारण, ऐसी कार्रवाई आवश्यक थी। 29 कम्पनियों के शेयर पहले ही सूचीबद्ध किये जा चुके हैं। कुछ मामलों में व्यापार भी हुआ है। अब यह समय आ गया है कि कम्पनियों के शेयर अलग-अलग बेचे जायें। अतः हम इन कम्पनियों के शेयर अलग-अलग बेचेंगे। इस खुले विज्ञापन

के उत्तर में, जिसमें बोली लगाने वालों के लिए काफी समय दिया गया था, हमें 280 से भी अधिक बोलियां प्राप्त हुईं। इसमें ये वैध मान्य बोलियां 250 से अधिक थीं। इस इस बार निर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण-- सचिवों के प्रमुख समूह द्वारा, तीन मर्चेन्ट बैंकरों, अधिकांशतः वे सलाहकार जिन्हें हमने पहले भी नियुक्त किया था; इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक, दी इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन तथा एस०बी०ए० कैपिटल मार्केट्स लि० की सिफारिशों पर—किया गया था। अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निवेशकों एवं मंत्रियों के विचारों को भी ध्यान में रखा गया था। रेफरल मूल्य के आधार पर 8 कम्पनियों—यथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, एच०एम०टी० लि०, हिन्दुस्तान जिंक लि०, नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि०, नेशनल अल्युमीनियम कं० तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० के 12.86 करोड़ के शेयर बेचे गये थे जिससे हमें 681.95 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई थी। इन आठ कम्पनियों को मिलाकर देखने पर औसत मूल्य प्रति 10 शेयरों पर 53 रु० होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्त में ये शेयर कौन खरीदते हैं?

श्री पी०के० थुंगन : अन्त में शेयर, शेयर बाजार में जाता है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बी०पी०सी०एल० तथा एच०पी०सी०एल० के शेयरों का बिक्री मूल्य क्रमशः 678 रु० तथा 55.79 रु० था जो बाजार में उस समय चल रहे मूल्य की तुलना में अधिक था। बाजार मूल्य के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह विभिन्न कारकों के आधार पर भारतीय परिवेश में घटता और बढ़ता रहता है। आर०सी०एफ०एल० से औसत मूल्य, 30.35 रु० प्राप्त हुए जबकि एस०ए०आई०एल० से 40 रु० तथा एच०जेड० एल० से 42.5 रु० प्राप्त हुए। मैं यहां पर कुछ उदाहरण सिर्फ यह प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इन औसत मूल्यों की तुलना, प्रतिकूल रूप से, बाजार में प्रचलित मूल्य से नहीं की जा सकती। बाजार में प्रचलित अधिकतम मूल्य को लेकर उसकी तुलना रेफरल मूल्य से करना तथा सरकार को होने वाली हानि का कल्पित आंकड़ा बना लेना उपयुक्त नहीं है, जैसाकि हमारे एक माननीय सदस्य ने किया था। मैं माननीय सभा के समक्ष यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पत्र-पत्रिकाओं में इस तरह से लिखने से न तो वास्तविक स्थिति में कोई सुधार होगा और न ही यह आम आदमी के हित में होगा।

मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत में अपनिवेशन एक अलग प्रकार का है। यह एक अनूठा प्रयास है और इसकी तुलना यूरोप अथवा अमेरिका में किए गए प्रयासों से नहीं करनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। वर्गीकृत अवस्थाओं को अपनाना अनिवार्य है। भारी मात्रा में बाजार में शेयरों को उतारने से मात्र बाजार संकट ही उत्पन्न होगा।

हाल ही में 28 नवम्बर 1992 में—दिए गए विज्ञापन में जोकि 1992-93 में दूसरा चरण है, हमने न्यूनतम बोली को घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया था। हमें, आशा है कि इससे न केवल बोली लगाने वालों की ही संख्या बढेगी अपितु बिक्री मूल्य में भी वृद्धि होगी।

हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और यह देखना होगा कि क्या इसमें कोई वास्तविकता है। मैं सदस्यों से केवल यह विनती करूंगा कि वे सरकार के साथ इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में सहयोग करें। इस तरह के वक्तव्य न दें जिनसे विनिवेश के बेहत्तर नतीजों को नुकसान पहुंचेगा।

इससे पहले कि मैं श्री रूपचन्द पाल जी से अनुरोध करूं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक उद्यमों पर हमारा व्यापक स्वामित्व होगा।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। तीसरी बात यह है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्य-निष्पादन के 'बैरोमीटर' के रूप में कार्य करेगा। उनके शेयर स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे और उनके शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होगा। और स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आएगा। जिन कुछ कम्पनियों का कार्य-निष्पादन बेहत्तर है उनके शेयरों की कीमतें बढ़ेंगी और जो कम्पनियां अच्छी तरह से काम कर पाने में असमर्थ रही हैं उनके शेयरों की कीमतें गिर जाएंगी। अतः यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्य-निष्पादन को दर्ज करने के संबंध में 'बैरोमीटर' के रूप में कार्य करेगा।

इसी तरह के बहुत से प्रश्न उठाए गए थे जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक आदि ने हम पर दबाव डाला है आदि। एक माननीय सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने श्री मनमोहन सिंह के पत्र का उल्लेख किया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि बजट भाषण के थोड़ी देर पहले इस सदन में उस पत्र के बारे में हंगामा हो गया था और वित्त मंत्री ने उसका बहुत स्पष्टता से खण्डन कर दिया था। मुझे उसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे भी आरोप लगाए गए थे कि हम मजदूरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं इस सम्माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस संबंध में बहुत चिन्तित हैं। हमें केवल चिन्ता ही नहीं है बल्कि किसी समय हमें पीड़ा भी होती है क्योंकि कुछ रुग्ण इकाइयों में हमारे मजदूरों की दशा बहुत अच्छी नहीं है।

अतः मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारा एक भी कामगार बेकार हो जाए। इस उद्देश्य के लिए हमारे पास राष्ट्रीय नवीकरण कोष है। अतः यह आरोप कि हमें कामगारों की चिन्ता नहीं है, बिलकुल निराधार है।

मैं अन्त में इस प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक श्री रूपचन्दपाल जी से अनुरोध करता हूं कि वह आपका प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि हमने उनके और अन्य माननीय सदस्यों के विचारों पर पहले ही विचार कर लिया है। अनुवर्ती विनिवेशों के समय हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अभी-अभी स्वयं ही यह कहा है कि शेयरों की बिक्री व्यापक जन भागीदारी के रूप में हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शेयरों की पहली खेप बेची गई थी उस समय किस तरह की जन भागीदारी हुई थी? वह इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : जब शेयर बाजार में जाते हैं, तो उन्हे लोगों को बेचा जाता है। उन्हें कम्पनी विशेष की आम सभा की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है या उनका अधिकार होता है। अतः केवल सरकारी निदेशकों के बजाय और अधिक लोग शेयर ले सकें। आम सभा की वार्षिक बैठकें भी होंगी। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि भारत पैट्रोलियम के शेयर किसने खरीदे। इसमें कितने शेयर धारक हैं ? (**व्यवधान**)

श्री पी० के० थुंगन . यद्यपि ये शेयर वित्तीय संस्थाओं और म्यूच्वल फंड में बेचे गए हैं फिर भी ये स्टॉक एक्सचेंजों में जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से ये शेयर लोगों तक पहुंचेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश में पहले भी शेयर घोटाला हुआ है। उन शेयरों को कौन ले रहा है ?

श्री पी० के० थुंगन : वित्तीय संस्थाओं और म्यूच्वल फंड के प्रतिनिधि उनकी आम सभाओं की वार्षिक बैठक में उपस्थित रहेंगे।··· (**व्यवधान**)···संबंधित महा प्रबंधनिदेशक को इसका उत्तर देना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सदन को गुमराह करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।··· (**व्यवधान**) ···माननीय मंत्री ने सदन को गुमराह किया है ।··· (**व्यवधान**)···आप हमें ब्यौरे नहीं दे सकते हैं। ··· (**व्यवधान**)···

श्री पी० के० थुंगन : इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में जन भागीदारी और व्यापक होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सैद्धान्तिक रूप से।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के समर्थन में इस पर हुए वाद-विवाद में भाग लिया। मुझे इस की बहुत प्रसन्नता है कि सभी ने यहां तक कि कांग्रेस (इ) के बहुत से सदस्यों ने भी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सरकार की इस बात पर चिंता प्रकट की कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के मामले में किस प्रकार काम कर रही है।

मैं इस केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के विनिवेश के बारे में उठाए गए कदम के अभिप्रेरण के बारे में काफी विस्तार से बोल चुका हूं। यह निजीकरण की प्रकिया की शुरुआत है। यह निजीकरण की दिशा में एक कदम है। वह इस काम को सीधे-सीधे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें जन आलोचना और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसका विरोध करने वाले लोगों ने हाल ही में 25 नवम्बर को इसके खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। यह उनके लिए एक सबक है। परन्तु सरकार जिस राह पर आगे बढ़ रही थी वह उससे बाज नहीं आई। मेरी दूसरी आलोचना सरकार द्वारा अपनाई पद्धति के बारे में थी। संयुक्त संसदीय सलाहकार समिति इस घोटाले की जांच कर रही है और हर रोज कई बातें सामने आ रही हैं। परन्तु यदि इस बात की कोई जांच कराई जाए कि इस विनिवेश के मामले में क्या हुआ है तो मुझे पक्का विश्वास है कि वह आगे और बड़ा घोटाला सिद्ध होगा।

मैं बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में जानकीरमण समिति की टिप्पणियों का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम कैसे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का इकाइयों के रूप में शेयर खरीदने के लिए अग्रणी ऐजेंसियों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि शेयर बहुत कम कीमतों पर उन्हें दिए गए थे। ये शेयर उन्हें तश्तरी में लगभग भेंट में दिए गए हैं। मैंने इनके कुछ उदाहरण दिए हैं। मैं उन्हें नहीं दोहरा रहा हूं। विक्रम मूल्यों के पर 'बुक वैल्यू' के

हिसाब से विचार किया गया। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की 'बुक वैल्यू' 242 करोड़ रुपये तक है। परन्तु इसकी कुल परिसंपत्तियां 30,000 करोड़ रुपए से कम नहीं हो सकती है। यह अभियांत्रिकी क्षेत्र में एक अग्रणी कम्पनी है। अब सरकार ने उसे सबसे पहले वाणिज्यिक ऋण के बतौर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए मजबूर करके कमजोर किया है। उसके पास आर्डरों' का अभाव है।

यहां तक कि केन्द्रीय सरकार—सरकारी उपक्रमों ने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड जैसे संगठनों के आर्डरों को रोक लिया था। इससे भी संतुष्ट न होकर उन्होंने इसके शेयरों का विनिवेश किया। उन्होंने इसके शेयर इस अग्रणी एजेंसियों के पीछे कार्यरत कम्पनियों को इसके शेयर तश्तरी में उपहार के बतौर भेंट कर दिए।

अब स्थिति की विडम्बना यह है कि जिस व्यक्ति को इस विनिवेश की जांच करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है वही व्यक्ति इस संदिग्ध विलंब में शामिल था। आज क्या बात सामने आई है? परसों क्या बात सामने आई थी? वह "सेल", "मारुति" जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों से अपने बेटों की कम्पनियों के लिए काम कर रहा था। उसने धन लिया है और उसको धन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दिया है। उसके बेटे 'सीमेंस' के लिए काम कर रहे थे जो कि बी० एच० ई० एल० से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था परन्तु अब वह बी० एच० ई० एल० से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। वह चाहते थे कि एंग्लो-फ्रेंच कम्पनी, जी०ई०सी० एल्सथॉम यहां आये जो इसे अपने नियंत्रण में लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। मंत्री महोदय अभी भी सदन को आश्वासन दे रहे हैं और इस और इस आरोप से इन्कार कर रहे हैं कि पुनःसंरचना के नाम पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि बी० एच० ई० एल० को एंग्लो-फ्रेंच कम्पनी को सौंपने के सभी इन्तजाम कर लिए गए हैं। नया रूप देने के नाम पर वह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की तीन पृथक् कम्पनियों के रूप में बांटने का विचार बना रही हैं और उसका एक भाग निजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। पुनर्गठन के नाम पर यह सब किया जा रहा है। यह सब काम हो रहे हैं। हम शुरू से यह देख रहे हैं कि यह देश दोतरफे आक्रमण का शिकार हो रहा है। पहली बात यह है कि कुछ साम्प्रदायिक ताकतें एक सम्प्रदाय विशेष के पूजा स्थलों को तोड़ने पर आमादा हैं और इधर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक निर्देशानुसार यह सरकार आधुनिक भारत के मन्दिर को तोड़ने पर आमादा है। पंडित नेहरू ने बी० एच० ई० एल० जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमें मालूम नहीं है कि वह कितना आगे बढ़ना चाहती है। किसी समय वह कहती है कि इस पर सरकार का नियंत्रण होगा और यह 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किसी समय कुछ सरकारी लोग कुछ दूसरी ही भाषा में बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 51 प्रतिशत तक प्रबंधकीय नियंत्रण जारी रहेगा। साथ ही कुछ विरोधाभाषी बातें भी सुनने में आती हैं। हमें यह आश्वासन दिए जाने पर भी कि यह सरकार उससे आगे नहीं बढ़ेगी जिसकी घोषणा की जा चुकी है। इसके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने विश्व आर्थिक मंच के समक्ष अपना भाषण देते समय यह घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के 1.2 बिलियन डालर मूल्य के शेयरों का विनिवेश किया जाएगा। जबकि हमारी संसद का अधिवेशन चल रहा था उन्होंने यह घोषणा उससे बाहर की। हम जानते हैं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा निर्णय घाटे को कुछ हद तक पांच प्रतिशत या उससे भी कम करने के लिए किया जा रहा है जैसा

कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या विश्व बैंक ने हिदायतें दी हैं। सरकार ऐसा कर रही है और ऐसा करने के दौरान तबाही का रास्ता अपनाया गया है और जिसके कारण पूरे औद्योगिकरण को समाप्त किया जा रहा है। इस देश का क्या होगा ? जैसी कि हमारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि यदि ये सब बातें जारी रहती हैं तो इस देश का सचमुच क्या होगा ? मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है परन्तु मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि यह आरोप उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी उत्तर ठीक हैं। यह स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्र के लिए केवल धोखा ही नहीं है बल्कि यह सरकार के 1991 के चुनाव घोषणा-पत्र के लिए भी एक धोखा है जिसमें उन्होंने यह वायदा किया था कि वह असमानताओं को दूर कर देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मजबूत कर देंगे और अधिक रोजगार उपलब्ध करायेंगे। परन्तु संसद से परामर्श किए बगैर और देश की जनता को विश्वास में लिए बगैर आप चुपचाप एक षड़यंत्र के रूप में यह सब काम कर रहे हैं और जिन लोगों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है वे कृष्णमूर्ति जैसे लोग हैं। मैं फिर मांग करता हूं कि 'हाउस पैनल' का गठन किया जाए और उसे विनिवेश के संबंध में जो कुछ हुआ है उसकी गहराई से जांच करने का अधिकार दिया जाए। यह घोटाले से कम नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यह और बड़ा घोटाला हो। **(व्यवधान)** मैंने जो कुछ पहले कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सरकार को मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और जो कुछ हुआ है उसका गहन अध्ययन करने के लिए संसदीय समिति का गठन करके उसकी समीक्षा करनी चाहिए तथा गैर औद्योगीकरण के रास्ते को छोड़ देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष से भी अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करे।

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, महोदय।

श्री पी०के० थुंगन : मैंने पहले ही माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने का निवेदन किया है क्योंकि उनके द्वारा उठाये गए सभी मुद्दे सरकार के ध्यान में हैं··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। हम संकल्प वापस नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस सभा का सदस्य हूं। मेरी भी अपनी कुछ आवाज है··· **(व्यवधान)***

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों ?

सभापति महोदय : आप बार-बार मन्त्री महोदय की बात में टोका-टोकी कर रहे हैं। आप एक काफी वरिष्ठ सदस्य हैं···

---

* कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मैं यह कहता हूं कि मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : मैं श्री रूपचन्द पाल से बातचीत कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस सभा का सदस्य हूं और अपने दल का नेता हूं। मैं उन पर संकल्प वापस न लेने के लिए दबाव डाल सकता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, आप हमारे नेता को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमें विरोध स्वरूप सभा से बहिर्गमन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : मैंने संकल्प के प्रस्तावकर्ता श्री रूपचन्द पाल से इसके लिए कहा है। गलतफहमी में मत रहिए। पीठासीन अधिकारी को धमकाने की चेष्टा मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह धमकाने की बात नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत किये गए संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार की अपनिवेशन नीति की तुरन्त व्यापक समीक्षा करे।"

सभापति महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में इस प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। मैं मत विभाजन चाहता हूं।

सभापति महोदय : दीर्घा में खाली कर दी जायें।

सभापति महोदय : दीर्घा में खाली कर दी गई हैं। क्योंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है।

4.52 म.प.

(तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 1992/16 अग्रहायण 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

चौहान प्रिन्टिग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53